राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का चौवनवां दिवस [संख्या : 21

शुक्रवार,

20 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ तहसील में पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण

485. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बजट 2011-12 में पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु 2 करोड़ की घोषणा में शेरगढ़ में भी पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त घोषणा की अनुपालना में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील शेरगढ़ में पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु किसी स्थान का चयन किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानों के लिए क्या-क्या कार्य किया गया?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त तहसील में पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण करने हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानों के लिए कितने बजट के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं?

(4) क्या सरकार बजट घोषणानुसार उक्त कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

पर्यटन मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) जी हां। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2011-12 के अनुसार पशु मेला ग्राउण्ड शेरगढ़ में स्टेज एवं ग्रीन रूम का निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 13.78 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत करते हुए

(श्रीमती बीना काक)

प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि रु. 7.00 लाख कार्यवाही एजेंसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित की गयी है। निगम द्वारा कार्य करवाये जाने हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

(2) पशु मेला ग्राउण्ड का चयन किया गया है, उसी का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा।

(3) अन्य स्थानों का प्रस्ताव अभी तय नहीं है।

(4) बजट घोषणा 2011-12 में स्वीकृत उपरोक्त कार्य वर्ष 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बाबूसिंह जी राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि खण्ड 3 में आपने जो उत्तर दिया कि शेरगढ़ में अन्य स्थानों के प्रस्ताव कोई तय नहीं हैं, क्या सरकार की पर्यटन नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराना है? क्या यह भी सही है कि जैसलमेर के पर्यटक मरुस्थल, रेगिस्तान को देखने व अनुभव करने आते हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सरकार शेरगढ़ में मरुस्थल, रेगिस्तान में भी डेजर्ट सफारी, कैम्प सफारी, कैमल सफारी, कैम्पिंग रिसोर्ट, पेइंग गेस्ट आवास योजना, पर्यटन इकाइयां, गांवों में ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु कार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार, स्पष्ट करें। क्या सरकार डेजर्ट सर्किट, ट्यूरिज्म प्रोजेक्ट का जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाया है, उसमें शेरगढ़ को शामिल कर कार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? क्या सरकार गुजरात की तर्ज पर या सरकार की राज्य योजना के अनुसार पी पी पी माडल पर हेरिटेज स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? नहीं, तो क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो गांव, ढाणियां व संस्कृति, यह हेरिटेज हैं और हेरिटेज ही राजस्थान की धरोहर है। इनका आप उत्तर दे दें। इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन और है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यों तो जो क्वेश्चन आया है, मेरे डिपार्टमेंट ने कहा कि शेरगढ़ में कुछ है नहीं, पर शेरगढ़ का मेरे को ध्यान है कि एक तो खेतसिंह जी राठौड़ थे, उनके नाम से शेरगढ़ चमकता था और एक सुल्तान सिंह जी थे, अब शेर का कब....

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पोता।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): आप तो पोता कह रहे हो, मैं कब (cub) कहती हूं। अब शेर के बच्चे हैं तो निश्चित ही डिपार्टमेंट वालों को समझाना पड़ा कि धोरों से ही आज इंसान पैसा बना रहा है। जैसलमेर में धोरों के अलावा, थड़ों के अलावा और धोरों में जाने के लिए चाहे वह कूड़ी हो, चाहे आपके भाई-भतीजों का बनाया हुआ मनवार हो, इससे लोग आकर्षित हो रहे हैं, डेजर्ट सफारी कर रहे हैं। तो मैं आपको यह कहना चाह रही हूं कि जो भी कोई प्रस्ताव आपकी तरफ से आएगा, पी पी पी माडल पर, अभी तक कोई आया नहीं है, डिपार्टमेंट में एक भी पी पी पी मोड में अभी नहीं आया, अगर पी पी पी में कोई करना चाहे तो पर्यटक सुविधाओं के वास्ते एक तो जमीन का कंवर्जन फ्री है, यह कलक्टर को अधिकार दिया हुआ है, होटल सफारी करवाने हेतु रियायती दर पर ऋण उपलब्ध होता है और लग्जरी का एंटरटेनमेंट टैक्स भी गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। धोरों के ऊपर आप गाड़ी चलाना चाहें, या धोरों के ऊपर जिप्सी चलाना चाहो, सफारी चलाना चाहो, कुछ भी चलाना चाहो, भले ही मैट्रो चलाना चाहो, वे आ सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सुनिए, सुनिए।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): पी पी पी मोड पर धोरों के लिए प्रस्ताव लेकर आवें तो पूरा हम फेसिलिटेट करेंगे। ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट का मतलब ही यही है, पी पी पी मोड के ऊपर आप उसको फेसिलिटेट करें, वहां सुविधाएं करें और फिर आगे बढ़ जाएं। धोरों में खूब है, धोरों में मोटे-मोटे टीले हैं, धोरों में जो म्यूजिक बजता है, वह अलग ही है, कोई फुल चांदनी रात हो, वह धोरों में सुन रहे हों। तो कोई पी पी पी मोड के ऊपर आएगा तो सिंगल विंडो सिस्टम पर आपके प्रस्ताव की जिम्मेदारी मेरा डिपार्टमेंट ले सकता है। धन्यवाद, विराजो। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि पी पी पी...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं जैसलमेर का रहने वाला हूं, इसके बाद पूछूंगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप पी पी पी माडल की योजना लागू करने के बारे में बताएं कि पी पी पी माडल की क्या योजना है राजस्थान

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

सरकार की? एक। दूसरा, आप बतावें कि वास्तव में ये पर्यटक ...(व्यवधान) वे रेगिस्तान देखने के वास्ते आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप थोड़ा प्रश्न ढंग से करें, मंत्रीजी से प्रभवित न हों।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): रेगिस्तान देखने के लिए आते हैं। रात-रात भर रातें सुहावनी हैं, ठण्डी हवाएं बहती हैं इसलिए ए सी की जरूरत रहती नहीं है, इस वास्ते पर्यटक धोरों में रात-रात रहते हैं। उसकी क्या योजना है? दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि विभाग के, आर टी डी सी के होटल्स, मोटल्स और मिड-वे बंद हैं? यदि हां, तो उन्हें लीज पर या सरकार अपने स्तर पर शुरू कराने का विचार रखती है? हमारे शेरगढ़ तहसील में भी गुमानपुरा पोकरण चौराहे पर मिड-वे, मोटल्स बंद हैं, उसे भी शुरू करने का विचार रखते हैं या नहीं?

दूसरा, आपने कहा कि रूपांतरण जो कलक्टर के माध्यम से हो रहा है, क्या यह सही है कि जैसलमेर-सम सड़क के दोनों तरफ दो किलोमीटर की परिधि में पर्यटन की इकाइयां लगाने के लिए भू-रूपांतरण पर रोक है? यदि हां, तो क्या सरकार रोक हटाने का विचार रखती है? ये दोनों प्रश्न हैं।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): वह जो लिस्ट वाला पहले वाला क्वेश्चन है, वह तो मेरे से सम्बन्धित है नहीं, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं है, सही बात कर रही हूं मैं कि रोड के लिए कोई रोक लगी हुई है तो मैं उसका पता कर सकती हूं।

दूसरा, आपने जो फरमाया कि शेरगढ़ के धोरों में पर्यटन के लिए जीप सफारी है, स्कूटर सफारी है और कोई खेल है, इस हेतु हम विचार कर रखते हैं। जैसा मैंने बताया कि वहां जैसलमेर में आजकल एक सफारी चल रही है, कोई दुबई वाले इसको कर रहे हैं, उसी तरह से अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो मैं जरूर पर्यटन विभाग की तरफ से करवाने की कोशिश करूंगी।

आपने तीसरा बताया कि ये जो यूनिट्स हैं, अपनी आर टी डी सी वाली कई यूनिटें हैं जो घाटे में हैं, जो नहीं चल रही हैं, अपने पोकरण वाली, मेरे ख्याल से कोई किराये के ऊपर दी हुई है; 2-4 और, एक योजना बनाई हुई है, पी पी पी मोड पर इनको भी किराये पर दे सकते हैं लेकिन कोई निर्णय अभी हुआ नहीं है। यस बैंक की पूरी लिस्ट हमारी बनाई हुई है कि जो घाटे में हैं, जो फायदे में हैं, जो नहीं चल पा रही हैं, उन पर विचार हमने किया है लेकिन कोई फाइनल डिसिजन नहीं हुआ है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उनको आप लीज पर दें। किस प्रकार चलाएंगे, यह तो बताओ।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): हां, लीज पर दे सकते हैं, अभी डिसिजन नहीं हुआ है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बहुत बढ़िया हैं। वर्षों हो गये, बंद पड़ी हैं।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): लीज पर दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पोकरण रोड पर बंद पड़ी है, वर्षों हो गये।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): हां, मुझे ध्यान है, मैंने खुद ही तो बताया आपको।

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्रीजी को बैठने दो, फिर बाद में।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक, आप किसी मोटल की योजना तो लागू कराओ; क्या करवा रहे हैं, किस प्रकार करवा रहे हैं, योजना तो लागू करें।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): वह तो आपका प्रपोजल आये, तब है।

श्री उपाध्यक्ष: शेरगढ़ से सम्बन्धित है। मात्र, मात्र शेरगढ़ से सम्बन्धित है, केवल शेरगढ़ से। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अभी जैसा मंत्री महोदया ने कहा कि जैसलमेर में धोरे हैं, जैसलमेर में किले हैं; जैसलमेर में धोरे-किले ही नहीं हैं, वहां पर हवेलियां हैं, और बहुत कुछ वहां पर है। यह पूर्वजों की और कुदरत की देन भी हुई है। आज हिन्दुस्तान में एक ट्यूरिस्ट आता है, तो सिंगापुर में 10 जाते हैं। (व्यवधान) मेरा पाइंटेड क्वेश्चन यह है कि जैसलमेर के अन्दर इंफ्रास्ट्रक्चर, असेट्स भारत सरकार और राजस्थान सरकार कुछ क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है तो क्या प्लान है? आपने क्या एड किया जैसलमेर के अन्दर? (व्यवधान) क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और असेट्स क्रिएट कर रहे हैं? (व्यवधान) यह प्रश्न है मेरा। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): देखिए, एक साथ ही जवाब दे दें। वे पर्यटक ढाणियां देखते हैं, ढाणियों की फोटो खींचते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): ऐसा है, केवल ढाणी और किले ही विरासत नहीं हैं लेकिन जो हम जीते हैं, ...(व्यवधान) जो हम रहते हैं, जो हमारा म्यूजिक है, जो हमारी कला है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा रहन-सहन है, जो हमारा पहनावा है, वे सब भी विरासत के अभिन्न अंग हैं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें, मंत्रीजी।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): और इसी सब विरासत को देखने के लिए लोग आते हैं। करीब हमारी 30-40 यूनिट हैं जिनको हम पी पी पी मोड पर देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: शेरगढ़ का एक ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): और, कर्नल साहब, आप तो, आप ही जैसलमेर में एक महान हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भगवान सहाय सैनी। अगला प्रश्न पुकार लिया।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब केवल भगवान सहाय सैनी।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): डेजर्ट मेगा सर्किट भारत सरकार की ओर से आलरैडी हो चुका है, उसके अन्दर जैसलमेर को...(व्यवधान)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): प्रश्न संख्या 486 ।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, विराजें। केवल भगवान सहाय सैनी का।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): सवाल शेरगढ़ से सम्बन्धित है, सीता माता का जवाब देना अभी सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है अब।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। विराजिए। आपका अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय धारीवाल साहब। भगवान सहाय सैनी।

चौमूं (जयपुर) हेतु मैट्रो रेल सुविधा

486. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार मेट्रो रेल परियोजना को चौमूं तक चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) अम्बाबाड़ी (जयपुर) से चौमूं तक मेट्रो रेल चलाने पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) अम्बाबाड़ी, जयपुर से चौमूं तक मेट्रो रेल चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः अनुमानित व्यय का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: भगवान सहाय सैनी जी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जयपुर-चौमूं व्यस्ततम मार्ग है, प्रति वर्ष दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं। अगर मेट्रो रेल चौमूं तक चलायी जाय तो जो जनहानि होती है उस पर नियंत्रण हो सकता है, जानें नहीं जाएंगी। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस जन हानि को बंद करवाना चाहते हैं या नहीं?

दूसरा, मेट्रो चलने से जयपुर शहर पर दबाव कम होगा। गांवों में यदि मेट्रो चल जाएगी तो लोग जयपुर से चौमूं या आसपास के गांवों में जाकर रहेंगे, जयपुर पर दबाव कम होगा। क्या मंत्रीजी इस दबाव को कम करना चाहते हैं या नहीं?

दूसरा, अनुमानित व्यय विवरण दिया जाना सम्भव क्यों नहीं है? जब आपके पास इतने अधिकारियों की फौज है, कम से कम इसका विवरण तो बने,

(श्री भगवान सहाय सैनी)

प्रोजेक्ट तो बने। प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो क्या कार्यवाही होगी? माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी, सवाल चौमूं का है, आप देख लीजिए। सवाल चौमूं का है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप पूछिए। क्या दिक्कत है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह मेट्रो का प्रथम चरण बनाया है, यह कहां से कहां तक होगा? कब तक पूरा हो जाएगा? इस पर कितना पैसा लग रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: मामला चौमूं तक है। सराफ साहब, मामला चौमूं तक है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): चौमूं नहीं है, मेट्रो का है, मामला मेट्रो का है। चौमूं से तो भगवान बचाए, चौमूं तो भगवान सहाय जी को मुबारक। मैं तो यह पूछ रहा हूं, इस पर ट्रैफिक कितना है? कितना खर्चा होगा? कब तक पूरा होगा? और यह कहां से कहां तक आपका रूट है प्रथम चरण में? यह बताएं।

श्री उपाध्यक्ष: और किसी को?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकण्ड में अपनी बात कह देना चाहता हूं। जब हम सीकर जाते हैं...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजें, धारीवाल साहब। सबका एक साथ आ जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सीकर जाते हैं तो चौमूं से होकर गुजरना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनके बाद में। इनको बोलने दो, फिर आपका होगा। इनको बोलने दो, आपको मौका मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जयपुर शहर चौमूं तक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लगता है, जैसे हम जयपुर में ही चल रहे हैं। माननीय उप नेता महोदय को पूछ लीजिए, चौमूं में जरूरत है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये कह दें तो इनकी बात भी मानिए। चौमूं तक प्रस्ताव बनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नाथूराम सिनोदिया, आप कुछ पूछना चाह रहे थे।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ओ मैट्रो का जो चला रिह्या हो, बो सबहूं बढ़िया तो चौमूं मां चलावोला जद ही इको नाम ऊंचो होवेलो। चौमूं सूं बोत बड़ी भीड़ आवै है अठे।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, किशनगढ़ तक?

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): किशनगढ़ तो बाद मां चलावां, पेल्यां चौमूं चला दो।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक विराजो। मंत्रीजी। (व्यवधान) बहुत लम्बा हो गया, विराजें। प्रश्न जैसा है, फिर भी इतना मौका मिल गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अम्बाबाड़ी से चौमूं तक कोरिडोर विस्तार हेतु वर्तमान में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ट्रैफिक रिपोर्ट और टेक्निकल अध्ययन, टेक्निकल स्टडी अभी तक नहीं हो पायी है। जहां तक सवाल इस बात का है, हर जगह की मांग आती है कि मेट्रो चलायी जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं बैठे-बैठे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सरवाड़ की भी आती है, लालसोट की बात आती है, किशनगढ़ की भी आती है, सब जगह की आती है मेट्रो के लिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वैसे भी सरकार की मंशा यह है और सरकार इस बात पर बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है कि जहां जिस शहर की पापुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है वहां के लिए एक मास्टर प्लान बनवाया जाय और वह मास्टर प्लान, ट्रैफिक का मास्टर प्लान बनाया जाय ताकि यह पता लग सके। अगर भविष्य में मेट्रो आनी है तो वहां पर एलीवेटेड रोड बन पाएगा, आर ओ बी बन पायेगा या नहीं बन पाएगा, आर यू बी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा या एलीवेटेड

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

रोड बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, वह सारा प्लान बनाने का सरकार विचार रखती है।

कालीचरणजी ने जो सवाल पूछा, डेढ़ साल से तो जयपुर में काम चल रहा है और अपनी आंखों से खूब देख रहे हो इस काम को, लेकिन फिर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि यह कब कम्प्लीट हो जाएगी। एक हजार बार यहां पर श्री धरन साहब खुद अनाउंस कर चुके इस बात के लिए कि जून, 2013 तक फर्स्ट फेज इसका कम्प्लीट हो जाएगा और फर्स्ट फेज है मानसरोवर से लेकर चांदपोल गेट तक का। इसके बाद में चांदपोल गेट के बाद भी कैबिनेट ने एक फैसला ले लिया है कि चांदपोल गेट से लेकर बड़ी चौपड़ तक का एक अण्डर ग्राउण्ड है, मेट्रो वहां बड़ी चौपड़ तक पहुंचेगी।

कुल मिलाकर यह प्लान है 3,149 करोड़ रुपये का जिसमें 12.067 किलोमीटर की यह टोटल वह होगी, चांदपोल से लेकर मानसरोवर तक तो यह होगा 9.718 किलोमीटर और 2.349 होगा चांदपोल गेट से लेकर बड़ी चौपड़ तक का। खर्चा कुल मिलाकर जैसा मैंने आपको बताया, 3149 करोड़ रुपये का है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ट्रैफिक?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ट्रैफिक के लिए मैं बताता हूं आपका, ट्रैफिक के लिए एक सर्वे होता है, जब भी कोई काम होता है, आर ओ बी बनाएं, एलीवेटेड रोड बनाएं, कोई भी बनाएं, कुछ भी बनाएं, जैसा भी बनाएं, उसके लिए ट्रैफिक के लिए पीक ऑवर्स पर डाइरेक्शन ट्रैफिक होता है। तो जो अम्बाबाड़ी से दुर्गापुरा का सर्वे हुआ 2010 में, वह एक घण्टे के लिए होता है पीक आवर्स में, 27,300 व्हीकल्स, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर वगैरह, सब मिलाकर जितने भी व्हीकल्स हैं और बड़ी चौपड़ से लेकर मानसरोवर तक हुआ 34,100 का। यह सबसे पहला सर्वे है। इसके साथ-साथ दूसरे भी सर्वे हुए, लेकिन इनकी संख्या कम है, किसी में 8,500 है, किसी में 10,300 है और किसी में 18,500 के करीब है। इसीलिए यह फर्स्ट लिया गया है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अभी यह काम शुरू हुआ है दिसम्बर, 2010 में; दिसम्बर, 2010 का मतलब यह हो गया कि आप 2011 के 12 महीने जोड़ लें और ये 4 महीने जोड़ लें, 14 महीने के अन्दर-

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

अन्दर 50 परसेंट से ज्यादा काम हो चुका है और करीब-करीब 357 पीयर्स इसमें बन चुके हैं, सिर्फ 5 पीयर रुके हुए हैं, वे कोर्ट के आदेश की वजह से रुके हुए हैं, किसी ने स्टे ले रखा है और मैं समझता हूं, उस समस्या का जल्दी ही हल हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): चौमूं का बताएं।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दो, साहब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चौमूं, आप चौमूं की बात कर रहे हैं। बात जयपुर की चल रही है और आप चौमूं पर आ गए।

श्री पेमाराम (धोद): सवाल तो चौमूं का है, साहब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसीलिए आप तीन ही बैठे हो यहां।

श्री पेमाराम (धोद): अबकी बार 33 आ रहे हैं और आपको इधर बिठा देंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर जो कुछ शेयर है, वह कुल मिलाकर 19 प्रतिशत का है जबकि इसको अच्छे से अच्छा माना जाए तो कम से कम 50 प्रतिशत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर होना चाहिए टोटल ट्रांसपोर्ट का, तभी जाकर के एनवायरनमेंट का, ट्रैफिक पाइंट-आफ-व्यू का, कंजेशन वगैरह जो कुछ भी है, वह तभी दूर हो सकता है। इसीलिए मेट्रो की आवश्यकता यहां पर थी और सरकार ने जो फैसला किया, वह इसीलिए किया। खास तौर पर निजी वाहनों को हतोत्साहित करने का अगर हम नहीं सोचेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सोच नहीं बढ़ाएंगे तो मैं यह समझ कर चलता हूं कि इस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे।

करीब-करीब पहले मैं कह ही चुका हूं, आपकी सारी बात का जवाब आ गया और कुछ रह गया तो बता दो।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्नों का मंत्रीजी ने उत्तर नहीं दिया। जन हानि को खतम करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? दूसरा, इसका सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? सर्वे कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये दो जवाब दे दो।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्रीजी। डाक्टर साहब, आपको कोई विशेष बात पूछनी है क्या?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चौमूं जे डी ए के अन्तर्गत है, कमिश्नर प्रणाली में है और आगे का मास्टर प्लान बन रहा है। इसलिए चौमूं, बगरू, चाकसू, बस्सी को निश्चित तौर पर मेट्रो की प्लानिंग में जोड़ा जाना चाहिए। यह आवश्यक है और जयपुर के लिए भी आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। आप जवाब दो, मंत्रीजी। दोनों का एक साथ ही दे दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको पहले भी यह बात कह चुका हूं कि जहां-जहां सम्भावना होगी, उसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए वायेबिलिटी निकलती है......

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): चौमूं का सर्वे करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? यह बता दो, मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां-जहां वायेबिलिटी निकलती है या वायेबिलिटी नहीं भी निकलती है तो वी जी एफ अगर कम होता है तो निश्चित तौर पर वहां पर सरकार इस बात का विचार रखती है। (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं का सर्वे कराएंगे या नहीं कराएंगे, यह तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री विजय बंसल। माननीय श्री हरिसिंह जी रावत।

श्री भगवानसहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं का सर्वे कराएंगे या नहीं कराएंगे मेट्रो का, यह तो बताएं।

(प्रश्न संख्या-487)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न है उसको आपने निरस्त कर दिया। मेरा एक प्रश्न लगा हुआ था, उसको किस कारण से निरस्त कर दिया गया? तकनीकी महाविद्यालय जिनमें सीटें खाली पड़ी हुई हैं और फीस बढ़ा रहे हैं, गरीबों से जुड़ा हुआ मामला था। गरीब का बेटा तो तकनीकी विश्वविद्यालय में पहुंच ही नहीं पाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: वह स्थगित किया है, सदन में इस पर नहीं होता।

(स्थगित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या-488

श्री विजय बंसल।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

श्री हरिसिंह जी रावत। केवल मंत्रीजी का अंकित करें।

जयपुर-सूरत मार्ग पर संचालित वोल्वो बसें

489. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जयपुर-सूरत वाया अजमेर-ब्यावर-भीम-देवगढ़-राजसमंद-नाथद्वारा-उदयपुर-अहमदाबाद मार्ग पर कितनी वोल्वो बसें संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में जयपुर-सूरत वोल्वो बस वाया अजमेर-ब्यावर-भीम-देवगढ़-राजसमंद-नाथद्वारा-उदयपुर मार्ग से संचालित की गई थी तथा वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग के क्षेत्रीय आम जन की मांग को ध्यान में रखते हुए उक्त बस का पुनः संचालन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जयपुर-बोम्बे वोल्वो बस के मार्ग में भीम, देवगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा तथा उदयपुर को भी शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो विराजें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग पर निगम द्वारा वोल्वो बसें संचालित नहीं हैं।

(2) जी हां। प्रयोग के तौर पर दिनांक 29.06.2011 से जयपुर से सूरत वाया अजमेर-ब्यावर-भीम-देवगढ़-राजसमंद-नाथद्वारा-उदयपुर पर वोल्वो

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बसों का संचालन प्रारम्भ किया गया जिसे संचालन लागत से कम आय प्राप्त होने के कारण मार्ग के वायाज में बदलाव कर भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुम्बई मार्ग पर संचालन किया गया जिसे भी संचालन लागत से कम आय प्राप्त होने के कारण दिनांक 16.4.2012 को बंद कर दिया गया। इस सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्तानुसार।

(4) जी नहीं। पूर्व में जयपुर-मुम्बई मार्ग पर संचालित वोल्वो सेवा की आय कम होने के कारण इसका संचालन बंद किया गया था। अतः इसी स्थिति में पूर्व में संचालित बस सेवा की आय एवं यात्री भार को देखते हुए प्रश्नगत मार्ग पर वोल्वो बस सेवा का संचालन का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अपन अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हमें सब व्यवस्था करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है? इसी के आधार पर बस तो इन्होंने संचालित कर दी लेकिन बस को आगे संभालने के लिए, बुकिंग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सूरत और बाम्बे में बुकिंग की कोई व्यवस्था की थी क्या? उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बुकिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी और वह भिखारी की तरह गाड़ी कभी इस गली में, कभी उस गली में घूमती थी। 10-10 जगह, कभी बोरीवली में, कभी दादर में, कभी कहां। कोई स्थायी था ही नहीं जिससे वहां की पब्लिक भटक जाती थी। बाम्बे से कई बार पता चलता था कि बाम्बे की बस चली है लेकिन घूमते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपने बस तो चलाई लेकिन बस चलाने के पहले आपने व्यवस्थित कोई भी बुकिंग तय नहीं की जिसकी वजह से यह हुआ।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि बाम्बे के लिए हमारे क्षेत्र से सैकड़ों बसें चलती हैं। वोल्वो बसें हैं, ब्यावर से, भीम से, नाथद्वारा से, उदयपुर से कम से कम 10 वोल्वो बसें चलती हैं और करीब 30-40 और बसें चल रही हैं। वे तो लॉस में नहीं गईं तो यह बस छह महीने में कैसे लास में चली गई? इसको स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न के माध्यम से इस बात को फरमाया कि बुकिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण बाम्बे में यात्री भार नहीं मिल पाया। माननीय सदस्य का यह कहना असत्य है, बुकिंग की वहां पर व्यवस्था की गई थी लेकिन जैसा कि आपने स्वयं इस बात को फरमाया कि वहां पर अन्य बसें जो लगातार चल रही थीं और उनमें यात्री भार को देखते हुए रोडवेज की इस बस को चलाए जाने की मंशा भी यही थी कि इस लम्बे रूट को जोड़ते हुए यात्री भार मिले। लेकिन यात्री भार नहीं मिलने के कारण प्रति किलोमीटर 16 रुपये की हानि हुई है और उस हानि को दृष्टिगत रखते हुए इस बस को बंद करना पड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि रोडवेज को 11 राज्यों से जोड़े जाने के क्रम में रोडवेज महकमे द्वारा अपनी व्यवस्था बनाई गई, तभी 11 राज्यों में सेवाएं दी जा रही हैं और इस मार्ग पर भी रोडवेज ने आगे बढ़कर इस बात को चलाया था लेकिन इस बस सेवा को हानि को दृष्टिगत रखते हुए बंद किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, हरिसिंह जी। एक मिनट, विराजिए। आप विराजिए। परिवहन मंत्रीजी, इनका आशय यह है कि जब और बसें चलती हैं उनको तो यात्री भार मिल जाता है और सरकारी बस को, रोडवेज को क्यों नहीं मिलता? यह सवाल है इनका। बोलिए, हरिसिंह जी, आप क्या कहना चाहते हो? पूरक प्रश्न पहले उनका आएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको भी समय मिलेगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप यह सोचते हैं कि जयपुर से चलाना अगर उपयुक्त नहीं है तो क्यों नहीं इसी बस को आप ब्यावर से संचालित करें? क्योंकि ब्यावर से तो सैकड़ों बसें चलती हैं। तो शायद मैं सोचता हूं कि वह बस वहां से चलाना उपयुक्त रहेगा। वहां इतना भार है, हमारे पूरे मेवाड़ सर्किल का क्षेत्र बाम्बे और गुजरात में बसता है, सब बिजनेसमेन हैं। तो सभी की यह इच्छा है, सभी की यह मंशा है। इसलिए कम से कम इस बस को वापस ब्यावर से संचालित किया जाए और संचालित करेंगे तो भीम, गोमती और पूरा रूट है, उसमें व्यापारी वर्ग है...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, इसका भी साथ आ जाए। ये तो खुद ही साथ हैं। ज्यादा से ज्यादा एक प्रश्न।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, गरीब रथ का

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

किराया बाम्बे जाते हैं तो थ्री टायर ए.सी. में होता है और बस का दो हजार किराये की वजह से यात्री नहीं आ रहे हैं। इसलिए इसका किराया कम करेंगे तो पूरे यात्री आपको मिलेंगे। असली वजह यह है।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अजमेर से बाम्बे चल रही है बस। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनके बाद आ जाए, जवाब के बाद।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से संचालित की जाए, यह बहुत बढ़िया रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: सामान्य प्रश्न नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहूंगा, वर्तमान में, जैसा आपने स्वयं भी इस बात को फरमाया है कि लम्बा रूट होने के कारण यात्री भार उतना नहीं मिल पा रहा था। जैसा कि मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया, इसमें सीधी जो यात्रा है उसमें प्रति टिकट किराया भी ज्यादा होने की बात आपने फरमाई। मैं माननीय सदस्य को यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उदयपुर से बाम्बे एक अभी नान ए.सी. स्लीपर भी 16 तारीख से प्रारम्भ की गई है। जो ब्यावर की बात फरमाई है तो इसका भी परीक्षण करवा लिया जाएगा और यदि उपयुक्त समझा जाएगा तो इस पर भी विचार किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक आएगा न। मंत्रीजी ने कह दिया कि परीक्षण करवा लेंगे तो फिर क्या बचता है? कांता जी का है।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा बांसवाड़ा जिला जयपुर से 600 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर गरीब रथ चलाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी हालत इतनी खराब है, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहती हूं.....

श्री उपाध्यक्ष: यह जनरल हो गया।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): उसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, अन्दर एक ही लाइट है और बैठकर के आने की स्थिति में नहीं है। इतना लम्बा

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

सफर हम लोग नहीं कर सकते। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि क्या नई बस या वोल्वो बस चलाएंगे? उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल और है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल और है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको कह दिया ना कि उसका सर्वे करवा लेंगे, देख लेंगे। आपको आश्वासन मिल गया। आश्वासन के बाद में प्रश्न क्या रह जाता है?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरे राजसमन्द डिपो की बात है...(व्यवधान) डिपो की मेरी बात है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी का अंकित होगा। (व्यवधान) माननीय शिक्षा मंत्रीजी। आप विराजिये, बस हो गया।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी। हरिसिंहजी, विराजिये। आपको आश्वासन मिल गया। प्रश्न में आश्वासन सबसे महत्वपूर्ण होता है।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब पहले जवाब आने दो। माननीय शिक्षा मंत्रीजी। आपका अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्या। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राधेश्यामजी। राधेश्यामजी, आपका अंकित नहीं हो रहा है। यह प्रश्न जनरल नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

नदबई के राजकीय विद्यालयों में बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य

490. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** (नदबई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के सेवर-

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)

रूपवास के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान में बाउंडरी वाल निर्माण कराये जाने के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? यदि हां, तो इनमें से किन-किन विद्यालयों की बाउंडरी वाल निर्माण कार्य कराये जाने के लिए चयनित की गयीं हैं? विद्यालय के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2008 से 2011 तक विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के रूपवास-सेवर सहित किन-किन राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बाउंडरी वाल का निर्माण कराया गया है? विद्यालयों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के सेवर-रूपवास के ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बाउंडरी वाल निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2008 से 2011 तक विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के रूपवास-सेवर सहित जिन राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बाउंडरी वाल का निर्माण कराया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहती हूं कि एस.एस.ए. के तहत कौन-कौन से स्कूल हैं जिनकी बाउंडरी वाल अधूरी रह गई हैं और इन विद्यालयों की संख्या कितनी हैं जिनको राशि अलाट की गई थी? दूसरी बात, मैं यह कहना चाहती हूं कि बाउंडरी वाल बनाने से पहले क्या इसका सर्वे नहीं किया जाता है जिससे एस्टिमेट सही बनाया जा सके? फार एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहती हूं कि बड़ा गांव नदबई तहसील का एक गांव है जिसमें 2008-2009 में भी पैसा दिया गया, 2010-2011 में भी पैसा दिया गया और अब 2011-2012 में पैसा दिया गया, यानी तीन सालों में एक स्कूल की बाउंडरी वाल के लिए पूरा पैसा अलाट नहीं किया गया। तो मैं यह कहना चाहती हूं, इसका सर्वे किया जाये, पूरा एस्टिमेट एक ही बार दिया जाये जिससे स्कूल की बाउंडरी वाल बनाई जा सके।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र नदबई में कुल 137 राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 102 में बाउंडरी वाल कम्प्लीट हो चुकी है, बाउंडरी वाल विहीन 35 हैं और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 119 में से 93 की बाउंडरी वाल कम्प्लीट हो चुकी है, 26 इन्कम्प्लीट हैं।

जो बात आपने पूछी, आपके विधान सभा क्षेत्र नदबई में पिछले पांच वर्षों में 89 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और बाकी 29 कार्य 15 जुलाई तक कम्प्लीट होने प्रस्तावित हैं।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नदबई तहसील में 25 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बाउंडरी वाल पूरी नहीं हुई। इसी तरह से सेवर के हैं 13 और रूपवास के आठ हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं यह भी जानकारी करना चाहती हूं कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, इनके कमरे भी बनवाओगे क्या? रूम्स, कक्षा कक्ष भी बनवाओगे क्या? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नदबई विधान सभा क्षेत्र में कुल 46 ऐसी जगह हैं, जहां पर बाउंडरी वाल नहीं बनी हुई हैं। इसमें रूपवास और सेवर का क्षेत्र भी शामिल हो गया है। 14 ऐसे हैं, जिनके ऊपर विवाद है या भूमि का अलाटमेंट नहीं हुआ या अतिक्रमण कर रखा है। बाकी जितने भी विद्यालय हैं 32, इनमें भी प्रस्तावित यह है, इसी साल में इनके प्रस्ताव प्रोजेक्ट डवलपमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली को भेज दिये गये हैं और अब वहां से जैसे ही स्वीकृति आयेगी, उनको कम्प्लीट कर दिया जायेगा। जहां तक भवन बनाने की बात है, ये सारे के सारे प्रस्ताव, भवन बनाने के भी हम शिक्षा विभाग दिल्ली में प्रोजेक्ट डवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेज देंगे और जैसे ही वहां से स्वीकृति आयेगी, इनके भवन भी बना दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: यह नदबई का है, दिगम्बर सिंह जी, आप पूछ लें चाहें तो, परन्तु नदबई तक सीमित रहोगे आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मेरे से लगता हुआ विधान सभा क्षेत्र है इनका।

श्री उपाध्यक्ष: जो प्रश्न है, वह नदबई का है। आप इनको पूछ लेने दो।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): ग्राम पंचायत चिचाना में एक

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)

गांव है सनोली, उस स्कूल के अन्दर भैंस भी बंध रही हैं, चारा भी भैंस खा रही हैं तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? मैंने कलक्टर साहब को भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था।

श्री उपाध्यक्ष: कौनसा स्कूल बताया, मंत्रीजी, आप लिख लें।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): दूसरी बात, आप मुझे यह बता दो कि बाउंडरी वाल बनाने से पहले आप सर्वे कराओगे जिससे एस्टिमेट बनाकर एक ही बार में उसकी बाउंडरी वाल बन जाये?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य ने किसी स्कूल के बारे में जो जिक्र किया है, ये मुझे बता देंगी और अगर कोई जगह ऐसी है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: उसको तो आप नोट कर ही लें। अब और क्या पूछना रह गया?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): ...और रहा सवाल इनके एक साथ एस्टिमेट बनाने का, एस्टिमेट करीब-करीब एक साथ ही बनते हैं, पैसा जरूर किश्तों में दिया जाता है और इसको दिखवा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो नदबई से सम्बन्धित है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बिलकुल नदबई से सम्बन्धित ही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्कूल की बाउंडरी वाल की बात मंत्री महोदय कह रहे हैं, इसका क्या कोई विभाग...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय दिगम्बर सिंह जी, यह स्कूल में खेल के मैदान को स्कूल की बाउंडरी वाल मानते हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार का, विभाग का क्राइटेरिया फिक्स है कि कौन-कौन से स्कूल में पहली प्रायोरिटी में बाउंडरी वाल हम कम्प्लीट करेंगे? किस-किस आधार पर आपने क्राइटेरिया फिक्स किया है? नम्बर एक। नम्बर दो, जहां पर जमीन बिलकुल क्लीयर-कट है, जिसमें कोई अतिक्रमण नहीं है, उनको प्रायोरिटी पर लेने का विचार सरकार रखती है क्या? और नम्बर तीन, जैसा माननीय सदस्या दीपाजी ने कहा, वहां भैंसें ही नहीं बंध रही हैं, बच्चे तो पढ़ते हैं नीम के पेड़ के नीचे और स्कूल में चारा भरा हुआ है। ये भी हालात हैं भरतपुर में,

(डा. दिगम्बर सिंह)

जो आपको देखने को मिल जायेंगे। क्या इस पर भी आप कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का जवाब तो मैं दे चुका हूं और मैं नदबई क्षेत्र की पूरी बात इनको निवेदन कर चुका हूं। अब बाकी इसके बाद तो कोई बचता ही नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपका क्राइटेरिया क्या है? आपने कैसे प्रायोरिटी फिक्स की कि कौन-कौन से स्कूल में बाउंडरी वाल पहले बनेगी? उसका कोई क्राइटेरिया है क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): ऐसा है, आपके यहां तो करीब-करीब...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप नदबई का ही बता दीजिये, मुझे और की जानकारी नहीं चाहिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैं नदबई का ही बता रहा हूं, पहले नदबई की बात बता रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपका क्राइटेरिया क्या था, वह मुझे बता दीजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैंने आपको निवेदन किया, नदबई विधान सभा क्षेत्र में 89 विद्यालयों में बाउंडरी वाल बन चुकी हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं 89 और 99 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, क्राइटेरिया क्या था कि पहली प्रायोरिटी में कौन से स्कूल लिये जायेंगे और सेकण्ड प्रायोरिटी में कौन से स्कूल लिये जायेंगे? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैं निवेदन कर रहा हूं, पहली प्रायोरिटी में हाइवे पर स्थित जितने भी विद्यालय हैं, उनको लिया जायेगा और सेकण्ड प्रायोरिटी में तालाब और जलाशय के पास होंगे, उनको लिया जायेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह अधिकारी पहले लिखकर दे देते तो आपको यह देने की जरूरत नहीं पड़ती। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): यह सब आपको दे दिया ना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

जोधपुर जिले में मेसनरी स्टोन का आबंटित खनन लीज प्रकरण

491. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में गत तीन वर्षों में मेसनरी स्टोन आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को मेसनरी स्टोन की खदानें आबंटित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मेसनरी स्टोन क्षेत्र के नाम से प्राप्त आवेदकों को सैण्ड स्टोन की खदानें आबंटित की गई हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खनिज मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक) : (1) जी हां। जोधपुर जिले में गत तीन वर्षों में कुल 1,207 आवेदन पत्र खनिज मेसनरी स्टोन के प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जिला जोधपुर में उपरोक्त प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल आठ खनन पट्टे खनिज मेसनरी स्टोन के स्वीकृत किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने का श्रम करेंगे कि यह मेसनरी स्टोन और सैण्ड स्टोन की माइन्स आबंटित करने में और नियमों में क्या फर्क है? एक। क्या आपके पास इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं कि आठ स्थानों पर मेसनरी स्टोन के बजाय सैण्ड स्टोन की माइन्स आबंटित कर दी गईं? क्या यह भी सही है कि इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई और यह उस समय से वहां विचाराधीन है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से इसमें फर्क रायल्टी का और डैड रेंट का है। मेसनरी स्टोन की रायल्टी इक्कीस हजार रुपये और सैण्ड स्टोन की रायल्टी पचास हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है और सैण्ड स्टोन की जो रायल्टी है वह बासठ हजार रुपये है और

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मेसनरी स्टोन की बाइस है। चार जगहों पर बार-बार यह शिकायत आ रही थी कि यहां पर मेसनरी स्टोन के पट्टे आबंटित किए हुए हैं लेकिन यहां पर सैण्ड स्टोन है। तो 4.12.04 को सुपरिंटेंडिंग जियोलॉजिस्ट के थ्रू इसका सर्वे कराया गया और सर्वे में यह पाया गया कि जहां यह मेसनरी स्टोन है वहां पर खण्डों की उपलब्धता भी हो सकती है और पट्टी, जो अपना सैण्ड स्टोन है, उसकी भी उपलब्धता हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से सिस्टम मेकेनाइज्ड हुआ है माइनिंग का, तब से इतनी अच्छी मशीनें आ गईं कि छोटे-छोटे जो टुकड़े हैं, उनको भी हम स्टेप्स के रूप में और टाइल्स के रूप में हम करने लग गये। जब यह रिपोर्ट आई, तब बार-बार यह काफी विवादास्पद बातें रहीं कि मेसनरी स्टोन जिसका डैड रेंट कम है, सैण्ड स्टोन जिसका डैड रेंट ज्यादा है, मेसनरी स्टोन के नाम पर लोग-बाग वह ले रहे हैं। वहां अधिकतर तो क्वारी लाइसेंस ही थे, तब गवर्नमेंट ने उन सारे जो लाइसेंस थे, आबंटन जो थे, उनको निरस्त कर दिया। उसमें करीब 41 तो उस वक्त जो चल रहे थे, वह छोड़ करके 603 थे मेसनरी स्टोन के और 89 थे सैण्ड स्टोन के। जब ये निरस्त कर दिये तब वे सारे के सारे लोग हाई कोर्ट में चले गये और हाई कोर्ट ने जो हमारा 24.4.07 का जो आर्डर था उसको अपास्त कर दिया और वापस से यह डायरेक्शन दिये कि जो निरस्त किये गये हैं उन सारे खनन पट्टों को यथास्थिति रखें और नियमानुसार इनका आबंटन करें। लेकिन नियमानुसार आबंटन करने में बार-बार इस तरीके की शिकायतें आने लगी तो हमने एक नया उसमें क्लाज और जोड़ दिया कि भले ही मेसनरी स्टोन की माइनिंग करे वह लेकिन यदि उसमें सैण्ड स्टोन है तो उसको सैण्ड स्टोन की रायल्टी और डैड रेंट देना पड़ेगा ताकि राज्य सरकार को यह नुकसान नहीं हो। और अभी भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रकरण जो है, वह न्यायालय के विचाराधीन है और पेण्डिंग है मामला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि जो सैण्ड स्टोन है, जो मेसनरी स्टोन के नाम से सैण्ड स्टोन का हुआ, तो क्या राज्य सरकार उन दोनों का डैड रेंट और रायल्टी एक तय करने का विचार करती है? एक। और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

न्यायालय ने जो आदेश दिया, उसके खिलाफ जाकर सरकार अपनी नीति में परिवर्तन कर राज कोष को जो घाटा हो रहा है, उसको करने के लिए दोनों का डैड रेंट और रायल्टी एक ही रखने का विचार करती है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इनका जवाब आने दें पहले, फिर बोलना। पहले सूर्यकांताजी, फिर आप। जोधपुर का है लेकिन अलग हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई विचार नहीं है। मेसनरी स्टोन की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकतर खानें एक हैक्टेयर की हैं, उनका डैड रेंट भी कम है और उनकी रायल्टी भी कम है। अधिकतर यह ओवरबर्डन के रूप में, या जहां कहीं भी होती है, मेसनरी स्टोन काम में आता है। लेकिन जहां सैण्ड स्टोन की बात है, उसका डैड रेंट भी ज्यादा है और रायल्टी भी ज्यादा है और उसकी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार हैक्टेयर से कम उसकी लीजेज सैंक्शन नहीं की जा सकतीं। तो इसमें कोई अभी नियमों में तो कोई परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है लेकिन कोई व्यक्ति सैण्ड स्टोन की माइनिंग के साथ हमें यदि यह जानकारी मिलती है या वह चाहता हो तो हम उससे मेसनरी स्टोन का डैड रेंट और रायल्टी लेकर के उसको हम अलाउ करते हैं।

मामला चूंकि अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है, हमने कोशिश की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बार-बार यह प्रकरण आने लगा तो हमने कोशिश की कि 4.12.07 तक जितने भी सैण्ड स्टोन के जो पट्टे हैं उनको हम अलाउ कर दें और 24.4.07 तक जितने सैण्ड स्टोन के आवेदन जो हैं उनको हम अलाउ कर दें लेकिन उस पर भी हाई कोर्ट ने यह कहते हुए स्टे दे दिया कि पूर्व में जितने भी आपने निरस्त किये हैं उनको आप नियमानुसार आबंटन करें। तब हमने ए डी एम के माध्यम से एक कमेटी बनाई और कमेटी में भी हमने यह प्रोविजन किया कि इस तरह से हम यदि इनको करेंगे तो राज्य सरकार को डैड रेंट और रायल्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय न्यायालय ने अभी 12.12.11 को हाई कोर्ट ने फिर स्टे दे दिया और मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सूर्यकांताजी, आप क्या, यह तो कोर्ट के डायरेक्शंस हो रहे हैं, इसमें अब क्या पूछेंगी आप? कोर्ट के डायरेक्शंस के खिलाफ पूछने से कोई फायदा नहीं है। वे जवाब कैसे देंगे?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक-दो बात ही समझना चाहती हूं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि आप रोहिला कलां, भुजावड़ क्षेत्र में जहां सैण्ड स्टोन उपलब्ध था, से मेसनरी स्टोन के खनिज में पट्टे देने पर आमादा क्यों हैं? मेरे को यह समझा दें। मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूं, दूसरी सब बात छोड़ दो आप, मेरे को एक-दो बात समझा दो आप कि पट्टियों में और खण्डों में क्या अंतर है, यह समझाओ पहले तो। क्योंकि पट्टियों के पैसे ज्यादा होते हैं, खण्डों के पैसे कम होते हैं। फिर आप पट्टियों को खण्डों में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? आप इस पर आमादा हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है कि कितनी इसकी एप्लीकेशंस आईं और किन-किन को आपने देने का तय किया, कैसे किया? मेरे पत्र व्यवहार इतना करने के बावजूद, मेरा पत्र जाने के बाद कोर्ट में वह पेश किया, उस पत्र के ऊपर कोर्ट ने स्टे दिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): और मैं यह, मेरे को इनको समझने तो दो, साहब, मैं समझूं तो सही। मैं कोई खनिज करती नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, हां, बिलकुल जवाब देंगे। अब विराजो। आप विराजेंगी तब जवाब देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं इनसे यह समझना चाहती हूं, पट्टियों में और खण्डों में क्या अंतर है, यही समझा दो आप। ज्यादा ऊपर-नीचे मत जाओ, यह समझा दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, एक मिनट। एक मिनट प्लीज, बाबू सिंहजी। (व्यवधान) यह तो धौलपुर नहीं है, जोधपुर है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जोधपुर के रोहिला कलां...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हमारे संग दुभांत हो रहा है, हमारे सैण्ड स्टोन पर ज्यादा ले रहे हैं, रायल्टी ज्यादा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अभी। अभी, एक मिनट। बाबूसिंहजी का आने दें, फिर आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के रोहिला कलां और भुजावड़ में पहले मेसनरी स्टोन के आवेदन आये, कितने आये? फिर सैण्ड स्टोन के उसके बाद आये। तो सैण्ड स्टोन और मेसनरी

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

स्टोन में आप किसको पट्टा आबंटन कैसे करेंगे? नीति क्या होगी? एक। दूसरा, क्वारी लाइसेंस जहां मेसनरी स्टोन है और वहां सैण्ड स्टोन निकाला जा रहा है तो उसके बाद में सरकार की क्या नीति होगी? सब जगह मशीनरी, कटर मशीनें लग गईं। तो उसके लिए आप क्या नीति लाना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। हां, रविन्द्र सिंहजी बोहरा साहब, एक प्रश्न आप पूछेंगे, ओनली।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, साहब। सैण्ड स्टोन में क्या आप राजस्थान में फर्क कर रहे हैं? सैण्ड स्टोन जो पश्चिमी राजस्थान में निकलता है उससे क्या रायल्टी लेते हैं आप? और धौलपुर में जो सैण्ड स्टोन निकलता है उससे क्या रायल्टी लेते हैं? उसमें दोनों में फर्क है। मुझे जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने सैण्ड स्टोन और खण्डों में अन्तर पूछा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो नोर्म्स हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शांत।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उनमें खण्डों में और उसमें कोई अंतर नहीं है, न उसके डैड रेंट में कोई फर्क है, न उसकी रायल्टी में कोई फर्क है। फर्क सिर्फ यह है कि जब मेकेनाइज्ड सिस्टम से हम उसको काटते हैं और यदि क्रैक्स नहीं होते हैं उसमें, तब तो वह पूरा स्लैब निकल जाता है और यदि उसमें क्रैक्स आकर के छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उसको खण्डों में परिवर्तन कर लेते हैं। खण्ड अधिकतर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार उसमें छोटी-छोटी टाइल्स भी बनाते हैं और खण्डों को सीधे-सीधे मेसनरी स्टोन की तरह से चिनाई में भी काम में लेते हैं। हम इसमें अपनी तरफ से डैड रेंट में और रायल्टी में कोई फर्क नहीं कर रहे।

रही बात भुजावड़ में और रोहिला कलां में, गगाणा में और चोखा में जो पट्टे आये, जो आवेदन आये, उनमें बार-बार यह शिकायत मिलती रही कि कुछ लोग मेसनरी स्टोन के क्वारी लाइसेंस के रूप में जिन्होंने पट्टे ले रखे हैं, वे उसमें सैण्ड स्टोन निकाल रहे हैं। हमने विभाग की तरफ से यह पूरी तरह चौकस व्यवस्था कर दी कि जो लोग मेसनरी स्टोन के नाम पर वहां पर सैण्ड

(श्री राजेन्द्र पारीक)

स्टोन निकाल रहे हैं, उनसे हम डैड रेंट और रायल्टी दोनों सैण्ड स्टोन की वसूल कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार को, माननीय उपाध्यक्ष महादय, कहीं भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यह हमने नियमों में भी परिवर्तन कर दिया कि कोई आदमी मेसनरी स्टोन की जिसके पास में लीज है, वह यदि यह चाहता है तो वह एक एप्लीकेशन देकर के परिवर्तन भी करा सकता है, उसमें एड करा सकता है। यदि वह नहीं एड कराता है....

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, जवाब सुनिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्रीजी बतायें न कि एप्लीकेशंस कितनी आई हैं।

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एप्लीकेशंस आज के दिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2,090 एप्लीकेशंस तो मेसनरी स्टोन की हैं और 698 एप्लीकेशंस सैण्ड स्टोन की अभी भी पेण्डिंग हैं। मामला न्यायालय में है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हम कुछ करने जैसी स्थिति में नहीं हैं। जब मामला सब जुयुडिस है तो राज्य सरकार उसमें किस तरह से करेगी? राज्य सरकार ने बार-बार कोशिश की, राज्य सरकार ने यह भी कोशिश की कि एक कट-आफ-डेट पर जितने मेसनरी के हैं, उनको हम अलाट कर दें; एक कट-आफ-डेट पर जितने सैण्ड स्टोन के हैं, हम उनको अलाउ कर दें लेकिन वे सारे लोग जिनके हमने निरस्त किये थे, वे सारे के सारे हाई कोर्ट में चले गये और हाई कोर्ट ने फिर...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): हमको यह डायरेक्शन दे दिये कि आप इनको वापस शामिल करके इनको फिर अलाट करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा। अब हो गया। कोई अंकित नहीं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ज्ञानदेव आहूजा। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ज्ञानदेव आहूजा। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह तो जोधपुर से सम्बन्धित था।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह दोनों ही जगह का है। माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

अलवर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

492. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) जिला अलवर में सरकार द्वारा कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां पर संचालित किये जा रहे हैं? प्रत्येक केन्द्र पर कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में सरकार द्वारा कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी को कितना-कितना मानदेय दिये जाने का प्रावधान है? क्या सरकार उक्त कार्मिकों को स्थायी करने का विचार रखती है?

(3) जिला अलवर में 01 जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2011 तक किस-किस केन्द्र पर कौन-कौनसी सामग्री का किस-किस मात्रा में आबंटन किया गया है? क्या अधिकांश केन्द्रों पर सामग्री का आबंटन विलम्ब से एवं निर्धारित मात्रा में नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और सरकार इनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? क्या उक्त का मासिक किराया बेहद न्यून होने के कारण किराये के भवनों में संचालन करना सम्भव नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करने अथवा किराये में वृद्धि करने की कार्ययोजना रखती है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) जिला अलवर में कुल 3,417 केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 3,202 मुख्य केन्द्र एवं 215 मिनी केन्द्र हैं। स्वीकृत केन्द्रों में से 3,319 केन्द्र संचालित हैं, जिनमें से 3,130 केन्द्र मुख्य एवं 189 मिनी केन्द्र हैं। संचालित केन्द्रों की सूची एवं उन पर कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिले में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी को प्रदान किये जाने वाले मानदेय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भारत सरकार के सहयोग से संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत मानदेय कार्यकर्ता हैं। इसी प्रकार सहयोगिनी भी एक मानदेय कार्यकर्ता है तथा इसे इसके कार्य के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भी भुगतान किये जाते हैं। इन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते हैं।

(3) जिला अलवर में 1 जनवरी, 2010 से 2011 तक केन्द्रों पर प्री-स्कूल किट, मेडिकल किट, किलोल पुस्तिका गतिविधि संचालन कलेण्डर, साड़ियां एवं बैज का आबंटन किया गया है जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट-अ में समाहित है। जी नहीं, केन्द्रों पर सामग्री का आबंटन समय पर तथा निर्धारित मात्रा में किया गया है।

(4) जिले में कुल 3,319 केन्द्र संचालित हैं, जिनमें से 1,207 केन्द्र किराये के भवनों में, 1,271 केन्द्र स्कूलों में, 360 केन्द्र विभागीय भवनों में, 103 केन्द्र धर्मशाला/मन्दिर में, 45 केन्द्र चिकित्सा भवनों में, 227 केन्द्र सामुदायिक/नि:शुल्क सामुदायिक भवनों/अन्य सरकारी भवनों में, 56 केन्द्र पंचायत भवनों में संचालित हैं जिनकी केन्द्रवार सूची संलग्न है। किराये के भवनों में संचालित केन्द्रों को नजदीक के स्कूलों में स्थान उपलब्ध होने पर स्थानान्तरित किया जाता है। किराये के भवनों में संचालित केन्द्रों हेतु शहरी क्षेत्र में 750 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 200 रुपये प्रति माह किराया दिया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन भारत सरकार के सहयोग से संचालित

(श्रीमती बीना काक)

केन्द्र प्रवर्तित योजना समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत होता है। इस योजना के तहत किराये के भवनों के लिये किराये का निर्धारण भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है, अतः इसमें वृद्धि भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप ही की जाती है। किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय भवनों में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निकटतम राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्ष की उपलब्धता के अनुसार कक्ष उपलब्ध कराकर स्थानान्तरित करने के आदेश जारी किये गये हैं तथा नाबार्ड के सहयोग से आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन निर्माण की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आहूजा जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट पूछा है। प्रश्न क्रमांक-1 में टोटल 3,417 केन्द्र स्वीकृत हैं और उनमें से 3,202 मुख्य केन्द्र एवं 215 मिनी केन्द्र हैं। स्वीकृत केन्द्रों में से 3,319, पहले तो आश्चर्य यह है कि स्वीकृत 3,417 हैं, लेकिन उनमें से 3,319 ही हैं। इसमें मुझे आगे दिया गया है कि संचालित केन्द्रों की सूची एवं उन पर कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी सूची परिशिष्ट-अ इस जवाब में मुझे उपलब्ध नहीं हुई है। यह माननीय मंत्री महोदया नोट करें। उसको देखने के बाद ही आगे कुछ पूछ सकते हैं।

लेकिन फिर भी प्रश्न क्रमांक-2 में मैंने जो पूछा है, उनके मानदेय के बारे में आपने कहा है कि यह केन्द्र की योजना है, तो केन्द्र की योजना है तो मैंने तो स्पष्ट पूछा है कि आप इनको स्थायी करेंगे कि नहीं करेंगे? यह मैंने पूछा है, उसका उत्तर आपने दिया नहीं है। केन्द्र की योजना है तो स्थाई करेंगे, नहीं करेंगे; नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? और इन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते, यह आपने कहा है। आप इनको स्थाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यह 'हां' या 'ना' में जवाब चाहिये। आपने इसको गोल-मोल किया है, माननीय मंत्री महोदया।

ऐसे ही प्रश्न क्रमांक-3 में आपने उत्तर में लिखा है कि जिला अलवर में 1 जनवरी, 2010 से 2011 तक केन्द्रों पर प्री-स्कूल किट, मेडिकल किट, किलोल पुस्तिका, गतिविधि संचालन कलेण्डर, साड़ियां एवं बैज का आबंटन

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

किया गया है। मैं आपको दावे के साथ, मंत्री महोदया, कहना चाहता हूं, आप इसका भी उत्तर दें, पूरे जिले में मेडिकल किट, संचालन कलेण्डर, साड़ियां और बैज नहीं बांटे गये हैं। मैंने यह भी कहा है कि जो सामान नहीं बंटा है, उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगी? यह आपने स्पष्ट नहीं किया है। यह भी आप पुन: उत्तर में देने का कष्ट करें कि क्या कार्यवाही करेंगी?

ऐसे ही आपने जो सूची दी है, किराये के भवनों का मैंने पूछा है ....

श्री उपाध्यक्ष: यह भाषण नहीं, ज्ञानदेव जी, आप तो पाइंटेड प्रश्न पूछिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं पूरक नहीं पूछ रहा हूं, इसी में पूछ रहा हूं। प्रश्न में ही पूछ रहा हूं, पूरक नहीं पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इतना लम्बा प्रश्न होता है क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : लम्बा प्रश्न है तो मैं क्या करूं? विधान सभा है, आखिर सदन में बोलने का मौका कभी-कभी मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे तो आज पता चला, इतना लम्बा भी प्रश्न होता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): लम्बा क्वेश्चन है, साहब। आंगनबाड़ी का मैटर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा शार्ट करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हां, शार्ट करता हूं मैं।

इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है, वह इनके पेमेंट के सम्बन्ध में परिशिष्ट-ब पर दिया है। यह पेमेंट, मैं आपको निवेदन करूंगा, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनका मैट्रिक, नॉन-मैट्रिक, सब अनुभव का दिया है। इनका पेमेंट 3,236, 1,650 और 1,000, यह तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ब्लू कार्ड लेबर है, अकुशल श्रमिक है, उसके मानदेय से भी कहीं आधा ठहरता है। आप ऐसा लावारिस डिपार्टमेंट क्यों चला रही हैं, माननीय मंत्री महोदया, यह आप कृपा करके जवाब दें। उनका मानदेय बढ़ायें। यह भी मेरा आपको कहना है कि आप बढ़ायेंगे कि नहीं बढ़ायेंगे? राजस्थान सरकार इसमें कुछ सहयोग करना चाहती है कि नहीं चाहती? या सिर्फ पड़ोसी के भरोसे ही जीवन-यापन करना चाहते हैं, केन्द्र सरकार के भरोसे करना चाहते हैं? यह भी बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: कितने प्रश्न पूछ लिये आपने?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पहला प्रश्न तो यह था कि एन्क्लोजर लगाया नहीं गया है, तो यह एन्क्लोजर परिशिष्ट-अ पर 345 की प्रति का उत्तर लगा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: रात को प्रश्न गया था, सुबह यहां से ले लेते।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): दूसरा, मेरे ख्याल से आपने यह सवाल ठीक से नहीं सुना। इसमें साफ हमने पहले वाला जो पृष्ठ है, उसी पर लिख दिया है कि इसी प्रकार मानदेय कार्यकर्ता हैं, तथा इसे इनके कार्य के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भुगतान किया जाता है। इस पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। यह भी हमने कह दिया है। जहां तक सारे एन्क्लोजर, मेरे ख्याल से इतना विस्तृत जवाब दिया है, इसमें तारीखें तक दी हैं कि कौनसी किट कहां पर बांटी गयी। इतनी विस्तृत सामग्री आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पूरक प्रश्न जवाब देने को बचा है।

जहां तक इनके मानदेय का सवाल है, इस बार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इनका 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी का भी मानेदय बढ़ा दिया गया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। मंत्री महोदय, यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 10 परसेंट कुछ भी नहीं है। ब्लू कार्ड जो लेबर है, अकुशल श्रमिक है, उससे भी इसका कम है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): हम विचार कर लेंगे और यह तो होते रहते हैं। एक सतत् प्रक्रिया है तनख्वाह का बढ़ना और मानदेय का बढ़ना। इस बार भी बढ़ा है, आगे और देखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आपको क्या पूछना है? (व्यवधान) श्रीमती मेघवाल, आप एक प्रश्न पूछिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): प्रक्रिया कहकर कब तक उनको लावारिस छोड़ेंगे?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या यह सही है कि रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6-6 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: यह अलवर का है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात पूछ रही हूं और दूसरी बात, 6 महीने से कोई सामग्री आबंटित नहीं की गयी। पीपल्दा पंचायत की मैं खुद बात कर सकती हूं। मैं गत दिनों वहां गयी तो वहां मेरे नोटिस में लाया गया।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

(12.00 बजे)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो कह रही हैं, यह बहुत गम्भीर बात है। अगर 6 महीने तक कोई पेमेंट इनको नहीं मिला है तो उसको मैं बहुत सीरियसली देखूंगी और जो भी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त, उनके डिपार्टमेंट को कहूंगी, निर्णय लें।

श्री उपाध्यक्ष: आप दिखवा लेना। विराजिये। मंत्रीजी, विराजिये। मंत्री जी, विराजिये। प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्या की ओर से ब्यावर को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम महाविद्यालय शिक्षकों पर लागू होने के उपरांत भी कुछ महाविद्यालय शिक्षकों के अनुदानित पदों पर ही कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से कम्पनी एवं फर्म द्वारा स्थानीय निकाय के मास्टर प्लान क्षेत्र में खरीदी जाने वाली कृषि भूमियों पर स्टाम्प ड्यूटी, बजट का प्रस्ताव रखते ही, आवासीय लेना प्रारम्भ करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ (गंगानगर) में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को आबंटित

(श्री उपाध्यक्ष)

अनकमांड से कमांड की गई भूमि की अन्तर राशि का ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री सुखराम एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 2010-11 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

(6) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर शुगर मिल को अतिशीघ्र कमीनपुरा में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर के नागरिकों को यातायात दबाव की समस्या से निजात दिलाने हेतु कतिपय ओवरब्रिज/अण्डर-ब्रिज के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती संजना आगरी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से सीकर शहर में सीवरेज व ड्रेनेज का कार्य समय पर पूरा नहीं होने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(10) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर की नारायण सेवा संस्थान जो कि एक पंजीकृत ट्रस्ट है, के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्री राधेश्याम गंगानगर एवं श्रीमती संजना आगरी आज पर्ची के माध्यम से सदन में विचार रखेंगे।

(11) श्री रामहेत सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास (अलवर) के उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के सम्बन्ध में।

(12) श्री अभिषेक मटोरिया एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में नहरबंदी के दौरान इंदिरा गांधी नहर में बह रहे 2000 क्यूसेक्स गंदे और अपशिष्ट पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा में राजस्व मंडल की सर्किट बेंच नहीं खोले जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(14) श्री प्रभुलाल सैनी एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में जेनेटिकली मोडिफाइड बीजों के परीक्षण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामहेत सिंह, श्री अभिषेक मटोरिया, श्री ओम बिरला एवं श्री प्रभुलाल सैनी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रपत्र 58(4) को लागू कर मण्डी शुल्क की देयता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुखराम, सदस्य की ओर से सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के अतिरिक्त अधीक्षक डा. राणावत द्वारा गरीब, बेसहारा मरीजों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में।

(3) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बून्दी में पर्यटन विकास की विपुल सम्भावनाओं को देखते हुए विशेष पैकेज जारी करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में शीतलहर से नष्ट हुई जीरा, अरण्डी एवं इसबग़ोल की फसलों का किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से तहसील शेरगढ़ की पेयजल योजनाओं का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती कान्ता भील, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी (बांसवाड़ा) की सीमेन्ट फैक्टरी के भारी वाहनों के आबादी क्षेत्र में से गुजरने से हो रही अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(7) श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से कोटा शहर के विज्ञान नगर के पास झालावाड़ रोड पर निर्माणाधीन फ्लाई-ओवर का कार्य तत्काल रुकवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अशोक पींचा, सदस्य की ओर से शिक्षा क्षेत्र के 36,000 प्रेरकों के कार्य, स्थिति एवं भुगतान के सम्बन्ध में योजना बनाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(9) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर के नागरिकों को यातायात दबाव की समस्या से निजात दिलाने हेतु कतिपय ओवर-ब्रिज/अण्डर-ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरायना में पिछले दो माह से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(11) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद की मुख्य सड़कों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने के लिए कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(12) डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बीकानेर शहर (पश्चिम) में फैल रहे मलेरिया की रोकथाम करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य की ओर से किसानों के गेहूं को उचित मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

(14) श्री सुरेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के कुछ ग्रामों में फ्लोराइड-युक्त पेयजल की समस्या का निवारण करने के सम्बन्ध में।

(15) श्री सी.एल. प्रेमी, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायतों को दी जा रही टी.एफ.सी, एस.एफ.सी, निर्बन्ध राशि से सी.सी. रोड निर्माण की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(16) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर में फूड प्रोसेसिंग केन्द्र की घोषणा को एक वर्ष पूर्ण होने पर भी उस कार्य में कोई प्रगति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की गम्भीर पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के सम्बन्ध में।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि क्योंकि ये 295 की सूचनाएं बहुत ज्यादा थीं, वे सब ले ली हैं, कोई भी नहीं रखी है, 17 थीं और 17 की 17 लेने से सदन की अनुमति हो तो उक्त माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं को आज पढ़ा हुआ मान लिया जाय?

(स्वीकृत)

पढ़ा हुआ माना गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

माननीय श्री रामहेत सिंह।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण रेवेन्यू का स्थगन है। रेवेन्यू का स्थगन है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रामहेत सिंह।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू का स्थगन बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रामहेत सिंह का अंकित होगा।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इसके बाद में, बैठिये आप। माननीय श्री रामहेत सिंह का अंकित होगा सिर्फ। हां, रामहेत सिंह जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कोटकासिम उप खण्ड मुख्यालय (अलवर) में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिले का सम्पूर्ण विकास तभी होता है जब सभी उपखण्ड कार्यालय खोलते समय सरकार की जन हित में यह मान्यता रहती है उस उपखण्ड कार्यालय पर सभी तरह से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार व अन्य सुविधाएं मिलें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका बाद में लेंगे।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): लेकिन अलवर जिले में कोटकासिम उपखण्ड जहां माननीय भैरोंसिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उपखण्ड कार्यालय बनाया गया था 1997 में, बारह साल हो गये आज उस बात को लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां पर जो उपखण्ड कार्यालय है, वहां पर अलवर जिले में 11 उपखण्ड कार्यालय हैं, सब जगह मुंसिफ कोर्ट हैं, 7 जगह ए डी जे कोर्ट हैं लेकिन कोटकासिम में आज 12 साल

(श्री रामहेत सिंह)

बाद भी मुंसिफ कोर्ट नहीं खोला गया। वहां पर वकीलों का आंदोलन चला और जन-भावनाओं के अनुसार मुंसिफ कोर्ट खोलना चाहिए था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अलवर जिले में दूसरे उपखण्डों में तो ए डी जे कोर्ट की घोषणा की है लेकिन कोटकासिम को उपेक्षित रखा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

इसी तरह से उपखण्ड में दो कालेज हैं, एक बीबीरानी में है। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि बीबीरानी में पी.जी. में साइंस सब्जेक्ट खोला जाएगा लेकिन पी.जी. में साइंस सब्जेक्ट नहीं खोला गया। इसी तरह से संस्कृत महाविद्यालय स्ववित्तपोषित है, उसका भी ध्यान नहीं है। अभी सब जगह अनुसूचित जाति के बालक पढ़ सकें, सभी उपखण्ड कार्यालयों पर एससी/एसटी के छात्रावास हैं, 12 साल हो गये कोटकासिम को उपखण्ड बने हुए, वहां पर एससी/एसटी का कोई छात्रावास भी नहीं है।

इसी तरह से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वहां के जितने भी अधिकारी हैं, एस डी एम 12 साल बाद भी एक फोर्थ क्लास के क्वार्टर पर रहता है। तहसीलदार के लिए कोई बंगला नहीं है, बी डी ओ के लिए कोई आवास नहीं है और वहां पर नायब-तहसीलदार के लिए भी कोई आवास नहीं है। सरकारी अधिकारी जितने भी हैं, उनके लिए उपखण्ड कार्यालय पर उनके आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। उपखण्ड बने हुए 12 वर्ष हो गये, आज तक भी आवास की व्यवस्था वहां पर किसी अधिकारी की नहीं है।

इसी तरह से सभी उपखण्ड कार्यालयों पर विश्राम गृह होते हैं लेकिन कोटकासिम में इस बात का भी अभाव है। आज भी उपखण्ड कार्यालय, कोटकासिम में किसी प्रकार का विश्राम गृह नहीं है।

इसी प्रकार बस स्टैण्ड, आवागमन के साधन की बात करना चाहता हूं। मैंने मेरे प्रश्न में पूछा था कि जिला मुख्यालय से उपखण्ड मुख्यालय पर तो कितनी बस चलती हैं, तो माननीय मंत्री महोदय ने मुझे बताया कि एक बस चलती है, वह भी दो राउंड करती है। सड़क की हालत तो यह है कि 58 किलोमीटर चार घंटे में भी बस नहीं पहुंचती है और किशनगढ़ से लेकर कोटकासिम तक तो सड़क ही खराब है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): कि हालात ये हैं कि उद्घाटन हो गया, टेण्डर हो गया और टेण्डर कैंसिल हो गया। हमारे साथ पहले भी ऐसा

(श्री रामहेत सिंह)

होता आया है कि कांग्रेस के नेता और मंत्रियों द्वारा उद्‌घाटन किया गया हरसौली उप-तहसील का, आज तक वहां पत्थर लगा हुआ है लेकिन उप-तहसील नहीं बनी। माननीय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि यह कोटकासिम की सड़क कब तक बन जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इसी तरह से हमारे क्षेत्र में बहरोड, बानसूर और तिजारा को यू आई टी में लिया गया है। मेरे बार-बार आग्रह करने के बाद भी सिर्फ 17 गांवों को यू आई टी में लिया गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि यह औद्योगिक क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए सम्पूर्ण पंचायत समिति को यू आई टी भिवाड़ी में जोड़कर सर्वांगीण विकास कराया जाये। पी एच ई डी का ए ईएन का आफिस नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कृषि उपज मंडी, वहां पर कृषि उपज मंडी की महती आवश्यकता है। किसानों को हरियाणा, रेवाड़ी में जाकर अपना अनाज बेचना पड़ता है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे।

मेरा पुनः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी के राज में कालेज बना, भारतीय जनता पार्टी के राज में उप-खण्ड बना, भारतीय जनता पार्टी के राज में साबी नदी में रोड बनी, और बहुत सारे विकास के काम हुए लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कोटकासिम उपखण्ड को उपेक्षित रखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से फिर आग्रह करता हूं कि कोटकासिम को उपेक्षित नहीं करें, विकास पर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिए। श्री अभिषेक मटोरिया। थोड़ा संक्षेप में बोलिए।

श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ जिलों में नहर बंदी के समय गंदे व अपशिष्ट पानी का प्रवाह

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दिनों जहां एक ओर गंगानगर और हनुमानगढ़ का किसान नहर बंदी को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी ओर इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 1,975 क्यूसेक्स पानी जो घोषित रूप से पेयजल के लिये छोड़ा जा रहा है ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में जिस तरह से गाजर-मूली बेची जा रही है या तो स्थान पर बैठें या बाहर चले जायें। कोई भी माननीय सदस्य आसन की तरफ पीठ करके खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। देखिए आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आवाज नहीं आ रही है क्या?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। अब कहो कि कौन है? मार्शल से पकड़कर बुलाओ इनको।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह क्या हो रहा है? आप नियमों को नहीं जानते क्या? पीठ किधर कर रहे हो और कहां बात कर रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन की ओर पीठ करके खड़ा होना आसन का अपमान है, माननीय सदस्य। यह क्या बात हुई? सदन में किसी प्रकार की मर्यादाओं का ही ध्यान नहीं है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर गंगानगर और हनुमानगढ़ का किसान नहर बंदी से चिंतित है, वहीं दूसरी ओर आम जन इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बह रहे घोषित रूप से 1,975 क्यूसेक्स पेयजल जो कि पूर्ण रूप से दूषित है, उसके प्रति भी गम्भीर रूप से चिंतित हैं। यह पेयजल न केवल गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों की अपितु राजस्थान के अन्य जिलों जैसे कि चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा जैसलमेर की 1 करोड़ 48 लाख की जनसंख्या इस दूषित पेयजल को पीने के लिये मजबूर हो रखी हैं। वहीं दूसरी ओर इस नहर से मात्र दस कदम पर बह रही सरहिंद फीडर का पानी कितना स्वच्छ, कितना साफ है और हमारे यहां बह रहा पानी कितना काला, बदबूदार और गंदा है, यह साफ रूप से देखने को मिलता है। हालांकि विभिन्न जल शुद्धिकरण योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा, चाहे क्लोरिनेशन हो, सैंड फिल्टरेशन हो, सामान्य फिल्ट्रेशन हो, रिवर्स ओसमोसिस सिस्टम हो, इस पानी का शुद्धिकरण किया जा रहा है परन्तु उसके बावजूद भी हमारे इस पानी में 11 से लेकर 21 हजार एमपीबीएम बैक्टेरिया अभी भी मौजूद है और पूर्ण रूप से यह जल दूषित है। एक ओर राज्य सरकार की लापरवाही के चलते जहां जयपुर में सात दिन से पीले पानी को लेकर हाहाकार मची हुई है, वहीं दूसरी ओर इन सात जिलों में बह रहे गंदे और दूषित पानी के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। और तो और, इस गंदे पानी में

(श्री अभिषेक मटोरिया)

पंजाब के बड़े शहर चाहे लुधियाना हो, चाहे जलंधर हो, बड़ागुढा नाले के पास इंडस्ट्रियल वेस्ट, रासायनिक अपशिष्ट भी डाला जा रहा है। वह इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे लिये कितना घातक है, वह हम सभी जानते हैं। इसको लेकर संत सिचेवाल ...(व्यवधान) मुझे बोलने तो दो। वहीं दूसरी ओर इस पानी में किस प्रकार रासायनिक अपशिष्ट है, वह हम सभी जानते हैं। संत सिंचेवाल ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था परन्तु सरकार टस से मस नहीं हुई। इस गंदे पानी की वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़ और अन्य पांच जिलों के लोगों के उल्टी, दस्त, पीलिया, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और खसरा जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने का पूरा-पूरा प्रकोप वहां बढ़ गया है।

स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके नियंत्रण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष भी राज्य स्तर पर स्थापित किया गया और ये जिला स्तर और ब्लाक स्तर पर भी स्थापित किये हुए हैं। वाटर बोर्न डिजीजेज और मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा रैपिड रिस्पोंस टीम का भी गठन किया हुआ है और ये कलक्टर के साथ मिलकर, जलदाय विभाग के साथ समन्वय बैठाकर इन दोनों विभाग के कर्मचारी इन जल स्रोतों के नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजते हैं जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक लाख की आबादी पर पांच नमूने प्रति माह लेने का लक्ष्य भी आबंटित है परन्तु उसके बावजूद 2010 में ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): समाप्त कर रहा हूं। 2010 में 96,031 रोगी उल्टी और दस्त के पाये गये थे, जिनमें 11 की मौत हुई, पीलिया के 458। पानी के जो नमूने लिये गये थे, 2010 में 36,437 नमूनों के प्रति 2,728 नमूने असंतोषप्रद पाये गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह संख्या बढकर इस साल 37,224 हो गई जिनमें से 2,200 नमूने पानी के फेल हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपके माध्यम से सरकार से यह चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग और जलदाय विभाग, दोनों अपनी जिम्मेदारी समझकर इस दूषित पानी हेतु पंजाब सरकार को लिखें कि यह गंदा पानी बंद करे और यह जो गंदा पानी आ रहा है, उसके नियमित शुद्धिकरण हेतु, उसके नमूनीकरण हेतु, सरकार सख्त कदम उठाये।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजें, विराजिए। श्री ओम बिरला।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह डिस्कसन का विषय नहीं है। केवल ओम बिरला का अंकित होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओम बिरला का अंकित होगा। यह डिस्कसन का विषय नहीं है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओम बिरला। यह प्रश्न काल नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, आप विराजिए। ओम जी बिरला।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए ।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था हो गई, आपका अंकित नहीं होगा। माननीय श्री ओम बिरला।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना बात ही सदन का टाइम ले रहे हो। आप सदन का टाइम ले रहे हो। यह सदन का टाइम जाया जा रहा है। आपकी बात अंकित नहीं हो रही है। यह प्रश्न काल नहीं है, आप नियम पढ़िये। पार्टी में मीटिंग होती होगी, सभी पार्टियों की मीटिंग होती है कि कब कहां बोलना चाहिये। पर्ची पर कभी डिस्कसन होता है क्या?

कोटा में राजस्व मंडल की सर्किट बैंच का अभाव

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा सम्भाग जो राजस्थान का महत्वपूर्ण संभाग है...

श्री उपाध्यक्ष: मैंने सुना है, आजकल अजमेर हो गया है। अजमेर सम्भाग महत्वपूर्ण हो गया। सही है? Am I correct?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उस सम्भाग में राजस्व के बहुत अधिक मामले लम्बित होने के कारण एक तरफ किसान को रेवेन्यू के मैटर्स में एस डी ओ कोर्ट में जाना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लंबे समय बाद जब उसको एस डी ओ के यहां से कोई फैसला मिलता है तो उसकी अपील करने के लिये उसको रेवेन्यू बोर्ड में जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में राजस्व मंडल के अपने प्रतिवेदन में बताया गया है कि 56,194 मामले अभी तक अजमेर के राजस्व मंडल में अटके हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, न्याय का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये, न्याय सस्ता भी मिले, न्याय त्वरित भी मिले, यह हम सबकी मान्यता है।

पिछले लम्बे अरसे से कोटा के वकील, कोटा के किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि कोटा सम्भाग जो बहुत बड़ा इलाका है जिसमें 13,336 रेवेन्यू के मामले अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, वहां पर रेवेन्यू की डबल बेंच की सर्किट बेंच बननी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग अभी से नहीं है, यह बहुत लम्बी मांग है। आज राजस्थान के अन्दर अजमेर के बाद केवल जयपुर के अन्दर डबल बेंच सर्किट बेंच आती है और कोटा में बहुत लम्बे समय से सिंगल बेंच आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके कारण किसान को, न्याय मांगने वाले व्यक्ति को अजमेर जाना पड़ता है। ये मुकदमे कोई एक के मुकदमे नहीं हैं, इन मुकदमों को दस साल, पन्द्रह साल, पीढ़ियां गुजर जाती हैं जिसके कारण झगड़े होते हैं, हत्याएं होती हैं। गांव में फसाद, गांव में झगड़े...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त में करिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इन सबके कारण न्याय में देरी है। इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अन्दर भी यह बात कही थी कि हम कोटा के अन्दर सर्किट बेंच डबल लाएंगे रेवेन्यू की, लेकिन आज तीन वर्ष गुजरने के बाद भी राजस्थान की सरकार अपनी घोषणाओं से बदल रही है। माननीय मंत्री महोदय, यहां नहीं बैठे हैं, उन्होंने कोटा के वकीलों को आश्वस्त किया था कि किसी भी सूरत में हाई कोर्ट लाने

(श्री ओम बिरला)

की कोशिश करूंगा और यदि हाई कोर्ट नहीं लाया तो रेवेन्यू डबल सर्किट बेंच को लेकर आऊंगा...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, बिरला जी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): लेकिन तीन साल हो गए। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार त्वरित न्याय के लिए, सस्ते न्याय के लिए...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोटा में डबल बेंच सर्किट बेंच लाए रेवेन्यू की, जिससे लोगों को न्याय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रभूलाल सैनी।

राज्य में जैनेटिकली मोडिफाइड बीजों का परीक्षण

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक ऐसे विषय को प्रस्तुत कर रहा हूं जिसकी राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। मेरा निवेदन यह है कि जेनेटिकली मोडिफाइड जो सीड्स हैं, उनकी ट्रायल के बारे में पूरे देश में नहीं, पूरे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की जाती रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि तमाम वैज्ञानिक, तमाम विषय विशेषज्ञ, तमाम राजनीतिज्ञ और तमाम सामाजिक और राजनीतिक जितने भी संगठन हैं, सबमें इसके बारे में बहस छिड़ी हुई है और सब इस खतरे से भयभीत हैं। मेरा आपके माध्यम से सदन को यह कहना है कि जी एम सीड्स की फसलों के बारे में जी एम का अर्थ है जेनेटिकली मोटिफाइड और इसका अर्थ है, वंशानुगत जो जीन हैं, उसमें बदलाव की प्रक्रिया; उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करूंगा कि जर्मनी के ग्रीन पीस संस्था के संचालक किम थामस, उनका यह मानना है कि जेनेटिकली मोडिफाइड सीड, यह गैर-जिम्मेदारा ना तकनीक है जिसे बाद में मोन्सेंटो भी नियंत्रित नहीं कर सकता। एक दिन सभी बीज बांझ हो जाएंगे तो मूल बीज कहां से आएगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि हमारे परम्परागत सीड, हमारी परम्परागत फसलें, यदि उनमें जी एम सीड का प्रयोग होगा तो हमारा ट्रेडिशनल सीड खतम होगा। इसके बारे में आशंका व्यक्त की है।

मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारत सरकार का एन्वायरनमेंट एंड फोरेस्ट

(श्री प्रभुलाल सैनी)

मंत्रालय है उसके माध्यम से एक अपेक्स बाडी बनी हुई है, उसका नाम है जी ई एसी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। उसका गठन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के अन्तर्गत हुआ है। उसने यह बैन किया कि कोई भी इस प्रकार की गतिविधियां, कोई भी इस प्रकार की रिसर्च की जाती है तो उसकी अनुमति ली जाएगी, यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। इस कमेटी का मुख्य काम है, मैन्यूफेक्चरिंग यूज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड माइक्रो-आर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड आर्गेनिज्म और सेल्स, यह काम करने के लिए इस समिति का, अपेक्स बाडी का गठन किया हुआ है। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि इसका...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): राजस्थान में भी स्टेट बोटेनिकल कोर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी के द्वारा राजस्थान में यदि इसी प्रकार का कोई भी जी एम सीड का ट्रायल कहीं किया जाता है तो उसकी अनुमति आवश्यक है।

बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि राजस्थान में तीन सेन्टर पर, 2011 में अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर में, रबी 2011 में जी ई ए सी की 12वीं बैठक थी उसमें अनुमति दे दी गई और राजस्थान को नहीं पूछा गया। मैं राज्य सरकार का ध्यान, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से प्रकृति से छेड़छाड़ जिसने भी की है प्रकृति ने उसको बख्शा नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है जिन चीजों के बारे में बिना राज्य सरकार की अनुमति के जेनेटिकल इंजीनियरिंग एप्रूवल समिति ने परमिशन दी है, यह दुखद और चिंताजनक है। उनमें नम्बर एक है एस.जी.पी.टी. कोटक कार्न, यानी मक्का के लिए...

श्री उपाध्यक्ष: आप तो शोर्ट में बोलो।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): यह इतना बड़ा अन्तरराष्ट्रीय मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल रहे हो, ध्यान आ गया।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): पूरा का पूरा राजस्थान बरबाद हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपका ध्यान आ गया, आपकी बात सब ने समझ ली।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): बस दो मिनट। यह मोन्सेंटो कम्पनी को राजस्थान में दिया गया है और यह 21.9.2011 को परमिशन आपकी जी ई ए सी कम्पनी ने दी है। एक बी टी कोर्न के बारे में पायोनीयर को दी है, बी टी कोर्न के बारे में फिर पायोनीयर को, आपने सेकण्ड बी आर एल सेकण्ड भी दी है और बी टी कोर्न डाउ एग्रो साइंसेंज को दी है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें आप।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मेरा आपसे इतना कहना है कि इस प्रकार की अनुमति जी इ सी के द्वारा बिना राजस्थान की अनुमति के दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष: 13 मतदाता हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उसमें सरकार गम्भीर हो क्योंकि कांस्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है, वह...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती संजना आगरी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): केन्द्र सरकार का नहीं होता। केन्द्र सरकार चाहे तो, भी परमिशन नहीं दे सकती। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करने का था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। माननीया श्रीमती संजना आगरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पाली स्थित विधि महाविद्यालय का अधूरा निर्माण कार्य व संस्था में अन्य कमियां

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से पाली में स्थित विधि महाविद्यालय के बारे में सदन को अवगत कराना चाहूंगी। राजकीय विधि महाविद्यालय पाली वर्तमान में पश्चिम राजस्थान के पाली, जालौर, सिरोही जिले का एक मात्र महाविद्यालय है, जिसमें बार काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। उक्त विधि कालेज पूर्व में पाली जिले के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में संचालित था जिसकी कक्षायें रात्रि में लगती थीं। दिनांक 12.5.2005 को कमिश्नर, कालेज एजुकेशन, जयपुर से आर्डर हुए एवं उक्त विधि कालेज को अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के महाविद्यालय के छात्रावास में शिफ्ट किया, जो आज भी वहीं संचालित है।

(श्रीमती संजना आगरी)

पूर्ववर्ती वसुन्धरा राजे जी सरकार के समय जन-सहभागिता योजना के अन्तर्गत जिसमें 50 प्रतिशत राज्य सरकार, 30 प्रतिशत कालेज, 20 प्रतिशत नगर परिषद द्वारा खर्च कर उक्त विधि कालेज का निर्माण 20 बीघा भूमि जो विधि कालेज के नाम से है, उसमें 5 कक्षों का निर्माण करवाया गया। साथ ही 8 लाख खर्च कर मूट कोर्ट हाल का निर्माण स्थानीय विधायक कोष से करवाया गया। लेकिन बजट के अभाव में आज भी जन-सहभागिता में बना विधि कालेज का काम अधूरा पड़ा है। विधि महाविद्यालय, पाली में एलएलबी प्रथम वर्ष जिसमें दो सेक्शन चलते हैं और एलएल बी सेकण्ड ईयर और फाइनल के अन्दर एक-एक सेक्शन संचालित हैं, कुल 200 छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं। बजट 2010-11 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में 7 विधि महाविद्यालयों में 1-1 करोड़ आबंटन की घोषणा की थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि पाली विधि महाविद्यालय जो जन-सहभागिता योजना के तहत बनाया गया, बजट के अभाव में आज अधूरा पड़ा है जबकि विधि महाविद्यालय पाली, गृह मंत्रीजी के, जिले में आता है। पाली, जालौर, सिरोही के छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए विधि महाविद्यालय, पाली हेतु 2 करोड़ रुपये की घोषणा कराकर अति शीघ्र कार्यादेश जारी करावें, साथ ही एस सी, एस टी के छात्रावासों को भी अतिशीघ्र खाली करावें। जिससे उक्त विधि महाविद्यालय जहां पर संचालित है, वहां गांव-ढाणियों से आने वाले एस सी, एस टी के बांगड़ महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को रहने की सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट वर्ष 2010-11 में घोषणा की थी कि नवीन पदों का सृजन किया जाएगा और दिनांक 6.12.2010 को विधि महाविद्यालय के प्राचार्य के पद की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी करने के आदेश दिये, लेकिन विधि महाविद्यालय, पाली में आज भी प्राचार्य का पद रिक्त है। वहां कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त हैं जो कोई ठोस एक्शन नहीं ले सकते हैं। मेरा मुख्य मंत्री से निवेदन है कि विधि महाविद्यालय पाली में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति कराई जावे ताकि वास्तविक स्वरूप के अनुसार कार्य संचालित किया जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। धन्यवाद। माननीय डा. फूलचन्द भिण्डा।

पोलीटेक्निक कालेजेज के व्याख्याताओं को सरकारी आदेश पश्चात् भी यू.जी.सी. के समकक्ष वेतनमान नहीं दिया जाना

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 1973 के बाद तकनीकी शिक्षा में यह मांग की जा रही थी कि उच्च शिक्षा के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा में भी यू.जी.सी. के समकक्ष वेतनमान दिये जाएं क्योंकि उनकी योग्यता भी पोस्ट-ग्रेजुएट होती है और सामान्य शिक्षा में भी पोस्ट-ग्रेजुएट होती है। वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद और प्रयासों के बाद में 5 मार्च, 2010 को भारत सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित किया कि राज्यों के और भारत सरकार के अन्तर्गत जो पोलीटेक्निक कालेज हैं, उनके व्याख्याताओं को भी, उनके टीचिंग स्टाफ को भी यू.जी.सी. के समकक्ष हाई ग्रेड दिये जाएंगे। 5 मार्च, 2010 को प्रकाशित होने के बाद राजस्थान सरकार ने 01.09.2010 को यह निर्णय किया कि इसको हम स्वीकार करते हैं और राजस्थान के पोलीटेक्निक कालेज के शिक्षकों को जो ए.आई.सी.टी.ई. की सिफारिश के आधार पर रिकमण्ड किये गये, निर्णीत किये गये जो वेतनमान हैं, राजस्थान सरकार देगी। 01.09.2010 को ये आदेश प्रसारित हो गये। लेकिन पिछले 2 वर्ष 8 महीने के बावजूद भी इसको लागू नहीं किया गया।

अभी बार-बार प्रयासों के पश्चात् राजस्थान सरकार ने कुछ दिनों से इस ओर प्रयास प्रारम्भ किये हैं लेकिन जैसी उच्च शिक्षा के प्रति राजस्थान के नौकरशाहों की स्थिति है, बार-बार आग्रह करने के बाद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उच्च शिक्षा स्टेट को एक प्रज्ञा प्रदान करने वाला विभाग है। सामान्य शिक्षा में भी, विश्वविद्यालयों में भी ऐसा हो रहा है, तकनीकी शिक्षा में ऐसा हो रहा है, मेडिकल शिक्षा में ऐसा हो रहा है। इसके सम्बन्ध में मैं विस्तार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कौनसी रिकमण्डेशन है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिनको भी तीन वर्ष व्याख्याता के पद पर हो गये...

श्री उपाध्यक्ष: जरा संक्षिप्त करें, भिण्डाजी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, संक्षिप्त नहीं, यह विशेष महत्व का विषय है, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष: महत्व दे दिया, समय की पाबन्दी है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सरकार अवहेलना कर रही है इसकी। मैं आपके माध्यम से नहीं कहूंगा तो किसके माध्यम से कहूंगा?

श्री उपाध्यक्ष: समय की पाबन्दी है। समय की पाबन्दी है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): राजस्थान को वह दर्जा दिलाने का प्रयास है यह कि देश के समकक्ष यहां के पोलीटेक्निक कालेज आ जाएं, उनको भी ग्रेड मिल जाएं। अब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिनको भी तीन वर्ष हो गये, उनका अगली ग्रेड में, जो एकेडमिक ग्रेड है, पे-ग्रेड है, एकेडमिक पे-ग्रेड नम्बर-4, उसमें फिक्सेशन होना चाहिए। इनके पास कोई नियम नहीं है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने लिखा है कि भारत सरकार से पूछ रहे हैं। भारत सरकार ने लिखा है कि हमने 5 मार्च, 2010 के बाद कोई गाइड-लाइंस तय नहीं की हैं, हमने पे-स्केल में जो रिकमण्डेशन की है, वही हमारी फाइनल गाइड-लाइंस हैं। उसके बाद में राजस्थान सरकार में एक क्वेश्चन लगा; क्वश्चन के जवाब में राजस्थान सरकार ने लिखा, इस विभाग द्वारा अभी किसी प्रकार की गाइड-लाइंस तय नहीं की गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें, भिण्डाजी। माननीय, समाप्त करें आप। समाप्त करिये। समाप्त करिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं थोड़ा निवेदन कर दूं, एक बार।

32 महीने बाद में गाइड-लाइंस तय नहीं हुई। उसके बाद में जब यह प्रक्रिया चालू की गयी और चालू भी तब की गयी जब चीफ सेक्रेटरी ने लिखा। राजस्थान सरकार के तकनीकी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप संक्षिप्त कर दीजिए। अब्दुल सगीर खां जी बैठे हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं संक्षिप्त ही कर रहा हूं आपके सामने। रुकिये, रुकिये, एक बार, यह पूरा करना चाहूंगा। पूरे राजस्थान के टीचर्स का मामला है जो अभी तक लागू नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: वह सब सही है, समय की पाबन्दी है। राजस्थान की है, आपकी समस्या है, ध्यान में लाना है, आपने ला दी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 63 वर्षों में भी, मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप निर्देशित करें, विभाग को निर्देशित करें। यहां मंत्रीजी बैठे हैं, आश्वस्त करें कि जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिनकी योग्यता पोस्ट-ग्रेजुएट है, पीएच.डी. है, एम.फिल. है, जो

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

रिकमण्डेशन भारत सरकार की है, उसको लागू करते हुए पे-ग्रेड, चार नम्बर देंगे। यहां मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अब्दुल सगीर खां। (व्यवधान) माननीय श्री अब्दुल सगीर खां।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं। इसमें टीचर्स, राजस्थान के इतने टीचर्स हैं, उन पर आप लागू नहीं करना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष: केवल अब्दुल सगीर खां का। अब्दुल सगीर खां।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर का विश्व-विख्यात पत्थर.. (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

उपाध्यक्ष: अब्दुल सगीर खां जी, आप बोलिये ना। केवल अब्दुल सगीर खां जी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

धौलपुर में जारी अवैध खनन

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): धौलपुर का जो विश्व विख्यात पत्थर है, हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और लाल किला इसकी जीती-जागती नजीर हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में अवैध खनन इल्लीगल मींस आफ इन्कम और खास तौर से राजनेताओं का एक धन्धा बना हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर जिले के अन्दर जो दुनिया में विश्वविख्यात धौलपुर-स्टोन के नाम से मशहूर है, वहां इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है कि वहां अराजकता का माहौल है।

(12.35 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, बसेड़ी में एक रामदा क्षेत्र है जो ऋषि वाल्मीकि का, जिन्होंने रामायण की रचना की, उनका धार्मिक स्थान है, तपोवन भूमि है। लेकिन इस धार्मिक भवन, धार्मिक तपोवन भूमि के इर्द-गिर्द खानें हैं और वहां पर अवैध खनन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, बाड़ी, धौलपुर और सरमथुरा

(श्री अब्दुल सगीर खां)

के पत्थर के व्यापारियों ने लगातार 10-15 दिन हड़ताल की और वे हड़ताल की राह पर हैं। उसके बावजूद वहां अवैध खनन नहीं रुका और वहां डबल रायल्टी वसूल की जा रही है।

सभापति महोदय, दमोह क्षेत्र, यह राजस्थान का दूसरा जल-प्रपात है। इसकी जो सौंदर्यता है, जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, वह देखने लायक है लेकिन आज दमोह के अन्दर जो प्राकृतिक सौंदर्यता की मिसाल है, वहां पर भी अवैध खनन हो रहा है। वहां पोलिटिशियंस, माइनिंग स्टाफ, इनकी मिलीभगत है। इसलिये कोई भी यहां अपनी गुहार लगाने को तैयार नहीं है।

इसी प्रकार से भूतेश्वर नदी है, पार्वती नदी है, बसेड़ी के अन्दर ये धार्मिक स्थान हैं, यहां पर भी अवैध खनन हो रहा है। आज धौलपुर अवैध खनन का अड्डा हो गया है और सारे लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा साधन हो गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि वहां पर एक महाकालेश्वर मंदिर भी है जो सरमथुरा के पास में है, यह धार्मिक स्थान है। माननीय सभापति महोदय, धार्मिक स्थान, जहां रिलिजियस प्लेसेज हैं, ट्यूरिज्म के प्लेसेज हैं, यह सरकार उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है और वहां अवैध खनन हो रहा है। 75 प्रतिशत अवैध खनन, जो खनन का क्षेत्र है, उसमें 75 प्रतिशत अवैध खनन हो रहा है।

हमारे मंत्री महोदय यहां तशरीफ नहीं रखते, उस दिन भी इस विषय को उठाने की कोशिश की गयी लेकिन, माननीय, इस पर कोई किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही है। ब्लास्टिंग जिस तरह से हो रही है, ई.टी.वी. पर दिखाया गया, ग्रामीण आकर खेतों में सो रहे हैं। रात के अन्दर ब्लास्टिंग होती है, जैसे कि किसी देश ने हमला कर दिया हो और वहां का ग्रामीण रात को निकलकर खेतों में सो रहा है। यह ई.टी.वी. पर भी दिखाया गया। लेकिन यह संवेदनशील सरकार और यहां के जो मंत्री, जो खनिज मंत्री हैं, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी।

मैं कहना चाहता हूं कि यह धौलपुर जिला इस अवैध खनन समस्या से पीड़ित है। इसको रोकिये। राजस्थान का भी नाम हिन्दुस्तान से जुड़ा है। यह सर्वे हुआ कि सबसे अधिक अवैध कमाई का साधन अवैध खनन है और जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इस धौलपुर का नाम कलंकित हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आप सरकार को चेताओ

(श्री अब्दुल सगीर खां)

और सरकार को चेतावनी दें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह मेसेज जाए कि तुरन्त इस पर कार्यवाही हो। धौलपुर के लोग, धौलपुर के पत्थर व्यापारी तो आंदोलित हैं, जनता भी आंदोलित होगी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): पाइण्ट आफ इंफार्मेशन, सर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरा नाम पुकारा है। मेरा नाम पुकारा है ना, जी?

श्री सभापति: हां, श्री राधेश्याम जी गंगानगर।

श्रीगंगानगर में तेल मिल व्यापारियों को कृषि मण्डी में दुकान आबंटित नहीं किया जाना

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस जीरो-आवर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात गवर्नमेंट के ध्यान में लाना चाहूंगा। श्रीगंगानगर में रीको इंडस्ट्रियल एरिया मंडी से 15 किलोमीटर दूर है। गंगानगर में इंडस्ट्री में केवल मात्र एक तो ग्वार-गम की इंडस्ट्री है बड़ी और बाकी सब तेल मिलें हैं और उन तेल मिलों से गंगानगर में कम से कम हजारों करोड़ रुपये की गवर्नमेंट को इन्कम होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उद्यमियों ने मंडी प्रांगण में किराये की दुकानें लेकर अपने कार्यालय बना रखे हैं। सरसों की खरीद मंडी प्रांगण से ही हो जाती है क्योंकि सरसों की आवक मंडी में होती है। तेल मिलें 15 किलोमीटर दूर उद्योग मैदान में स्थित हैं जो कि 'क' वर्ग दलाल की श्रेणी में आती हैं। जिस दिन से मंडी बनी थी, मंडी शुल्क देते हैं, सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। आज तक दुकान, भूखंड, गोदाम अलाट नहीं किये गये हैं। तेल मिलों के पास लैब होती है और लैब होने के कारण से किसान को अधिक भाव मिल सकता है अगर वहां मंडी में दुकान हो। रेट, व्यापारी देखकर, लैब में टैस्ट करके रेट देते हैं। गंगानगर एक कृषि प्रधान जिला होने के कारण उड़ीसा, बिहार, बंगाल और आसाम में तीन सौ, चार सौ करोड़ रुपये का मस्टर्ड आयल बाहर जाता है। उसके उपरांत भी उन तेल मिलों को वे दुकानें आज तक आबंटित नहीं की गई हैं। दुकान पहले सौ बकाया थीं, फिर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

80 हुई, फिर 70 हुई, फिर 60 हुई और धीरे-धीरे करते-करते अब पांच या छह दुकानें ही बाकी बची हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मंत्री महोदय यहां पर मौजूद हैं, कृपा करके इसकी जो स्थिति मैंने आपके सामने रखी है उस पर आप कुछ कहिये। कम से कम ये जो आपकी दुकानें खाली पड़ी हैं, उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिलेगा तेल मिलों को और तेल मिलें जब 'क' वर्ग दलाल में आती हैं, तो एक तरफ तो आपने पांच-पांच, छह-छह दुकानें लोगों को, लोगों ने लाइसेंस ले लिये नाजायज और चार-चार, पांच-पांच एक ही व्यक्ति को दुकानें अलाट हुईं। एक तरफ जो लोगों का अधिकार है, उस अधिकार से बहुत लम्बे अरसे से वे तेल मिलें वंचित हैं।

मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया आप स्टेटमेंट दें, आप मेरी बात का जवाब दें ताकि लोगों को यह मालूम हो, तेल मिल वालों को कि हमारी भी बात सरकार सुनती है। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे निवेदन पर खड़े होकर फरमाइये। आप जरा जवाब दिलवायें, बहुत लम्बे अरसे से काम पड़ा हुआ है। 20 साल से कोई दुकान नहीं मिली। 'क' वर्ग दलाल जो आपको करोड़ों रुपये की रेवेन्यू देता है...

श्री सभापति: हो गया, आपने बोल दिया। श्री रविन्द्र सिंहजी। हो गया न, साहब। एक ही जिले से हो दोनों।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप कहोगे तो, आप कह दो, वे नहीं दें तो कोई बात नहीं। आप तो कहो। गंगानगर का मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई जरूरी नहीं है। अगर मंत्रीजी जवाब देना चाहेंगे तो दे देंगे। आपने बोल दिया और सरकार के ध्यान में आ गया। माननीय सदस्य, सरकार के ध्यान में आ गया। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, आप कृपा करके, दे रहे हैं जी जवाब।

श्री सभापति: आप बोलेंगे, मंत्रीजी? आप विराजिये।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

सभापति महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो मामला उठाया, जितने भी फैक्टरी वाले हैं जो मंडी से चाहे सरसों खरीदते हैं, चाहे रूई खरीदते हैं, यह बात सही है कि सबसे ज्यादा मंडी शुल्क वे देते हैं और पहले से ही इन व्यापारियों के पास 'क' वर्ग लाइसेंस होता है, अनुज्ञाधारी मंडी के जो होते हैं। लेकिन नियमों में जब भी मंडी का अलाटमेंट होता है, जब भी ये हिस्सा लेने के पात्र थे, किन्हीं कारणों से आज तक फर्स्ट फेज में, सेकण्ड में ये हिस्सा नहीं ले पाये। बार-बार यह मुद्दा हर मंडी से उठता है। इसका मैं परीक्षण करवा रहा हूं और अगर मंडियों में जगह होगी तो निश्चित तौर पर इनकी अलग से सूची बनाकर वरियता के हिसाब से इनको जगह देने की कोशिश की जाएगी।

श्री सभापति: श्री रविन्द्र सिंहजी। आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजो।

सूचना

राजाखेड़ा में लूट के अपराधियों को पकड़ना व अन्य प्रशासनिक लापरवाही की घटनाओं सहित दुर्घटना में मृत व्यक्तियों हेतु क्षतिपूर्ति

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कल बड़ी गम्भीर घटनाएं घटी हैं। पहली तो एक राजाखेड़ा के अन्दर ठाकुर नारायण सिंह पुत्र श्री हेत सिंह, जो अपनी पत्नी और अपने भाई की पत्नी के साथ किसी शादी से लौटकर आ रहे थे, दोनों की पत्नियां करीब-करीब बीस-बीस, बाईस-बाईस तोला सोना पहने हुए थीं, जेवर पहने हुए थीं। बदमाशों ने असले के बल पर उन्हें रोका और उनसे सोना उतारने के लिए कहा। जब उन्होंने प्रतिरोध किया तो उन्होंने नारायण सिंह को गोली मार दी और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई और महिलाओं के जेवर वे छीन कर ले गये।

दूसरी घटना मेरे गांव कविलाल में हुई है जहां बिजली के तार झूलने से सात बच्चे झुलस गये। अस्पताल में उनकी बहुत सीरियस हालत है। तीसरी घटना एक राकेश नाम के अनुसूचित जाति के जवान लड़के के संग हुई। बिजली के तार गिरने से उसकी भी तत्काल मृत्यु हो गई।

ऐसी हालत में मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

माननीय गृह मंत्रीजी से और माननीय बिजली मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर की पुलिस को यह ताकीद की जाए कि मुलजिमों को जल्दी से जल्दी पकड़े और राज्य सरकार की ओर से मृतक को कोई कम्पंसेशन चार-पांच लाख रुपये का दिया जाए। कम से कम 20 लाख रुपये का उसका जेवर गया है एक 42 साल के व्यक्ति की मौत हुई है जो कि परिवार का मुखिया था।

इसी तरह से जिस अनुसूचित जाति के बच्चे की डैथ हुई है और बच्चों को बिजली के करंट से झटके लगे हैं, उनको भी राज्य सरकार की ओर से, बिजली मंत्री महोदय, कम्पंसेशन दिलवाएं, इलाज करवायें। अनुसूचित जाति का बच्चा जिसके कि दो लड़कियां हैं, छोटी-छोटी बच्चियां और छह महीने का बच्चा है। उसके पास कोई जमीन नहीं है, केवल मेहनत-मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। उस बच्चे के परिवार का भी कोई पालन-पोषण हो जाए, उसको भी कोई राजकीय सहायता दिलवाने की, कम्पंसेशन दिलवाने की कृपा करें। मैं यह सरकार से उम्मीद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह जी।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सरकार से जवाब तो दिलवा दीजिए, साहब। लोगों की मौत हो गई है। थोड़ा तो संवेदनशील होइये, साहब। अनुसूचित जाति का व्यक्ति मरा है।

श्री सभापति: आपने ध्यान में ला दिया है, माननीय सदस्य, विराजिये।

गेहूं के अपर्याप्त खरीद केन्द्रों के कारण किसानों की कारित परेशानी व शोषण

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से राज्य में किसानों की हो रही दुर्दशा के बारे में आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण से किसान पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। परसों भी किसानों की, विधान सभा पर घेराव करने के लिए जब वे रवाना हुए तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में गेहूं

(डा. दिगम्बर सिंह)

की खरीद के मात्र 317 केन्द्र हैं। राजस्थान के अन्दर कुल पंचायतों की संख्या 9,178 है और जो जी.एस.एस. हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति 5,271 हैं और मात्र 317 खरीद केन्द्र राजस्थान के अन्दर होना किसानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। माननीय सभापति महोदय, मजबूरी में किसान इन केन्द्रों पर लाइन लगाकर, इन केन्द्रों पर अपने ट्रोले लेकर खड़े रहते हैं और तीन-तीन दिन तक खड़े रहने के बाद जब उनका नम्बर नहीं आता है तो आढ़तियों के बोरियां उतार कर चले जाते हैं। उसका बिचौलिया फायदा उठा रहा है और किसान को एक नये पैसे का फायदा नहीं हो रहा है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों के अन्दर जो किसान की दुर्दशा हुई है, उसके बारे में जो टोटल हमारा प्रोड्यूस है, अगर मैं केवल गेहूं की बात करूं तो गेहूं में हरियाणा में 69.28 परसेंट खरीद हुई थी टोटल प्रोड्यूस की; छत्तीसगढ़ में 55 परसेंट; मध्य प्रदेश में 49.65 परसेंट; और राजस्थान के अन्दर मात्र 12.5 परसेंट का परचेज टोटल प्रोड्यूस का हुआ है। बाकी किसान को मजबूरी में बाजार में बेचना पड़ा। उससे किसान को जो घाटा हुआ, मैं आपको एक-एक जिंस के बारे में अगर दुर्गति हर किसान की सुनाऊं, माननीय सभापति महोदय, बाजरे का जो बाजार भाव था वह छह सौ से सात सौ के बीच में और समर्थन मूल्य था 880 रुपया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मक्का का समर्थन मूल्य 880 रुपए था और बाजार भाव 750 से 800 रुपए था। ऐसे ही गेहूं का समर्थन मूल्य 1,170 रुपए था और बाजार के अन्दर 900 से 1000 रुपया था। कुल मिलाकर के 41 अरब का किसान को नुकसान इस कारण से भुगतना पड़ा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इसमें ध्यान दे, खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाये। जी एस एस के माध्यम से अगर गेहूं की खरीद शुरू कर दे तो किसान को उचित मूल्य उसकी जगह, उसके ग्राम पंचायत के नजदीक जगह पर मिल सकता है। परन्तु जिस तरह की ठगी किसान के साथ हो रही है, भाषण देते समय हम कहते हैं, हमारा अन्नदाता है, जमीन को चीर के अन्न पैदा करता है परन्तु अन्नदाता की जो बेइज्जती, अन्नदाता की जो अनदेखी सरकार कर रही है, उसको कभी हम भूल

(डा. दिगम्बर सिंह)

नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सरकार को इन्टरवीन करना चाहिए, इस सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए जिससे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। सभापति महोदय, इस बात को गम्भीरता से अगर सरकार नहीं लेगी तो निश्चित रूप से इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे क्योंकि किसान आज चारों तरफ से दुःखी है। फसल के टाइम जब वह बोता है तो उसको पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती और जो कुछ नुकसान उसको वहन करना पड़ता है उसका किसान कभी बयान नहीं कर सकता। वह चारों तरफ से परेशान है।

श्री सभापति: आप विराजो, आ गया है। आपका कोटा का भी है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। किसान का समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलाना तो दूर, लाठियां मारी जा रही हैं। कोटा में, इटावा में कल समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलाने गए किसानों पर लाठियां बरसाई गईं। छह-छह दिन से किसान अपनी पूरी ट्रोलियां लेकर के पूरे राजस्थान में खरीद केन्द्रों पर खड़े हैं, उनका गेहूं नहीं तुल रहा है। बोनस तो 100 रुपए सरकार ने घोषणा की, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, बोनस भी किसान को नहीं मिल रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, यही तो चाहते हैं कि गेहूं की वे उचित समर्थन मूल्य पर खरीद करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): लगातार इस सदन में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन माननीय सदस्य डा. दिगम्बर सिंह ने दिया है...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पूरे किसान परेशान हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बात पर गौर किया जाए। यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। किसानों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। (व्यवधान) किसान बरबाद हो गया।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अभी तक सरकार ने खरीद केन्द्र नहीं बनाये हैं।

श्री सभापति: आप विराजें, आप विराजें तो सही। आपका अंकित नहीं होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री सभापति: उप नेता महोदय बोल रहे हैं, आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से सिर्फ इतना ही आश्वासन चाहता हूं कि सारे राजस्थान भर में इस समय खरीद के लिए ट्रैक्टर-ट्रोलियों पर किसान भारी संख्या में रात-रात, दो-दो दिन तक खड़े रहते हैं और कम खरीद केन्द्र होने के कारण से, माननीय मंत्री महोदय, माननीय परसादीलाल जी, सारे राजस्थान भर में यह समस्या है। यह कुछ दस-पन्द्रह दिन का पीरियड ऐसा आता है जिसमें बरसात का भी कभी डर रहता है, कभी ओलों का भी रहता है, कभी आंधी का भी काम होता है और इसी पीरियड में सारा अनाज देने का काम होता है। अब किसान जब वहां खड़ा रहता है, उसके बाद में, पहले 100 रुपए बोनस के नहीं देते थे तो वह कुछ कम में भी देकर चला जाता था। पहली बार सरकार ने 100 रुपए के हिसाब से, प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको बोनस देने का तय किया है। अपने पड़ोसी राज्यों में पहले से था, हरियाणा में भी पहले से था, मध्य प्रदेश में पहले से था। तो उस समय हमारा कुछ गेहूं कोटा, हाड़ौती का मध्य प्रदेश में भी चला जाता था, इधर से हरियाणा में चला जाता था। अब हमारा सारा गेहूं हमारी जगह आ रहा है। इसलिए जब तक खरीद के केन्द्र नहीं बनेंगे और तुरन्त किसान का गेहूं नहीं खरीदा जाएगा, यह एक समस्या उनके सामने बनी रहेगी। आपने देखा है कि पिछले पांच-सात दिनों में भिन्न-भिन्न जगहों पर इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हुई है।

इसलिए हम इतना ही चाहते हैं आपसे कि आप कम से कम इस सारी समस्या को देखकर जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से या अन्य किसी संस्था के माध्यम से, केवल एफ सी आई पर आप डिपेन्ड करेंगे या केवल तिलम संघ पर डिपेन्ड करेंगे तो यह पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं खरीदा जाएगा और यह 100 रुपए का जो फायदा है, वह भी किसान को नहीं मिलकर, किसान जिसके पास अपना गेहूं छोडकर के जायेगा, किसान के नाम से वह 100 रुपए फायदा भी उसको मिलेगा। इसलिए हम इतना ही चाहते हैं,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय मंत्रीजी, आप सरकार की तरफ से इस सदन को आश्वस्त करें। आज अंतिम दिन है, फिर हम 26 को मिलेंगे तो हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा यह प्रश्न उठाना कोई स्कोर करना नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे राजस्थान में यह समस्या पैदा हो रही है, तो सरकार इसका समाधान करे, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने और माननीय उप नेता महोदय ने जो बात कही, यह चिंता हमारी भी है। खरीद के केन्द्र गत वर्ष ही हमने 317 खोले थे जिनमें 100 केन्द्रों में बिलकुल एक क्विंटल भी गेहूं नहीं आया। हमने सभी 317 केन्द्रों, मण्डी, गौण मण्डी, सब में हमने और अधिक कांटे, आज सुबह ही मैंने अधिकारियों को बुलाकर के कहा है, और अधिक कांटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

माननीय उप नेता महोदय समस्या यह आ रही है, एफ सी आई गेहूं को उठाकर कहां रखे। हमारे पास स्टोरेज नहीं है। इसलिए हमने उनको कहा कि ऐसी कोई जगह चिह्नित करें आप, कोटा में सबसे ज्यादा प्राब्लम आ रही है। हमने उनको कहा, तिलम संघ का हमारा बहुत बड़ा एरिया है, बाउंडरी है, उसको आप ले लें। तो वहां पर उसका स्टोरेज करेंगे। तुलाने की, लेने की प्राब्लम नहीं है, उस गेहूं को उठाकर रखने की प्राब्लम है, स्टोरेज की प्राब्लम हमारे पास है। हमारे पास स्टेट में वेयरहाउसेज नहीं हैं। कभी भी हमने इतना लक्ष्य गेहूं का जितनी इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 15 लाख मैट्रिक टन की बजट घोषणा की थी, उसके बाद उन्होंने स्वयं ने किसानों की और आपकी सबकी भावनाओं को देखते हुए 20 लाख मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा है।

आप निश्चित रहें, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि खरीद केन्द्रों की संख्या और बढ़ा देंगे। जहां भी आपकी मांग होगी सदस्यों की, वहां पर आपके सुझाव लेकर सब जगह केन्द्रों की संख्या बढ़ाएंगे, मंडियों में कांटों की संख्या बढ़ाएंगे और ये जो सावे आ रहे हैं, लोगों को पैसों की जरूरत है, सब एक साथ माल लेकर आ रहे हैं। अब लोगों को धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, कोई मशीन तो हैं नहीं, जो फटाफट उनको तौल करके, फटाफट उनको ले लें। किसानों को भी धैर्य रखना पड़ेगा। केन्द्रों की संख्या बढ़ाएंगे और किसान को उसकी उपज का बोनस पहली बार, राजस्थान में पहली बार, अभी पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, बोल रहे हैं, आप विराजें तो सही।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, किसानों के प्रति डाक्टर साहब ने जो चिंता जाहिर की है, निश्चित तौर वाकई चिंताजनक स्थिति है। सरकार द्वारा, इसमें दिन-ब-दिन सुधार होता जा रहा है, नए-नए केन्द्र खुलते जा रहे हैं, नई-नई जगहें तलाश की जा रही हैं जहां पर कि भण्डारण हो। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास कोई किसान मरीज बनकर के आ जाए तो आप कन्सेशन कितना करते हो अपनी फीस में? 500 रुपए धरवा लेते हो आप।

श्री सभापति: श्री जगसीराम कोली।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, इस विषय को डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। माननीय धारीवाल साहब, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी का जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के कारण से किसान उचित चिंतित है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और हम इसको नहीं रख सकते। अब अगर केन्द्रीय मंत्री यह कहें कि हम नहीं रख सकते तो किसान तो वह कोशिश करता है कि कब गेहूं कटे, कब बाजार में जाए और कब उसका पैसा मिले, और उसको जब यह सूचना मिले कि वह रख नहीं सकते हैं तो यह बहुत गलत बात है।

इसलिए मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप भारत सरकार से बातचीत करें, आप राजस्थान सरकार की व्यवस्था करें और 100 रुपए मिलने की व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय शरद पवारजी का जो स्टेटमेंट आया है, यह स्टेटमेंट किसानों में बेचैनी पैदा करने वाला है। हम चाहेंगे कि आप इसके लिए लिखें। और केन्द्र सरकार का यह जो रवैया राजस्थान के प्रति है, वह अधिक से अधिक खरीद केन्द्र हरियाणा में रखना

(13.00 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहती है, मध्य प्रदेश में रखना चाहती है, क्योंकि राजस्थान में आज तक 13 लाख से ज्यादा गेहूं कभी आया नहीं क्योंकि हम 100 रुपये बोनस देते ही नहीं थे। पहली बार बोनस दिया जा रहा है तो 20 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं आने की सम्भावना है। इसलिए भारत सरकार को भी आपको आग्रह करना पड़ेगा। बाजार में 1,100 के भाव में जा रहा है, इसमें कुछ मिलता ही नहीं है ईमानदारी से। थोड़े दिनों में वह गेहूं का उत्पादन करना ही छोड़ देगा। वह इसलिए कर रहा है कि कैसे न कैसे उसका काम चले।

इसलिए आपसे आग्रह है, आपकी सहानुभूति है, यह मैं कहता हूं लेकिन भारत सरकार के मंत्री का जो स्टेटमेंट है, वह राजस्थान के हित के खिलाफ है। इसलिए, सभापति महोदय, इस मांग पर कि राजस्थान के किसानों का सारा का सारा आने वाले दस-पांच दिन में सरकार खरीद की व्यवस्था करे, भारत सरकार से व्यवस्था करे, बोनस पर ले और माननीय शरद पवार जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका हम विरोध करते हैं और किसानों के हित में कुछ समय के लिए सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति: श्री जगसीराम कोली।

(अनपुस्थित)

श्री अमराराम जी।

सार्वजनिक व राजकीय उपयोग के जीर्ण-शीर्ण भवन

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नाड़ाजोड़ी, पीपराली का कक्षा कक्ष ...

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): आप किसानों के हितैषी नहीं हैं क्या?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हित में तो मैं हूं ही, 300 का नुकसान हो रहा है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): वे सब गये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वे हितैषी हैं वैसे, मैं जानता हूं, कैसे हितैषी हैं।

सभापति महोदय, यह तो संयोग ही था कि जिस वक्त यह कक्षा कक्ष गिरा उस वक्त बच्चे उसके अन्दर नहीं थे लेकिन इस तरह से हमारे माध्यमिक विद्यालय का कक्ष गिरना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सीकर में ऐसे अनेकों विद्यालयों के भवन हैं जिनको सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कह दिया कि ये आज भी बैठने के लायक नहीं हैं, कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए यह जो घटना हुई है, दुर्घटना नहीं हो पायी इसके लिए तो हम खुशकिस्मत हैं लेकिन इस तरह की तमाम स्कूलें हैं, निश्चित रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग से जांच करवायी जाए और ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हों, इसलिए ऐसे विद्यालयों के भवनों को गिरा करके नये विद्यालय भवन बनाने का काम करें।

दीनपुर का आयुर्वेदिक औषधालय, जिसका आधा हिस्सा गिर चुका है और आधे हिस्से में आयुर्वेद के वैद्य, कम्पाउण्डर रहते हैं और लोग आते हैं। तो उस भवन को भी गिराकर नया भवन बनाएं वरना कभी भी हादसा हो सकता है कर्मचारियों के साथ और दिखाने के लिए आने वाले पेशेंटों के साथ। इसलिए जो भी सार्वजनिक भवन हैं, विद्यालय और औषधालय जहां गिरने लायक हैं, उनको ठीक कराने का काम करें।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

जयपुर से अपहृत बच्ची की सकुशल वापसी

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय जी, सबसे पहले तो मैं सदन को सूचित कर दूं कि जयपुर में आज सुबह साढ़े छह, सात बजे एक एडवोकेट बृजेश शर्मा की तीन वर्ष की बच्ची को कुछ लोग उठा कर ले गये थे और वे लगातार फोन कर रहे थे कि हम बच्ची का गला काट देंगे, आप हमको 25 लाख रुपये दें। वह बच्ची बरामद हो गयी और सकुशल अपने घर पर पहुंच गयी और पुलिस अभी एक घंटे में सारी बात भी खोल देगी। यह जयपुर के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ा चैलेंज था, सारा जयपुर हिला हुआ था, एक बच्ची को पहली बार ऐसे घर में घुस कर ले गये।

जयपुर शहर में फोगिंग

सभापति महोदय, एक मैं आपके जरिए निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर की बड़ी प्राब्लम है, पूरे जयपुर में यह डिमाण्ड उठ रही है, आपके जरिए

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मैं आदरणीय धारीवाल साहब से कहूंगा कि फोगिंग पूरे जयपुर में बंद है। मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हर कालोनी से, नाला बेल्ट से, कच्ची बस्तियों से बड़ी डिमाण्ड है। हम फोगिंग कहीं कर ही नहीं रहे हैं।

मंत्रीजी, आप खुद इस मामले में सारे अधिकारियों की मीटिंग लें, अलग से पैसे का प्रस्ताव करें क्योंकि इस गर्मी के मौसम में बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं और मच्छरों का प्रकोप है। आप यदि फोगिंग करवायेंगे तो उससे जयपुर की जनता को राहत मिलेगी।

पहले फोगिंग होती रही है। इस बार कहीं पर भी फोगिंग हुई नहीं, ना कोई गाड़ियां घूम रही हैं। नगर निगम की हालत यह है कि नगर निगम में फोगिंग की चिंता नहीं है। वहां नगर निगम में बैठे हुए लोग खुद की चिंता ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में, मंत्रीजी, आप खुद नगर निगम के हालात जानते हैं, नगर निगम को यह पावर नहीं देनी है। चाहे किसी और डिपार्टमेंट से कराओ, मेडिकल एण्ड हैल्थ से कराओ लेकिन आप फोगिंग करवाएं, नहीं तो जयपुर में जिस तरह से मच्छर फैल रहे हैं, कभी भी महामारी फैल जायेगी और ऐसे में मैं सदन को सूचित कर रहा हूं, मंत्रीजी, इसके लिए हम जिम्मेदार होंगे।

एक मिनट में मेरी बात खतम कर रहा हूं।

जयपुर में नाले की जमीन पर अतिक्रमण

मैं, आदरणीय सभापति जी, आपके जरिए आदरणीय धारीवाल साहब से कहूंगा, धारीवाल साहब, आप जयपुर के लिए तीन घंटे का दौरा करें, मैं आपके साथ रहूंगा। सरकार को पैसे की प्राब्लम आ रही है। दस हजार करोड़ रुपये की जमीन पर, जो सरकारी जमीनें हैं, कहीं पर तो नीरजा मोदी स्कूल वालों ने कब्जा कर रखा है, कहीं पर एन.बी.सी. वाले ने कब्जा कर रखा है। जमीनें खाली पड़ी हैं और सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, मैं आपको दूर से दिखा दूंगा, सारी खाली पड़ी हैं और आप चाहोगे तो मौके पर ले चलूंगा, कागजों में वे जमीनें सरकारी बोलती हैं। यदि हम इन सरकारी जमीनों को कब्जे में लेकर वहां पर नीलाम करें, पूरा नाला खा गये अमानीशाह का मैं यह कहता हूं, नाले में आप एक भी अतिक्रमण तोड़ें नहीं, सिर्फ जो खाली पड़ी है वहां पर सरकारी बोर्ड लगवा दें जे.डी.ए. के या निगम के या सरकार के कि यह सम्पत्ति सरकारी है। क्योंकि नाले की चौड़ाई 300 मीटर से आपने 150 मीटर कर के जनता को राहत दे दी, अब जो बचा हुआ है उसको तो हम

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बचाएं। मकान एक भी नहीं तोड़ें लेकिन जो खाली पड़ी है वहां लैण्ड माफिया कब्जे कर रहा है।

लैण्ड माफिया चाहे नीरजा मोदी का बड़ा आदमी है, एन.बी.सी. का बिड़ला बहुत बड़ा आदमी है, 10 हजार करोड़ रुपये की जमीनों पर इन लोगों का कब्जा है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्रीजी, मैं एक तो फोगिंग पर, सभापति जी, आपके जरिए एक तो फोगिंग पर निवेदन कराना चाहता हूं कि क्या सरकार मच्छरों का प्रकोप खतम करना चाहती है? सरकारी जमीनों को मुक्त कराना चाहती है? मंत्रीजी, आप आश्वस्त कर दें तो जयपुर के लोगों को, राजस्थान के लोगों को यह उम्मीद बंधेगी कि सरकार कोई भी समस्या हो, उसके लिए तैयार है।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर में वायु एवं जल प्रदूषण के कारण बढ़ रहे रोगों से जनता को परेशानी

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं जोधपुर में वायु, जल प्रदूषण के लिए आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया न।

श्री पेमाराम (धोद): कहां खो गये? ध्यान आकर्षण कर दिया इन्होंने तो।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): आपकी तरफ।

श्री पेमाराम (धोद): प्रश्न तो इधर से आया है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में वायु की गुणवत्ता, मानिटरिंग, इत्यादि 6 स्थानों पर की जा रही है। प्राप्त परिणामों के अनुसार सभी प्रदूषक गैसें निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी हैं किन्तु जो सांस के सम्बन्धित कण हैं, वे निर्धारित मानकों से ज्यादा पाये गये हैं। इन कणों का ज्यादा होना, माननीय

(श्रीमती बीना काक)

सदस्या, एक तो मरु-स्थलीय होने का भी कारण है कि हवा के अन्दर धूल-मिट्टी उड़कर के यह होता है।

वायू प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही तो की जाती है और मैं आपको बताना चाहती हूं कि जोधपुर शहर में कुल 160 एम.एल.डी. सीवरेज की अनुमानित उत्पत्ति होती है जबकि सीवरेट ट्रीटमेंट के अन्तर्गत जो क्षमता है, वह करीब 70 एम.एल.डी. की ही है। इसके साथ ही शेष रहे 90 एम.एल.डी. क्षमता के दो ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाना प्रस्तावित है। लेकिन अब यह नगर निगम के ऊपर है कि वे इनको कब लगवाते हैं।

राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा समस्त सम्बन्धित जिलों को जल, मल के समुचित उपचार अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत डायरेक्शन जारी कर दिये गये हैं।

उद्योगों से प्राप्त होने वाले एफ्लुएंट के उपचार हेतु 20 एम.एल.डी. का संयुक्त उपचार केन्द्र काम कर रहा है। जोधपुर नगर निगम द्वारा झालामन मास्टर सीवरेज जोन की सीवर प्रणाली की मरम्मत, बदलने एवं वर्ष 2044 की जरूरतों के अनुरूप सुदृढ़ीकरण करने हेतु डी.पी.आर. भी बनायी जा रही है। वह भी नगर निगम ने किसी को कहा है, डी.पी.आर. बनाने के लिए।

वर्तमान में कांकाणी, खाराबेरा पुरोहितान एवं नीमला की 576.01 हैक्टेयर निजी भूमि अवाप्तहीन है और इसमें मांग के अनुसार ही वहां पर उद्योग स्थापित किये जायेंगे।

अंत में आपने ध्यान आकर्षित किया है कि शहर में पार्कों तथा सड़कों के किनारे हरियाली विकसित करने का प्रयास 'आफरी' तथा नगर निगम सहित प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उम्मीद की जाती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए तो सब आयेंगे। तो मैं तो आपको निवेदन करना चाहूंगी कि पी पी पी मोड पर भी कोई दानदाता, बड़े हाउसहोल्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंक, इत्यादि भी इन पार्कों को सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए आगे आएं, उनको जो ड्यू रेकोग्निशन देनी चाहिए, वह लगेगी कि फलां-फलां पार्क है, उसको फलां-फलां बैंक के द्वारा या फलां निजी हाउसहोल्ड के द्वारा या किसी एन.जी.ओ. के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं पूछ रही हूं ना।

श्री सभापति: पूछो, पूछो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से बिन्दुवार उत्तर चाहूंगी क्योंकि नहीं तो मेरे थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। शहर की परिवेशीय गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत वायु प्रदूषण के नमूने, मेरे को जो उत्तर दिया गया है, क्षेत्र में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र से लिए जा रहे हैं, जबकि आवासीय क्षेत्र में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड कार्यालय, शास्त्री नगर थाना, महामंदिर व सोजती गेट से लिए जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदया, मेरी बात आप सुनें, खाली चार जगह, जोधपुर क्षेत्र इतना बड़ा है और प्रदूषण के खाली वहीं से नमूने लिए जा रहे हैं। ये अपर्याप्त हैं, जोधपुर के फैलाव को देखते हुए अपर्याप्त हैं। वैसे भी औद्योगिक क्षेत्र में एम्स के सामने वाला क्षेत्र बहुत प्रदूषित रहता है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय के पीछे के क्षेत्र के नमूने लेने से ही सही स्थिति ज्ञात हो सकती है। रहवासीय क्षेत्र में जालौरी गेट, सरदारपुरा, बी सी रोड क्षेत्र, त्रिपोलिया, कंदोई बाजार क्षेत्र, नागौरी गेट, पावटा क्षेत्र, बाम्बे मोटर चौराहा, पांचवीं रोड चौराहा क्षेत्र के नमूने वास्तविक स्थिति बता सकते हैं। अगर यहां से ये लेवें तो इनको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि यहां कैसे हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, वैसे भी मानिटरिंग रिपोर्ट में यह माना गया है कि श्वसनीय निलम्बित विविक्त कणों की मात्रा पर्यावरण अधिनियम के मानकों से कहीं ज्यादा है। इसके उपरान्त भी सरकार का यह कहना कि यहां केवल तात्कालिक कारण हैं व इससे रोग नहीं होंगे, न केवल घोर लापरवाही का द्योतक है, मेरा आपसे निवेदन है यह कि यह सरकार की आम जनता के प्रति सोच को भी प्रकट करता है। लगता है कि सरकार को आम जन के स्वास्थ्य की कोई चिन्ता नहीं है। सिर्फ इन्होंने चार जगह का बताकर के अपना पल्ला झाड़ दिया कि वहां और कुछ नहीं है। बाकी क्षेत्रों में अगर लेवें तो इनको मालूम पड़ेगा कि प्रदूषण क्या है।

माननीय मंत्री महोदया, एक-एक बिन्दु पढ़कर आप जवाब देंगी या मैं मेरी पूरी बात बता दूं? पूरी बात बता दूं मैं आपको?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): बता दो ना, मैं देख लूंगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, दूसरे नम्बर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पर मेरे को जवाब में यह भी स्वीकार किया गया कि जोधपुर में उत्पन्न 160 एम एल डी पानी में से केवल 70 एम एल डी पानी को ही ट्रीट किया जा रहा है। तो, माननीय, 160 से 70 एम एल डी पानी लिया जा रहा है तो बाकी का पानी कहां जा रहा है? बाकी का क्या हिसाब है? क्या यह सही नहीं है कि जब एक योजना बनकर कार्य होगा, तब तक इस पानी की मात्रा 160 एम एल डी से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी? इससे यह सिद्ध होता है कि नगर निगम को जोधपुर के नागरिकों के स्वास्थ्य की तो कोई चिन्ता ही नहीं है। उनको तो अपने जो ठेके-वेके दे देते हैं, उनकी ही चिन्ता है।

यह भी सूचना दी गयी कि स्वायत्त शासन विभाग ने दिनांक 3 अगस्त, 2011 को पत्र जारी कर राज्य मण्डल द्वारा जारी किये निर्देशों की पालना छह माह में करने के निर्देश दिये। मुझे सूचना दी जा रही है तब तो छह माह व्यतीत हो चुके हैं। अतः यह जान-बूझकर सदस्य से सूचना छिपाने की श्रेणी में आता है और अधिकारियों द्वारा सदन के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। नगर निगम इस तरह से करेगी तो कैसे होगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह भी जानकारी चाहूंगी कि शहर के कई क्षेत्रों में सीवर प्रणाली नहीं होने के बाबत भी बात स्वीकार की गई है। सांगरिया क्षेत्र में स्थापित जल उपचार संयंत्र 20 एम एल डी क्षमता का है परन्तु इस क्षेत्र में किस क्षमता के संयंत्र की आवश्यकता है उसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार अधूरी जानकारी देकर इस सदन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है तथा यह भी स्पष्ट करता है कि इस सरकार को आम जन के स्वास्थ्य की कोई चिन्ता नहीं है।

इसी के साथ यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि भैरव भाकर, खेमा का कुआ, शोभावतों की ढाणी, मुख्य नाले का विस्तार जोजरी नदी तक नहीं होने से इसका गंदा पानी शोभावतों की ढाणी के बाद डरबी टैक्सटाइल के आसपास फैलता है। माननीय मंत्री महोदया, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि यह शोभावतों की ढाणी, डरबी टैक्सटाइल के पास जो पानी इकट्ठा होता है, उसको वहां के अधिकारी भी सब मेरे साथ देखने गये हैं और वे खुद भी देखकर चकित हुए कि यहां इतनी गंदगी और ऐसा पानी है मगर उन्होंने भी किया कुछ नहीं है। अगर वे इस समस्या का समाधान कर देते तो आज यहां विधान सभा तक यह बात नहीं आती।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

आप जानकर आश्चर्य करेंगे मेरे स्वयं के द्वारा दो दर्जन से अधिक स्मरण पत्र प्रेषित करने और राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के नोटिस पर स्वयं राज्य के मुख्य सचिव द्वारा लिखित आश्वासन देने के बावजूद गत एक वर्ष से अधिक समय से इस 8 से 10 किलोमीटर परिधि में फैले सीवरेज को, अगर आप यह कह दो कि यह सागर है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जोजरी नदी के पास ट्रीटमेंट प्लाण्ट तक पहुंचाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की गयी। इनका यह था कि जोजरी नदी में ट्रीटमेंट प्लाण्ट बनाकर वहां पर इस पानी को कर दो, तो आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब विधान सभा में भी केवल समस्या की स्वीकारोक्ति की गयी है, समाधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह जानने के बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया है।

इसके आगे की छह पंक्तियों में स्पष्ट रूप से माना गया है, जोधपुर में अनुपचारित सीवरेज जल से सब्जियां, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह कहूंगी कि नगर निगम ने खुद ने माना है इस बात को कि सीवरेज जल से सब्जियां, खाद्यान्न एवं चारा उगाया जाता है; गंदे पानी से, सीवर के गंदे पानी से सब्जियां बनती हैं परन्तु समाधान के नाम पर केवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की व्यवस्था हो जाने का तथ्य अंकित कर अनिश्चित भविष्यकाल की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। सब्जियां लाते हैं दुकान से, अब क्या मालूम पड़ता है कि सब्जियां कहां की हैं मगर वह गंदे पानी और गटर के पानी की सब्जियां नगर निगम इसको करती है और करके बेचती है। जिस शहर में रोज गंदे पानी से सब्जियां और अन्य खाद्यान्न उत्पन्न होने से आम नागरिक गम्भीरतम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि आज यह गोभी की सब्जी खाई तो ऐसे हो गया, हमारे पेट में दर्द हो गया क्यूं हो गया; जब पता चला कि यहां गन्दे पानी की सब्जियां, लगातार जिसके सचित्र समाचार अखबारों में पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। आज भी समाधान की केवल सम्भावना ही व्यक्त की जा रही है।

क्या इस अविलम्बनीय महत्व के जन स्वास्थ्य के विषय पर सरकार प्रभावी कार्यवाही...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं मेरी बात नहीं कहूंगी तो फिर क्या कहूंगी?

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सारी बात आ गयी?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सब बात कैसे आ गयी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, प्रश्न ही तो पूछ रही हूं। जो इन्होंने जवाब दिया है, उसका मैं उत्तर बता रही हूं कि यह जवाब है।

श्री सभापति: कब से हो रहा है वैसे? ताजा-ताजा हुआ है या ... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पांच मिनट ही तो हुए हैं। कहां आधा घण्टा हो गया? दस मिनट ही नहीं हुए। मेरी बात तो कहूंगी ।

श्री सभापति: हां, हां, बोलो। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं मेरी बात ही तो बता रही हूं ना। मैं कौनसी दूसरी बात बता रही हूं? (व्यवधान) आप ऐसे गड़बड़ी मत करो। मैं फिर एकदम इधर-उधर हो जाती हूं। मेरे को मेरी बात ही नहीं कहने दोगे। कोई भगवान की कृपा से तो यह लगा है ध्यानाकर्षण और मैं तो म्हारी भाषा में बोलणो चाहूं हूं जिको भी आप ...

श्री सभापति: मंत्रीजी बहुत गहनता से आपकी बात सुन रहे हैं, वे जवाब दे देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं, ऐसे सुनने से थोड़े ही होगा। मैंने रात को इतना बैठकर सारा देखा है। मेरी मेहनत पर आप तो पाणी फेर दियो सारो।

माननीय सभापति महोदय, धवा-डोली-कल्याणपुर में महीनों चला आन्दोलन, वहां पर महीने भर आन्दोलन चला। उद्योगों के खतरनाक उच्छिष्ट जल से सीवरेज जल मिलकर क्षेत्र में किसानों की हजारों बीघा भूमि को बंजर करता हुआ जोधपुर से साठ किलोमीटर दूर तक पहुंचा। मेरे मूल प्रस्ताव के बिन्दु संख्या चार पर भी जवाब ही नहीं दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरी बात को इनको कहने दो। यहां समस्या का तो उल्लेख ही नहीं किया गया है। आन्दोलन इतना उग्र हुआ था सम्भागीय आयुक्त तक को, स्वयं को वहां मौका मुआयना करना पड़ा। मुख्य मंत्रीजी को व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर आन्दोलनकारियों को समझाना पड़ा था। मूल समस्या को उपलब्ध संसाधनों के कागजी आंकड़ों में छुपाकर संयंत्र के यथार्थ संचालन में की जा रही विभागीय पर्यवेक्षण कमियों पर पर्दा डाला गया है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बालोतरा एवं पाली स्थित वस्त्र उद्योगों द्वारा अवैध इकाइयों के माध्यम से धुलाई का काम किये जाने से सम्बन्धित कोई अधिकृत जानकारी नहीं होने का तथ्य अंकित कर नीचे एक ही सारिणी में गत 5 वर्षों में 96 इकाइयों के विरुद्ध नोटिस जारी करने की जानकारी देना अत्यन्त हास्यास्पद है। जानकारी दे दी कि हमने इतना किया है। एक साथ दो विरोधाभासी तथ्य अंकित किये गये हैं। सारिणी में दिये गये प्रकरणों की संख्या अधिकृत जानकारी नहीं होने के तथ्य के विपरीत है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही केवल खानापूर्ति की है। इसमें विभागीय कार्य पद्धति की अक्षमता उजागर होती है। विभाग तो यह प्रस्ताव कर सकता था कि जोजरी नदी के किनारे टैक्सटाइल इकाइयों के लिये अलग जोन बनाकर एक अलग सीवरेज प्लाण्ट लगाकर समस्या का स्थायी समाधान किया जावे परन्तु विभाग वास्तविकता को छिपाने पर आमादा है।

नगर निगम के नालों की सफाई के विशाल राशि के ठेके तो प्रति वर्ष होते हैं, परन्तु ठेकों से कार्य नहीं होता है। यही कारण है कि जोधपुर के लगभग सभी नाले वर्ष पर्यन्त गन्दगी से अटे पड़े रहते हैं। ये ठेके केवल मात्र चाहे भ्रष्टाचार कहो, अनियमितता कहो, कुछ भी कह दो, गत 2 वर्षों से लगातार दो बालकों की इन्हीं नालों में गिरने से मृत्यु रिपोर्ट मंगाकर तथ्य की असत्यता प्रमाणित की जा सकती है।

इस बिन्दु में उल्लेखित डी पी आर तैयार करने का काम कभी न खतम होने वाला काम सिद्ध हो रहा है। अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विभिन्न वार्डों के लम्बे-चौड़े सीवरेज-विहीन क्षेत्रों में सीवरेज लाइन बिछाने के तीन दर्जन से अधिक पत्रों पर 3 वर्षों से इसी डी पी आर तैयार होने के बहाने से कार्य अटकाया जा रहा है।

मंत्री महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है, सबसे पहले तो आप कब तक गन्दी सब्जियों पर पाबन्दी लगवा देंगे और क्या व्यवस्था करेंगे ? भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप कब तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगा दिये जायेंगे? जोधपुर में वायु शुद्धीकरण, नगरीय वनीकरण और वन भूमि को वनाच्छादित करने और कारखानों पर प्रभावी नियंत्रण कब तक कर लिया जायेगा? डरबी टैक्सटाइल नाले को कब तक जोजरी नदी के सीवरेज प्लाण्ट से जोड़ दिया जायेगा? जोधपुरवासियों को कब तक गन्दे पानी की सब्जियों से मुक्ति मिल जायेगी?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि जोधपुर के अन्दर एक मंडलनाथ स्थान है, वहां गुंजन नाम से एक फैक्टरी है, केमिकल की फैक्टरी है, दो-तीन वहां ऐसे हादसे हो चुके हैं, फिर भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। खारा पानी पीला हो जाता है और वहां के गांवों के वह काम आ रहा है। क्योंकि केमिकल फैक्टरी है तो प्रदूषण होता है, फिर भी आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रदूषण की एन ओ सी भी उनको 2 साल से नहीं दी गयी है, लेकिन वे काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कई आपको मिलेंगे जो फैक्टरी में होने लायक नहीं हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी मगर मैं आपसे कहना चाहूंगी, यह स्थिति है।

सबसे बड़ी मेरी आपसे मांग है कि सब्जियों को गन्दे पानी से मुक्त कर दो। दूसरा, बासती बस्ती में नाले को जोजरी नदी से जोड़ना। ये कुछ बातें...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या मैं तो...

श्री सभापति: एक ही बात को आप बार-बार रिपीट कर रही हो, माननीय सदस्या। अब तो विराजो आप। आप सबसे बुजुर्ग हो, वरिष्ठ हो, विराजो आप। मंत्री महोदया। अब वे सारे जवाब दे देंगी आपको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मेरी बात को आप बोलने ही नहीं दोगे तो क्या बोलूंगी मैं?

श्री सभापति: अब वह बात तो कह दी ना आपने सारी की सारी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नगर के मुख्य चौराहे, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी बात कहना चाहूंगी...

श्री सभापति: सारी बात आपने कह दी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं चाहती हूं कि मुख्य चौराहों, सड़कों, दुकानों की छतों पर अगर अपन कुछ पेड़-पौधे लगाने की व्यवस्था करें तो प्रदूषण कम हो सकता है। मैंने देखा, सारे पार्क कचरे से भरे हुए हैं। तो करीब डेढ़ करोड़ रुपये मेरे फण्ड से देकर मैंने पार्क ठीक कराए हैं। फिर भी अभी नहीं हुए हैं। सूरसागर में हाउसिंग बोर्ड स्कीम में इतने बड़े-बड़े पार्क हैं, स्कीम भले आदमी ने सोच-समझकर बनायी होगी, पार्क तो बहुत सुन्दर बनाये हैं, मगर व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले पार्क ठीक करवाकर पौधे

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

लगवाए हैं। उससे प्रदूषण में काफी फर्क पड़ता है। नगरीय विकास वन भूमि पर भी सार्वजनिक पार्कों के विकास करने, गन्दे पानी से मुक्ति दिलाने और गन्दे पानी की सब्जियों से मुक्ति दिलाने के लिये मैं आपसे निवेदन कर रही हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया और मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदया मेरी इन सभी बातों का उत्तर दें, जानकारी दें।

श्री सभापति: आपका भी इसी से सम्बन्धित है?

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): बिलकुल इसी से सम्बन्धित है और मैं भी जोधपुर से ही हूं...

श्री सभापति: आप भी बोल दो, फिर साथ ही जवाब दे देंगे। आप बोलें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): हां, ठीक है, इसीलिये निवेदन कर रहा हूं। जोधपुर, पाली और बालोतरा वस्त्र उद्योग के मेन सेण्टर्स हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से जब वे कपड़ा मंत्री थे तो इन तीनों क्षेत्रों में टैक्सटाइल पर बड़ी भारी छूट, कम्पाउंड ड्यू टी पी आर सिस्टम चालू करवा दिया गया। जोधपुर और पाली में तो आज उद्योग चल रहे हैं परन्तु बालोतरा में उद्योग बन्द हैं पिछले एक साल से।

श्री सभापति: जोधपुर का मामला है, माननीय सदस्य। आपने न कोई यहां पर पहले इन्फोर्मेशन दी। आप कहां वहां बालोतरा पहुंच गये, जोधपुर का मामला है।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मेरा निवेदन सुनिये, मैं जोधपुर का ही कह रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्रीजी से मेरा जवाब दिलाएं।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): बालोतरा के सारे यूनिट जोधपुर आ रहे हैं।

श्री सभापति: चलो, ठीक है। आप विराज जाओ अब।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): दूसरा, प्रदूषण के लिये...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मेरा जवाब दिलाओ मंत्रीजी से। मुझे जवाब दिलवाओ इनसे। मेरा जवाब दिलवाओ, फिर आप करते रहना।

श्री सभापति: हां, इनको तो बैठाओ आप। अब आप विराजो, माननीय सदस्या...

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): वायु प्रदूषण को रोकने के लिये करीबन साढ़े 3 किलोमीटर का बनना बहुत आवश्यक है...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरा पहले मंत्री महोदय से जवाब दिलाओ। यह क्या बात हुई? मेरा जवाब दो।

श्री सभापति: आप विराजो। अब आप विराजो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं मंत्री महोदय से इन सारे...

श्री सभापति: हां, दे रहे हैं। हां, दे रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं बोल दूं, मेरी सारी बातों का मैं जवाब चाहती हूं।

श्री सभापति: एक मिनट, इनका जवाब आ जाने दो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जवाब इसी में आ जायेंगे।

श्री सभापति: बात फिर वही होगी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, इन्हीं की बातों का क्योंकि उद्योग का दायित्व मेरे पास रहा है।

मंत्री महोदया, टैक्सटाइल उद्योग में जो एफलुएंट ट्रीटमेंट की जहां पर आवश्यकता पड़ती है, उसकी अगर हैपहेहैजर्ड ग्रोथ होगी सरकार, अभी तक अपने पास इनेबलिंग क्लाज नहीं है कि यहां पर नहीं लग सकता। लगभग 300 उद्योग ऐसे टैक्सटाइल से सम्बन्धित लग गये हैं जो कामन ट्रीटमेंट प्लाण्ट की एसोसिएशन बनी है और कामन ट्रीटमेंट प्लाण्ट जो जोधपुर में है, उसकी कनेक्टिविटी हो नहीं सकती, पासिबल नहीं है टेरेन के कारण। वह बिना परमिशन के उस हिसाब से कर लिया। तो उसमें कुछ प्रोविजन ऐसा हो जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, बिना ट्रीटमेंट प्लाण्ट की कनेक्टिविटी के उद्योग...

अभी माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे थे कि बालोतरा में जितने उद्योग बन्द हो रहे हैं, वे बिना किसी, पहले तो यहां पर जाब वर्क कराते थे, अब जाब वर्क भी वहां पर एसोसिएशन के बन्द कर दिया। तो उन्होंने वहां पर प्लाण्ट लगा लिये हैं। वह सारा पानी जाता है 60-60 किलोमीटर दूर तक। इस कारण से यह प्रोब्लम ज्यादा है।

श्री सभापति: मंत्रीजी।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह हमारे सबसे लाडले एम एल ए साहब हैं, इन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात को रखा है और हर सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान वे देते हैं।

माननीय सदस्या ने सबसे पहले कहा था कि जो सैम्पल लिये गये, मैं समझ सकती हूं कि सोजती गेट इलाके का लिया गया, चौपासनी और उधर के इलाकों का नहीं लिया गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में ही नमूनों को प्राप्त करने के जो स्थान हैं, वे कम हैं काफी। इस वजह से वह एक जगह का लिया गया, बाकी का नहीं। धीरे-धीरे राज्य में इनके स्टेशंस भी बढ़ाये जा रहे हैं ताकि वृहद् रूप से सैम्पल इकट्ठे किये जाएं कि कहां पर कितना पोल्यूशन हो रहा है, उसकी व्यवस्था की जा रही है।

बाकी जो, आपने जितने भी पाइंटस कहे हैं, उनको मैंने नोट किया है। मैं प्रोसीडिंग्स, क्योंकि कोई चूक न जाए और विभाग से आपको उनका जवाब तो दिलवा दूंगी। औद्योगिक जो एफलुएंट है, उसको उपचारित करने हेतु सी ई टी पी की वर्तमान में क्षमता पर्याप्त है। सी ई टी पी का संचालन और दुरुस्त करने के लिये राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने, जैसा कि मैंने कहा है, निर्देश दे दिये गये हैं और जो अनुपचारित, अनट्रीटेड जो पानी है, उसको सब्जियां उगाने के काम में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन यह व्यवस्था तो अब नगर निगम को करनी होगी कि वे उसको काम में ना लें। दुनिया भर के अन्दर आजकल उपचारित जल का उपयोग खेती वगैरह के काम में तो लिया जाता है लेकिन यह खराब पानी ना जाये, इसको देखना चाहिए। सीवरेज प्लांट केवल सीवरेज को ही उपचारित करेगा। जोधपुर की जो मूल समस्या है, वह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की ही है। इसलिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना अत्यन्त आवश्यक है। यह जो सब चीजें हैं, ये नगर निगम से सम्बन्धित हैं। हम लोग भी एक मीटिंग करवाकर के इसको फेसिलिटेट करने के लिए प्रयास करेंगे।

बाकी के जो आपके पाइंट हैं, स्पेसिफिक जो प्वाइंट हैं, उनका मैं जवाब दिलवा दूंगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय मंत्री महोदया... (व्यवधान) एक तो पानी के जो सैम्पल लिये थे, वे कितने पास हुए और कितने फेल हुए? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अनट्रीटेड वाटर का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रुकवा देंगे तो समस्या का समाधान हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोल दिया ना, सारा उत्तर दे दिया। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मेरी बात भी पूछने दोगे कि नहीं दोगे? (व्यवधान) पानी के सैम्पल कितने पास हुए और कितने फेल हुए, मैं तो यह दो जानकारी चाहूंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदया, आप अलग से इनको बुलाकर के इन्होंने जो विस्तारित प्रश्न पूछे हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): एक इन्होंने जो चिमनियां लगायी हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): जो भी सैम्पल लिये, उसमें से कितने पास हुए, वह अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। मैंने कहा, आपके हर स्पेसिफिक क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूंगी। अभी मेरे पास नहीं है कि कितने पास हुए और कितने फेल हुए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय मंत्री महोदया, जब इन्होंने ये उत्तर दिया कि हमने ये चिमनियां लगाई हैं, तो कितनी चिमनियां लगायी हैं? कहां-कहां लगायीं? यह भी जानकारी आपके पास नहीं है क्या?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): यह सब मैं आपको भिजवा दूंगी ना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): फिर तो मतलब ही क्या हुआ?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): मैं जवाब भिजवा दूंगी, आप मेरे पर इतना तो करें। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आपने नहीं बताया, आपने गुंजन फैक्टरी का नहीं बताया, किसी का नहीं बताया आपने।

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरे को सारी जानकारी तो देते कम से कम।

श्री सभापति: अब आप विराजो। श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

विद्यालयों में मिड-डे मील विभागीय मापदण्ड के अनुसार नहीं

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मिड-डे मील कार्यक्रम के संदर्भ में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, भारत सरकार ने मिड-डे मील को 15 अगस्त, 1995 को प्रारम्भ किया। 2004 में इस मिड-डे मील को मैनुअल आधारित प्रारम्भ किया गया। इसके बाद समय-समय पर कुछ परिवर्तन करते रहे। वर्तमान में मिड-डे मील 2010 के अन्तर्गत इस कार्य को पूरे राज्य में संचालित किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मिड-डे मील में वर्तमान में 79,845 विभिन्न विद्यालयों में भोजन दिया जा रहा है। विद्यार्थियों की संख्या 73.41 लाख है। विद्यालय स्तर पर एस एम सी के माध्यम से भोजन पकाया जा रहा है। महिला सहायता समूह द्वारा राज्य के 3 प्रतिशत विद्यालयों में कार्य किया जा रहा है। राज्य में 20 केन्द्रीयकृत रसोई घर के माध्यम से राज्य का 10 प्रतिशत भोजन बनता है। एन जी ओ द्वारा प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी 1 रुपया अलग से लगाया जा रहा है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 2.89 रुपया एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 4.33 रुपया प्रति छात्र, प्रति भोजन दिया जा रहा है। खाद्यान्न भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के विभिन्न जिलों में जिला रसद अधिकारी की देखरेख में सप्लाई की जा रही है।

सभापति महोदय, राज्य में कुछ एन जी ओ की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। हमारे जन-प्रतिनिधि और अन्य किसी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर उन एन जी ओ से भी हमने करीबन सवा करोड़ रुपया अच्छा काम नहीं करने पर वसूल किया है। बच्चों को प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति दिन प्रति छात्र और उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र उपलब्ध कराया जा रहा है। उसकी राशि भी 75 और 25 के हिसाब से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त हो रही है। राज्य में कुक-कम-हेल्पर करीबन सवा लाख मैनपावर हमारे यहां काम कर रही है। उसके अन्दर प्रत्येक हेल्पर को हम प्रति माह 1 हजार रुपया मानदेय के रुप में दे रहे हैं, जिनमें 90 प्रतिशत हमारी महिलाएं कार्यरत हैं। 20 केन्द्रीयकृत रसोई घर से 8 हजार विद्यालयों में 7.50 लाख विद्यार्थियों को भोजन दिया जा रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं पिछले तीन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सत्र से बराबर इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि मिड्‌डे मील जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि बच्चों के ठहराव और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से बहुत ही उपयोगी योजना है, 75-25 के हिसाब से केन्द्र से सहायता भी हमें इस बारे में मिल रही है लेकिन मुझे यह कहना है कि इस डिपार्टमेंट में कोई ठीक तरह से मानिटरिंग नहीं करता है और ना कोई देखने की कोशिश करता है।

सभापति महोदय, यह जो आपकी 15.04.2009 को गाइडलाइंस जारी हुई थीं, उसमें लिखा गया है कि फल सप्ताह में दो दिन मिलेगा; मिठाई एक दिन मिलेगी; सप्ताह में दो दिन विभागीय भोजन के साथ एक अन्य आइटम, उदाहरणार्थ दाल रोटी के साथ गुलाब जामुन; केन्द्रीय रसोई घर में बनाया जाने वाला भोजन पहले केन्द्रीय रसोई घर संचालनकर्ता द्वारा चखकर, उसके बाद ही विद्यालयों के लिए निकाला जायेगा; भोजन उच्च गुणवत्ता युक्त हो एवं भोजन की गुणवत्ता को बनाये रखा जाना आवश्यक है। ये गाइडलाइंस आपकी 15.04.2009 की थीं। उसके बाद फिर आपने एक डायरेक्शन जारी किया 22.01.2010 को, उसमें आपने व्यवस्था की कि सोमवार को रोटी, सब्जी, चावल मिलेगा; मंगलवार को रोटी, दाल, चावल और मीठा मिलेगा; बुधवार को रोटी, दाल और यह मिलेगा; गुरुवार को यह मिलेगा, शुक्रवार को यह मिलेगा; शनिवार को यह मिलेगा, सब दिनों में क्या-क्या आइटम मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं विशेषकर के जो ध्यान केन्द्रित कर रहा हूं, वह केन्द्रीय रसोई घर जो हैं, जो बड़ी-बड़ी एजेंसियों के द्वारा चल रही है। उसमें जिस प्रकार का भ्रष्टाचार ने कदम रख दिया है, इसको देखने की जरूरत है। वह जो एक महिला बनाती है और बांटती है, उसमें अगर छोटा-मोटा होगा भी तो उसके बच्चे रोटी खा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जहां हम 7 लाख से ज्यादा बच्चों को रोजाना भोजन दे रहे हैं, जहां अपना सबसे बड़ा खर्चा हो रहा है, जिनको हमने जमीन फ्री दी, उनको सेट-अप करने के लिए भी लगभग 25 करोड़ रुपये का सामान और उनके बर्तन खरीदने के लिए हमने सहयोग किया, उसकी वापस रिकवरी भी, जिनको इतनी मदद की; उनके बारे में मेरा विशेष आग्रह है।

सभापति महोदय, यह आपका आदेश था और इसमें भी था कि आपको सप्ताह में दो दिन फल मिलेगा। अब यह आपका 22.01.2010 का आदेश है और यह आपके मिड-डे मील कार्यक्रम 2010 दिशा-निर्देश, इस दिशा-निर्देश में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी आपने लिखा है कि सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना आवश्यक है। लेकिन यह कहीं दिया नहीं जाता है। अगर नहीं दिया जाता है तो आपकी गाइडलाइंस यह बताती है कि उसमें 10 परसेंट कटौती की जाये, पहले चांस में; अगर उसके बाद भी वह नहीं सुधरता है तो 25 परसेंट तक की कटौती उसमें होनी चाहिए। लेकिन इसको कोई भी देख नहीं रहा है।

सभापति महोदय, मैं केवल उदयपुर का बता रहा हूं। मैंने सारे क्वेश्चन के माध्यम से जवाब लिया और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2009 से लगातार प्रयत्न करने के बाद भी कोई इन संस्थाओं पर एक्शन करने के लिए, जैसे कि बड़ी पुण्यात्मा आयी है, ऐसे हमारे दिमाग में है कि जैसे कोई हिन्दुस्तान में ऐसे धर्मात्मा ही पैदा हुए हैं, धर्मात्मा के चक्कर में हमारे साथ, हमारे और हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। यह मेरा एक विधान सभा का प्रश्न था 443 संख्या में, यह मैंने केवल उदयपुर के लिए पूछा था। उदयपुर में 2008-09 में यह जो सारे साल भर में बच्चों ने भोजन किया, उनका लक्ष्य था 7 करोड़ 2 लाख, उसके अगेंस्ट में कितने बच्चों ने भोजन किया, 4 करोड़ 43 लाख ने। 7 करोड़ का हमारा लक्ष्य था उसके अगेंस्ट में 2008-09 में, आपका ही जवाब है मेरा नहीं है, प्रश्न का जवाब भी आपका ही है, 4.43 करोड़ बच्चों ने किया। 2009-10 में आपका लक्ष्य था 6.68, उसके अगेंस्ट में किया है 4.15 । इसके बाद आपका 2010-11 में आपका है 5.09 करोड़ और उसके बाद बच्चों ने जिन्होंने भोजन किया वह 3.18 करोड़ है। इसका मतलब जो लक्ष्य आपने दे रखा है और उसके अगेंस्ट में जिन बच्चों ने भोजन किया, इसको तो कोई देखे। हमने बच्चों की संख्या के आधार पर पेमेंट किया है या लक्ष्य के आधार पर इनका पेमेंट हो गया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर लक्ष्य दे दिया तो? मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि इस मिड-डे मील में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है।

यह भी मैंने आपके कमिश्नर, मिड-डे मील के यहां से सूचना-के-अधिकार के तहत जो आंकड़े प्राप्त किए थे, उनके अनुसार बता रहा हूं। वर्ष 2005-06 में 1 करोड़ बच्चों को मिड-डे मील मिलता था, दोनों तरह, पहली से लेकर पांचवीं और छठी से लेकर आठवीं तक। उसके बाद वर्ष 2006-07 में यह हो गया 79 लाख; उसके बाद वर्ष 2007-08 में 63 लाख; उसके बाद वर्ष 2008-09 में 62 लाख; और उसके बाद वर्ष 2009-10 में 58.55 लाख; उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बाद वर्ष 2010-11 में, यह जो आपने मुझे किताब दी है उसमें से निकालकर लाया हूं, यह 69.6 लाख बच्चे ले रहे हैं; और वर्ष 2011-12 में 71 लाख बच्चों का आपका जो नामांकन है, इस नामांकन के आधार पर इन संस्थाओं को पेमेंट किया जा रहा है। आपके विभाग के लोग मेरी बात को सुनकर इसको देखने का प्रयास करें कि जितने बच्चों के एडमिशन के आधार पर जितनी संख्या बनी, उसी के आधार पर उनको पेमेंट कर रहे हैं या वास्तव में पेमेंट उनके लक्ष्य के आधार पर उठाकर सरकार को आर्थिक दृष्टि से नुकसान दिया?

माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस है, आपका यह डिपार्टमेंट क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहा है? हम इसकी कमियां क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? आपने एक सर्कुलर निकाल दिया, कार्यक्रम निरीक्षण हेतु मानदण्ड। यह आपका जो आर्डर है, इस आर्डर में पहले निकला था कि जिला कलक्टर, 10 विद्यालयों का महीने में एक बार मासिक निरीक्षण का लक्ष्य, महीने में 10 विद्यालय कलक्टर करेगा, अतिरिक्त कलक्टर 10 करेगा, फिर उप-खण्ड अधिकारी इतने करेगा, इतना-इतना। अब आपने उसमें कुछ चेंज किया है 2010 में, जितने निरीक्षण उनको करने थे उनको आपने आधा कर दिया। जिला कलक्टर महीने में 5 करेगा, अतिरिक्त कलक्टर 5 करेगा, उप-खण्ड अधिकारी 10 करेगा, तहसीलदार इतने करेगा और यह जो आपके कार्यक्रम अधिकारी हैं, वे 5 करेंगे। ये आपके नोर्म्स हैं।

अब आपने मुझे जो जवाब दिया है, उसको देखें आप। मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि कोई वहां देखना भी चाहता है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने यह जो चार्ट दिया है, इस चार्ट में से मैंने निकाला है, जिसमें जीरो। साल भर में एक भी निरीक्षण नहीं हुआ। एक भी निरीक्षण नहीं, सिंगल निरीक्षण! कौन है जिम्मेदार इसका? क्या उस बच्चे को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में जो कुछ जिम्मेदार हैं, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है? यह निरीक्षण, अलवर, जयपुर, जालौर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले ऐसे हैं जिनमें किसी ने भी साल भर में एक भी निरीक्षण नहीं किया है, किसी ने भी। यह मैं अपनी तरफ से नहीं, जो चार्ट आपने मुझे अपने जवाब में दिया है, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के, उसी चार्ट पर मैंने लाइन खींच कर बताया है। ये जिले तो ऐसे हैं जिनमें कलक्टर से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकर ठेठ नीचे तक के अधिकारी ने, किसी ने भी उन विद्यालयों का एक सिंगल निरीक्षण भी नहीं किया। भीलवाड़ा में 9 निरीक्षण हुए, पूरे साल भर में; वे भी किसने किये, कार्यक्रम अधिकारी ने किये। चित्तौड़ में 42 हुए कुल, वे भी कार्यक्रम अधिकारी ने किये। उदयपुर जिले में 44 निरीक्षण जो भी किये, वे केवल मात्र कलक्टर ने किये; बाकी सारा डिपार्टमेंट सो रहा है। कोई इसको देखने को तैयार नहीं है। उसके कारण से ये कमियां जो हम इसमें देख रहे हैं, ये सारी कमियां हमारे प्रोपर निरीक्षण नहीं होने के कारण से, आपके एक बार नहीं, कई बार आपके ध्यान में आया, यह भी एक प्रश्न के जवाब में आपने मुझे दिया है।

अब तक जो केन्द्रीयकृत रसोईघर हैं, जिनमें नंदी फाउण्डेशन है, अक्षय पात्र है, वे बड़े-बड़े दिग्गज लोग हैं, उन्होंने सोचा कि वास्तव में राजस्थान के बच्चों का बहुत भला कर देंगे। पैसा हमारा, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, वे तो केवल एक नाम लेकर आये थे और उसके कारण से उनकी 2009 से जो शिकायतें दर्ज हो रही हैं विभिन्न अखबारों के माध्यम से, जब मैंने प्रश्न पूछा, 27.3.2009 को 'दैनिक भास्कर' में 'किशनगढ़ और अजमेर में पोषाहार में चूहा, 21 बच्चे बीमार।' अभी यह सब सुनने के बाद आप बताना, आपने कार्यवाही क्या की उनके खिलाफ। उसके बाद 1.4.09 को 'दैनिक भास्कर' में 'किशनगढ़, अजमेर में पोषाहार में छिपकली मिली, 9 बच्चे बीमार'; फिर इसके बाद 27.6.09 को राजस्थान पत्रिका में जैसलमेर में विषाक्त भोजन से 30 बालिकाएं बीमार'; इसके बाद फिर 16.7.09 को 'धौलपुर में मिड-डे मील भोजन खाने से 5 बच्चे बीमार', उसके बाद 12.8.09 को फिर जयपुर में पोषाहार खाने से 7 बच्चे बीमार, इसके बाद फिर 18.8.09 को 'डेली न्यूज' में 'पोषाहार खाने से बच्चों की हालत बिगड़ी'। मतलब यह कि यह मेरी नहीं, आपके ही प्रश्नों के जवाब में जो आपने मुझे उत्तर दिया है वह आपके रिकार्ड पर है। इसके बाद में 23.8.09 को अलवर में दूषित भोजन से 56 बीमार; उसके बाद 25.8.09 को किशनगढ़-रेनवाल, जयपुर में पोषाहार में छिपकली, 28 बच्चे बीमार; उसके बाद 'दैनिक भास्कर' में, महुवा, दौसा में पोषाहार में चूहा मिला; उसके बाद पोषाहार में मरा हुआ चूहा 6.9.09; पोषाहार में छिपकली, 15 छात्र बीमार सीकर में; फिर डूंगरपुर में बाटी में जोंक; इसके बाद भीलवाड़ा में बच्चों के पोषाहार में; मतलब एक के बाद एक जब ये 20 शिकायतें आपके दर्ज हुई और 2009 से लेकर शिकायतें दर्ज हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रही हैं, आपने उनके खिलाफ कार्यवाही क्या की? केवल आपने इनको नोटिस दे दिया और किसी स्कूल में अगर किसी जगह किसी भोजन में कोई चीज मिल गई तो सीधा का सीधा संस्था प्रधान को सस्पेण्ड, उसके खिलाफ कार्यवाही। मतलब चूंकि एक स्कूल सम्भालते हैं, उसको तो आप सस्पेण्ड करते हो और जो पूरे के पूरे 7 लाख बच्चों को भोजन बनाकर भेजते हैं, उसमें ये कमियां पाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं।

मुझे तो बहुत अफसोस है। आपको लगता है, आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी कर क्या रहे हैं?

एक आपने कहा था कि हमने कटौती कर दी 10 प्रतिशत, इसमें कमियां पाई गईं। यह मेरे पास एक आर्डर है, यह जयपुर का ही है, फरवरी, 2011 का है; मिड-डे मील, अक्षय पात्र फाउण्डेशन का बकाया बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में आपके अधिकारी लिख रहे हैं, सी ई ओ कि तुम इनका पेमेंट कर दो, आपके सी ई ओ ने। माह अगस्त, 2010 के बिल में फल वितरण नहीं करने से ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 25 प्रतिशत की कटौती की गई, उन्होंने 25 प्रतिशत कटौती कर ली; पहली बार 10 प्रतिशत, फिर 25 प्रतिशत। फिर उसके बाद सेकण्ड, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, झोटवाड़ा ने अप्रैल से जून, 2010 में की गई कटौती का भुगतान संस्था को अभी तक नहीं किया गया है। यह संस्था उसने बनाई। तीसरा है, फल वितरण न करने के कारण माह जनवरी, 2011 में बिलों के भुगतान में 5 से 10 प्रतिशत कटौती की गई। आपके अधिकारी आर्डर क्या देते हैं इसको वापस कि इनका काट लिया, जो आपके नियम थे उनके तहत कमियां पाईं तो उसने काट लिया, उसने इस सम्बन्ध में दिया कि अगस्त, 2010 में संस्था के बिल में 10 प्रतिशत कटौती की गई तो इनके बिलों में से अधिकतम 10 प्रतिशत, वह कटौती की जाए, 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक कटौती नहीं की जाए। इससे पूर्व में भी सभी केन्द्रीयकृत रसोईघरों में भुगतान इसी अनुपात में किए जाने के लिए पत्र लिखकर आपको निवेदन किया है। फिर दूसरा लिखते हैं ''ब्लाक प्रारम्भिक अधिकारी, झोटवाड़ा को निर्देशित किया जाए कि संस्था के माह फरवरी से जून, 2010 में की गई कटौती का पूर्णतः भुगतान कर दिया जाए।'' फिर उसके बाद लिखते हैं कि ''जनवरी माह से प्रायोगिक आधार पर नवीन मैन्यू एवं सप्ताह में एक दिन फल देना अनिवार्य किया, जनवरी से पहले 2 सप्ताह में विद्यालयों में अवकाश रहा था एवं 12 जनवरी को प्रायोगिक मैन्यू

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रारम्भ किया गया था। अतः जनवरी माह में जो राशि कटौती की गई है, वह कटौती नहीं की जाए।'' एक तरफ आपका एक अधिकारी, जो छोटे लेवल का होता है, उसने कमियां पाईं तो उसने कटौती कर दी लेकिन आपके जो बड़े अधिकारी हैं, कोई महावीर मीणा हैं, उपायुक्त, जो आपके हैड आफिस में बैठते हैं। इस संस्था को आब्लाइज करने के लिए...।

मुझे यह बता दो कि ये कमियां 2009 से लेकर अब तक कितनी निकलीं और जितनी संख्या का आपको लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट में कितने बच्चों ने भोजन लिया? यह तो मेरे पास केवल उदयपुर के फिगर हैं, अगर पूरे राजस्थान में जहां 20 स्थानों पर केन्द्रीयकृत रसोईघर चल रहे हैं, इनके और उसके माध्यम से लाखों बच्चों को रोज, अगर इसका साल भर का निकालें तो यह करोड़ों बच्चों को जो भोजन जा रहा है, उनको आप बनाने का पैसा दे रहे हैं, और सभी सामग्री भी उनको आप उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके बाद भी अगर कटौती की तो कितनी की? अभी आपने मुझे जो उत्तर दिया है कि हमने एक करोड़ रुपये की कटौती की है। यह ऐसे ही होगा जैसा पहले मैंने कहा, फिर थोड़े दिन बाद आपके किसी अफसर को जंच जाएगा तो इसकी कटौती बहाल करके लौटा देगा, वह आदेश करेगा और उसका सारा पैसा लौटा देंगे।

मेरा इस प्रश्न के पूछने के पीछे यह मंतव्य है कि इस मिड-डे मील के माध्यम से हम बच्चों को अच्छा भोजन भी दें और स्कूल में बच्चों को रोकने की भी कोशिश करें। 73 लाख बच्चे रोजाना भोजन करते हैं, 73 लाख। साल के हिसाब से यह संख्या करोड़ों में जाती है और अगर हमने थोड़ा सा कट मारा तो ये जो बड़ी संस्थाएं हैं, जो लाखों बच्चों को भोजन पहुंचा रही हैं, यह तो आप कभी जाकर देखें, स्कूल में जाकर देखें, कब तक वह भोजन पहुंचा रहे हैं? तब तक वह भोजन बासने लग जाता है जब तक वह वहां स्कूल में पहुंचता है। पहले 7 बजे बांट दिया, फिर छुट्टी हुई और उसके बाद 10 बजे भोजन करेगा। वह जो भोजन है, किस तरह से पहुंचेगा। उनको नोर्म्स दे रखे हैं कि किस तरह से उनको वहां पात्र रखने पड़ेंगे। एक पात्र वहां रहेगा जहां वह सुरक्षित रहे, फिर वापस जाएगा तो वह पात्र रखेगा और फिर दूसरा पात्र वहां रखेगा, दुबारा ले जाएगा तो वापस। कम से कम उस बच्चे को अच्छा खाना मिले, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कौन इसका पालन कर रहा है, जब आपका देखने वाला, निरीक्षण करने वाला ही कोई व्यक्ति नहीं है? क्या आपने संख्या के आधार पर, बच्चों की उपस्थिति के आधार पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पैसे दिये हैं या लक्ष्य के आधार पर आपने पेमेंट करके करोड़ों, अरबों रुपया वह फोकट का इन संस्थाओं को लुटा दिया? मैं उस पर्टिकुलर विद्यालय के लिए नहीं कह रहा हूं जहां सौ, दो सौ बच्चों जो कोई-कोई विधवा बहन एक हजार रुपये में बना रही है, उसकी पीड़ा तो समझ में आ सकती है, उसकी कमी समझ में आ सकती है पर जहां इस प्रकार का लाखों बच्चों का भोजन रोज तैयार होकर बंटता है, वहां भी अगर आपके अधिकारियों को जाकर चैक करने की फुरसत नहीं है, इसका मतलब सीधा, उन बड़ी-बड़ी संस्थाओं को आप पनाह दे रहे हो और इस कारण से हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकारी पैसे का चूना लग रहा है।

मुझे इस सवाल का जवाब दो कि मैंने यह एक नहीं, पिछले तीन सालों से कोई सत्र ऐसा नहीं गया, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, इन सारी चीजों को लेने का प्रयास किया और यही सारे आंकड़े इकट्ठे करके मैंने आपके सामने रखे हैं। मंत्री महोदय, अगर वास्तव में थोड़ा बहुत ही अगर इन बच्चों के प्रति प्यार भी हो और इनके प्रति अपने मन में कुछ पीड़ा और दर्द भी हो तो निश्चित रूप से ये सारे अधिकारी जिन्होंने स्कूल में गड़बड़ी की तो मास्टर सस्पेंड हो जाता है और आपकी इतनी बड़ी एक तरह से गड़बड़ी हुई, उसके लिए आपने अब तक किस-किस को क्या पनिशमेंट दिया? कृपया बताएं।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे उदयपुर से आने वाले सदस्य साहबान ने बच्चों के जीवन के सम्बन्ध में, सरकारी हो चाहे गैर-सरकारी उन संस्थाओं के द्वारा जो भोजन दिया जा रहा है, उस सम्बन्ध में बहुत चिंता व्यक्त की है। मैं यह बताना चाहूंगा कि बच्चा देश का भविष्य है और हमारा सब का एक दायित्व बनता है कि बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में हम सभी गम्भीर हों और गम्भीरता से हम सब को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। माननीय सदस्य ने कई सारे प्रश्न और इन प्रश्नों में चाहे वह सरकारी स्तर पर हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, कहीं न कहीं कमी के संदर्भ में कुछ बातें हमारे सब के सामने सदन में रखी हैं। मैं माननीय सदस्य उदयपुर से आने वाले से, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भी किसी न्यूज के माध्यम से या जन-प्रतिनिधि के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके खिलाफ में हमने बहुत सख्त से सख्त कार्यवाही की है इस सम्बन्ध में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप तो नंदी फाउण्डेशन के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? एक ही का बता दो। कम से कम आपकी इन 20 शिकायतों में से 11 शिकायतें तो अकेले ही नंदी फाउण्डेशन की हैं। अक्षय पात्र के खिलाफ जो शिकायतें थीं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? वही बता दो।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य महोदय, अभी-अभी माननीय हमारे सदस्य से मुझे शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 22.3.2012 को कलक्टर, उदयपुर और हमारे तमाम अधिकारियों के साथ में हमने मीटिंग की नंदी फाउण्डेशन के सम्बन्ध में और जो शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, इनके ऊपर बहुत चिंतन किया। नंदी फाउण्डेशन की सबसे पहले जो समस्या थी, वह 35 किलोमीटर दूर केन्द्रीयकृत रसोई घर से पका हुआ भोजन लेकर जा रहे थे जिसकी वजह से भी वह ठीक ढंग से सप्लाई नहीं कर रहा था भोजन। इसकी वजह से हमने यह निर्णय किया है कि अब जो 35 किलोमीटर उसकी दूरी है, उसको कम करेंगे; मात्र 20 किलोमीटर रेडियस तक ही जो विद्यालय आएंगे, उनको ही भोजन देने के लिए हमने आदेश जारी किये हैं। जो कमियां पाई गई थीं नंदी फाउण्डेशन की, उसके कुल बिलों में से हमने 20 प्रतिशत कटौती इनसे कर ली है और हमने चेतावनी दी है कि इस सत्र के अंत तक अगर ठीक ढंग से उन्होंने कार्य नहीं किया, तो उनसे जो अनुबंध हुआ है सरकार के साथ, इसको हम समाप्त करेंगे।

दूसरी बात, वह राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है। क्योंकि सदन में हम बैठे हुए हैं, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), भीलवाड़ा से प्राप्त शिकायत के अनुसार जांच में प्राध्यापक दोषी पाये गये। इनके खिलाफ 17 सी सी ए की कार्यवाही हमने की है। जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा नियुक्त एक कोई अधिकारी थे, उन्होंने ही स्कूल की जांच की जिसमें पन्नालाल अध्यापक दोषी पाये गये एवं एक अध्यापक और थे, राजेन्द्र जोशी, जिनके खिलाफ में 16 सी सी ए की हमने कार्यवाही की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, मैं अध्यापक का नहीं पूछ रहा हूं। मैंने इसीलिए इसको केन्द्रीयकृत किया, जो केन्द्रीयकृत आपके किचन चल रहे हैं, जहां से अकेले एक जगह के हजारों बच्चों का भोजन प्रति दिन बन कर जा रहा है, उसमें नंदी फाउण्डेशन है और नंदी फाउण्डेशन की शिकायत जो मैंने आपको पढ़ी है, वह 27.3.2009 से लेकर अब तक लगातार कोई साल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ऐसा नहीं गया, कोई महीना ऐसा नहीं निकला जिसमें उसके खिलाफ शिकायत नहीं हुई हो। आपने उसके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की अब तक? और जो जमीन हमने दी है, टेक-ओवर करो उसको। पैसा भी हमारा है, किचन का सारा पैसा, उसका कुछ नहीं, वह तो केवल कागज लेकर आया है। हमने उसको भलमनसाहत में, कम से कम वह इतने बच्चों को एक अच्छा भोजन और सिस्टेमेटिक, साइंटिफिक तरीके से बनाकर भेजेगा; निश्चित रूप से हमारे मन में था कि चलो, लेकिन एक के बाद एक लगातार गलतियां आ रही हैं। जमीन हमारी, बेशकीमती जमीन हमने फोकट में दे रखी है, उस जमीन को टेक-ओवर करिए और किसी और को जाकर के उसको दीजिए ताकि वह काम करे। पैसा भी हमारा, जमीन भी हमारी, उसका तो कुछ नहीं है, उसका नाम है केवल।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य साहबान ने नंदी फाउण्डेशन के बारे में अपनी बात कही और मैं पहले कह चुका हूं, अभी-अभी हमने तुरन्त मीटिंग करके क्योंकि सत्र का अंतिम समय है और हमने इनको निर्देश दिये हैं और पाबंद भी किया है कि अगर ये शिकायतें लगातार चलती रहीं तो अगले सत्र में हम उनसे किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ, अभी हमने उनसे 90 लाख की वसूली खुद से की है। माननीय सदस्य साहबान से यह भी कहना चाहूंगा कि नंदी फाउण्डेशन के अलावा भी हमने 8 इस सत्र के एन जी ओ के जो अनुबंध थे, उनको राजस्थान में निरस्त भी किये हैं। मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपकी जो गलती है, आपके डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी इतने बड़े रसोई घर में जाकर के उसका भोजन कोई चैक ही नहीं करता है। कम से कम किसी स्कूल का भोजन चैक करने, आपने नार्म्स दे रखे हैं, जिन्होंने एक भी नहीं किया नार्म्स के आधार पर, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हो? सबसे पहले दोषी तो आपके अधिकारी हैं, जो यहां बैठकर के राज कर रहे हैं आराम से। इनसे पैसे की हेराफेरी का धंधा चलता है, करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है और अधिकारियों को जहां हम तनख्वाह दे रहे हैं, एक व्यक्ति ने, मैंने अभी लिस्ट पढ़ी आपको, आप कम से कम एक ही मुझे विश्वास दिला दो, इन अधिकारियों ने, जो आपने मुझे चार्ट बनाकर दिया, नार्म्स के अनुसार उन्होंने 50 प्रतिशत भी नहीं किया, 50 कर लिया तो भी गुनाह माफ, 50 प्रतिशत छोड़कर वे कभी गये ही नहीं, उनके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खिलाफ क्या कार्यवाही करोगे? गलती तो अपने निरीक्षण से ही शुरू होती है। जब हम देखते ही नहीं हैं तो नीचे वाला तो मजे करेगा ही करेगा। गलती हमारी है। उनको क्या दण्ड दे रहे हो?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में जहां तक सवाल है, वहां के कलक्टर ने भी 44 बार...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कह रहा हूं न, 44 बार नहीं...

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): 44 बार निरीक्षण किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बाकी अधिकारी कहां गये?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): और बाकी अधिकारियों के निरीक्षण में कमी रही है, मैं मानता हूं इस बात को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जीरो, जीरो; कमी नहीं, जीरो।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, जो सही है, वह तो सामने है लेकिन भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मानते हैं तो उन पर एक्शन करिये। या तो मानिये मत ...(व्यवधान) या तो आप मानिये मत और मानते हैं तो उन पर एक्शन करिये। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि निरीक्षण का जो कार्य है, उदयपुर में ही नहीं, पूरे ही राजस्थान में हर महीने उनको मंगवा कर और निर्देश इस प्रकार से जारी करेंगे कि अनिवार्य रूप से जो लक्ष्य उनको दिये गये हैं, वे लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण करें, राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हाउस में उठने के बाद भी इतने बड़े दोषियों को यहां से क्लीन चिट दे दोगे न तो फिर तो कभी मर भी जाओ, व्यवस्था नहीं सुधरेगी।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य साहबान, मैं यही तो कह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जीरो, जीरो। मैं यह कह रहा हूं कि मैंने आपको जिले बता दिये जिनमें किसी अधिकारी ने एक भी निरीक्षण नहीं किया। फिर उनमें से किसी को सज़ा देने के स्थान पर आप यह केवल ठण्डे बहाने, छींटे देने का काम करोगे, इससे आपकी व्यवस्था सुधरेगी क्या? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आप 17 सी सी ए का क्या दे रहे हो? 16 सी सी ए का देओ न। 17 सी सी ए से क्या होगा? दोषी पाएंगे वे? (व्यवधान) 16 सी सी ए दीजिए आप। (व्यवधान) 17 सी सी ए से कुछ नहीं मिलने वाला।

श्री सभापति: आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 8 जिले तो ऐसे हैं जिनमें एक व्यक्ति ने भी नहीं किया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप निर्देश देओगे? 7 जिलों में एक भी निरीक्षण नहीं किया, कलक्टर से लेकर बी डी ओ तक। उन पर तो कार्यवाही करो। क्या निर्देश दोगे? जब जिन्होंने गलती की है, उनको सज़ा मिलेगी, तब आगे वाले निर्देश लागू होंगे।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप सब की, सदन की भावना है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि हमारी सब की इन बच्चों के प्रति भावना है, सही है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में तीन महीने तक मिड-डे मील बना ही नहीं। पंचायत समिति में 3 महीने तक बिलकुल मिड-डे मील बना ही नहीं और किसी ने इंस्पेक्शन तक नहीं किया। जब मैंने इस बात को ध्यान में लाया और विधान सभा में उठाया, उसके बाद गेहूं की सप्लाई...। कहीं भी गेहूं की सप्लाई नहीं हुई और तीन महीने तक पूरी स्कूलों में कही भी मिड-डे मील नहीं बना पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में। (व्यवधान)

(14.00 बजे)

श्री सभापति: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। बिलकुल अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि 4 रुपये प्रति बच्चे के हम भोजन बनाने के देते हैं, भारत सरकार का और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमारा मिलाकर। 3-4 करोड़ रुपये रोज हम उसको खाना बनाने के लिए देते हैं और 5 जिलों में हमारे अधिकारी देखने ही नहीं गये। 21 जगह शिकायतें आ गईं। तो जहां पर अधिकारी नहीं गये, उन पर आप एक्शन नहीं करोगे तो आप अब जो आदेश देंगे, वे लागू नहीं होंगे। सदन में जब यह मामला आ गया तो इसके दो रास्ते बचते हैं, या तो मंत्री गलती स्वीकार कर ले... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह तो कर ली।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्री गलती स्वीकार कर लें अधिकारी की। अगर मंत्री ने गलती स्वीकार कर ली तो मंत्रीजी रास्ता नापो और मंत्रीजी रास्ता नहीं नापना चाहते तो उनको रास्ता दिखाओ। दोनों में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा राजस्थान की विधान सभा में आने के बाद। यह नहीं चलेगा, मंत्री महोदय, राजस्थान की विधान सभा का पैसा वे इस प्रकार खायें, आप उसको स्वीकार कर लें और उनको माफ करके यहां से चले जाएं, यह नहीं चलेगा। You have to take action.

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य महोदय, मैं यही आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि जहां कहीं भी गलती हुई है, हम इसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इन बच्चों के साथ हमारी पूरी भावना है, हम इसको ठीक करना चाहते हैं। जिन्होंने भी गलती की हैं, उनको तो अपनी सज़ा भुगतनी है। क्योंकि सदन में मामला उठा है, उनको सज़ा भुगतने की मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं, अब हमारे कोई इस प्रकार की जानकारी में आएगा तो हम किसी को बरदाश्त नहीं करेंगे, हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी। (व्यवधान) आप विराजें। अभी आप विराजें।

मालियों की ढाणी, गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर) के अग्निकाण्ड पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत मालियों की ढाणी, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में हुए भीषण अग्निकाण्ड प्रभावित परिवारों को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आपने तो बोल दिया, मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): माननीय सभापति जी, जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार कुनकुटा कलां, मालियों की ढाणी, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में दिनांक 3.4.2012 को अग्निकाण्ड से 25 कच्चे घर जल गये। सभी 25 परिवारों के घरेलू सामान एवं बर्तनों की क्षति तथा कपड़ों की क्षति पर राज्य आपदा मोचन निधि (एस डी आर एफ) से दिनांक 20.4.2012 तक 4,42,500 रुपये की सहायता स्वीकृत की है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को रसद विभाग के जरिये प्रत्येक परिवार को 20-20 किलो गेहूं एवं जन-सहयोग से लगभग 50 हजार नकदी की राशि उपलब्ध करवायी गयी है।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, 3 अप्रैल को यह भीषण अग्निकाण्ड हुआ और 12.4.12 को कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने एक लैटर दिया सहायता का, ''उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी द्वारा अग्नि पीड़ितों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक सो एण्ड सो, दिनांक 23.1.12 में अंकित शर्तों के अनुसार निम्नलिखित अग्नि पीड़ितों को एस डी आर एफ, एन डी आर एफ से आर्थिक सहायता राशि की सहायता राशि की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।''

माननीय सभापति महोदय, कलक्टर, सवाई माधोपुर ने रिपोर्ट में लिखा है ''तहसील गंगापुर सिटी के ग्राम कुनकुटा कलां में दिनांक 3.4.12 को अग्निकाण्ड में 25 कच्चे घर जल गये जिनको इस कार्यालय द्वारा 1,39,100 रुपये की आर्थिक सहायता राशि पीड़ित परिवारों को एस डी आर एफ/एन डी आर एफ नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है।''

(14.05 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

''तहसील गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अग्निकाण्ड पीड़ित परिवारों को रसद विभाग के जरिये प्रत्येक परिवार को 20-20 किलो गेहूं एवं श्रीमान् संसदीय सचिव महोदय रामकेश जी द्वारा प्रत्येक परिवार को एक-एक क्विंटल गेहूं की सहायता उपलब्ध करवायी गयी है। इसके साथ ही जन-सहयोग से 50 हजार रुपये नकद मिले। पीड़ित परिवार खुले में निवास नहीं

(श्री भगवान सहाय सैनी)

कर रहे, पड़ोसियों के मकान में निवास कर रहे हैं।'' जिला कलक्टर स्वयं मान रहे हैं कि जो अग्नि पीड़ित परिवार हैं, वे पड़ोसियों के मकान में निवास कर रहे हैं, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, उनका सब कुछ स्वाहा हो गया और इस अवसर पर रसद विभाग द्वारा 20-20 किलो गेहूं दिया जाना एक आंसू पोंछने वाली बात है। इससे अच्छा तो हमारे संसदीय सचिव महोदय हैं जिन्होंने एक-एक बोरी गेहूं की परिवारों को अलाट करवायी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब इनको 5,200 रुपये और 5,900 रुपये दे दिये और बाद में यह 131 लगाया, उसके बाद में बढ़ाकर जो राशि बतायी, 4 लाख की है, एक तो इसके लिए कौन दोषी है?

दूसरा, मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फण्ड है उसके नियमानुसार जो अग्नि पीड़ितों को राशि दी जाती है, उसमें पक्का मकान जो 25 हजार रुपये था, अब 35 हजार रुपये में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 35 हजार रुपये में क्या पक्का मकान बन सकता है? एक कमरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री बीपीएल आवास में 45 हजार रुपये देते हैं तो पक्का मकान न होकर एक कमरा तो हो सकता है, लेकिन पक्का मकान नहीं हो सकता।

दूसरा, इन्होंने कहा है भैंस के 10 हजार रुपये थे, वह 16,400 रुपये किये हैं। भैंस, ऊंट, गाय के 10 हजार से 16,400 किये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भैंस आती है 60 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक। माननीय मंत्री महोदय तो हरियाणा के पड़ोसी हैं, वहां तो डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की भैंस आती है, जबकि आप भैंस का 16,400 रुपया देते हैं। इसी तरह से भेड़ और बकरी के एक हजार रुपये थे जो जनवरी से 1,650 रुपये किये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1,650 रुपये में तो भेड़ के बाल भी नहीं आते। यह रिलीफ विभाग के नोर्म्स हैं, उनमें संशोधन किया जाए, इन पैसों को बढ़ाया जाय।

इसी तरह कपड़ों के 1,300 रुपये, घरेलू सामान के 1,400 रुपये। क्या घरेलू सामान में सब कुछ सामान आ गया, चाहे रज़ाई हो, साड़ियां हो, खाने-पीने का सामान हो?

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करो। डिटेल में मत बोलो, सीधी बात करो।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): गरीबों और अग्नि पीड़ितों का मामला है, उसके 1,400 रुपये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए संशोधन किया जाय नोर्म्स में और यह राशि बढ़ायी जाय।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि नियमों में संशोधन हो। जहां भी अग्निकाण्ड हो जाता है, एम एल ए/एम पी वहां जाते हैं, सब जन-प्रतिनिधि जाते हैं, एम एल ए/एम पी अपनी जेब से कुछ दे सकें तो दे दें, नहीं तो मेरा निवेदन है कि इसमें संशोधन करके एम एल ए/एम पी फण्ड से इसमें कुछ राशि दिलाने की व्यवस्था हो; इस तरह का नियम बनाया जाय कि एम एल ए/एम पी अग्नि पीड़ितों को सहायता दे सकते हैं, इस तरह का कोई प्रावधान किया जाय जिससे अग्नि पीड़ितों को फायदा मिल सके।

इसके अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष से हर प्रकरण में सहायता दी जाती है। अग्नि पीड़ितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता मिले, इसका प्रावधान करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया जाए, मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में से भी भुगतान करने का प्रावधान हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अग्नि पीड़ित को 2 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपये देकर अपन आंसू पोंछ देते हैं। जब हम सभी माननीय सदस्य मिलकर वेतन-भत्ते बढ़ा लेते हैं तो क्यों नहीं अग्नि पीड़ितों के लिए सोचकर, उन प्रावधानों में संशोधन करके उस राशि को बढ़ा सकते? मेरा आपकी मार्फत सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मामला बड़ा गम्भीर है, अग्नि पीड़ितों का है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप क्वेश्चन कीजिए, इसमें विचार-विमर्श नहीं होता। कृपया समाप्त करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): आये दिन घटनाएं होती रहती हैं, एस डी आर एफ के रूल हैं उनमें संशोधन करके अग्नि पीड़ितों को राशि बढ़ाने का प्रावधान किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): एम एल ए/एम पी फण्ड से उनको सहायता देने का प्रावधान किया जाय और मुख्यमंत्री सहायता कोष से अग्नि पीड़ितों को सहायता दिलवाने का प्रावधान किया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्रीजी। ये भी पूछ लें, बार-बार पूछेंगे ये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे जुड़ा हुआ ही प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करता हूं कि जो अग्नि पीड़ितों की घटनाएं हैं, वे पूरे राजस्थान में, विशेषकर पश्चिम में बाड़मेर जिले में होती हैं। तो मेरा इसमें एक निवेदन है कि जो बेघर हो जाता है....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रजापत जी, यह केवल सवाई माधोपुर का मामला है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उनको तुरन्त कम से कम बी पी एल में लिया जाए। जो बेघर हो जाता है उसके कुछ नहीं रहता है। तो कम से कम उसको तुरन्त बी पी एल मान लिया जाए। ऐसा कोई नियम हो तो उनको मदद मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, विराजो।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कुनकुटा कलां, मालियों की ढाणी के बारे में फरमाया है। हमको एस डी आर एफ और एन डी आर एफ के नार्म्स के अनुसार चलना पड़ता है। आपने संशोधन कराने के बारे में कहा है, तो इसमें भारत सरकार नार्म्स में संशोधन करती रहती है। सदन में पहले भी यह बात आई थी और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी 16 जनवरी को ही यह राशि बढ़ाई गई है। उससे पहले राशि कम थी।

आपके यहां जो 25 व्यक्तियों के कच्चे घर नष्ट हुए हैं, उसमें कच्चे घर के लिए 15 हजार रुपये मैग्जिमम देने का प्रोविजन है और हमने हर घर के लिए 15 हजार रुपये दिए हैं। बर्तनों के लिए पहले एक हजार था और 15.1.2012 को बढ़ाकर उसको 1,300 रुपये मैग्जिमम कर दिया, तो वह 1,300 रुपये प्रति परिवार दिए हैं। भैंस वहां पर कोई मरी नहीं है। वहां न तो जन की हानि हुई है और न पशु की हानि हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिए, पूरा जवाब सुनिए। पूरा जवाब सुनिए। बीच में बोलोगे तो जवाब पूरा नहीं आएगा।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 17,700 रुपये की सहायता जो इन नार्म्स के अनुसार हम दे सकते हैं, वह दी है।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

जहां तक आपने कहा कि विधायक कोष और सांसद कोष में यह अलाउ किया जाए, तो विधायक कोष और सांसद कोष को ग्रामीण विकास विभाग देखता है। माननीय मंत्रीजी वैसे तो यहां विराजें हुए हैं पर मैं आप लोगों की भावना उन तक पहुंचा दूंगा, वे ही उसमें संशोधन कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, मंत्रीजी। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, यातायात राज्य मंत्री, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2010-2011 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय मंत्रीजी।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखे

वर्ष 2010-11 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 (4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2010-2011 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य, विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 । श्री शांती कुमार जी धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। श्री शांती कुमार जी धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों का एक साथ हो जाए। माननीय श्री राव राजेन्द्र सिंह जी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, आप टाइम कन्स्ट्रेंट का फरमा दें कि कितनी देर?

श्री उपाध्यक्ष: जितना संक्षिप्त कर सको। जल्दी जवाब हो जाए और क्या।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बहुत स्पष्ट आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि Appropriation Bill is a very important process of parliamentary democracy. 15 दिन तक जितनी हमने यहां बातें कीं, चाहे हम पक्ष में हों चाहे विपक्ष में हों, जब एप्रोप्रिएशन की बात आती है तो हम सबको दलों की हदों से उठकर सबसे पहले इस विधान सभा के, इस विधायिका के अधिकारों के सम्बन्ध में हमें जानकारी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएशन के माध्यम से आप सरकार को वह अधिकार देते हैं कि जितनी हमने डिमांड पास की हैं भिन्न-भिन्न विभागों की, यह पैसा उन कार्यों के लिए खर्च करने का हम आपको अधिकार देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि ये सारे अधिकार हमें संविधान के माध्यम से प्राप्त हैं। संविधान का जो वास्तविक अभिप्राय है, जब संविधान की संरचना हुई तो संविधान के निर्माताओं ने विधायिका को पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा महत्व दिया। कोई भी कृत्य चाहे वह एग्जीक्युटिव हो, चाहे एग्जीक्युटिव में बैठा हुआ सदन का नेता हो, चाहे सरकार हो, चाहे अफसर हो, अगर इस विधान सभा की निर्देशित सीमाओं से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो वह दंडनीय अपराध है। कांस्टिट्यूशन ने यह बात स्पष्ट की है।

आदरणीय, आप खुद क्योंकि विधिवेत्ता हैं, एक रिसर्च पेपर में मुझे कांस्टिट्यूशन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मिली जो बाकी डेफिनेशंस से भिन्न है। उन्होंने कहा कि आखिर कांस्टिट्यूशन है क्या, उन्होंने कहा है कि "Constitution of India is not end but the means to an end, not as mere democracy..." यह सिर्फ एक प्रजातंत्र नहीं है। ''..not as mere democracy, as a political project but a socio-judical process which opens up through a humongous radical social order. The opportunity to unfold the personal personhood of everything.''

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जब हम कांस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आम आदमी की बात करते हैं। आदरणीय, इस 63 साल के प्रजातंत्र के इतिहास में कुछ ऐसे कृत्य हुए हैं जिनको हमने परम्पराओं के आधार पर किया है। आज आप एप्रोप्रिएट करने जा रहे हैं, तकरीबन जो पूरा अमाउंट है, 78,889 करोड़ 20 लाख आप सरकार को पैसा देंगे खर्च करने के लिए। इतने विशाल फण्ड के उपरांत भी जब आपका बजट यहां 15 दिन तक बहस पर आया, उससे कम से कम पांच महीने पहले से इस बजट की प्रिपेरेशन चालू हो जाती है, सितम्बर के आस-पास। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री महोदय, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। कल एक माननीय सदस्य यह भी फरमा रहे थे कि सदन के नेता, मुख्य मंत्री से अगर आप कोई बात यहां से कहलवा लें और उसकी कार्य पूर्ति नहीं हो तो यह सदन के नेता का भी अपमान है और सदन की मर्यादा का भी अपमान है क्योंकि सदन के नेता से कहलवाने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सदन के नेता जो बात कह रहे हैं, कम से कम वह बात पूरी होगी।

अब मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि 2010-11 में आपने सदन के नेता से को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए 30 करोड़ की ऋण व्यवस्था के अन्दर एक घोषणा करवाई। आदरणीय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो यह भारी-भरकम बजट बनाते हैं, उस 30 करोड़ के लिए उन्होंने एक रुपये नहीं, सिर्फ एक हजार रुपये तक की ही व्यवस्था की, यानी 29 करोड़ रुपया इस सदन की बगैर अनुमति से खर्च हुआ है। आप लोग अचरज कर रहे होंगे कि यह बात क्यों हो रही है, तो मैं आपका ध्यान सबसे पहले तो संविधान के आर्टिकल 202 से लगाकर 207 तक आकर्षित करना चाहता हूं। यह पूरे बजट का प्रोसेस आपको डिफाइन करता है और बजट के प्रोसेस में डिफाइन करने पर आप पर प्रतिबंध भी लगाता है कि किस हद तक तो आप जा सकते हैं और उस हद से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है, अगर आप उन हदों को उलांघना चाहते हैं तो आपको इमरजेंसी सत्र बुलाकर, यहां वह चीज रखकर इस सदन से आपको स्वीकार कराना पड़ेगा। चाहे बहुमत के आधार पर आप कर ले जाएं लेकिन सदन की बगैर स्वीकृति के आप एक पैसा भी उन मापदण्डों के बाहर खर्च नहीं कर सकते।

आदरणीय, आर्टिकल 202 के पहले मैं चाहूंगा कि 115, 114 और 112 को आप पूरा पढ़ें। आर्टिकल 114 में यह बिल हम पेश कर रहे हैं। आर्टिकल

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

115 और 116 में ऐसी वित्त व्यवस्था जो आपने फोरसी नहीं की हो और आप करना चाहते हैं, आपके लिए अपरिहार्य हो गई हो तो आपको अधिकार देता है। लेकिन आपको अधिकार कहां तक देता है कि या तो वह जितना सैंक्शंड बजट है उसका 10 से 20 प्रतिशत हो या 20 लाख रुपये हो। 30 करोड़ का अधिकार आपको नहीं देता। मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मुझे कहीं कल्पना से नहीं मिला, यह आपकी सी ए जी की रिपोर्ट है। अच्छा तो यह होता जिस दिन बजट पेश हुआ, यह रिपोर्ट उस दिन आ जाती तो यह बजट पर जितने लोग-बाग़ बोलें ना, उनको कम से कम यह एक सूचना मिलती।

मैं आज आपके सामने कोट करना चाहता हूं, आडिट ओब्जर्व्ड, मैं मेरी बात की पुष्टि कर रहा हूं, सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं आपके मन में कोई बात हो कि आलोचना की वजह से आलोचना कर रहा है, एप्रोप्रिएशन पर आलोचना की कोई बाधा नहीं है, बाध्यता भी नहीं है, एप्रोप्रिएशन का मतलब सिर्फ इतना है कि फाइनेंशल प्रूडेंस के प्रति हम कितने सजग हैं। क्योंकि आज आप चाहे बैठे हों, सदन का नेता एक इंडिविजुअल होता है, पूरी सरकार उसको चलानी होती है, पूरी व्यवस्था उसको चलानी होती है। यह इतने सारे अफसरों का महकमा है, वह कितना असंवेदनशील होकर, केयरलेस होकर सदन के नेता से बात यहां कहलवाते हैं और उसके प्रति उनकी कितनी जवाबदेही होनी चाहिए, यह सदन आज इस बात की मांग करता है कि सदन के एक व्यक्ति से अगर कोई गलती हो जाती है तो इस सदन का एक व्यक्ति जेल तक चला जाता है और ये बैठे-बैठे करोड़ों की गलती कर सकते हैं लेकिन इन पर किसी प्रकार का कोई इम्बेजलमेंट या फ्राड का आप कोई कानून नहीं ला सकते।

मैं यह पढ़ रहा हूं सी ए जी का वह वक्तव्य, पेज है 60, रिपोर्ट है 2011, "List of major Heads indicating persistent excess during 2009-11. Audit observed that though the Chief Minister announced..." मार्च 2010 में थी, 2010-11 का बजट आ रहा था, "....in his Budget Speech a provision of Rupees 30 crores for assistance to cooperative institutions for interest payment, only a token provision..." और टोकन प्रोविजन कितना था, सर, 1,000 रुपये! आपने सदन के नेता से 30,000 तक की घोषणा करवाई। आपने प्रोविजन उस मद में कितना रखवाया? और इसलिए आपका कितना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

एक्सेस हुआ? 29.82 और अगर प्रतिशत के रूप में इसको देखें तो 100 प्रतिशत आपने एक्सेस कर दिया।

अब या तो एक काम करें कि इस संविधान को बदल दें। हम तो दलों में बंटे हुए हैं, एप्रोप्रिएशन बिल पर हमको बहस करनी है, पास करना है, बाध्यता है। तो मैं तो फिर भी, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे कौनसा स्टेट बजट मेन्युअल कार्यरत है? वह नया वाला बन गया, वह होगा या जो पुराना वाला है, वह है? आपका नया स्टेट बजट मेन्युअल भी बन रहा है? वह भी इसी में लिखा हुआ है कि कोई प्राइवेट कम्पनी नया बजट मेन्युअल बना रही है, नवम्बर तक उनको देने की बात है। अब नवम्बर तक दे दिया या नहीं दे दिया, हमारी तो जानकारी में नहीं है, आप बता दें।

इसके अलावा भी ले लीजिये आप। प्राइमरी को-आपरेटिव क्रेडिट इंस्टिट्यूशंस में आपने पांच करोड़ का प्रोविजन रखा, आपके खर्च हुए 10.16 करोड़ रुपये; 103 प्रतिशत ज्यादा। कोई राशन की दुकान वाले के यहां अगर पांच लीटर तेल कम मिल जाता है ना, आदरणीय, तो आप उसको जेल भेज देते हैं। किसी व्यापारी के यहां तौल का माल अगर कम मिल जाता है, अगर वह तौल रहा है उसमें वज़न कम मिल जाता है तो आप एम आर टी पी में उसको जेल भेज देते हैं। यहां तो ऐसे समझ रखा है जैसे सरकार का खजाना, जो चाहे उससे जो भी ले लो, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

दलगत राजनीति में पूरी विधान सभा बंटी हुई है। इसलिए अगर एप्रोप्रिएशन के बिल में, एक्सेस के लिए जायेंगे तो पास करवा लायेंगे। करवाओ आप पास, करवाइये; धीरे-धीरे हाथ की अंगुली देते-देते आपकी गिरीबान तो आ गई है अफसरों के हाथ में, अब सब कुछ देकर नतमस्तक हो जाओ जिससे कल को बजट आये, एक दिन पेश हो, दलों की हदों में बंटे रहकर आप हाथ उठायें, पास कर दें और जय श्री राम, इतिश्री हो जाये। दो महीने तक भी बात करने की कहां आवश्यकता है? क्यों बिला वजह जनता के पैसे को बरबाद कर रहे हो?

अब जैसे यहां भी पूरी पूर्ति नहीं हो, अब एक और मद ले लीजिये, स्पिनफेड में आपको इन्वेस्टमेंट करना था। आदरणीय, स्पिनफेड में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोविजन इन्होंने कितना रखा है, आपको मालूम है? 2,000 रुपये

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10.13 करोड़ और 17.43 करोड़ रुपये। मतलब हम यह पूछना चाहते हैं कि फिर क्यों आप करते हो? एप्रोप्रिएशन की आवश्यकता क्या है? आप जीरो बेस बजट ही ले आओ। है प्रोविजन जीरो बेस बजट का, आपको अधिकार है, किसी मद में, सब में जीरो। आप पूरा का पूरा खर्च करो और खर्चे को यहां ले आओ और यहां से पास करवा लो। जो आज एप्रोप्रिएशन पर हम एक दिन में बात कर रहे हैं और बजट पर 15 दिन बहस करते हैं, हम उस एप्रोप्रिएशन पर 15 दिन बहस कर लेंगे। आप पर कम से कम यह प्रतिबन्ध तो नहीं रहा, आप एक करोड़ खर्च करो या 100 करोड़ खर्च करो। जीरो बेस बजट ले आओ, आपके पास प्रोविजन है। फाइनेंशल स्पेक्ट्रम के अन्दर यह चीज अवेलेबल है। चलिये, अब और छोड़ देते हैं आपको, यहां तक तो आपका साथ, आप लोग जैसा कहोगे वैसा होगा।

आदरणीय, एक प्रोविजन है कि ऐसे मेजर हैड्स में कोई नई सर्विसेज अगर लागू होती हैं तो उसके लिए आपको खर्च करने की छूट है, लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शन है। उस पर रेस्ट्रिक्शन यह है, जो मैंने पहले इसके साथ मिक्स-अप कर दिया, मैं करेक्ट कर रहा हूं, यह तो एक्सेस का था और जहां रेस्ट्रिक्शन है, वह इसमें है, आर्टिकल 115 का सेक्शन 1(ए) और आर्टिकल 205 का सेक्शन 1(ए), द कांस्टिट्यूशन आफ इण्डिया, आइटम नम्बर 21 आफ पैरा। अब यह पैरा 16 आफ स्टेट बजट मैन्युअल, अब मुझको नहीं मालूम कि कौनसी मैन्युअल आज की तारीख में एप्लीकेबल है; अब नई बन गई, वह है या जो नहीं बनी है और पुरानी है, वह है। नई बन गई तो कब बन गई और लागू हुई या नहीं, यह हमें नहीं जानकारी है। "…..defines new services as new policy decisions not brought to the Legislature's notice early…..." यानी जिस वक्त इस एप्रोप्रिएशन का बिल आया होगा, उस वक्त इस लेजिस्लेशर की जानकारी में वह चीज नहीं आई। "...including a new activity or form of investment, further large expenditure exceeding five lakhs or 20% of the existing budget provision, under sub-head or, where there is no such head under a minor head, whichever is more, arising out of extension of an existing activity, shall be treated as new service expenditure and on new service expenditure, it shall be made from the Contingency Fund."

अब अपेंडिक्स अगर आप देखें 2.11, तो, आदरणीय, इन्होंने 2.11 में 2,879.67 लाख रुपये, यानी 28 करोड़ इन्होंने खर्च किये। इनको यह पैसा तो लेना चाहिए था कंटिंजेंसी फण्ड से और इन्होंने यह पैसा कंटिंजेंसी फण्ड से नहीं लिया क्योंकि इस चीज की पहले इनको जानकारी नहीं थी। इन्होंने इस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पैसे को कन्सोलिडेटेड फण्ड से लिया। आपको हैड्स बदलने का अधिकार नहीं है। जो प्रतिबन्ध आप पर हैं, उन प्रतिबन्ध से आप सीमित हैं। यह प्रतिबन्ध किसी दल का नहीं है, यह राष्ट्र के संविधान द्वारा दिये हुए नियम का है। पैसा जिस हैड से उठना चाहिए था, उस हैड से आप पैसा नहीं उठाते हैं जैसे आपने इसको प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी समझ रखा हो कि बजट आएगा, हमारी इच्छा होगी जहां से खर्च करेंगे और खर्च करके वापस इस सदन के पास ले आयेंगे और इससे हम वापस पास करवा लेंगे। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के चैक्स एण्ड बैलेंसेज से ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे तो मेरे ख्याल से हमारा यहां आना और बहस करना, इसकी कोई ज्यादा सार्थकता नहीं रह जाती है।

अब मैं एक निवेदन और करूं, जो पिछली बार मैंने आपसे निवेदन किया था, आपने उसका जवाब भी दिया था और मैं आपके जवाब से उस दिन तक तो संतुष्ट था। आदरणीय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अब मैं एक साल पीछे इसलिए जा रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन एक साल पीछे आते हैं; आज जो आप करेंगे, वह एक साल बाद आयेंगे। आपने 2010 की जो रेवेन्यू रिसीट्स दिखाई, 2010 की टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हैं, वे मेरे हिसाब से, आदरणीय, 40,000 करोड़ के आसपास हैं। अगर यह सही है तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि टोटल है 35,385 करोड़, टोटल आपका आ गया 35,506; मेरा यह दावा है कि 830 करोड़ रुपये इसमें ज्यादा है, आपको इससे कम मिला था। यह आपने सदन को भी गुमराह किया है, आपके अधिकारियों ने इस सरकार को भी गुमराह किया है। 830 करोड़ रुपया जो पोवर्टी एलीविएशन फण्ड में पड़ा था, उसको आपने रिसीट्स में डाल दिया और आपने अपनी रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ा दीं। अब मैं कोई इकोनोमिक्स का डिग्री होल्डर नहीं हूं लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि रेवेन्यू रिसीट्स में उस करंट ईयर की आमदनी की रिसीट चाहे नान-टैक्स हों, चाहे टैक्स रिसीट्स हों, चाहे ग्रांट्स हों, वे आती हैं। आप फरमा रहे थे कि वह 306 करोड़ रुपये हम वापस ले आयेंगे जो वे मांग रहे हैं; आदरणीय, यहां तो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स 806 से घट और जायेगी, आप लाओगे क्या? खैर, आपकी मरजी। अब यह आपके पास में इतना बड़ा अधिकारियों का तमगा बैठा हुआ है, इनसे यह पूछिये आप।

और मैं, मेरे बैंक बैलेंस में अगर कहीं दस हजार रुपये रह जाते हैं न

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तो मुझे याद रहता है कि मेरे बैंक के कौन से कोने में दस हजार रुपये पड़े हैं; आदरणीय, इनको तो चौदह-चौदह करोड़ रुपये का पता नहीं रहता। मैं आपको याद दिला दूं, अगर इनमें से किसी को याद नहीं आ रहा है, 1991 से, मैं फण्ड का नाम नहीं बताऊंगा, अगर फण्ड का नाम बता दिया तो सारी बिल्ली, कहते हैं न, वह इस शेड से निकल जायेगी। मैं चुनौती देता हूं इनको, कौन से ऐसे फण्ड में 1991 से पैसा पड़ा हुआ था, जो 18 साल तक पड़ा हुआ था, इनको यह तक नहीं मालूम था। 14 करोड़ रुपये का एक पैसा तो ये खर्च नहीं कर पाये और वह 14 करोड़ रुपये 18 साल बाद में, चौदह करोड़ के नाम से वापस आ गये। अगर 1991 से लगाकर 2008-09 तक का भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर ब्याज दर कभी थी तो वह इस दरम्यान थी। आदरणीय, आप तो खुद केलकुलेशन अच्छी करते हैं, अगर आप सिम्पल इंटरेस्ट भी लगाओ न, तब भी यह 75 करोड़ होता है और अगर वह इंटरेस्ट लगाओ जो किसी काश्तकार को बोहरा लगाता है या महाजन लगाता है, इसको कम्पाउंड करोगे न, तो यह सौ करोड़ से ऊपर हो जायेगा। आपके अधिकारियों को तो सौ करोड़ की कहीं आवश्यकता नहीं, उनके पास तो छोटी-मोटी चीज है, कहीं सौ करोड़ पड़े रह गये, पड़े रह गये, भूल गये वे।

चलिये, वे चौदह करोड़ का रह गया, अब इनको यह पूछिये, चूरू के अन्दर भी एक फण्ड था, चूरू के अन्दर; अब चूरू के अन्दर जो इनका फण्ड था उस फण्ड को भी ये भूल गये। मैं डिटेल इसलिए नहीं दूंगा कि अभी ये आपको परची भेज देंगे और आप परची देखकर जवाब दे देंगे। जो मंत्री परची देखकर जवाब देता है न, कभी न कभी वह कटघरे में खड़ा हो जाता है। यह आपकी जवाबदेही है, आप जनता को जवाब देते हैं, आप सदन को जवाब देते हैं, वे सिर्फ आपको परची देते हैं।

मैं एक निवेदन करूंगा, आप सब मंत्रिमण्डल के सदस्य यहां विराजे हुए हैं, यह सी ए जी की रिपोर्ट है न, इसलिए मत पढ़ो कि राजा भी इसकी वजह से, इसलिए पढ़ो कि यह सरकार के वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में कुछ आपको सही-सही जानकारी देती है। अब मेरे पास तो, ऊर्जा मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं, कल-परसों कोटा साउथ से आने वाले, उनके उस एक प्रश्न पर यह बात सामने आई। अब मैं, आदरणीय, आपसे बात करना चाहूंगा कि ओफबजट बोरोइंग्स किसको कहते हैं और आउटसाइड बजट बोरोइंग्स किसको कहते हैं। बड़े तरीके से इन्होंने डिफाइन कर दिया है इसको। ये हमारे मुख्य सचेतक महोदय भी पी ए सी के मेम्बर हैं। हैं न आप? 2009 में एक चिट्ठी गई सी ए जी की।

श्री उपाध्यक्ष: अब कहां रहे मेम्बर? आजकल नहीं हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आजकल हैं न, सर। हैं, हैं, इनको हमने रोक रखा है। एक हमारा वहीं है जहां हमारा वश चलता है, बाकी तो यह अपना वश चलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: रह नहीं सकते हैं न।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): He is very much there. ये भी हैं और इनके डिप्टी चीफ व्हिप भी हैं। मैं सदन के फ्लोर पर बात कह रहा हूं, असत्य नहीं कहूंगा। आप उनसे पूछ लो, उनके दस्तखत भी हैं, वेतन भी उठाते हैं, भत्ता भी उठाते हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वह आप मेरी पदावनति क्यों कर रहे हैं? डिप्टी बना रहे हैं मेरे को।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं, आपके डिप्टी भी तो हैं अपने मेम्बर। मतलब हमने तो ठीक-ठाक आदमियों को अपने वश में कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: फिर भी, फिर त्रुटियां क्यों होती हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन रह नहीं सकते, अगर हैं तो। मगर राव साहब सदन में कह रहे हैं, अगर हैं तो रह नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं रह सकते। आन द वेरी डे सीज हो गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दोनों में एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो मुख्य सचेतक छोड़ो या पी ए सी की मेम्बरशिप छोड़ो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप कहें तो दोनों ही छोड़ दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो तीनों के लिए कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। आपको राव साहब का सहयोग छोड़ना पड़ेगा; साथ छोड़ना पड़ेगा, सहयोग तो करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं; नहीं, यह मजाक नहीं है, नहीं रह सकते। यह विशेषाधिकार का हनन है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सारा अध्यक्ष महोदय ने इसको देखा है, उसके बाद...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह आसन पर निर्भर करता है कि आप इनको पी ए सी का सदस्य रखें, मुख्य सचेतक रखें या कैबिनेट मंत्री बनायें। यह तो आप पर निर्भर करता है और आपके....

श्री उपाध्यक्ष: यह मान करके चलिये कि ये अब नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये मेम्बर नहीं हैं न? हां?

श्री उपाध्यक्ष: यह मानकर चलिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अब नई बनेगी न, साहब, इसलिए कहा है। अब नई गठित होंगी सारी कमेटियां।

श्री उपाध्यक्ष: राव साहब, माननीय, थोड़ा सा, प्लीज।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं, सर, मैं इसको बिलकुल थोड़ा सा ही करूंगा लेकिन मामला भी कोई 78 हजार करोड़ का है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, यह चिट्ठी सी ए जी ने फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखी, यह कहा गया कि जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिसमें डिस्काम आपका सबसे बड़ा है, आज 47 हजार करोड़ है; जब हम बात करते हैं 2011 की, 47 हजार करोड़ की आपके आउटस्टेण्डिंग्स हैं। टोटल आपकी 51 हजार करोड़ की आउटस्टेण्डिंग्स हैं भिन्न-भिन्न राजकीय उपक्रमों की जिसमें 47 हजार करोड़ की आउटस्टेण्डिंग्स सिर्फ इन तीन या पांच पावर कम्पनीज में हैं। उन्होंने यह कहा कि यह लायबिलिटी भी आपकी है। अगर जिस दिन इन देनदारियों की पूर्ति नहीं होगी, उस दिन आप गारंटर होते हैं और यहां सब लोन लेते हैं, सबको मालूम है कि गारंटर की क्या भूमिका होती है। जब लोन उससे वसूल नहीं होता है तो वह गारंटर तक आ जाते हैं। फाइनेंशल मैनेजमेंट और फाइनेंशल यार्डस्टिक्स आप पर भी लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, यह उसी पी एस यू के अधीनस्थ आती हैं, वही इसको देगी, हमारा इसमें कोई लेना-देना नहीं और उन्होंने एक चिट्ठी बनाकर सी ए जी को वापस भेजी, सीनियर आडिटर के नाम पर। उन्होंने कहा, डिफरेंस बिटविन ओफ-बजट बोरोइंग्स एण्ड आउटसाइड बजट बोरोइंग्स का उन्होंने तर्क दे दिया, उस डिफरेंसेज में उन्होंने यह कहा कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया से आर्टिकल 293 में हमने, कांस्टिट्यूशन आफ इण्डिया, इस बोरोइंग की स्वीकृति ले रखी है। यह करते, करते, करते यह चिट्ठी है 10.9.2009 की, आखिरी में यह आये, "…that servicing liability of such borrowings lies on respective public undertakings only in case of default…." अब देखिये, आ गये वह जहां आना था, "….only in case of default by borrower company and invoking guarantee by the lender, the liability may devolve on the Government." यही तो सी ए जी आपसे कहलवा रहा है और डिस्काम यह कहती है, आपके

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

डिस्काम की रिपोर्ट है, एक ही डिस्काम की रिपोर्ट ले लें, जयपुर डिस्काम की, जयपुर डिस्काम की रिपोर्ट यह कहती है कि हमारे कोई लोसेज नहीं हैं, नो-प्रोफिट-नो-लोस पर डिस्काम की रिपोर्ट है। आपके चार्टेड अकाउंटेंट ने इसको डिनाई किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, this is something that we expect from the Government. This grant will come. उन्होंने इसको ग्रांट मान रखा है कि यह ग्रांट आयेगी; यानी ये 47 हजार करोड़ ग्रांट के रूप में हैं, वे आयेंगे।

तो आप सदन को बोलो न कि 47 हजार करोड़ रुपये की ग्रांट हमको देनी है, 47 हजार करोड़ रुपये हमको और देने पड़ेंगे, 47 हजार करोड़ हमारे पास हैं नहीं, हमको बारो करने पड़ेंगे। जब हम 47 हजार करोड़ बारो करेंगे तो एक लाख तीन हजार करोड़ में 47 हजार करोड़ और जुड़ जायेंगे, हमारी टोटल बोरोइंग्स एक लाख पचास हजार करोड़ होंगी, जो एफ आर बी एम एक्ट के मुताबिक सही नहीं हैं। क्योंकि आप 38, अब इस साल तो आप 38.2 से ज्यादा नहीं कर सकते। और इनके इस पर जब मैनेजमेंट में टिप्पणी की...

श्री उपाध्यक्षः थोड़ा शार्ट करें अब, राव साहब।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं अब, उपाध्यक्ष महोदय, इसको अगर आप सही जगह पहुंचाना चाहते हैं न इस मैटर को....

श्री उपाध्यक्षः बिलकुल, आपने इतना कुछ बता दिया, वे त्रुटियां भी दुरुस्त करेंगे, यदि वे हैं तो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं दो-एक चीजें और आपको बता दूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः अलग से बैठकर समझो। ये बोल रहे हैं, अपने को भी समझना है। (व्यवधान) यह थोड़ा अलग से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपन को भी बोलना है। (व्यवधान) अब यह, डाक्टर साहब, आप तो, आप सब जानते हैं, आपको जरूरत नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): तो आपके इंटरनल आडिटर ने कहा, उस इंटरनल आडिटर को आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ने नकार दिया। तो आपके कम्पनीज एक्ट 1956 के तहत अन्डर सेक्शन 619 (4) में सी ए जी भी इसको आडिट करता है, उन्होंने यह टिप्पणी करी है, यही अपने आप में बहुत है, मैं एलोबरेट नहीं करूंगा। "The statutory Auditors have stated in their report dated….2010 that they were unable to express an opinion as to whether the financial statement gives a true and fair view, financial statement of Jaipur

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

Vitran Nigam, because they have not been able to obtain sufficient/appropriate audit evidence to provide the basis of an audit opinion. Hence, in the opinion of CAG, no proper books of accounts and basic records were maintained for major items of balance sheets, fixed assets and capital works-in-progress as required by the Companies Act. In absence of proper books of accounts and basic record, it is not possible for me to form an opinion as to whether the financial statement of the company gives a true and fair views." यह सी ए जी की कन्क्लूडिंग चीज है। आपकी दीर्घा में बहुत से लोग-बाग़ मुस्करा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने यह चीज पढ़ी है और उनको यह मालूम है कि यह सब कुछ होगा यहां, विचारों का आदान-प्रदान भी होगा लेकिन यह नाव तो वैसे ही चलेगी जैसे 63 वर्षों से चलती आ रही है।

मैं एक आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको मैंने एक निवेदन और किया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपने अनुसूचित जनजातियों के लिए 11वें वित्त आयोग के 73 करोड़ रुपए पूरे नहीं खर्च किए। आपने मुझे कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 'राजस्थान हंगर' सर्वे हुआ, उस 'हंगर' सर्वे के अन्दर यह बात आपकी स्पष्ट हो गई कि सारी की सारी, 73 करोड़ में से आप 23 करोड़ लाए; 23 करोड़ में से आपने 13 करोड़ खर्च किए और 8 करोड़ के तो आपने स्टाफ क्वार्टर बनवा दिये। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत नहीं है इसलिए मैं इसको विस्तार में नहीं लूंगा। एक पूरे दुनिया का 'हंगर' का सर्वे हुआ है जिसमें राजस्थान भी एक चैप्टर है, अगर आप उसको देखेंगे तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी मिल जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, धन्यवाद।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): कुछ और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो छोटे-छोटे हैं। एक आपकी जल मणि योजना थी जो सेंटर की योजना थी 200 करोड़ की। 2008 में अक्टूबर या नवम्बर में यह योजना आई, सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम थी यह।

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रभुलालजी जब तक यहां बैठेंगे, कुछ न कुछ बताते रहेंगे आपको।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): प्रभुलालजी ने मुझे तो बहुत कुछ बताया है, इसमें आधा तो इन्हीं का बताया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: अपनी सीट पर जाओ। सीखने आये हैं?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): टोटल योजना 200 करोड़ की थी,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आप इसमें से खर्च कर पाए हैं 0.26 प्रतिशत। इसमें बच्चों के स्कूल में पेयजल की व्यवस्था करनी थी, पीने के पानी की व्यवस्था करनी थी। मैं इसमें कोई पहाड़ झोंकने की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें तो आपका कोई अंशदान भी नहीं है। 2008 की योजना है और 2012 के मार्च में बात कर रहा हूं। पता नहीं, वे कह रहे हैं कि हमें यह नहीं मालूम नहीं कि इसको लागू कैसे करना है। जब तक हमें यह मालूम पड़ता, तब तक बहुत देर हो गई। फिर हमने परमिशन ली, फिर कोई बिडर नहीं मिला। 200 करोड़ पर आप बैठे हैं, आपको बिडर नहीं मिला। 200 करोड़ के टेण्डर निकाल करके देखिए, बिडर कैसे आते हैं। खैर, आपकी इच्छा है।

एक आपकी स्कीम लागू की थी 2002 में आपने गुड गवर्नेंस की। तत्कालीन मुख्य मंत्री और जो वर्तमान के भी मुख्य मंत्री हैं, की एक स्कीम थी 2002 में, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर अमल करने वाले सुझावों की। उसका क्या हुआ? हमने तो नहीं किया है। वह आपकी रिपोर्ट आ गई है ना? आप करते हैं नहीं ई-गवर्नेंस पर, आप करिए ना उसको लागू। अब यह आप मत कह देना कि उस रिपोर्ट के आधार पर आपने योजनाएं लागू की हैं, वरना वह श्रेय आयोग ले जाएगा क्योंकि हम तो श्रेय इस सदन के नेता को देना चाहते हैं।

अब डिस्काम की एक बात और कह देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपको मालूम है, डिस्काम वाले किस प्रकार से आपके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपसे मैंने कहा है, चार बजे रिप्लाई आ जाए। चार बजे अपन चाहते हैं कि रिप्लाई आ जाए। चार बजे रिप्लाई आ जाए, चार बजे आएगी। फिर आपके नेता रह जाएंगे। आप चाहते हो, आपके नेता नहीं बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, वह बारह वाली योजना का जो सर्वे था ना, 'ट्रैकिंग हंगर' यू एन ओ की एक ट्रैकिंग टीम थी जिसने किया था, अगर आप चाहेंगे तो पूरा का पूरा, मेरे पास में तीनों-चारों ट्रायल प्लान्स और इसके स्टेटिस्टिक्स हैं, मैं आपको दे दूंगा। यह टोटल जो था 72 करोड़ था, 23 करोड़ आया और आपने कहा, 8 करोड़ रुपए तो आपने लगाए और 12 करोड़ के अफ़सरों के मकान बना दिये।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आदरणीय, एक सी डी एम मेकेनिज्म है जिसका मैंने आपको पिछली बार जिक्र किया था कि जितने भी कार्बन डाई-आक्साइड से होते हैं, अगर हम रजिस्टर्ड करा लें तो, आपको मालूम है, राजस्थान स्टेट मिनरल एण्ड मैटल कारपोरेशन पहली ऐसी इकाई थी जिसने पहली बार इस कार्बन फुट-प्रिंट से कार्बन क्रेडिट का लिया था। कोई रजत मिश्रा जी उस टाइम पर एम डी थे, उन्होंने जिस टाइम में उस कार्बन सर्टिफिकेट को ट्रेड किया था, उस वक्त 9 यूरो/डालर की रेट थी। इसी डिस्काम में चाहे आप रिन्युएबल एनर्जी का ले लें, चाहे डिस्काम का ले लें, इन्होंने जब ट्रेड किया ना, क्योंकि ये शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज पर गए, इनसे पहले तो पता ही नहीं पड़ा कि आखिर इसको करें कैसे? ये शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज पर गए, शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज पर जाते-जाते वह 9 डालर से गिरता-गिरता 5 डालर पर आ गया। जब इन्होंने वहां जाकर अपना कुछ लोड किया फिर ये बैठ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कोई स्टाक ट्रेडिंग कम्पनी थी क्या, स्टाक ब्रोकर्स थे क्या जो शेयर्स पकड़कर रखे हुए थे? बाद में जब इनको पता लगा, जब चाइना आ गया इसके अन्दर तो .10 में इन्होंने पूरा आप्शन लोड किया है। इनके पास में 1 करोड़ रुपए का तो नकद लास हुआ और अगर आप 9 से इसे गिने तो 18 करोड़ का लास करके बैठे हुए हैं। इनके पास जो प्रतिभूतियां थीं, बेच देते उसको तो उस दिन इनको कम से कम 9 रुपए डालर के हिसाब से रेट मिलती।

मैं चूंकि आप बार-बार कर रहे हैं, इसलिए मैं एक ओफ-बजट बोरोइंग्स के बारे में पूरा रास्ता दे देता हूं। सी.के. मैथ्यू साहब की एक चिट्ठी है, देवस्थान विभाग की बात है। देवस्थान विभाग का अपने रूल्स से गजट नोटिफिकेशन 1955 में किया हुआ है। इन्होंने नए रूल्स लागू किये ना, उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं किया है। देवस्थान में, विभाग में ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी निजी आय है। निजी आय का लेखा-जोखा आपके सामने नहीं आता है। चीफ सेक्रेटरी साहब जब फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इन्होंने अपनी चिट्ठी पर यह मार्क कर दिया, ''It is advisable that the fund is brought within the ambit of the regular government mechanism of budget and formal approval. It could be possible to regularize all action taken while also laying down rules and directions for the utilization of these funds for the future.'' मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आर्टिकल-2, 93 सेक्शन-3 का पूरा उल्लंघन है या नहीं है? इनकी चिट्ठी लिखने के बाद, अब तो ये मुख्य सचिव बन गए, कार्यवाही नहीं हुई तो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं यह मानता हूं कि जितना पैसा इस डिपार्टमेंट का खर्चा है वह असंवैधानिक पैसा है। अगर फाइनेंशल इसकी बात करें तो it is embezzlement, अगर आप कारपोरेट सेक्टर की बात करें तो it is 'gaban'. और आम आदमी के मुंह से अगर बात करें तो it is corruption. आपको रोकना चाहिए इस चीज को।

मैं आखिरी में इन बच्चों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि एप्रोप्रिएशन से सम्बन्धी यह बात नहीं है लेकिन क्योंकि बजट पर और ग्रांट पर मुझे बोलने का मौका दिया है, यह एस टी सी और बी एड वालों को लड़ा रहे हो आप। यहां हमारे मंत्री महोदय भी विराजे हुए हैं जिनके पास यह डिपार्टमेंट रहा है और आपके मंत्री भी विराजे हैं, 1 से 5 वालों के लिए आप एस टी सी लागू कर दें, 5 से ऊपर वालों के लिए बी एड लागू कर दें। जब नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, वह इस बात के लिए आपको पाबंद करता है तो फिर आप नए-नए कानून क्यों ढूंढ रहे हैं? बी एड करता है एक साल में, एस टी सी-बी एस टी सी करता है दो साल में; बी एड में 1 से 5 तक को पढ़ाने का कोई पाठ्यक्रम ही नहीं है, एस टी सी में 1 से 5 पढ़ाने का भी है और 5 से 8 पढ़ाने का भी है। इन बच्चों को दर-दर भटकने को क्यों बाध्य कर रहे हो?

आदरणीय, अब आपने इतना ले लिया, वह ठीक है पर एक आप, डा. दिगम्बर सिंहजी विराजे हुए हैं, इन्होंने आपको कहा था 108 का, मैं इस पर नहीं जाता कि 108 आपने किसको दी और क्यों दी लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि आपने एम ओ यू में अमेण्ड्मेंट क्यों किया? आपने नए को दे दी जिसमें मंत्रियों के भी बच्चे थे और कई के थे, आपने दे दी ना, आप तो मुझे यह बता दो, उस दिए हुए एम ओ यू में आपने अमेण्ड्मेंट किया है क्या? वह 85,000 रुपए फ्लैट ट्रिप पर थी, आपने, छह महीने बाद आपकी हाई पावर कमेटी ने बैठकर उसको किलोमीटर से कर दिया। किलोमीटर से करने के बाद में, मैं आपका ही ग्राफ का डैटा बताता हूं, अगर आप इसे देखेंगे तो 31 फीसदी आपने किलोमीटर से करके, 25 किलोमीटर तक तो आपने फ्लैट में और उसके बाद में आपने कहा कि जैसे किलोमीटर बढ़ेगा वैसे घटाएंगे। तो आपको मालूम है कि जितना पैसा आपने आज तक उनको दिया, उसमें से सिर्फ 32.35 ऐसे ट्रिप हैं जो 30 किलोमीटर या उससे कम आएंगे, बाकी सारे ट्रिप 30 किलोमीटर से बाहर आएंगे। अगर आपको इस प्रकार संशोधन करना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

था तो दुबारा बिड बुलानी चाहिए थी। There is no other word for it but financial embezzlement, in trying to give the benefit to somebody, an institution or corporate sector or whatsoever.

मैं माफी चाहता हूं, आपका मैंने बहुत टाइम लिया। फिर भी आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत अच्छा। टाइम तो बहुत लिया लेकिन अच्छा बोले आप। मैं माननीय सदस्यों को पुकारूं उससे पहले अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय का ध्यान रखें। (व्यवधान) मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप विराजिये।

माननीय श्री ओमजी बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, समय आप प्रोपर दें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप अपनी बात स्टार्ट करिये। आप अपनी बात स्टार्ट करें। इसमें है कि समय की पाबंदी की जा सकती है आसन के द्वारा। आप समझदार व्यक्ति हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ डिमांडों पर यहां पर चर्चा हुई, कुछ मुखबंद हुई और उसके माध्यम से आज 71,859 करोड़ रुपये की निधि को व्यय करने की अनुमति यह विधायिका आज कार्यपालिका को देगी और उसके बाद सरकार जो उनका बजट है, उनकी योजनाओं के आधार पर पैसा खर्च करेगी।

हम सब के लिए चर्चा का विषय है और चिन्ता का विषय भी है; हम परिवार का बजट भी बनाते हैं तो उसमें भी बजट के समय ये प्रावधान रखते हैं कि जो कर्जा ले रहे हैं उस कर्जे को भविष्य में कैसे चुकायेंगे, किस तरीके से चुकायेंगे। जनता हमें ट्रस्टी के रूप में सरकार में भेजती है। केवल हम कर्जा लेते जाएं और फिर कर्जा अगली सरकार को ट्रांसफर हो जाए, फिर अगली सरकार को ट्रांसफर हो जाए, यह राजस्थान की जनता के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से कर्जे का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, 2005 से लेकर 2008 तक हमारी भी सरकार रही, हमने भी कर्जा लिया लेकिन उस कर्जे का जो अनुमान था वह 5,500 करोड़ रुपये था और कुल कर्जा 76,137 करोड़ रुपये था लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने तीन वर्ष में कर्जा लिया, वह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। आठ हजार करोड़

(श्री ओम बिरला)

रुपये प्रति वर्ष कर्जा हमने भी लिया है, हमने बताया पांच हजार करोड़ और आपने लिया प्रति वर्ष आठ हजार करोड़ और यह कर्जा बढ़ गया 1,16,000 करोड़।

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों ने ही लिया है राजस्थान की सरकार ने नहीं लिया है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान की सरकार ने लिया लेकिन सरकार में ट्रस्टी के रूप में बैठते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बाद की बात है, पहले सरकार है, बाद में पार्टी है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 1,16,000 करोड़ रुपये कर्जा लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार ने कर्जा लिया लेकिन अभी शाहपुरा से आने वाले मेरे मित्र बता रहे थे, जिस तरीके से कर्जे को, कर्जे की देनदारियां, गारंटियां जिसका अनन्त भार भी, क्योंकि जिन बिजली कम्पनियों की बात कर रहे हैं, 2000 में जब सरकार ने बिजली कम्पनियां बनाईं, उस समय सरकार ने जो भी बिजली कम्पनियों का घाटा था, निल बैलेंस करके और चार कम्पनियां बनाईं। राजकीय उपक्रम इसलिए बनाते हैं कि वे प्रोफिट में चलें, उनकी अलग बैलेंस शीट हो, उनकी अलग आडिट हो और उन पर लायबिलिटीज रहें लेकिन सरकार ने जिस तरीके की, 2012-13 के अन्दर हम अगर सरकारी गारंटियां भी जोड़ें इसमें तो 1,66,000 करोड़ रुपये का कर्जा आज राज्य की जनता पर है। यह कर्जा इसलिए चिन्ता का विषय है कि जिस तरीके से बिजली कम्पनियां चल रही हैं, जिस तरीके से रोडवेज चल रही है, आर टी डी सी चल रही है, जिस तरीके से राजकीय उपक्रम चल रहे हैं, 48 हजार करोड़ से ज्यादा बिजली कम्पनियों का कर्जा, कहीं अंधेरे में नहीं दिखा कि सरकार इस कर्जे को कम कर पाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कर्जा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2008 तक जो कर्जा था वह 11 करोड़ 332 लाख था, वह कर्जा जिस तरीके से तीन साल के अन्दर बढ़ा है, सरकार ने टैरिफ भी बढ़ाई है लेकिन सरकार की, कारपोरेशन की गलत नीतियों के कारण इन बिजली कम्पनियों का जो लगातार कर्जा बढ़ रहा है, यह चिन्ता का विषय है। सरकार की अगर बिजली खरीद के अन्दर, बिजली बैंकिंग के अन्दर दूरदर्शिता नहीं होगी, आंकड़े देखते हैं तो लगता है सरकार चलाने वाले लोग कैसे बैठे हैं। जनता का पैसा है, एक-एक पैसे का उपयोग होना चाहिए। सरकार

(श्री ओम बिरला)

ने घोषणा कर दी चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि आठ घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे सिंगल फेज बिजली देंगे, आपने घोषणा की थी लेकिन आपको पता नहीं, बिजली कम्पनियों की हालत नहीं है। आप तो राज्य के मुख्य मंत्री रहे थे, आप तो अनुभवी थे, क्यों नहीं आपने घोषणा पत्र बनाने के पहले इन बिजली कम्पनियों के अनुपात घाटे की चर्चा की? और जैसे ही सरकार बनी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली कम्पनियों की अदूरदर्शिता के कारण, सरकार के अनिर्णय के कारण जो बिजली अगर दीर्घकालीन में हम खरीदते तो शायद वह बिजली हमें 1.38 से 2.38 तक, तीन रुपये तक पड़ती लेकिन हमने इमरजेंसी में बिजली खरीदी जो बिजली पांच रुपये से नौ रुपये यूनिट महंगी की थी। हमने बिजली बैंकिंग के अन्दर भी टेण्डर पालिसी नहीं अपनाई। पंजाब ने टेण्डर पालिसी अपनाई, हरियाणा ने टेण्डर पालिसी अपनाई। बिजली बैंकिंग में अगर कम्पनी टेण्डर पालिसी अपनाती तो बिजली कम्पनियों का घाटा कम आता लेकिन बिजली कम्पनियों के घाटे के बारे में सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कहा कि बी पी एल आवास बनायेंगे, गांव में आवास बनायेंगे और किससे किया, आवास का पैसा कहां से आएगा, सरकार चूंकि जिला परिषद पर अनैतिक बोझ डालना चाहती थी, क्यों नहीं सरकार ने ऋण लिया? क्यों ग्रामीण विकास से फाइल गई वित्त विभाग में? वित्त विभाग ने लिखा कि हम अत्यधिक कर्जा ले रहे हैं, अगर इसका कर्जा लेंगे तो और कर्जा बढ़ेगा। वित्त विभाग से ग्रामीण विकास में फाइल गई। फाइल में इस तरीके से योजना बनाई कि सी ए जी की आडिट नहीं आए और जिला परिषदों पर दबाव डाला गया और जिला परिषदों से ये बी पी एल आवास का ऋण लिया गया। 3,600 करोड़ रुपये का ये पैसा लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जिला परिषद में रहे हो, पंचायत में भी रहे हो, मैं तो कोई पंचायत, जिला परिषद में नहीं रहा लेकिन मेरा दावा है कि किसी भी जिला परिषद की कोई रेवेन्यू ऐसी नहीं है जिसके आधार पर वह बी पी एल आवास का पैसा चुका सके। सरकार अनुदान के रूप में देगी। अगर सरकार को अनुदान के रूप में ही पैसा देना था तो अच्छा है, आपकी महत्वाकांक्षी योजना है, गरीब के घर का मकान बनाना चाहते हो, उसको बत्ती देना चाहते हो तो आपने डाइरेक्ट ऋण क्यों नहीं लिया? क्यों इनडाइरेक्ट जिला परिषदों से लिया?

यह ही आप करोगे, शहरी बीपीएल आवास योजना बनाओगे। क्या

(श्री ओम बिरला)

हालत है नगरपालिकाओं की? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार उसी तरीके से शहरी बीपीएल आवास में, वे गरीब नगरपालिकाएं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। केवल जयपुर का जे डी ए ले लो, कोटा का नगर निगम ले लो जिसकी भी हालत खराब हो चुकी है, ऐसी नगरपालिका, नगर निगम को छोड़कर जो छोटी नगरपालिकाएं हैं, उन पर शहरी बीपीएल आवास का आप आर्थिक बोझ डालेंगे, उन पर दबाव बनायेंगे और फिर कहेंगे कि हम आपको अनुदान के रूप में दे देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हम सबकी चिन्ता का विषय है, इस सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा, जो हम सबके लिए चिन्ता का विषय है, मैं केवल आंकड़ों के आधार पर बताऊं तो 52 प्रतिशत हिस्सा गैर-योजना व्यय में

(15.00 बजे)

खर्च होता है, 17 प्रतिशत हिस्सा कर्जे और ब्याज में खर्च हो जायेगा, 4 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र प्रवर्तित योजना में हो जायेगा; हमारे पास बचेगा 27 प्रतिशत। उस 27 प्रतिशत में हम पूरे प्रदेश की योजना बनाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं ऐसी आती हैं जिसका कोई लाभ नहीं होता लेकिन हमें उन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को पैसा देना पड़ता है क्योंकि रेश्यो 80:20, 90:10 का होता है लेकिन हम जिस तरीके से 27 प्रतिशत में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार कार्य योजना बनायेंगे तो हम सबके लिये चिंता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बा नहीं जाऊंगा। मेरी, आपकी और सदन की चिंता यही है कि आखिर हम पैसे की रेवेन्यू रिसीट्स लायेंगे कहां से; हम पैसा लायेंगे कहां से, यह सब सदन की चिंता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हमने बिक्री कर में वृद्धि की, बिक्री कर में हमने 15.56 परसेंट वृद्धि की लेकिन इस बिक्री कर में सरकार का क्या उपयोग? पेट्रोल-डीजल में सरकार का कोई प्रयास नहीं; गैस में सरकार का प्रयास नहीं; विलायती शराब, हम शराब पर रोक लगाना चाहते थे, हमने शराब की बिक्री ज्यादा की; पीने वाला पीयेगा, यह कहते थे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, उसमें हमारा कमिटमेंट नहीं। हमारा कमिटमेंट आज नहीं है, हम खुद का राजस्व नहीं बढ़ायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि केन्द्र सरकार से लगातार ज्यादा अनुदान मिलने से, हम 2008-09 के कर हिस्से की बात करें और आज के कर हिस्से की बात करें तो 12,885 करोड़ रुपया हमें केन्द्र से ज्यादा अनुदान मिला है।

(श्री ओम बिरला)

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र से अनुदान और राज्य से रेवेन्यू, ये दो विषय गम्भीर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी चिंता है, राजस्थान में बहुत बड़ा भू-भाग है, राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर भी है। अगर हमारी रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो शायद इस राजस्थान में हम औद्योगिकीकरण के माध्यम से, उद्योगों को लगाने से, उद्योगों का वातावरण बनाने से, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, यहां के भू-भाग में किस तरह से हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उस विजन के आधार पर अगर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट करेंगे तो केन्द्र का हिस्सा जो सेंट्रल एक्साइज में जायेगा उसका हिस्सा भी मिलेगा, हमें स्टेट का रेवेन्यू भी मिलेगा और स्टेट के रेवेन्यू के साथ हम हमारे रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में राजस्थान पर्यटन उद्योग के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता था लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है, राजस्थान के पर्यटन की स्थिति क्या है? इनके आर टी डी सी के गेस्ट हाउस चले जाओ; कोई बाहर से आता होगा, राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन के गेस्ट हाउसेज हैं, क्या हालत है उनकी? हम राजस्थान में पर्यटन में व्यापक वृद्धि के साथ हमारे इन्कम सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यहां पर बैठे लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि राजस्थान में जो खनिज है, उस खनिज को अगर हम ठीक से आपरेट करें तो राजस्थान में खनिज के माध्यम से हम नया जनरेशन कर सकते हैं।

एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ लगातार गिरती जा रही है। यह हमारा चिंता का विषय है कि 2005 से 2011 और 2012 में करें, 5.41 पर पहुंच गई है। उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रयास कर सकते हैं, हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाये, एग्रो-इंडस्ट्रीज लगायें और एक एग्रो-इंडस्ट्री का हब, मेरे साथी रामलाल जी बता रहे थे, हमारे यहां आंवला होता है लेकिन आंवले की एक इंडस्ट्री नहीं हैं। हमारे यहां लहसुन होता है, लहसुन को फेंकते हैं, गरीब किसान सस्ती दर पर बेचता है। हमारा प्रयास होना चाहिये, हमारा विजन होना चाहिये कि किस तरह से मसाला उद्योग पनपे। जीरे से लेकर तमाम चीजें यहां होती हैं, हमारा प्रयास होना चाहिये कि एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री के माध्यम से हम किस तरह से राजस्थान में प्रगति कर सकते हैं। यह हम सबके लिये चिंता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के खराब वित्तीय प्रबंधन की चर्चा नहीं करना चाहता, वित्तीय प्रबंधन की हालत बहुत खराब है। जितना हम

(श्री ओम बिरला)

एप्रोप्रिएशन बिल में हम सरकार को देते हैं, उसका पैसा भी सरकार खर्च नहीं कर पाती। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी चिंता है। हम जो कर्ज लें, उस कर्ज का उपयोग आम जनता के लिये होना चाहिये। मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं, ए डी बी से लोन लिया 1,550 करोड़ का, फिर लिया 1,550 करोड़ का; क्या हाल है? माननीय मंत्री महोदय चले गये, उन्होंने बहुत दावा किया था, स्वायत्त शासन मंत्री थे कोटा के, ए डी बी का 100 करोड़ रुपया लेकर आया हूं, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करूंगा, नया कोटा बनाऊंगा लेकिन हालत क्या है, 90 करोड़ रुपया उस सीवरेज पर खर्च करने के बाद भी, जो इनकी सरकार में खर्च किया, हमारी पांच साल की सरकार चली गई, तीन साल से स्वायत्त शासन मंत्री हैं, वे सीवरेज कनेक्शन नहीं हुए और उसका 90 करोड़ रुपया, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ।

ऐसे मैं हजारों कर्ज बता दूं, कर्ज मिल रहा है, ले रहे हैं, कर्ज का क्या उपयोग हो रहा है, आम जन को क्या रिलीफ मिल रही है उसको सरकार देखती नहीं है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिल रहा है, अंततः वह कर्जा सरकार पर पड़ेगा; सरकार पर नहीं पडेगा तो कारपोरेशन पर पड़ेगा और अंततः कहीं न कहीं जाकर वह आम व्यक्ति पर पडेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, राज वह होना चाहिये जिसमें आम जन को हम राहत पहुंचा सकें। आज जिस तरीके के हालात और चिंता है उस चिंता पर राज नहीं चलना। आप बी पी एल आवास बना लो, शहरी आवास बना लो, आप गरीब को दवा दे दो, गरीब की दवा की हालत देखो। आप खुद के प्रतिवेदन नहीं पढ़ते, इस राज की आधी आबादी, 6 करोड़ में से 3 करोड़ आबादी बीमार हो और उसके लिये आपके पास 350 करोड़ रुपया, एक व्यक्ति पर 10 रुपया; आप कौनसी योजना के आधार पर चलना चाहते हो?

उपाध्यक्ष महोदय, हम सबकी चिंता यह है कि आपने बजट पर डिबेट भी कर ली, राजस्थान के विधायक अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं, अगर सरकार डिबेट के लिये चिंतित हो, बजट को ठीक से बनाना चाहती हो, अपने पैसे को, एक-एक पैसा ठीक से नियोजित करना चाहती हो, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक पैसे का भी नियोजन हो तो वह आम जन के कल्याण के लिये हो, उस गरीब, पीड़ित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लिये हो लेकिन यह सरकार जो योजनाएं बनाती हैं इन योजनाओं में न तो सरकार का विजन है, न कार्ययोजना है, न फीडबैक है। इनके खुद के युवराज राहुल गांधीजी कहते थे,

(श्री ओम बिरला)

जब यू पी के चुनाव में गये, मुझे उनकी कुछ बातें अच्छी लगीं। उन्होंने कहा कि एयर-कंडिशनर में बैठकर ये मंत्री और अधिकारी जो बजट बनाते हैं, जो बजट पर खर्चा करते हैं, उनको शायद उस गांव में बैठे हुए उस गरीब किसान की, उस मजदूर की हालत का पता नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि माननीय राहुल गांधीजी की बात मान लेते। बजट बनाते समय आप गरीब से चर्चा मत करो, किसान से चर्चा मत करो, मजदूर से चर्चा मत करो, अगर राजस्थान के सरपंचों से लेकर तमाम विधायकों और गरीब से चर्चा होती कि हमने आज तक बजट में इतना-इतना पैसा दिया है, वह ठीक से नियोजन हुआ या नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, उस पैसे का ठीक से नियोजन नहीं होने के कारण आज भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है, आज भी राजस्थान बैकवर्ड है।

नरेगा में एक सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जिस नरेगा में पैसा केन्द्र से आया, उसमें मेरा एक सुझाव है। नरेगा में काफी पैसा आया। उस नरेगा के तीन साल के पैसे को एक-एक पंचायत और गांव में विभाजित कर दो तो शायद यह स्वर्णिम राजस्थान बनता, उस गांव की दशा परिवर्तित हो जाती। लेकिन सरकार को एक बात करनी है, वह बात करनी है, हम जानते हैं कि लेबर के कम्पोनेंट को हम कम नहीं कर सकते लेकिन मैटेरियल में हम पी डब्ल्यू डी ले लें, जैसे कल माननीय भरत सिंहजी चर्चा कर रहे थे कि इस नरेगा को विभागों से जोड़ने की आवश्यकता है, मैटेरियल का पैसा पी डब्ल्यू डी विभाग, नरेगा का पैसा लगे, इर्रिगेशन में लगे, फोरेस्ट में लगे; तमाम चीजों में इस नरेगा के धन को और उस डिपार्टमेंट के धन को जोड़कर हम प्रयास करके कार्ययोजना बनायेंगे तो हम राजस्थान के गांव का कायाकल्प कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह अधिकार जरूर दे रहे हैं लेकिन इस चिंता के साथ दे रहे हैं, जिस तरह से कर्जा बढ रहा है और कर्जे के आधार पर जिस तरीके से पैसा ठीक से नियोजित नहीं हो रहा, हम सबकी चिंता है कि अगर एक पैसे का भी कर्जा हो और एक पैसा भी सरकार का खर्च हो, वह ठीक से नियोजन हो; उस आम जन के कल्याण के लिए हो, उस गरीब का जीवन स्तर उठाने के लिए हो और उसको ठीक से पैसा, ठीक से उसको भोजन मिले, ठीक से उसका कल्याण हो, उसके लिए होना चाहिए। सरकार चिंता करे तो ठीक, नहीं तो फिर चुनाव आएंगे, फिर परिवर्तन कर देंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री ओम बिरला)

सरकार में बैठे हुए लोगों से एक ही चिंता है, सारे मंत्री अपने-अपने विभाग का एक बार रिव्यू करें जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है उसके नियोजन का लेखा-जोखा लें ताकि यह पैसा आम जन तक खर्च हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, बिरलाजी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: नो, अंकित नहीं होगा। यह समय नहीं है, एप्रोप्रिएशन बिल चल रहा है। आप विराजिए। और भी दस पर्चियां हैं मेरे पास।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप रहने दें, कुछ भी अंकित नहीं होगा। आप सीनियर विधायक हो, आप सोचिए ना बात को। ऐसा नहीं होगा, माफ कीजिए।

माननीय डा. फूलचन्दजी भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्षजी, अर्थ संकल्प का अंतिम दिन है। प्रजातंत्र में जो भी हम बजट के माध्यम से या संविधान की धाराओं के अन्तर्गत पैसा निकालते हैं और खर्च करते हैं, उसमें जनता को एक-एक पैसे का पूरा हिसाब लेने का अधिकार है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों को एक-एक पाई का हिसाब देने का धर्म है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, आज का यह जो बिल है इसमें 78,889 करोड़ रुपये की राशि का हमने प्रावधान किया है; 11,269 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होंगे; पूंजीगत व्यय की बात करें तो 1,515 रुपये प्रति व्यक्ति हम खर्च करेंगे। ये केवल प्रस्ताव हैं वास्तविक व्यवहार, वास्तव में कार्यपालिका पैसे के मामले में या खर्च करने के मामले में जो व्यवहार करती है वह कहानी कुछ और ही है।

मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, 2010-11 की सी ए जी की रिपोर्ट मुझे मिली है, लेट मिली है लेकिन फिर भी उसमें कुछ तथ्य हैं, 61,173.88 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया था उसमें से 5,398.91 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं हुए। यह मैं 2010-11 का निवेदन कर रहा हूं। प्रति व्यक्ति 8,753 रुपये खर्च होने थे, 785 रुपये तो शेष ही रह गए। सी ए जी ने 2010-11 पर जो टिप्पणी की है, वह बानगी के रूप में पेश कर रहा हूं। पहली बार सी ए जी ने कहा है, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, इनके अन्तर्गत हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट बिलों को पास करता है और उस पर टिप्प्णी करता

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

है। उसके नियम बने 18 वर्ष हो गए; उपाध्यक्षजी, 18 वर्ष पहले यह लेखा नियम बने थे, उसके बाद कितने प्रकार के चेंज हो गए और कितने प्रकार के जो सोचा ही नहीं था, ऐसे-ऐसे प्रकरण पकड़े गए हैं, वित्तीय अनियमितताएं, फिर भी इन नियमों को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उपाध्यक्षजी, कौटिल्य शास्त्र में, कहते हैं कौटिल्य, कोषागार और भण्डारक की वह स्थिति है जो पानी में मछली की है, यह मालूम नहीं पड़ सकता कि मछली कब पानी पी गयी क्योंकि पानी में रहती है। इसलिए भण्डारक और कोषागार, इनके बारे में 18-19 साल से नियम नहीं बदले तो कैसी हो रही है स्टेट में, रोज पकड़े जा रहे हैं, केस पकड़े जा रहे हैं इस कारण से।

मैं निवेदन करूं, हम ब्याज दे रहे हैं, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। मैं एक बानगी दे रहा हूं, 2010-11 में 1,697 पी डी खातों में 2,083.53 करोड़ रुपये शेष पड़े रहे और हम ब्याज चुकाते रहे। ब्याज भी कितना चुकाया हमने, 299.73 करोड़ रुपये हमने अतिरिक्त ब्याज के रूप में चुकाए। यह हमारी एफिशिएंसी की बात है जिस पर हमें समीक्षा करनी चाहिए, आत्मावलोचन करना चाहिए। उपाध्यक्षजी, इतना ही नहीं 29.83 करोड़ खाते से निकाल लिए गये और बाद में छह महीने बाद, आठ महीने बाद में 31 मार्च को वापस जमा करा दिए। इस पर तो ब्याज लगना ही था, ब्याज लगा। कौन जिम्मेदार है? पकड़ा क्या उसको? दण्डित किया क्या उसको? किसके कारण से पैसा निकला और क्यों वापस जमा हो गया?

इतना ही नहीं, 15,517 प्रकरण अनुदान के, 2,923 करोड़ के प्रकरण आए; उपाध्यक्षजी, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त नहीं होने के कारण से केन्द्र से हमें बजट नहीं मिला। कौन उसके लिए जिम्मेदार है? एन ओ सी नहीं दी गई, यूटिलाइज सर्टिफिकेट, एन ओ सी नहीं दी गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पैरा नम्बर 65 पर बजट अनुमान के बारे में लिखा गया है कि यह जो पैसा बचा, 5,368 करोड़ रुपये बचे, उसमें से 4,628 करोड़ रुपये तो केवल 31 मार्च को सरेंडर हुए इस स्टेट में। पानी के लिए त्राहि-त्राहि करते हैं, पांच-पांच हैण्डपम्प के लिए हम सेक्रेटरी से मिलते हैं, कलक्टर से मिलते हैं, पांच-पांच हैण्डपम्प नहीं देते। यह पैसा तो 31 मार्च को सरेंडर हुआ है, श्रीमान। यह ब्याज में नहीं गया क्या पैसा? एक-एक पाई का जनता को हिसाब लेने का अधिकार है।

इसी प्रकार से एक विषय आया, अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया था, सहकारिता डिपार्टमेंट में केन्द्र से पैसा मिला,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

मिलना था 16.80 करोड़ रुपये; केन्द्र को अनुमोदन के लिए भेजा जाना था पत्र, बजट उस साल मार्च में ही पास हो गया था और आवेदन दिसम्बर 2010 में दिल्ली पहुंचा और आते-आते यह हुआ, इसलिए सारी राशि लेप्स हो गई। कौन जिम्मेदार है पकड़ो उसको। कौन है वह, जिसने दिसम्बर में किया? या तो मंत्री जिम्मेदार है या उसका अधिकारी जिम्मेदार है। अनुमोदन कराना था केन्द्र से, नहीं करा पाए, इसके कारण से यह स्थिति हुई।

आगे पेयजल की स्थिति है हम एक-एक हैण्डपम्प के लिए तरसते हैं, 2009-10 में जलापूर्ति और सफाई पूंजीगत व्यय में 1,071 करोड़ रुपये बच गए, बजट का 34 परसेंट बच गया और हम एक-एक हैण्डपम्प के लिए त्राहि-त्राहि करते हैं। गरीब तरसते हैं, आंदोलन करते हैं कि हमारे यहां टैंकर लगाया जाए और यह पैसा पड़ा रहा। ऐसे ही 2010-11 में 705 करोड़ रुपये बच गए, 38 परसेंट; जो अलाट किया उसका 38 परसेंट अनुपयुक्त पड़ा रहा। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 138 में राज्य बजट नियमावली का प्रावधान है, उसमें वित्त विभाग का यह निर्देश है 138 में कि ज्यों ही आपको यह मालूम पड़े कि यह पैसा बच रहा है, तुरन्त करना है लेकिन 85 परसेंट पैसा सरेंडर ही नहीं किया गया।

इतना ही नहीं, एक साल की बचत की बात नहीं है, किन-किन डिपार्टमेंट में, किन-किन गरीब डिपार्टमेंट में कल्याणकारी सरकार की स्थिति है, तीन वर्ष तक लगातार बजट दिखाते रहे। पहला है वन, 49.44 परसेंट; पी डब्ल्यू डी जिसमें सड़कों के टूटने की बात कल हमने उठाई उसमें, वर्तमान को तो नहीं लेकिन यह तो उस समय कहा जब और मंत्री थे, 22.33; सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं में 498 करोड़ रुपये बचते रहे तीन साल तक। सिंचाई में, खालों की बात करते रहते हैं हमारे गंगानगर से आने वाले राधेश्यामजी, वगैरह, 181 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं हुए तीन साल तक लगातार; स्वास्थ्य में 26 परसेंट खर्च ही नहीं हुआ; रोग निवारण/नियंत्रण के लिए जो पैसा है उसमें 40 परसेंट पैसा खर्च नहीं हुआ तीन साल तक; परिवार कल्याण पर आ जाइये तो 66 परसेंट का उपयोग ही नहीं हुआ।

जनजाति क्षेत्र, जिसकी हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए, मैं तो गांव का रहा हूं, बहुत तकलीफ में है वह क्षेत्र। उसकी आप स्थिति देखिये, स्वास्थ्य के बारे में आपने जो पैसा दिया, 10-11 में 94 परसेंट खर्च नहीं हुआ; एस सी, एस

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

टी, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए 27 परसेंट; और ट्राइबल एरिये के लोगों को रोजगार देने के लिए 81 परसेंट पैसा खर्च नहीं हुआ। कुपोषण के लिए, कुपोषण के शिकार हैं वास्तव में, आप कल्पना नहीं कर सकते, एक जीप के चारों तरफ 35 वनवासी लड़कियां रोजगार के लिए टिफिन लेकर आती हैं, 35 तो बाहर खड़ी होती हैं उस जीप के चारों तरफ, कितना वजन होता है, 22-22, 23-23 किलो होता है; पैसा 100 परसेंट उसमें लेप्स हो गया। कौन है इसका मंत्री, आप पूछो तो सही।

इसी प्रकार से शिक्षा की जो बचत है, शिक्षा पर 49 पर आया बचत में, 257.42 करोड़ रुपये; और उत्तर दिया गया सरकार की तरफ से, छठे वेतन-मान का एरियर कालेज शिक्षकों को नहीं दिया गया। अमानत में खयानत। एरियर तो आपने जमा किया है उनका, वह एरियर आपने उनको नहीं दिया, बचत दिखा दिया, बचत हो रही है उसके कारण से। नगर आयोजन में जहां सड़कें टूटने की बात हम करते हैं, जगह-जगह बात करते हैं, उसमें भी 669 करोड़ रुपये का व्यय कम हुआ है।

इतना ही नहीं, और निवेदन करूं आपसे, क्या-क्या हम चाहते हैं, गरीबों के लिए एक पालनहार योजना सरकार ने चलाई। उसमें, जिसके कोई कमाने वाला नहीं, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, कपड़ों के लिये रुपये मिलते हैं। पालनहार योजना में 4,792 प्रकरण आये और उसमें से 4,335 में 16 महीने का विलम्ब हुआ, 16 महीने तक। मतलब जिनके मां-बाप मर गये, उन बच्चों को 16 महीने तक किसने सम्भाला, आप अंदाजा लगा लो। यह सदन क्या चिन्ता करेगा? यह गरीब की चिन्ता करने वाली स्थिति है क्या?

इसी प्रकार से अनुप्रति योजना, मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में कहा था कि एस.सी., एस.टी. के जो होनहार बालक हैं, उनको हम कम्पीटिशन की तैयारी करने के लिये पैसा देंगे, एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ उनके लिये। पैसा हुआ, कहीं-कहीं कालेजों में फर्जी बिल बनाये गये, लेकिन वह बच्चों के डवलपमेंट से पेमेण्ट कर दिया गया। उसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी लगाया था, कोई जवाब नहीं आया।

इतना ही नहीं, उस रिपोर्ट में कहा गया, जल-आपूर्ति योजना, यह रोज, कल भी, परसों भी सदन डूबा हुआ था जयपुर के पानी के बारे में, उसमें स्पष्ट टिप्पणी है, जल-आपूर्ति योजना पूर्ण नहीं होने के कारण से

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

चिन्ताजनक...। इतना ही नहीं, उद्योग मंत्रीजी यहां अब तो नहीं बैठे हैं, उद्योगों के इन्वेस्टमेंट के लिये भी नाटक किया, विदेशी लोगों को हमने बुलाया और हमारे सचिव और मंत्री, दोनों उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाये। यह हकीकत है।

यह लिख रहा है, यह सी.ए.जी. रिपोर्ट में लिख रहा है कि 148 महीने तक राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार को जवाब दे नहीं पाई। किस बात का, केन्द्रीय सहायता की योजना इण्डस्ट्री में लेनी थी आपको, उसमें फूड-पार्क बनाना था, आर्थिक जोन बनाना था, संवर्द्धन केन्द्र बनाना था, ढांचागत विकास करना था; जवाब नहीं दिया 148 महीने तक। यह तो 1998-99 का है, 1998-99 में आप ही थे सरकार में, उस समय ये ही मुख्य मंत्री थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं भेजा 148 महीने तक। और इतना ही नहीं, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब कितना हुआ, 143 महीने का। 143 महीने तक भूमि अधिग्रहण नहीं कर पाये हम। इण्डस्ट्री लगाएंगे, इंतजार करेंगे, क्या विदेशी निवेशक इंतजार करेंगे हमारा कि कब भूमि देंगे, कब हम आएंगे?

विद्युत की क्या स्थिति है, यह तो इसी वर्ष की उपलब्धि है, 2009-10 में 65 प्रतिशत विद्युतीकरण नहीं हुआ। जो किया था, आपने कहा, हम जो पिछड़ी बस्तियां हैं, उनमें देंगे, किसान को देंगे, गरीब को देंगे, बी.पी.एल. को देंगे; 65 प्रतिशत है आपका, ड्राप-आउट है, 65 प्रतिशत हुआ ही नहीं; 10-11 में 42 प्रतिशत नहीं हुआ। इतना ही नहीं, राजस्थान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में अधिसूचना जारी करने में आपको 18 महीने का विलम्ब हो गया। कितना इंतजार करेगी जनता आपके लिये?

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा शोर्ट करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): शोर्ट ही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हालांकि आप बहुत मेहनत करके आए हैं, माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हमने यह तय किया, 2009-10 में तय किया, घोषणा हुई बजट भाषण में, हम एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिये छात्रावास बनाएंगे; 59 छात्रावास प्रस्तावित थे; बजट पास हो गया; कितने पूर्ण हुए, 10 हुए, 15 प्रतिशत; अपूर्ण रहे 37 प्रतिशत। पूर्ण हो गये, कब्जा नहीं लिया; एस.सी., एस.टी. के बच्चे घूम रहे हैं कमरों के लिये लेकिन

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

हमने उनको टेक-अप ही नहीं किया; बन गये लेकिन टेक-अप नहीं किया। इसके बाद, 26 प्रतिशत में तो काम ही शुरू नहीं हुआ। 2010-11 में फिर हमने कम कर दिया कि चलो, बना नहीं सकते, हमारे पास तंत्र नहीं है, इस कारण से सरकार ने उसको घटाकर के कितना कर दिया, केवल 15 प्रतिशत; 7 छात्रावास घोषित किये, उनमें 5 का तो काम ही चालू नहीं हुआ, अभी तक काम चालू नहीं हुआ।

इतना ही नहीं, इन सबके सारांश में दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं, सी.ए.जी. कहते हैं, उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं होने के कारण से भी राजस्थान को केन्द्र का बजट नहीं मिला; पूरा नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था। मैं अभी एक उदाहरण दूं, एक विषय यू.जी.सी. की ग्रेड, राजस्थान के टीचर्स, उसमें यह लिखा, एक शर्त थी कि 60 वर्ष से 65 वर्ष कर दो, जब खाली पड़े हैं विश्वविद्यालय तो 65 वर्ष कर दो। 399 करोड़ का बिल पड़ा है केन्द्र में, यू.जी.सी. में एक 399 करोड़ का बजट पड़ा है और 300 करोड़ के लिये हमने सारी स्थिति बदल दी। अब के बजट में जो टैक्स लगाया है, वह 300 करोड़ का है। 399 करोड़ का तो एक ही बिल पड़ा है। यह एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। दूसरा मुद्दा, सरकार कई मामलों में पूर्णतया अक्षम है, यह 'अक्षम' शब्द लिखा है उसको कोट कर रहा हूं, इस कारण से हम केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं कर पाये। अनियमित भुगतान के खूब आक्षेप हैं।

इस कारण से मैं अंत में यही कहूंगा, एक विषय ऐसा आया केन्द्र से, एम.ओ.यू. विलम्ब के कारण से हमें पैसे नहीं मिले। किसान, गरीब किसान, आप तो किसान हैं, 10 प्रतिशत अंश उनसे लेना था केन्द्र से। ऐसे ही, इस प्रकार की पूंजी या हमारा इन्वेस्टमेंट, 72.51 करोड़ लेप्स हो गये। अब यह स्थिति राज्य की है।

अब मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि और चीजों को ठीक करने की आवश्यकता नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सौ फूल भी उस धरती पर उगाये जा सकते हैं जहां एक फूल भी उचित देखभाल के कारण से मुरझा जाता है। इतना ही निवेदन है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री सूरजभान धानका।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अमरारामजी। आपने वादा किया है, पांच मिनट का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं बोलता हूं, वह जो जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: अलिखित वादा है, इशारा किया है कि पांच मिनट। अब आप जानो। थोड़ा ध्यान रखना आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बिलकुल ध्यान रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में सबसे जो गरीब है, जो दैनिक मजदूरी करता है, न्यूनतम मजदूरी पर निर्भर है। पिछले सवा साल में उसकी मजदूरी तो एक दफा बढ़ाई गई है, जबकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों का मंहगाई भत्ता डेढ़ साल में तीन दफे बढ़ गया। जब भी मंहगाई का सूचकांक बढ़ता है, निश्चित रूप से केन्द्र सरकार जब भी बढ़ाती है, मैं समझता हूं, 24 घण्टे राजस्थान की सरकार नहीं लगाती अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये। इस मंहगाई का बहाना करके हमारे और आपके भी वेतन और भत्तों को बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन राजस्थान का वह गरीब, जो सरकार के कामों में, निजी उद्योगों में, नरेगा में जो काम करता है, जो राजस्थान का सबसे गरीब है, उसकी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, राजस्थान की सरकार ने यह मंहगाई जिस तेजी के साथ 25 प्रतिशत बढ़ी है पिछले डेढ साल में, उसके अनुसार उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाकर...। मैं समझता हूं, राजस्थान का वह गरीब, जो हर जगह राजस्थान का निर्माण करने में लगा हुआ है, राजस्थान के उस गरीब की चिन्ता इस सदन को करनी चाहिए, उसकी मजदूरी को, न्यूनतम मजदूरी को भी बढ़ाना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के साथ-साथ उसको मंहगाई सूचकांक के साथ भी जोड़ना चाहिए ताकि हर बार उस प्रक्रिया में नहीं जाना पड़े। क्योंकि नरेगा में केन्द्र सरकार ने भी इस बात को मान लिया है, उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसको मंहगाई सूचकांक के साथ जोड़ दिया है और अब तो यह भी सैद्धांतिक रूप से निर्णय कर लिया है कि जो भी राज्य सरकार की न्यूनतम मजदूरी होगी, नरेगा के अन्दर भी वही मजदूरी मिलेगी। आज भी हमारी न्यूनतम मजदूरी 135 रुपया है और नरेगा में 133 रुपया। उसमें भी एक राज्य में दो तरह की, उसके पहले 119 थी, अब मंहगाई सूचकांक के साथ बढ़ने से 133 रुपया हुई है। सबसे पुरजोर शब्दों में मेरा एक तो यह निवेदन है कि न्यूनतम मजदूरी, जिस तेजी के साथ मंहगाई बढ़ी है, उसका सबसे बड़ा असर, मैं समझता हूं, उस गरीब पर पड़ता है, उस मंहगाई का, जो न्यूनतम मजदूरी

(श्री अमराराम)

पर काम करता है, चाहे वह निजी कारखानों में करे, चाहे सरकार के कार्यक्रमों में करे।

एक दूसरा, जो महत्वपूर्ण है, उन मजदूरों के साथ, जो हमारी सरकार में काम कर रहे हैं, चाहे हम मानदेय का नाम लें, डेढ़ लाख के करीब महिला कर्मचारी जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, कार्यकर्ता हों, सहायिका हों, उनको मात्र न्यूनतम मजदूरी भी हम नहीं दे सकें। राजस्थान के सवा लाख-डेढ़ लाख मिड-डे मील वर्क करने वाले, उनमें भी 90 प्रतिशत महिलाएं हैं, उनको केवल मात्र एक महीने का एक हजार रुपया। जिसमें 6-7 घण्टे उनको काम सुबह से लेकर दोपहर तक करना पड़ता है। तो इसलिये मैं समझता हूं कि उन गरीबों के साथ जो हमारी सरकार के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, जो महिला और बच्चों के लिये काम कर रही हैं आंगनबाड़ी, जो हमारे बच्चे, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिये मिड-डे मील में जो काम कर रहे हैं, उनको भी हम न्यूनतम मजदूरी नहीं दें और न्यूनतम मजदूरी को नहीं बढ़ाएं, मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी अफसोसजनक बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो राजस्थान का आम अवाम के साथ है, हमारे यहां तेल निकलता है और उस तेल में हमने वादा भी किया, कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पड़ोसी हरियाणा और पंजाब के बराबर हम वैट करेंगे, मैं समझता हूं, पेट्रोल और डीजल पर अगर हरियाणा और पंजाब के बराबर हम वैट को करते हैं तो हमें एक नये पैसे का नुकसान होने के बजाय फायदा होगा। क्योंकि जितने भी हमारे राजस्थान से होकर परिवहन के जितने भी वाहन गुजरते हैं, वे हमारे यहां से डीजल न लेकर हरियाणा, पंजाब से लेते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान उस किसान को भोगना पड़ता है जो बुवाई से लेकर निकालने तक आज डीजल काम लेता है; आम आदमी जो पेट्रोल को काम में लेता है। इसलिये सबसे बड़ी आज जो मजदूर के साथ, आज उस किसान के साथ...।

किसान के साथ जो कुछ भी वादे केन्द्र और राज्य सरकार ने किये हैं, राजस्थान में बहुत, 45 लाख मीट्रिक टन बाजरा पैदा हुआ लेकिन सरकार ने खरीद केन्द्र खोले, लेकिन एक किलो भी बाजरा नहीं खरीदने के कारण उस किसान को 980 रुपये के बजाय 700 रुपये क्विंटल में बेचना पड़ा यही हाल आज गेहूं के साथ हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस हालत में जो किसान न केवल हो रहा है बल्कि हमारे इस देश में सबसे ज्यादा बाजरा

(श्री अमराराम)

पैदा करने वाला कोई राज्य है तो राजस्थान है, लेकिन राजस्थान में बीज पैदा नहीं होगा। हमारा कृषि विभाग कहता है कि हम बीज अच्छी तरह से पैदा, हजारों करोड़ रुपया हाई-ब्रिड बाजरे के बीज के नाम से गुजरात, आंध प्रदेश और तमिलनाडु, जहां पर बाजरा बहुत कम पैदा होता है, यह राजस्थान जो सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है उसका बीज, एक मात्र बहाना कि यहां पर बाजरा पैदा होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के कोटा सम्भाग, उदयपुर सम्भाग, जहां पर कहीं भी बाजरा पैदा नहीं होता, मैं समझता हूं कि वहां पर बाजरे का अगर बीज पैदा, हाई-ब्रिड बीज हमारा कृषि विभाग पैदा करता है तो किसान को भी उसका फायदा होगा। हजारों करोड़ रुपये के बीज का पैसा हमारे राज्य से बाहर जा रहा है, उसमें भी रोकने का काम, मैं समझता हूं, निश्चित रूप से करेंगे।

आज जिस तरह से किसान की हालत हो रही है, उसको उसकी पैदावार का लागत मूल्य नहीं मिलता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 100 रुपये किलो में लाकर लहसुन बोने का काम करता है और जब लहसुन पैदा होकर आता है तो सात रुपये में, पांच रुपये में भी कोई लेने वाला नहीं। आज जो राजस्थान के किसान की हालत हो रही है, मैं समझता हूं कि राजस्थान का किसान जो मात्र खेती के साथ पशु धन से बच रहा था, उसको भी मारने का काम जिस तरह से इस पूरे देश में इस उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों से, वैश्वीकरण की नीतियों से, जिस तरह से सबसे ज्यादा विपरीत असर अगर किसी पर पड़ा है तो उस किसान पर, गांव के उस गरीब पर पड़ा है और उसका नतीजा है कि आज देश में जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारा राज्य किसी तरह से बचा हुआ है तो वह उस पशुपालन से बचा हुआ है। लेकिन उसको भी मारने का काम, जिस तरह से राजस्थान में बछड़ा, जो प्रमुख पशुपालन में, एक-एक मेले में सैकड़ों करोड़ रुपये की आय परबतसर जैसे मेलों में होती थी, आज वहां पर नाम मात्र की रह गई क्योंकि बछड़ा, गाय और किसान तीनों को मारने का काम किया है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान पर हर तरफ से, डी.ए.पी., खाद, बीज, सब जो जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि खेती घाटे का सौदा होने से, इस राजस्थान की जो 70 प्रतिशत आबादी आज की तारीख में भी उस खेती पर निर्भर है, मैं समझता हूं कि उनको जब तक हम, उस गरीब को, उस किसान को जब तक इस बजट के

(श्री अमराराम)

माध्यम से मदद करने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की आम अवाम के साथ न्याय करने का काम नहीं करेंगे।

एक मैं और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो खेती में जितने भी, 1952 से लेकर आज तक जितनी भी सिंचाई की योजनाएं बनीं, एक भी योजना ऐसी नहीं होगी जो समय पर पूरी हुई हो। जितना बजट हमने पास किया, शुरू से लेकर आज तक न समय पर पूरी हुई और न जितना बजट हमने उसमें सैंक्शन किया, उससे कई गुणा बजट, न केवल सिंचाई के लिए, चाहे वही वृहद योजनाएं हम पेयजल के लिए, राजस्थान में आज छह दशक के बाद में भी राजस्थान के 20 हजार गांव पीने के शुद्ध पानी और पर्याप्त पानी के लिए तरसते रहें और हमारे इस सदन द्वारा बजट पास करने के बाद भी वे सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हों, वे पेयजल की योजनाएं समय पर पूरी नहीं हों तो हमें इस बात के लिए निश्चित रूप से इस योजना, मैं समझता हूं कि बजट पास करने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, पैसा दिया जाता है, उसका समय पर उपयोग होकर वह कार्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता को सबसे बड़ा नुकसान होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। आज सीकर शहर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है जहां पर पचास करोड़ आर.यू.आई.डी.पी. के माध्यम से, सीवरेज, ड्रेनेज, पेयजल के लिए स्वीकृत हैं लेकिन आज जो दुर्दशा सीकर शहर की है, आम आदमी हर रोज...। हर मोहल्ले में एक जगह होता है और हमारे मंत्रीजी ने कह दिया चार दिन पहले उत्तर देते हुए कि यह तो अमराराम का किया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि यह बिलकुल निराधार, असत्य बयान देकर हमारे संसदीय मंत्रीजी ने जिस तरह का काम किया है, मैं समझता हूं कि यह कतई इस बात के लिए...। इसलिए मेरा आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि यह जो राजस्थान के मजदूर का, राजस्थान की वे महिलाएं जो हमारे विभागों में काम करती हैं और जो किसान आज इन नीतियों से कंगाली की ओर जा रहा है, उसको बचाने का काम करेंगे।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, अमरारामजी। आप अपनी बात के पक्के हो लेकिन दुगना समय लिया आपने बोलने के लिए।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आज हम बजट की थर्ड स्टेज, तृतीय जो अपना वाचन है, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कल का दिन न केवल राजस्थान के लिए बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए भी बहुत प्रसन्नता का रहा जब अग्नि-5 का प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों ने किया और विश्व की उन महान शक्तियों में हम सम्मिलित हो गये, उन महान शक्तियों में हम सम्मिलित हुए। तो मैं उन सब वैज्ञानिकों को मेरी ओर से, पार्टी की ओर से और मैं यह चाहूंगा कि सदन की ओर से भी हम अगर उनको बधाई दें और धन्यवाद दें तो यह बहुत बड़ा काम इस देश में हुआ है। हमको उनके प्रति बहुत बड़ा धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसमें एक महिला का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आ रहा हूं। पहला जब अपन ने अग्नि-1 का प्रक्षेपण किया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं...(व्यवधान)

(15.36 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

आप भी इसमें शरीक होंगे, पहला अग्नि-1 का प्रक्षेपण किया था तो उसमें कुछ समय लगा, माननीय ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब उस समय उसके प्रभारी थे, वह किया और इस बार जो अग्नि-5 का हुआ है, वह टैसी थामस, वे एक महिला हैं जिन्होंने बहुत लगातार काम किया, वे दोनों ही उसके बधाई के पात्र हैं।

यह जो शक्ति हमने प्राप्त की, यह शक्ति प्रजातंत्र के माध्यम से प्राप्त हुई। कई बार जब हम विचार करते हैं, कई लोग बोलते हैं, सदन में भी बोलते हैं और बाहर भी बोलते हैं कि यह सब शक्ति जो हमने प्राप्त की, सदन से प्राप्त की, संविधान के द्वारा हमने प्राप्त की, संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा प्राप्त की।

माननीय सभापति महोदय, आप अगर देखेंगे कि यह जो शक्तियां आयी हैं, चीन जो कभी हमको यह कह रहा था कि दक्षिणी सागर में आप इधर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मत देखना, दक्षिणी सागर की तरफ मत देखना, आना मत; वह चीन आज कहता है अग्नि-5 के प्रक्षेपण होने के पश्चात् कि भारत तो हमारा मित्र है, भारत से हमारी लड़ाई नहीं है। यह ताकत के प्रदर्शन से होता है। भगवान राम ने भी जब यही कहा था-

'विनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति।
बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति।।'

यह जो प्रीति जगी है इस राष्ट्र के प्रति, वह इसी कारण से जगी है। इसलिए हम उन सब वैज्ञानिकों को भी और इन सब लोगों को आभार प्रकट करते हैं कि हमारा राष्ट्र एक महाशक्ति के रूप में आज हमारे सामने है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन हम जब यह चर्चा करते हैं तो यह भी चर्चा करते हैं कि यह जो शक्तियां हमको प्राप्त हुईं, यह जो समरसता आई, जो उत्थान हुआ लोगों का, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब तो अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, आज वे मिसाइलमैन हैं, उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम किया है; ये थामस भी हैं, इन्होंने भी काम किया लेकिन ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब का एक उदाहरण है, जिससे मैं प्रारम्भ करना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ने गया, उनकी जीवनी में लिखा है, रामेश्वरम् भारत के सुदूर दक्षिण का गांव है, जब मैं पढ़ने गया तो मैं लक्ष्मणन् नाम के पुजारी के बच्चे के साथ, बच्चे का दोस्त, उनके साथ जाकर वे आगे की सीट पर बैठ गये। तो जो अध्यापक था, उस अध्यापक ने उनको बाहर निकाल दिया। अरे, तेरा यह सामर्थ्य, यह पुजारी के बेटे के साथ तू पढ़ता है, तो बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन लक्ष्मणन् पुजारी का लड़का भी पढ़ने के लिए नहीं गया। उससे पूछा कि क्यों नहीं जा रहे हो? तो बोला कि मेरा दोस्त है अब्दुल कलाम, वह नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो फिर पुजारी लक्ष्मणन् स्वयं गये और उन्होंने मास्टर को डांटा और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम उस लक्ष्मणन् पुजारी के बेटे के साथ ही बैठ कर पढ़े। आज वे मिसाइल-मैन भी बने, भारत के राष्ट्रपति भी बने और यह शक्ति प्राप्त भी हुई। ऐसे बहुत से बच्चे इस देश में होंगे कि जिनको अगर यह शिक्षा नहीं मिलती तो आगे नहीं जा सकते थे। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है इस सदन का, माननीय सभापति महोदय, सदन के माध्यम से हम सारे काम करें और यह सदन के अन्दर जब हम काम करते हैं तो हमारे बारे में बहुत सी बातें लिखी जाती हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमने जो काम इस बार किये, यह जो एप्रोप्रिएशन बिल और वित्त विधेयक दोनों हम पारित कर रहे हैं, उनके बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा सदन में कर सकते हैं इसलिए मैं चर्चा सदन में कर रहा हूं। दो बात हमारे बारे में छपीं। एक तो हमने विधान परिषद का गठन किया, विधान परिषद के गठन के लिए हमने प्रस्ताव पास किया। सी.पी.एम. के माननीय सदस्यों ने अपना विपथ, विरोध भी दर्ज करवाया लेकिन हम सबने सर्वसम्मति से इसको पारित किया। अब हमारी अपेक्षा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे है, इसको आगे बढ़ायेंगे और हम आपकी मदद करेंगे और भारत की लोक सभा और विधान सभा में पारित हो जाये तो काम करेंगे। लेकिन इसके बारे में छपा क्या है? समाचार पत्रों में छपा कि यह सफेद हाथी क्यों बांध रहे हैं? दूसरा मंत्रिमण्डल का फैसला हुआ कि माननीय सदस्यों के वेतन-भत्ते बढ़ेंगे। इसके बारे में छपा कि अपन किनके वेतन-भत्ते बढ़ा रहे हैं। इन दोनों बातों पर हमको विचार करना बहुत जरूरी है।

हमारा यह जो बजट का सारा प्रोसीजर है, वह एक कर्मकाण्ड के रूप में हो गया। चार दिन अभिभाषण पर, आठ दिन डिमाण्ड्स पर, एक दिन एप्रोप्रिएशन का, बाकी मुखबन्द और बजट पारित। यह जो कर्मकाण्ड हो रहा है, इस कर्मकाण्ड को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय संसदीय मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव पेश किया था, उसमें लिखा है कि हमको विधिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत प्रदान करने के लिये राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है। तो हमारे पर जो प्रश्न-चिन्ह है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, साढ़े तीन वर्ष में हम इस विधान सभा में केवल 90 दिन बैठे हैं, सिर्फ 90 दिन और 90 दिन में भी 20 दिन हम हंगामा करके चले गये हैं। वह हमारी तरफ से गलती हो, चाहे किसी भी तरफ से हो, कुल मिलाकर इसका रिफ्लेक्शन आता है। हमने इसमें यह प्रावधान कर रखा है संविधान के अन्तर्गत कि 60 सीटिंग कम से कम होंगी और 3 सत्र होंगे। लेकिन न हम कर पा रहे हैं, न आप कर पा रहे हैं। अगर हम कोशिश करें, विधान परिषद् बना रहे हैं तो हम यह भी कोशिश करने की कोशिश करें कि हम विधान सभा की सीटिंग्स बढ़ायें तो कोई आपत्ति नहीं है। हमने कुछ प्रक्रिया इस प्रकार की तय कर ली कि आज डिमाण्ड पेश की, आज ही पास करेंगे। कोई आवश्यक तो है नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं। दूसरे दिन भी डिमाण्ड पारित हो सकती है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिये मैं समझता हूं कि आप जिस प्रकार से कई कानून लाये हैं, आप कानून लाने में तो मास्टर आदमी हैं,...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पिछले तीन वर्षों में आपका व्यवहार देख लीजिये और इस वर्ष का अपना व्यवहार देख लीजिये। 27 फरवरी से यह अधिवेशन चालू है, आज तक चल रहा है। आखिर वे क्या कारण थे कि पिछले तीन सालों में जल्दी खतम करना पड़ा, आप खुद जानते हैं।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): अब कितनी शांति से चल रहा है, देखो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह आप खुद जानते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह आपके कारण से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह इसलिये चल रहा है कि एक तो माननीय बच्चू भाई साहब का वजन मुख्य मंत्रीजी ने थोड़ा कम कर दिया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसलिये चल रहा है, आप भी जानते हैं कि वे विराजमान नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब जो छपा है ना डी एन ए अख़बार में, उसमें आपकी फोटो छपी है कि इनके लिये पैसे क्यों बढ़ा रहे हो? हां, छपी है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपकी और रघु शर्माजी की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी कृपा से चल रहा है शांति से। सदन बढ़िया चल रहा है, वह आपकी कृपा से ही बढ़िया चल रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके सहयोग से चल रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बिलकुल चल रहा है। हम चाहते हैं कि इस काम को किया जाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक बात की हमने और गलती की कि हम जब डिमाण्ड करते हैं तो बिल हमेशा बाद में पारित करते हैं, लेकिन हमने इस बार आठ बिल भी डिमाण्ड्स के साथ पारित किये,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वह अपन ने कर लिये, क्योंकि वे एक प्रकार के बिल थे। पहली बार हमने ऐसा किया, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमने इसको स्वीकार किया लेकिन यह होना अच्छा नहीं है। आगे हम न करें तो हमारे लिये उचित होगा।

मुख्य मंत्रीजी, आज आप कई घोषणाएं करेंगे, मुझे पता है क्योंकि समाचार पत्रों में सब बातें पहले ही छप जाती हैं और इतनी तालियां आपने बजाई हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि इस बार आप जो घोषणाएं करेंगे, सबसे ज्यादा, लम्बी ताली जिस पर बजेगी, वह बजेगी, विधायक कोष के आप पैसे बढ़ायेंगे तो उस पर सबसे ज्यादा ताली आज बजने वाली है। इसका कारण यह है कि सब चीजों में मंहगाई बढ़ रही है तो जो काम 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले हम जितने रुपये में करना चाहते थे, आज उतने रुपये में नहीं कर सकते। आपको यह जो शौक है ताली बजवाने का, मैं समझता हूं कि अगर आपने यह काम किया तो आज निश्चित रूप से वह पूरा होगा। इसमें कोई दिक्कत इसलिये नहीं है कि वह पैसा विकास में ही जा रहा है। वह ऐसे विकास में जा रहा है कि जिस विकास को हम, जो अन्य किसी कानून-कायदे के तहत नहीं हो सकता और जिसकी आवश्यकता हो। तो मैं समझता हूं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, वह काम भी करेंगे।

इस बार कुछ बातें अच्छी नहीं लगीं। सदन में तीन माननीय सदस्य किन्हीं कारणों से नहीं हैं, हमारे बीच में नहीं हैं, बड़ी तकलीफ है; चार नहीं हैं, बड़ी तकलीफ है। दो माननीय सदस्यों पर माननीय मुख्य मंत्रीजी, जिस प्रकार की जांच हो रही है और जिला प्रशासन ने उनको क्लीन-चिट दी है, जाहिदाजी के खिलाफ जांच हो रही है, अनिताजी के खिलाफ जांच हो रही है। कलक्टर, एस.पी. ने इनको बुलाया कि आप आइये। कलक्टर, एस.पी. ने स्टेटमेंट दिया है सी.बी.आई. के सामने कि इन्होंने शांति स्थापित करने में मदद की। आज इनकी जांच हो रही है। हमारा गला कहां पकड़ा रहे हैं? हम जिला प्रशासन के कहने पर कहीं पर जायें, विधायक के नाते, जन-प्रतिनिधि के नाते और जाने के बाद हम वहां पर कोई काम करें, कोई फोन करें, वहां कोई बात हो जाये और उनके ऊपर कार्यवाही की जाये; जिन लोगों ने शांति स्थापना में मदद की, बुलाने में मदद की, उन पर कार्यवाही करने की बात हो तो विधायिका के अपने कर्तव्य के बारे में निश्चित रूप से प्रश्न-चिन्ह उठता है। यह भी आप समझते हैं। फिर हमने कुछ मर्यादाएं स्थापित कीं, उन मर्यादाओं का भी हनन होता है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विपक्ष की भूमिका अप्रिय है, सबसे अप्रिय है लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कई बार ऐसी बातें होती हैं जिनसे मन टूटता है। मंत्री का अपना एक व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उसकी संवैधानिक मान्यता है, हम उनका आदर करते हैं लेकिन मंत्री को अगर वेल में आना पड़े तो हमारे लिये शोभादायक नहीं है। मन में तकलीफ होती है। तो इस प्रकार की सारी बातों को हमको निश्चित रूप से नियन्त्रित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने बहुत सारी बातें कहीं कि आपने तो सारा ही काम ऐसा कर दिया, राजस्थान की सारी वित्तीय स्थिति सुधार दी, सारा काम कर दिया। पिछली बार मैंने आंकड़ा दिया था तो आप नाराज हो गये थे पी एच डी पर, उसकी व्याख्या दोनों तरफ से हो गयी। मान लिया कि हम तो पी एच डी वाले आंकड़े कर रहे हैं, अब यह जो कैग है, सबसे पहला काम तो यह है कि हम इसको बजट के पहले पेश नहीं करते। नियम है हमारे यहां। हम अन्तिम समय पर जाते-जाते पेश करते हैं कि कोई विधायक इसको पढ़ नहीं ले। यह नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट बजट के पहले पेश होनी चाहिये ताकि हम सब सारी बातें कर सकें। यह सदन से छिपाने की आवश्यकता क्या है, माननीय सभापति महोदय? इस सदन से हम छिपायेंगे तो हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करने की सबसे बड़ी गलती करेंगे। आपने अब जो पेश की, इसके कुछ अंश अगर पढ़ेंगे तो आपको जो मैंने बताया था उस समय, वह बात आपके ध्यान में है? यह कैग की रिपोर्ट है – भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 1) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये, राज्य वित्त। पिछली बार मैंने माननीय श्री प्रणव मुखर्जी की बात को लेकर कहा था तो आपने कहा, वह चार साल पहले लोक सभा में पेश कर दिया है। छोड़ो साहब, चार साल वाला; इस बार यह पेश किया, 2011 तक का ही है। इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लो आप कहीं से, यह सही है। इसमें लिखा है आपके लिये, अविवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्ध- राज्य के पास रुपये 6,088 करोड़ का बहुत बड़ा अधिशेष रोकड़ शेष था। वर्ष 2010-11 में कोषालय बिलों व नीलामी कोषालय बिलों में रोकड़ शेष के निवेश पर 5 प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ, जबकि सरकार ने औसत 7.7 प्रतिशत पर उधार लिया।... बहुत बड़ा निरर्थक रोकड़ शेष रखना विवेकपूर्ण प्रबन्धन नहीं है। अतः परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय करने के लिये उचित कदम उठाना आवश्यक है। क्यों खर्च किया गया? कौन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिम्मेदार हैं? इसके लिये हम चुका रहे हैं 7.7 प्रतिशत का ब्याज और हमको मिल रहा है 5 प्रतिशत का ब्याज। हमारी सारी मशीनरी को इस बात का ध्यान नहीं है कि 6,088 करोड़ रुपये कहां पड़े थे। कौन जिम्मेदार है इसके लिये? क्यों खर्च हुआ राज्य का पैसा? इस बात का जवाब हम सदन में मांगना चाहेंगे। हमारी मशीनरी है, वह काम करती है। उसको क्यों पता नहीं है इस बात का?

दूसरा देखिये आप, ''वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटरी नियन्त्रण। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल अनुदानों एवं विनियोग के समक्ष रुपये 5,392 करोड़ की समग्र बचत हुई, जो दोषपूर्ण बजट को दर्शाती है।'' पानी में खर्च करना था, बिजली में खर्च करना था, किसी को, गरीब आदमी को सहायता देनी थी, विधवा को पेन्शन देनी थी, यह 6 हजार करोड़ रुपये जो बचत हुआ, यह बजट दोषपूर्ण बजट है, इसको दर्शाता है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे? इसका जवाब यहां हम नहीं लेंगे? तो यह दोषपूर्ण बजटिंग है आपकी, यह रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन है। यह बहुत खतरनाक है, इसी ने राजा को पहुंचाया। हमको तो नहीं पहुंचायेगा, आपको भी नहीं पहुंचायेगा लेकिन राजा को इसी कैग की रिपोर्ट ने ही पहुंचाया तिहाड़ में।

आगे लिखा है इन्होंने, अब आप देखिये बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके लिए आपका नारा है न उस नारे के खिलाफ लिखा है; पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सब को पढ़ाओ और नौकरी एक की मत लगाओ, यह जो आपका नारा है उस पर लिखा है, ''कुछ अनुमानों की समीक्षा में पाया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 17 योजनाओं में रुपये 202.47 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया।'' 16 योजनाएं थीं, आपने काम ही नहीं किया, रुपये वापस भेज दिये; पानी की, पानी बचाओ।

सहकारिता विभाग में मुख्य मंत्री के बजट भाषण 2010-11 के दौरान घोषणा करने के उपरान्त भी, अभी माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी ने बताया था, सहकारी समितियों को ब्याज भुगतान हेतु सहायता देने के लिए रुपये 30 करोड़ का प्रावधान बजट अनुमानों में नहीं किया गया है। आप यहां पर घोषणा करें, विधान सभा उसका ...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट। जो

(श्री परसादीलाल)

आप यह सहकारी समितियों वाला कह रहे हैं न, यह मुख्य मंत्रीजी की आई.सी.डी.पी. 14 जिलों में चलाने की घोषणा थी बजट में, पर वह भारत सरकार से एन.सी.डी.सी. से वो प्रोजेक्ट हमारा लेट पास हुआ। बाकी वह पैसा इस साल हमारा काम आ रहा है, एक भी पैसा खराब नहीं हो रहा, एक भी पैसा लेप्स नहीं हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब यह आपको पास हुआ, नहीं हुआ लेकिन यह जो रिपोर्ट है ...

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराज जाएं। I will not allow a disruption. This is not a Cooperative Department's debate. So no Minister will be allowed to interrupt the Dy. Leader of Opposition.

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपने अलाउ किया तभी तो बोला मैं।

श्री सभापति: नहीं, मैंने अलाउ किया नहीं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): वह पैसा कोई एक भी लेप्स नहीं हुआ है, यह आप भी करेक्ट कर लीजिए। आप बोले थे, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, विराज जाएं आप। एक मिनट, विराज जाएं।

जब सी.ए.जी. इस पैरा का जवाब मांगे न तो आपके को-आपरेटिव डिपार्टमेंट को आप निवेदन कर देना कि ढंग से जवाब दें क्योंकि पी.ए.सी. के पास आयेगा अब यह पैरा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसका आप जवाब भी दे देंगे लेकिन मूल बात है कि इसका प्रावधान क्यों नहीं किया? मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद अगर प्रावधान नहीं हो तो उचित नहीं है।

फिर देखिये, आगे लिखता है, साहब, ''वित्तीय रिपोर्टिंग। राज्य सरकार के विभिन्न नियमों, क्रिया विधियों के निर्देशों की अनुपालना असंतोषप्रद थी।'' मुख्य मंत्रीजी, यह आपकी पकड़ दर्शाता है प्रशासन पर। राज्य विधान सभा में आप घोषणा करें, फिर सी.ए.जी. यह लिखे कि आपकी घोषणाओं की सारी अनुपालना असंतोषप्रद थी, इससे शर्मनाक स्थिति, इससे खराब स्थिति, इससे वित्तीय कुप्रबंधन की स्थिति राज्य में हो नहीं सकती जो यहां राज्य में हुई है। यह मैं कहना चाहता हूं। आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त, अब आप देखिये एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मजाक, करोड़ों रुपये ऐसे पड़े हैं जिनका सरकार के अधिकारियों को पता ही नहीं है। इन्होंने लिखा है, यह 1,697 पी.डी. खातों में, रुपये 2083.53 करोड़ का अव्ययित शेष पड़ा हुआ है। यह इनको पता ही नहीं है, इन खातों में यह रुपया पड़ा है, अव्यय किया हुआ। क्यों पड़ा है यह रुपया? यह रिपोर्ट मेरी नहीं है, यह कोई प्रणव मुखर्जी ने नहीं बतायी है, यह कोई पी.एच.डी. की नहीं है, यह अभी माननीय श्री शांती धारीवालजी ने जो आपके लिए सदन में पेश की, उसमें ये प्रमुख बातें हैं। और बहुत सी बातें हैं लेकिन उसमें समय नहीं करना चाहता।

कुल मिलाकर इसका रिजल्ट एक आता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपका बजटीय प्रबंधन ठीक नहीं है, आपकी घोषणाओं की क्रियान्विति ठीक नहीं होती, राज्य सरकार के लिए आप ज्यादा ब्याज देते हैं और आपके वित्तीय खाते हैं, उनका बैलेंस भी गलत है। 830 करोड़ रुपये जो पोवर्टी एलीविएशन फंड में पड़े थे उनको आपने अपनी रेवेन्यू में जमा कर लिये। यह कैसे जमा कर लिया? क्यों जमा कर लिया? इसके कारण क्या हैं? तो यह सारा का सारा इस बात का है कि आप जो यह बार-बार ताली बजाते हो न कि यह लो जी, सारा वित्तीय प्रबंधन कर दिया, वह कर दिया, सारा वित्तीय प्रबंधन वह मैं आगे आता हूं।

अब इस वित्तीय प्रबंधन का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ आपको, मैं उसका भी आपसे जवाब पूछ लेता हूं। बहुत बड़ी आपने तालियां बजवा दीं यहां हाउस में, मेजें थपथपवा दी, यह कर दिया, अ-कर राजस्व इतने परसेंट बढ़ा दिया, नान-टैक्स रेवेन्यू आ गयी, वह तो आ गयी, इसमें तेल निकल रहा है बाड़मेर में लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है, आपकी यह है, मुलाहिजा फरमाइये।

(15.55 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसकी रिपोर्ट में यह है, केन्द्रीय करों में हिस्सा, वर्ष 2007-08 में हमको मिलता था 26.14 परसेंट और अब 2011-12 में मिलेगा 20.13 परसेंट; 6 परसेंट कम हो गया। यह है प्रगति। कुल कर राजस्व ...(व्यवधान) हैं?

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, आप अपने माननीय लीडर के बारे में ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कुल कर राजस्व 18.69 2007-08 में, अब हमको मिल रहा है 14.1 परसेंट। क्या टैक्सों की उगाही हमारी ठीक हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रही है? कुल राजस्व प्राप्तियां 2007-08 में थीं 20.27 परसेंट और आज है 13.70 परसेंट। ये आंकड़े आप खण्डन कर दें, इतना बड़ा लवाजमा आपके पास है।

अब इसके अलावा, राज्य द्वारा प्रति वर्ष लिया गया उधार एवं चुकायी गयी ब्याज की राशि, यह है ब्याज अदायगी; अब आप कितना कर रहे हो? 2008-09 में 6,224.25 करोड़ था और आज यह 8,012.48 करोड़ हो गया और, माननीय मुख्य मंत्रीजी, सिर्फ 2017-18 में यह 58 प्रतिशत हो जायेगा जी.डी.पी. का, जो वर्तमान से चार गुना है। आप राजस्थान को कंगाली की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। 17 के बाद में राजस्थान सरकार पैसे नहीं चुका पायेगी। यह आपकी कैग की रिपोर्ट कह रही है। क्यों इकट्ठा किये जा रहे हो? 17-18 और आप राजस्थान को कंगाली की ओर ले जाओ, उससे बढ़िया तो आप छोड़ो, श्रीमानजी, और भी लोग लाने वाले हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): 17 तक तो मान गये न?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 17 के बीच में काम सल्ट्यां काम पड़सी। 17 तक कोनी पार पड़ै, फेर चूक सी ही कोनी पीसा। (व्यवधान)

अब आपका वित्तीय प्रबंधन, कैग की पूरी फाइनल रिपोर्ट सुनो आप। जनम पत्री पढ़ने का जनम जात अधिकार है इसलिए पढ़ रहा हूं मैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको।

वर्ष 2010-11 में 31 मार्च को बैलेंस 6,088 करोड़ था, सरकार को यह सारा मैंने आपको बताया। अब एक दूसरी बात और आयी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हो उद्योग की एकल खिड़की बना दी, हमारे माननीय राजेन्द्रजी, उद्योग का निवेश आ रहा है, 30 हजार करोड़ रुपये की सीमेंट फैक्टरियों का लगने का प्रोजेक्ट आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप इसको निकाल नहीं रहे हो, कुण्डली मार कर बैठी हुई है सरकार। क्यों बैठी हुई है? आपको जिसको देना है उसको दो, साहब। कांग्रेस वालों को दे दो, और किसी को दे दो पर यह राज्य में जो 30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को तो आप करो। उसको आप रोक कर क्यों बैठे हैं? केवल इसीलिए कि अलाटमेंट के कारण से है। यह राजनीतिक रूप से इसको राज्य को नुकसान पहुंचाने की किसी प्रकार की आवश्यकता से कोई लाभ नहीं होगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा, मैंने उस समय पिछली बार जब उठाया था तो, माननीय, आपने जवाब दिया था कि हमारे कारण से बिजली कम्पनियों की हालत खराब नहीं हुई है, अब इस कैग ने यह जो रिपोर्ट दी है, इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम राजस्थान को न केवल कंगाली की ओर, अंधेरे की ओर भी धकेल रहे हैं और इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। यह व्यवस्था अगर आपने नहीं की तो राज्य की हालत बहुत खराब होगी। सरकार के कारण से, कैग ने कहा है कि सरकार के सारे काम ग्रामीण विकास विरोधी हैं, दोषपूर्ण नियोजन के कारण डिस्काम्स आर जी वी वी आई एम, ए आर डी पी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकीं और 27,612 करोड़ रुपये की सरकार ने सब्सिडी नहीं दी बिजली कम्पनियों की, इसलिए बिजली कम्पनियों की यह दुर्गति हुई है। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और सरकार जिम्मेदार है। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह कैग की इस प्रकार की रिपोर्ट है। यह 27 हजार करोड़ रुपये आप दोगे इनको बेल-आउट के लिए तो उस समय जो आपका सारा ढांचा है, वह सारा ढांचा ही चरमरा जायेगा।

(16.00 बजे)

तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपको जो सब्सिडी देनी थी, वह सब्सिडी आपने नहीं दी। यह मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, मैं इसको पढ़ भी देता हूं आपके सामने ताकि आपको यह ध्यान रहे कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कैग कह रही है, "The subsidy received from the State Government has increased from Rs. 5,700 crore to Rs. 27,612.97 crore during March, 2010..." यह वह सब्सिडी दी है जो आपको देनी है। आप जो पैसा नहीं दे रहे ना, किसान का पैसा आप जमा करा रहे हैं, यह जो बिलों पर सब्सिडी दे रहे हो उपभोक्ता को, वह आपको ही सब्सिडी देनी है सत्ताइस हजार करोड़ की। यह सत्ताइस हजार करोड़ की सब्सिडी आप जो नहीं दे रहे हो, इसके कारण से बिजली कम्पनियों की यह स्थिति हो गयी है। इसके लिए राज्य सरकार पूर्णतया जिम्मेदार है।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं, कल मैं बड़ा प्रसन्न था जब मालवीय जी अपना भाषण दे रहे थे, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि रामनारायणजी मीणा ऊपर विराज रहे थे और महेन्द्रजी मालवीय भाषण दे रहे थे और हम सुन रहे थे। सामाजिक परिस्थितियों में जो प्रजातंत्र के कारण परिवर्तन आया है, उसका स्वागत करना चाहिए। परिस्थितियां बहुत बदलीं, उन्होंने भाषण भी ठीक दिया; अच्छा लगा कि पहले

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल आ गया है; विकास हो गया है; अच्छा काम है। वह मुझे अच्छा इसलिए भी लगा, मैं आपको एक रोचक घटना बताता हूं, सामाजिक परिस्थितियों में कितना बदलाव आया है। मेरी शादी हुई, शादी होकर मेरी पत्नी घर आयी, 20-21 साल की थी तो रामदेव सिंहजी महरिया, स्वर्गीय, कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, अब वे घर पर मिलने आए। अब वे इतने बड़े आदमी मिलने आए तो हमको आशीर्वाद देने आयेंगे तो आशीर्वाद नहीं दिया; आए तो मेरी पत्नी खड़ी थी, मैंने कहा, यह है मेरी पत्नी, तो उन्होंने कहा ढोक देऊं, दादी। उसके पैरों में उन्होंने प्रणाम किया तो मेरी पत्नी बिदक गयी, यह साठ वर्ष का आदमी मुझे दादी कह रहा है। तो फिर मैंने उसको राज़ी किया, भई, तुम कमसिन हो, नादां हो, गौरी हो, भोली हो, नाजुक हो, ऐसा करके उसको तो मैंने राज़ी कर लिया, फिर मैंने उसको समझाया कि यहां पर जो अपने जाट समाज के लोग हैं, ब्राह्मणों के घर में छोटा सा बच्चा भी जन्मता है तो उसको दादा कहकर आदरपूर्वक बोल देते हैं। तो उसको जाकर वह बात समझ में आयी।

जो यह जो स्थिति थी समाज की, आज परिवर्तित कितनी अच्छी तरह से हो गयी है कि हम सब लोग एक साथ बैठकर समान रूप से ये सारी बातें सुन रहे हैं, तो कल मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कल की बातों में अच्छा लगते-लगते मुझे यह भी लगा कि आपने जो बिजली का काम किया, वह चालीस प्रतिशत, ग्रामीण विद्युतीकरण का मात्र 42 प्रतिशत लक्ष्य आपने प्राप्त किया और राजस्थान में 3,800 गांव इस समय हैं जो अन्धेरे में हैं, जहां बिजली नहीं है, इकतालीस हजार में से। कितने वर्षों बाद पहुंचाओगे, मालवीय जी, बिजली वहां पर? एक शताब्दी पूरी होने के बाद? यह पैसा आपने खर्च क्यों नहीं किया? क्या जवाब है आपके पास? क्यों 42 प्रतिशत आपने काम किया? आप बिजली का काम नहीं करो, आप पानी का काम नहीं करो, आप सड़क का काम नहीं करो, आप शिक्षा का काम नहीं करो और बजट बहुत अच्छा, बजट बहुत अच्छा; अशोक गहलोत जिंदाबाद; मारवाड़ का गांधी है; आंधी है अशोक गहलोत; क्या-क्या नारे सारे लगा दिए। सारे सदन का अगर आप पढ़ लो ना, महाराज, जो आपकी बड़ाई हुई है, जितनी आपकी बड़ाई हुई है, अगर आप पढ़ लो ना, आप थे नहीं, सुन-सुनकर मेरा ही वज़न बढ़ गया। आपके प्रति शुभकामनाएं हैं ना, इसलिए आपकी कोई बड़ाई करता है तो मेरा वज़न बढ़ जाता है। अगर आप इस पूरे को पढ़ लो ना, तो आप भी मेरे जैसे हो जाओगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उधर बड़ाई होती है तो घटता है, मतलब?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं अभी सारा खाता पूरा कर देता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): तसल्ली रखो, सब कुछ सामने आ जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो यह आपका बिजली का काम है। बागवानी मिशन आपने खेती के लिए चालू किया, कैग ने लिखा है, बागवानी मिशन पूर्णतया विफल हो गया आपका; कृषि के ऊपर जो सारा काम किया, वह सारा फेल हो गया। अपन सरकार चला रहे हैं तो मजाक नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी के एम एल ए हैं रूपारामजी डूडी, इस सदन में उन्होंने चार्ज लगाया, चार्ज लगाकर सारा सदन के पटल पर रख दिया है। मुख्य मंत्रीजी, कहीं न कहीं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। हम चार्ज लगाएं तो ठीक नहीं, लेकिन कांग्रेस के सदस्य जब चार्ज लगाएं तो उनका जवाब दो, उनकी जांच कराओ। हो सकता है, सही है, गलत है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन सत्तारुढ़ दल का मेम्बर जब खड़ा होकर जिम्मेदारी से चार्ज लगाता है तो सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न पैदा होता है, मंत्री की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न पैदा होता है।

148 महीने तक आपने उद्योगों की सारी केन्द्रीय प्रायोजित विविध योजना, एकीकृत ढांचा विकास, एग्रो फूड पार्क, समर्थन केन्द्र, निर्यात हेतु अपैरल पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये सारे 148 महीने तक आपने क्रिएट नहीं किए। कर क्या रहे हो, महाराज? भाषण दे रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो यह करने की बात है।

इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यह सारा कैग ने लिखा है, एक-एक चीज लिखी है, कृषि के बारे में आपने काम नहीं किया; बागवानी के बारे में आपने काम नहीं किया; बिजली के बारे में आपने काम नहीं किया; गांवों की पेयजल की योजनाओं के बारे में काम नहीं किया। गांवों के विरोध में जो कुछ काम कर सकते थे, वह इस सरकार ने गांव के विरोध में काम किया। पांच योजनाओं में कमजोर वर्ग के लोगों को जो आपको सहायता पहुंचानी थी, उसके बारे में भी कैग ने लिखा है, ''समय सीमा के बावजूद लाभान्वितों की सहायता स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब, अनुसरण का अभाव विभाग की उदासीन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मनोवृत्ति का द्योतक था। चार योजनाओं में अपात्र आवेदकों को सहायता अपर्याप्त आंतरिक जांच नियंत्रण के कारण रही। पांच योजनाओं में आवेदनों के साथ आवेदकों द्वारा वांछित दस्तावेजों की प्रस्तुति सुनिश्चित नहीं करना, शैक्षणिक क्षमताओं के माध्यम से वितरित....'' छात्रवृत्ति के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखीं। आखिर इस प्रशासनिक मशीनरी के लिए कौन जिम्मेदारी? आपने पैसा दे दिया, आपने बजट दे दिया, आपने प्रावधान कर दिया लेकिन इसके बाद भी सारे काम हुए नहीं, गांव के लिए और गरीब के नहीं हुए और जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग थे, जिनको जो फायदा पहुंचाना था, वह काम भी आपने नहीं किया, तो अपन राज यहां किस बात का कर रहे हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात की भी जांच आप करें कि कौन-कौनसी योजनाओं से किन गरीब लोगों को पैसा मिलना था और किसके कारण नहीं मिला और जिसके कारण से नहीं मिला, उस आदमी को राज की तनख्वाह लेने का अधिकार नहीं है। राज की गलती नहीं है, कण्ट्रोल की हमारी गलती हो रही है।

मुख्य मंत्रीजी, एक और बात में आपने जिद कर रखी है, मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा, उस पर आप विचार कर लें। इस सदन में जो भी जिसका विचार हो वह अपना रखे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षक भर्ती आप नहीं कर पाए। आप हठ कर लेते हैं, माथुर आयोग का हठ कर लिया। तीन हठ माने जाते हैं, पहला राज हठ, बाल हठ, त्रिया हठ और अब चौथा हठ, अशोक हठ। हठ, मैं वह हठ नहीं कह रहा हूं, हठ, अशोक हठ, वह दिल्ली वाले उसमें नहीं हूं, मैं तो वह हट जो आपने कर रखा है कि मैं यह भर्ती नहीं करूंगा। ग्यारह लाख फार्म भरे गये, ग्यारह लाख फार्म नहीं हैं हमारे यहां; एक-एक लड़के ने कई फार्म भरे हैं, अब वह कहां जाकर बैठेगा? जिन जिलों में, पाली, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हमारे आठ-दस जिले ऐसे हैं जहां लोग बहुत कम नौकरी में आ पाते हैं वहां सबसे ज्यादा फार्म भरे गये हैं, वहां सबसे ज्यादा कम्पीटिशन है। उन जिलों के लोगों का बिलकुल नम्बर नहीं आएगा और आएगा तो क्या होगा, एक बड़ा वर्ग तैयार होगा। चयनित शिक्षक, 1998 में जब हमने यह काम किया, राजस्थान में दो मेरिट कीं और नीचे वाली मेरिट वाला बोला कि मेरे से ऊपर वाले का सलेक्शन हो गया तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो 1,800 लोग चले गये, उनकी नियुक्ति का आदेश दे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिया। बाकी नहीं गये, उन सबने एक वह बना लिया, चयनित शिक्षक और चयनित शिक्षक करके आन्दोलन के रूप में खड़े रहे। वह सारी की सारी समस्या आपके सामने आएगी।

मैं जो कहता हूं कि जिस प्रकार से पहले भर्ती हुई भर्ती करें और जो कमजोर लोग हैं, जिन जिलों के नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में क्या व्यवस्था कर सकते हैं, सोचें लेकिन इस भर्ती व्यवस्था पर सोचें। क्योंकि आपने तो बताया कि 54 हजार को हमने नौकरी दे दी लेकिन आपकी घोषणा हुई ना तीन वर्ष की, उनमें है, 1 लाख 98 हजार नौकरियां देने का है। विधान सभा में आप घोषणा करते हो, 1 लाख 98 हजार को नौकरी देंगे और उन 1 लाख 98 हजार में 54 हजार की नौकरियां आयी हैं। अगर आप ही नौकरी लगाते तो आपने जिस समय राज की कमान सम्भाली, उसके बजाए कर्मचारियों की संख्या राजस्थान में कम हो गयी है, अध्यापकों की संख्या में कमी हो गयी है। फिर लगाई किसने नौकरी? एक ही नौकरी को तो मालवीयजी कहते हैं, 84 हजार को लगायेंगे; एक ही नौकरी को बृज किशोरजी कहते हैं कि 84 हजार को लगायेंगे। कौनसा लगायेगा, कब लगायेगा, क्या होगा? तो यह जो आन्दोलन हो रहा है, जो भड़काव हो रहा है, जो नये-नये आन्दोलन के रूप आप खड़े कर रहे हो, इस पर आप एकदम शांत चित्त से विचार करें। हम राजनीति इसमें नहीं करना चाहते। राज्य को नुकसान हो रहा है, इसमें 60 परसेंट पैसा भारत सरकार का आना है। भारत सरकार का पैसा आए, हमारा गरीब आदमी, गांव का आदमी रोजगार लग जाए, मास्टर पढ़ाने में लग जाए, हम तो यही चाहते हैं। आप किसी माध्यम से कराओ लेकिन दो मेरिट नहीं कर सकते। पटवारियों में भी यही हुआ, मास्टर में भी पहले यही हुआ, अब आगे यह होगा। इसको सोच-समझकर आप कर लें। एक बार जिद पकड़ ली तो पकड़ ली कि हमने तो कानून में परिवर्तन कर दिया। आपने कानून में पहले भी परिवर्तन किया था, फिर हमने कानून में परिवर्तन कर दिया। पहले स्वर्गीय शिवचरणजी माथुर साहब थे तो उन्होंने आठवीं तक दी, फिर भैरोंसिंहजी आये, उन्होंने दी, फिर वापस लिया। यह तो हम पंचायतों के साथ मजाक कर ही रहे हैं, शिक्षा के साथ। आप वहां नारा लगा रहे हैं ''फण्ड, फंक्शन, फंक्शनरीज'' कोई नहीं दे रहे हैं हम, आज भी हैड वही है शिक्षा का ही। सब डेपुटेशन पर हैं। इसलिये इस बात पर आप सोचें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, उस बात को भी सोचें। दो जगह ला एण्ड आर्डर का, मैं पूरा डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन उस जगह हम रिसीविंग एण्ड पर हैं। यह जो गोपालगढ़ का प्रकरण हुआ, यह हमारे राज्य के लिये अच्छा नहीं है, बिलकुल अच्छा नहीं है। हमारे राज्य के लिये भी अच्छा नहीं है और आपकी सेहत के लिये भी अच्छा नहीं है। इसमें हमारे गृह मंत्रीजी का तो भार आपने कम कर दिया; कलक्टर, एस पी को आपने निलम्बित कर दिया; कलक्टर, एस पी के बारे में आपने सी बी आई को जांच दे दी और सी बी आई ने आपका, सरकार का निर्णय गलत साबित कर दिया कि कलक्टर, एस पी दोनों ठीक हैं; सरकार का निर्णय गलत है। अब आपने कलक्टर, एस पी को सस्पेण्ड कर दिया था, यह तो आपका निर्णय था, उनकी गलती मानकर। अब सरकार की गलती मान ली तो आप किसको सस्पेण्ड करेंगे? सी बी आई तो सी बी आई है, वह तो एकदम पूर्ण पवित्र गंगोत्री है, जिसको पकड़कर ले जाए, ले जाए। तो यह सी बी आई ने उनको निर्दोष घोषित कर दिया और आपने उनको सस्पेण्ड कर दिया। अब उनके बयान हैं सबके।

अब आखिर इसमें क्यों साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है प्रदेश में? मेव और बाकी लोग वहां भाईचारे से रहते थे। यह सारा जो पैदा होगा, इसका बड़ा नुकसान होगा। यह नुकसान केवल उनका ही नहीं होगा, सारे राज्य में इसका नुकसान होगा। मैं आपको फिर कहता हूं कि जिस प्रकार की आज भी वहां स्थिति बनी हुई है, वह ठीक नहीं है, वहां की। उसकी स्थिति को ठीक करने का हमको प्रयत्न करना चाहिये। राजस्थान की जो परम्परा बनी, उस परम्परा का निर्वहन करना चाहिये। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो गोपालगढ़ की घटना है, इस घटना के बारे में कितनी-कितनी बातें हुई हैं, कौन-कौन इसमें पंच बन रहे हैं नये-नये। वजाहत हबीबुल्लाह साहब पंच बन गये, वे माननीय सोनियाजी से जाकर मिल रहे हैं। दिल्ली में कौन हारा है, कौन जीता है...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): 'राष्ट्रदूत' की पढ़ी हुई यह खबर आप बोल रहे हो, माननीय। आप सोनियाजी से मिले थे या वजाहत हबीबुल्लाह साहब से मिले थे? बताओ आप पहले।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप क्यों टोक रहे हो ?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अख़बार के आधार पर चर्चा नहीं होती है, वे जानते हैं। आप भी वरिष्ठ हैं।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं हो, उसके बारे में यहां चर्चा करना, जिसका जवाब वह दे नहीं पाये, उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसको यहां विचार के लिये नहीं लेना चाहिये। क्योंकि no allegation…

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एलीगेशन नहीं है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): No allegation should be made against any Member by a Member unless he has taken prior permission from the Chair.

श्री उपाध्यक्ष: आप जरा सुनिये। सुनिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वहां जब मीटिंग की तो वे सैटिस्फाइड थे पूरे गवर्नमेंट एक्शन से। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपसे कौन कह रहा है...

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): अपने आप में एक हैसियत रखते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह मैं न तो अख़बार में पढ़ी हुई बात कह रहा हूं..., न तो मैं अख़बार में पढ़ी हुई बात कह रहा हूं, मैं तो मेरे मित्र लोग जो उधर बैठे हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, उनकी कही हुई बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आज तो विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक है। हालांकि आपको बोलने का अधिकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं जब बोल नहीं रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जबरदस्ती ये लोग कहलवाना चाहते हैं, किसने आपको बताया।

श्री उपाध्यक्ष: अब इनको बोलना नहीं चाहिये आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप क्यों दुश्मनी निकालना चाहते हो, मुख्य सचेतकजी?

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब सुन लीजिये। सुन लीजिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अब यह बहस का मुद्दा मत बनाओ तो ही ठीक है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): हम तो आपको भी अपना मानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम तो आपके साथ ही हैं जी। हम तो आपके साथ ही हैं। हम आपके और जकियाजी के बहुत वर्षों से साथ हैं, आज से थोड़े ही हैं हम, तब से हैं लेकिन आप में और जकियाजी में एक फर्क है। वे जब स्वास्थ्य मंत्री थीं तब से लेकर आज तक इन्होंने अपने आपको मेन्टेन कर रखा है, आप अपने आपको मेन्टेन नहीं रख सकीं। यह फर्क है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): और कल जो आप गलियारे में गा रहे थे गजल..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजो, आपके काम की नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): एक गजल मैंने आपके मुंह से सुनी थी कल कि...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको इनमें क्या कमी नजर आयी? क्या कमी नजर आयी इनमें?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): मेरे सिर्फ बाल ही तो मेन्टेन नहीं हैं, बाकी क्या है? मेरे बालों की...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कल जो आप गजल गा रहे थे, वह सुना दूं सबको?

श्री उपाध्यक्ष: सीमा। सीमा। सीमा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वो ना आये तो सताती है खलिश सी दिल को, वो जो आए तो खलिश बनके जवां होती है। सोंग गा रहे थे गलियारे में।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। विराजिये, रघुजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारे लिये दुर्भाग्य की बात और भी है कि हमारे राज्य के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, उनके कारण मैं चर्चा नहीं करना चाहता, उनके बारे में भी नाम आ रहे हैं। हमको सूचना थी कि हमारे राजनीतिक विवाद और जिस प्रकार के ये नाम आ रहे हैं, हमारे सांसद हैं, उनके बारे में भी है लेकिन वह हाई कोर्ट का स्टे है तो मैं वर्णन नहीं करता हूं।

वह सी डी-वी डी, जोधपुर में सी डी का बहुत ही जोर है, साहब। और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं जोधपुर वाले ही। तो यह जो आपका सी डी का काम है ना, इसको रुकवाओ, माननीय मुख्य मंत्रीजी। यह हमारे लिये कोई बिलकुल ठीक नहीं है।

मैं अब आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, पेयजल की जो 16 योजनाएं प्रारम्भ नहीं कीं, उसका राज्य को बहुत नुकसान है। और वह मैं कह रहा था, सी डी, उसमें जुडिशियरी पर भी आक्षेप आ रहा है पर मैं बोल नहीं रहा, उन्होंने स्टे कर दिया इसको...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अच्छा, धन्यवाद आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सारों पर ही स्टे हो गया।

हमको 82,151 लाख रुपये 16 परियोजनाओं के वापस देने पड़ेंगे। खर्च नहीं किया आपने पेयजल के लिये। पेयजल के लिये आपने जो खर्च नहीं किया, इसके लिये आप जिम्मेदारी कायम करना क्या चाहते हो? आप मास्टर भर्ती नहीं करना चाहते, आप गांवों को पेयजल नहीं देना चाहते, आप गांव को बिजली नहीं देना चाहते, आप अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के पैसे को वापस देना चाहते हैं और फिर कहें मैं, हमारा बजट; क्या कहना! राजस्थान को 3 साल में यहां तक ले गये, अब बचाओ, आगे मत ले जाओ।

फिर आपने कानून बनाये, कानून बनने से वे निर्णय पक्ष में हो गये? आप तो यहां लोक सेवकों की आय से अधिक सम्पत्ति जब्त करने का विधेयक लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं, हमने उसका समर्थन किया। हमने सरकार के उन सभी कदमों का समर्थन किया, रचनात्मक हम बात कह रहे हैं आपसे, आप 90-ए का लेकर आए; हमने कहा, सारे जयपुर में, सारे राजस्थान में यह काम रुक गये, हमने बिना बहस के तुरन्त पारित कराया। आपने कहा विधान परिषद् का, हमने तुरन्त काम कराया। जो-जो आपका है, लेकिन न इनके बारे में कहते हैं आप।

अब ला रहे हैं लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, राजस्थान सुनवाई का अधिकार, राजस्थान लोक उपादान में पारदर्शिता विधेयक; ये इतने विधेयक तो आप ला रहे हो, पर इसके लिये ढांचा तैयार है क्या? केवल विधेयक आने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। विधेयक के लाने में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हिन्दुस्तान में भारत सरकार किसी मुख्य मंत्री को डिग्री देगी तो माननीय गहलोत साहब को देगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मास्टर की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आर टी आई का लाए कानून, कइयों का सफाया करा दिया इन्होंने। सारे आर टी आई के कागज में लोग आर टी आई में ही जा रहे हैं। अब ये कानून आप ला रहे हो लेकिन इस बार इन कानूनों का ढांचा आप कर लो। अभी मुख्य सचिवजी का एक पत्र गया है कि जो-जो अधिकारी लगे हुए थे, अपीलीय अधिकारी अपने आपको और लिखने लग जाएं। पहले रेलवे में एक थर्ड क्लास का कम्पार्टमेंट होता था, थर्ड क्लास के कम्पार्टमेंट को खतम कर सेकण्ड क्लास किया, तो तीन लाइनें खिंची होती थीं ना, तो एक लाइन को मिटा दिया। तो इनका इतना बड़ा ढांचा अगर आप खड़ा कर दोगे तो कितना बोझ आयेगा? उस ढांचे के नीचे यह ब्यूरोक्रेसी आपकी काम कर पायेगी कि नहीं कर पायेगी ? अभी तो इस स्थिति हैं ही, उसके बाद में क्या होगा? फिर तो यह छूट ही मिल जायेगी।

इसलिये सारे कानून तो आप लाए हो, कानून का ढांचा भी करो लेकिन एम्पावरमेंट की जो बात है ना पब्लिक को, यह आयी कहां से? आप तो इस सारे मानस को जानते और समझते हो। यूरोप में जब लड़ाई चली चर्च की और राजा की, उस चर्च की, राजा की लड़ाई में जब चर्च को अलग किया गया, राजा को अलग किया गया और जनता को एम्पावरमेंट करने के लिये दिया। फ्रांस की क्रान्ति हुई, यह वाली क्रान्ति हुई। कई क्रान्तियां हुईं, उनमें यह एम्पावरमेंट करने के काम आया। यहां की सांस्कृतिक परम्परा अलग है। यहां पर है 'न राज्यो न राज्याधीश, न दण्डयो न च दाण्डिकेय, धर्मेण ही प्रजा सर्वे रक्षयन्ति स्मः परस्परमा' यह हमारी परम्परा की बात थी। यहां पर जो पंचायती वाली बात है, समझाइश वाली जो बात है, साथ लेकर चलने वाली जो बात है, यह काम तो यहां पर चलेगा। ये सारे कानून तो अपने यहां पर बहुत बने हुए हैं, उन कानूनों के आधार पर काम नहीं होगा। इन कानूनों से जो आप दाब रहे हो, इन कानूनों के आधार पर इस देश में काम नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक बार विचार करें कि जो आपने कानून बनाये हैं, आप बतायें कि यह लोक सेवा की गांरटी का जो आपने कानून बनाया है, कितने महीने हो गये हैं अब आपको, इसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? जो लोग काम नहीं करने वाले हैं, बायोमैट्रिक्स आपने लगा दिया अंगूठा, वे काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो सारा काम है, वह बहुत मुश्किल काम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको दो बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक तो आपकी नियुक्तियों के बारे में, कुल नियुक्तियां दीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

54,007 और आपने पदोन्नति की 45 हजार की। कुल आपने घोषणा की, 2009-10 में 87,396 की, 2010-11 में 6,365 की, 2011-12 में 1 लाख 36 हजार 29 की, कुल 1 लाख 97 हजार 390 की घोषणा की और उसमें से 54 हजार को नौकरी दी। 1 लाख 43 हजार 383 को आपकी घोषणाओं के बावजूद भी आज तक राजस्थान में नौकरी नहीं मिली। इसलिए इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है, 'वदामि न ददामि'; उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ इसमें एक घटना हुई है, वह भी इस सदन को बताना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आप इन्फार्मेशन के टाइम बता देना कभी, पाइंट आफ इन्फार्मेशन पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुन लीजिये। मुख्य मंत्री थे माननीय हरिदेवजी जोशी, ऐसी ही कोई बात पर मैंने कह दिया, 'वदामि न ददामि'। वे नाराज हो गये और दूसरे दिन विधान सभा में नहीं आये। मुझे पूनमचन्दजी विश्नोई ने बुलाया, भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने बुलाया, तुमने उनको क्या कह दिया कि वे नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा कि साहब, मैंने कहा 'वदामि न ददामि'; बोले, इसका अर्थ क्या होता है; इसका अर्थ होता है कि बोलता है और जो देता नहीं है, वह होता है उसका अर्थ। उन्होंने कहा, इसमें नाराज क्यों हो गये? तो उनको बुलाया; बोले, घनश्याम, बोलो तुमने क्या कहा; मैंने कहा कि 'वदामि न ददामि'। तो भैरोंसिंहजी साहब ने और पूनमचन्दजी विश्नोई साहब ने कहा कि इसमें इस घनश्याम ने क्या गलती की; तो जोशी जी बोले, आप संस्कृत नहीं जानते हो, जो संस्कृत जानने वाला है वह इसका अर्थ अच्छी तरह समझता है; तो उन्होंने कहा, क्या अर्थ होता है; तो वे बोले कि इसका अर्थ होता है, ढपोरशंख सरकार; उन्होंने कहा कि यह शब्द छोटा आदमी बड़े के लिए प्रयोग नहीं कर सकता; मैं इसके बाप के बराबर हूं, इसलिए यह इसने मेरे लिए प्रयोग कर लिया, गलती की। मैंने कान पकड़कर उठ-बैठ निकाल ली। लेकिन आप भी यह शब्द मेरे लिए प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उम्र में मैं आपसे बड़ा हूं दो साल, लेकिन सरकार अकर्मण्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घोषणाओं के बाद में सरकार ने काम नहीं किया। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि कुल 102 आपने घोषणाएं कीं, 33 पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिस्ट है मेरे पास सारी आपकी। जिनमें कार्यवाही की, वह भी नाकारा कार्यवाही की। आपने स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन किया। आप जब मुख्य मंत्री बने थे तो राजस्थान में 7 हजार लोग रोड दुर्घटनाओं में मरते थे, अब 13 हजार लोग प्रति वर्ष मर रहे हैं। यह काम किया इसने।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जल नीति की घोषणा कर दी। कितना वाटर रिचार्ज कराया आपने? मैं भाषण सुन रहा हूं 1980 से, 1 परसेंट पानी है; 10 परसेंट हमारा यह है; 18 परसेंट यह है। आपकी योजनाओं से कितना वाटर रिचार्ज हुआ? कितना रि-साइकलिंग हुआ? कितना यहां पर बढ़ा जल नीति बनाने के बाद में? यह तो बताना पड़ेगा आपको।

जल नीति बना दी, वन नीति बना दी, वह नीति बना दी, क्या हुआ इन नीतियों से? इस जल नीति का क्या हुआ, यह बताइये। वन नीति बना दी, उसका क्या हुआ? शुद्ध-के-लिए-युद्ध कर दिया; इकोनामिक जोन कर दिया; जेल सुधार समिति का गठन कर दिया और परसों ही वह 'इंडिया न्यूज' के अन्दर चैनल चल रहा था, जेल के अन्दर ही आदमी मोबाइल से बात कर रहे थे। स्टिंग आपरेशन करके उन्होंने चालू कर दिया, सुनाया भी सारा का सारा। यह सारी नीति बनायी, यह सारा काम किया।

आपने घोषणा की कि कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन होगा, नहीं हुआ। आपने घोषणा की कि तबादलों के लिए पारदर्शी नीति बनेगी, नहीं बनी अभी तक। आपने घोषणा की कि नये जिलों का गठन होगा, एक भी जिले का गठन नहीं हुआ। ब्यावर के लिए हमारे शंकर सिंहजी कहते रहते हैं। प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान चलेगा, नहीं चला आपका। 24 घंटे घरेलू और 8 घंटे कृषि के लिए बिजली मिलेगी, नहीं मिली आपकी। यह सारी बातें आपने कर दीं। इसके बाद आपने कहा कि भारत सरकार से हम यह काम करायेंगे। रिफाइनरी लायेंगे, नहीं लाये आप। पेयजल के लिए विशेष पैकेज लायेंगे, नहीं लाये आप। डूबती बिजली कम्पनियों को बचाने का काम करेंगे, नहीं किया; डूबा रहे हैं आप। बांसवाड़ा में परमाणु बिजलीघर लगायेंगे, नहीं लगा रहे हैं। केवल रतलाम की रेल लाइन का बार-बार उल्लेख कर रहे हैं। नया हाई कोर्ट जयपुर में बनायेंगे, नहीं बनाया। किसानों को पाला, शीतलहर पर सहायता भारत सरकार से दिलायेंगे, नहीं दिलायी। यह सारे काम जो आप करने चाहते थे; जेल विकास प्राधिकरण बना दिया, मेला विकास प्राधिकरण बना दिया,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

काम क्या किया आपने? यह मेसेज देने का जो काम किया, वह काम सही नहीं हुआ, माननीय मुख्य मंत्रीजी।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान राज्य का विकास हो, गरीब का विकास हो, इसमें हम सरकार के साथ में हैं लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि साढ़े 3 साल के शासन काल में राजस्थान की सरकार ने थोथी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया। अगर कुछ करती, किसी को नौकरी देती, किसी गांव को पानी देती, बिजली की व्यवस्था करती तो मैं आपको धन्यवाद देता। मुझे दु:ख है कि आप यह सब काम नहीं कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस बिल को पास नहीं किया जाये और मैं इसका विरोध करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हमारे सदन के तमाम माननीय सदस्यों को, प्रतिपक्ष और पक्ष, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने डिमांडस पर भी खुलकर चर्चा की और आज एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेन्स बिल पर भी हमारे कुछ साथी अपनी बात रख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो-जो विचार प्रकट किये गये हैं, उन सुझावों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें, कैसे उनको पूरा करने का प्रयास कर सकें, उस पर सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। यह मैं कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट सेशन अपने आप में हमेशा याद रखा जायेगा जब एक शानदार बजट को प्रस्तुत किया गया जिसकी पहली बार, बजट पास होने के पहले ही जनता की अदालत में चर्चा हो गांव-गांव में, हर व्यक्ति और हर परिवार बजट पर चर्चा करे कि हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर समुदाय को टच करने का प्रयास किया गया। इसलिए जिस प्रकार अभी नेता प्रतिपक्ष या उप नेता प्रतिपक्ष, मेरे ख्याल से अब तो आपको अधिकार दे रखा दिखता है। नेताजी कल आयी थीं और आज हाउस में नहीं हैं। मेरे ख्याल से जब वे आयें, कम से कम आज तो ऐसा मौका था, आज भी और कल भी, जब विधान परिषद का संकल्प पास हो रहा हो तो वह राजस्थान के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, वे उस वक्त मौजूद रहतीं तो हम सबको ज्यादा

(श्री अशोक गहलोत)

खुशी होती। कल यहां पर, आज यहां पर आप कह रहे हो कि हैं, फिर भी नहीं आयें तो ओम बिरलाजी जवाब दे सकते हैं। और मैं किससे पूछ सकता हूं? लेकिन मैं अभी सुन रहा था माननीय उप नेता प्रतिपक्ष को, मैं सोचता हूं कि अच्छी तैयारी की आपने, अच्छे लच्छेदार भाषण दिये, अच्छे लच्छेदार आपने तर्क दिये। वाजपेयी जी के बाद में, मेरे ख्याल से, आपकी पार्टी में आप उभरते हुए अच्छे वक्ता के रूप में हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बाकी आपकी बातों में कोई दम नहीं था। क्योंकि आपकी फितरत में है कि असत्य बात को भी उस अंदाज में कहो, निराले अंदाज में कि लोगों को भ्रम लग जाये कि वास्तव में कोई सच्चाई दिखती है। अधिकांश आपका पोर्शन असत्य के पुलिंदे थे, कोई दम नहीं उसके अन्दर। मैं चाहूंगा कि मैं आपको, अभी तो वक्त नहीं है कि मैं कोई पूरी बातों का जवाब दूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपसे मैं चर्चा करूं, आप कहेंगे तो मैं लिखित में नोट दूं जिससे कि मालूम पड़े कि वास्तव में आपको कहां-कहां गलतफहमी है।

आप सरकार को अकर्मण्य बताने की बजाय, मेरे ख्याल से ऐसा अकर्मण्य विपक्ष तो आज तक इतिहास में कभी आया ही नहीं है जो मौन धारण किये हुए बैठा है 3 साल से, ना सदन के अन्दर, ना बाहर। सदन के अन्दर तो खाली सदन के नेता को बोलने मत दो, उसके षड्यंत्र होते रहे।

मुझे चाहे वह हमारा अभिभाषण हो राज्यपाल महोदय का, चाहे वह जनरल डिबेट हो बजट की और चाहे फाइनेंस बिल पर, मेरा जवाब पढ़ा हुआ मान लिया जाकर मजबूरन रखना पड़ा। ऐसी हालत तो सदन की आज तक कभी नहीं हुई होगी। सदन में यदि नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष की भूमिका यही रह गई है तो मुझे अफसोस होगा। मुझे खुशी है, जैसा हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि जो माहौल अब देख रहे हैं, कम से कम बात तो हो रही है; आप लोग भी गम्भीरता से बात कर रहे हो, मुद्दे उठा रहे हो; डिमाण्ड पर चर्चा हुई तो 12-12 बजे तक इस हाउस में यहां बैठे हैं। मैं तमाम उन सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक बैठकर बहुत ही गम्भीरता के साथ डिमाण्ड पर चर्चा की, वे सभी

(श्री अशोक गहलोत)

धन्यवाद के पात्र हैं। तो यह हालात जब होते हैं तो आप समझते हैं कि आगे क्या होगा। मुझे खुशी है कि आपको अधिकृत कर दिया गया है और कटारिया साहब को, तो आप कृपा करके इसी स्पिरिट को बनाये रखें जिससे आप भी अपनी बात कह सकें और मेरे ऊपर और हमारे पक्ष के लोगों पर भी कृपा होगी कि हम अपनी बात कम से कम सदन के सामने रख सकें।

बाकी घनश्याम तिवाड़ी साहब, हमारे सांगानेर से आने वाले विधायक भी और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, आपने पहले भी कहा था कि मैं कोई बात कहूं तो खण्डन करूं या अपनी बात कहूं, तो मैंने पहली स्पीच पढ़ी थी आपकी, पिछली भी, कोई ऐसा मुद्दा था जिसमें आपने कह दिया कि ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट जो थी, आपने जिक्र किया उसका कि राजस्थान 14वें नम्बर पर था वह चला गया 17वें पर। पर, तिवाड़ी साहब, आप भारी चूक कर देते हो। वैसे तो आप बड़े विद्वान आदमी हो, ब्राह्मण देवता हो, आप विद्वता में कोई कमी नहीं रखते हो पर कहीं न कहीं चूक जाते हो। वह इकोनोमिक सर्वे है भारत सरकार का जिसको आपने कोट किया था। ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में वह भी बेस यीअर बनाया गया, उसके अन्दर 2007-08 के बेस यीअर की जो रिपोर्ट अब आई है, इकोनोमिक सर्वे 2011-12 का, उसके अन्दर यह लिखा गया है कि 14वां स्थान, एच डी आई, ह्यूमन डवलपमेंट इन्डेक्स, वह यहां से नीचे गिर कर 17वें नम्बर पर आ गया। तो आपका अपना 2007-08 का यीअर है, आपकी सरकार का, उसमें 14वें से 17वें पर आये। यह आप उसमें देखने में भूल गये हो, यह उस बात की रिपोर्ट है। (व्यवधान)

पेयजल के लिये आपने कहा कि पैसा लेप्स हो गया। वहीं आप पी एच डी वाली बात मत करो। मैं जो बात कह रहा हूं, वह आंकड़ों से कह रहा हूं। किताब वही है जो आपने पढ़ी है, किताब वही है जो मैंने पढ़ी है। उसके एक कालम में लिखा है कि वर्ष 2007-08 को बेस यीअर बनाकर रिपोर्ट दी जा रही है, वह आप देखना भूल गये हो।

पानी के बारे में आपने कहा कि आपका लेप्स हो गया, पानी के लिये लोग प्यासे मर रहे हैं, आपने पता नहीं, क्या-क्या वक्ता के रूप में बातें कहीं पर आप यह कहना भूल गये कि यह कोई लेप्स नहीं होता है। पूरे कण्ट्री का एवरेज 88 प्रतिशत है और हमारे राज्य का खर्च जो हुआ है, वह 91.5 प्रतिशत

(श्री अशोक गहलोत)

खर्च हुआ है, यह मैं कहना चाहता हूं। 3,295 करोड़ रुपये मिले और 2,987 खर्च हुए; मतलब 278 करोड़ रुपये, लेप्स नहीं होंगे, वह पैसा बचा। यह तो चलता है, इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में चलता है, पूरे कण्ट्री में।

राज्यों में 30 हजार के जो आंकड़े आपने दिये हैं, अब मैं उन सब आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, आप चाहेंगे तो मैं कभी आपके साथ बैठ सकता हूं पर आपने बहुत लच्छेदार बातें हाउस में कहकर कर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया, मैं समझता हूं कि पूरे हाउस के माननीय सदस्य समझ गये होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कृपा करके जब आप आंकड़ें दें तो उनको डबल चैक कर लें, मुझसे डिस्कस कर लें वैसे भी आप पर आरोप हैं कि आप मुझसे मिले हुए हो। तो शानदार बजट के लिये भी और विधान परिषद् जो है वह जिस रूप में बनी है, उसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि इस सेशन में जो हुआ है, इस बजट सेशन में, मैंने कहा, यह हमेशा याद रखा जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेंशल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ना तो आप एक्सपर्ट हैं और न हम एक्सपर्ट हैं पर मैं इतना कह सकता हूं कि जो वित्तीय प्रबन्धन किया गया है और हमारे देश के प्रधान मंत्री जो अन्तरराष्ट्रीय जगत में अर्थशास्त्री के रूप में माने जाते हैं, वे जयपुर में आकर कैबिनेट की मीटिंग लें और सारे पैरामीटर्स को देखकर यह तारीफ करें कि राजस्थान के फाइनेंशल मैनेजमेंट के इण्डिकेटर्स शानदार हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना शानदार तरीके से लागू की गई है, उन्होंने तारीफ यहां पर आकर की। प्लानिंग कमीशन के मोन्टेक सिंह आहलूवालिया ने प्लानिंग कमीशन में जब हम प्लान साइज लेकर गये पूरे पांच साल की, 1 लाख 95 हजार के करीब, अगले 5 साल तक, वह 33,500 करोड़ का हमने एनुअल प्लान अप्रूव कराया तो उन्होंने तीन बातें कहीं, राज्य की उपलब्धियों को उल्लेखनीय मानते हुए सराहना की और बेहतरीन वित्तीय प्रबन्धन के सभी सूचकांकों में सुधार हुआ है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ। पिछली पंचवर्षीय योजना थी जो आपके वक्त में आपने 71,732 करोड़ रुपये की बनाई थी, उन्होंने कहा कि वह बहुत शानदार तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है, उसी कारण से आपको जानकर खुशी होगी कि प्लान में 24,084 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए हैं। आपके वक्त में खाली दो प्लान साइज आए थे, 28 हजार करोड़ के, 28,717 करोड़ के और हमने उसे बढ़ाकर एक्स्ट्रा-आर्डिनरी प्लान साइज बढ़ाकर 67,096

(श्री अशोक गहलोत)

करोड़ रुपये के तीन प्लान पेश किए हैं। यह भी मैं आपको कह दूं, आप जो यह बात बार-बार कहते हैं कि बजट रख दिया है, वह पूरा खर्च नहीं होता है; आपको जानकर खुशी होगी, वैसे तो मेरे पास 20 साल के फिगर हैं पर मैं कहना चाहूंगा कि इस बार भी जो प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव किया था 27,500 करोड़ का पिछला प्लान साइज, वह हमने जो पूरा किया 27,534 करोड़। इसका मतलब 100.13 प्रतिशत पूरा किया है, इस पर खर्च।

वित्तीय प्रबन्धन के लिये मैंने कहा आपको कि ये तो आंकड़े हैं, आंकड़े गलत हो नहीं सकते। रेवेन्यू डेफिसिट, सरप्लस की आपने बात कही। मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि पिछले 20 साल में पहला मौका है, इक्का-दुक्का छोड़कर, जब अपना रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश कर रहे हैं। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। वर्ष 2009-10 में हम सत्ता में आये थे, उसके पहले आपके 4,747 करोड़ रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट था; 2010-11 में घटकर 1,055 का हो गया, सरप्लस हो गया 1 साल में ही; वर्ष 2011-12 में 433 का हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस बजट हमने पेश किया है। तो आप यह मानेंगे कि आंकड़े तो...आपके वक्त में भी तो रेवेन्यू डेफिसिट रहा है हमेशा, चाहे आपके 2004-05 के आंकड़ें लें, 2,143 करोड़ रहा; 2005-06 में 660 करोड़ रहा; तो मैं यह कहना चाहूंगा आपको कि ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, सरकार के आंकड़े हैं।

इसी तरह फिस्कल डेफिसिट जो है, वह भी हम जी डी पी का 3 प्रतिशत रख सकते हैं। बल्कि हमारे वक्त, जब हम आये तो 3.9 था, उसको घटाकर हमने 1.3 किया है 2011-12 में और वर्ष 2012-13 में प्रपोज किया है 2.1 का। तो यह लिमिट के अनुसार फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, यह मैं कहना चाहता हूं।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्जे पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। कर्जा, आपकी सरकार होती है तो हम कहते हैं, कर्जे ले रहे हो आप; अब आप कहते हो, कर्जे ले रहे हैं। बिना कर्जे के न केन्द्र का काम चल सकता है, न राज्य का काम चल सकता है। पर हमें मानना पड़ेगा कि फाइनेंस कमीशन और भारत सरकार जो राइडर लगाती है राज्यों पर, बिना उनकी परमिशन से एक हजार रुपये कर्जा भी नहीं ले सकती राज्य सरकारें। पैरामीटर के अन्दर 39 परसेंट से ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए जी एस डी पी

(श्री अशोक गहलोत)

का और मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे कहते हुए खुशी है कि 2009-10 में 34.8 परसेंट, 2010-11 में 20.7 परसेंट और 2011-12 में 29.1 परसेंट कर्जे रहे हैं, लिमिट में रहे हैं। बाकी जो हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, बिजली कम्पनियों के कर्जे या जो भी बातें कहीं, वह आपकी सरकार थी तब भी वही सिस्टम था, आज भी वही सिस्टम है; गारंटी देने वाली बात है तो पहले भी था, अब भी है। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है उनका, वह पहले भी, आज भी है। पूरे देश के राज्यों के अन्दर एक सा ही होता है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। तो इस प्रकार से विदिन द लिमिट कर्जे लिये जा रहे हैं, यह मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था।

इंटरेस्ट पेमेंट जो हो रहे हैं, वह भी 18 परसेंट से कम होने चाहिए, रेवेन्यू रिसीट के। उसमें भी, उसमें भी 2009-10 के अन्दर जब सरकार बनी थी तब 19.1 था, लगातार घटते हुए 2010-11 के अन्दर 16 परसेंट रह गया, 2011-12 के अन्दर 14 परसेंट रह गया, अभी हमने प्रपोज किया है बजट एस्टिमेट में, 13.2 परसेंट का किया है। तो विदिन द लिमिट इंटरेस्ट रेट जो भारत सरकार और वित्त आयोग फिक्स करता है, उसके अन्तर्गत है। यह मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे माननीय सदस्यों ने सी एण्ड ए जी को लेकर बातें की हैं, माननीय राजेन्द्र सिंहजी हैं नहीं यहां पर, ...(व्यवधान) पहली बार ही पिया है मैंने, ...(व्यवधान) दूसरी बार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, शंकर सिंहजी। आप विराजिए। केवल मुख्य मंत्रीजी का।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने जो है, सी एण्ड ए जी की रिपोर्ट जो है, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, शांतिपूर्वक ढंग से हाउस चल रहा है, विराजिए। (व्यवधान) आपकी बात अंकित नहीं हो रही है। (व्यवधान) विराजिए, शंकरसिंहजी, विराजिए। (व्यवधान) आप विराजिए। आपका अंकित भी नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सी एण्ड ए जी की रिपोर्ट की जो चर्चा की गई है, उनको कोट किया गया, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कि मैं 1980 के

(श्री अशोक गहलोत)

अन्दर पार्लियामेंट में गया, तब मैं भी पी ए सी का मेम्बर बना था, माननीय उदयपुर से आने वाले सदस्य आज पी ए सी के चेयरमैन हैं। सिस्टम आजादी के पहले से ही चला आ रहा है। सी एण्ड ए जी को बने हुए 50 वर्ष हो गये, अभी जयंती मनाई गई। उसकी अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है देश के अन्दर। उनका काम ही यही है कि आप माइन्यूटली आब्जर्व करके कहां कमी रही है, खर्चे के अन्दर, करने के अन्दर, कहीं गलती की सरकारों ने, उसका आप पैरा बनाएं, उसका पैरा बनाएं। वह रिपोर्ट यहां सदन में भी आती है। पी ए सी इतनी पावरफुल बाडी होती है, जिसके चेयरमैन माननीय उदयपुर से आने वाले सदस्य बैठे हुए हैं यहां पर, वे चेयरमैन हैं। वे पैरा जो बनते हैं, सैकड़ों पैरा बनते हैं, कोई पी ए सी उन पैराज को देख नहीं सकती है; पार्लियामेंट में भी और यहां पर भी नहीं देख सकती है। वह पिक एण्ड चूज करके कुछ पैराज देखती है। आन आथ, वह बयान लेती है और यह प्रयास करती है करने का कि वास्तव में इसमें चूक हुई या नहीं हुई या किन कारणों से हुई है। यह सिस्टम आज तक बना हुआ है।

सी एण्ड ए जी का आजकल ऐसा सिस्टम बन गया, जब कंट्री के अन्दर माहौल बनता है, टू-जी स्पेक्ट्रम के नाम पर, अन्ना हजारे के नाम पर, बाबा रामदेव के नाम पर और किस दिशा में क्या जा रहा है, एजेंडा कोई समझ नहीं पा रहा हो, ऐसे वक्त में आज कोई बात आएगी मार्केट के अन्दर या मीडिया के अन्दर, ऐसी छा जाती है और सब लोग चर्चा करने लग जाते हैं उस न्यूज के बारे में, चाहे प्रिंट मीडिया की हो, चाहे इलेक्ट्रोनिक मीडिया की हो। अभी भी कोई 10 लाख करोड़ रुपये के गबन की बात आने लग गई। तो पूरा मीडिया दिन भर बोलता रहा। पता नहीं, बात कहां पर कायम हो गई।

मैं कहना चाहूंगा कि सी एण्ड ए जी की रिपोर्ट का महत्व जरूर है पर अपन आफ-हैण्ड कोई बात करें, चाहे उसके बारे में उन्होंने यह कह दिया, वह कह दिया लेकिन हर सरकार के बारे में, आपकी अगर खुद की रिपोर्ट निकालेंगे तो 50 गलतियां उसमें निकल जाएंगी, पर सी एण्ड ए जी ने जो तारीफ की सरकार की, उसके 5-6 पैरा मेरे पास हैं, मैं खाली एक पैरा पढ़कर सुनाऊंगा आपको- "State Government has shown return to fiscal consolidation by showing healthy growth in both tax and non-tax revenue and by containing expenditure on salaries. As a result, the fiscal deficit was a healthy 1.4% of G.S.D.P. as against the target of 3% as prescribed by revised F.R.B.M. Act for

(श्री अशोक गहलोत)

2011-12." एफ आर बी एम एक्ट आपके वक्त में बना था। तो मैं कहना चाहूंगा, ऐसे पच्चीसों जनों ने तारीफ की होगी, उनका किसी ने जिक्र नहीं किया। ईमानदारी तब होती कि आप आलोचना भी करते और कहते, आपने यह-यह काम ठीक किया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह मेरा काम नहीं; मेरा काम तो वह है, आपका काम यह है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे गलतफहमी हो गई थी कि शायद आप कुछ इधर की बात भी कर लोगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मुख्य मंत्री महोदय के जवाब और उसके बाद जो बचे हुए कार्य सूची के पूरा होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय कार्य सूची में वर्णित जो भी बिजनेस है, उसके पूरा होने तक और माननीय मुख्य मंत्री के भाषण तक बढ़ा दिया जाए, सदन की सहमति हो तो?

(स्वीकृत)

कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर विचार

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सी एण्ड ए जी की रिपोर्ट पर क्योंकि वह तो आपके परव्यू में आती है, पी ए सी कमेटी के, इसलिए मैं सदन में उसका कोई उत्तर नहीं देना चाहूंगा। पैरा उसके सामने हैं, जब उसको एग्जामिन करेंगे, तब सच्चाई सामने आएगी कि कहां-कहां कमजोरी रही; कमी रही, उसको दूर करेंगे।

बाकी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पेश होने के बाद मैंने निर्देश दिये हैं चीफ सेक्रेटरी को और तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, एच ओ डीज को निर्देश दिये जा रहे हैं कि बजट प्रस्तुत हुआ है, आज आप सब के सहयोग से वह पास होगा, उसके बाद हम चाहेंगे कि टाइम बाउण्ड इम्प्लीमेंटेशन हो;

(श्री अशोक गहलोत)

आपकी जो आशंका है, उसको हम गलत साबित करेंगे और दिखा देंगे आपको कि बिलकुल टाइम पर यह बजट के इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं। यह मैं कहना चाहूंगा। उसकी समीक्षा और मान्टिरिंग मेरे लेवल पर होगी, आप निश्चित रहें और आप सब का मैं सकारात्मक सहयोग चाहूंगा, पक्ष, विपक्ष का और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि यह जो जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, उसमें आम जनता तक उसका लाभ पहुंचे, उसके लिए आप सब की बहुत महती भूमिका है। योजनाएं हम गांव तक, गरीब तक पहुंचाएं, उसमें आपकी भूमिका होगी। मैं उम्मीद करता हूं, लक्षित समूह को लेकर कई फैसले हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन लक्षित समूह तक, जो गरीब हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे गांव या किसान की समस्या है या छात्र, युवा हैं, सब के लिए हमने प्रावधान किये हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आप आम जनता तक जानकारी पहुंचाएंगे और जहां डिफिकल्टी आती होगी, उसको दूर करने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे जिससे कि उसका लाभ सब को मिल सके।

फाइनेंस बिल में मैंने राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003; लक्जरी टैक्स एक्ट; राजस्थान टैक्स ओन लक्जरियस होटल एण्ड लोजिंग हाउसेज एक्ट, 1990 ; एंटी टैक्स एक्ट; एंट्री आफ गुड्स इन्टू लोकल एरियाज, एक्ट, 1990; एवं राजस्थान स्टाम्प एक्ट में संशोधन प्रस्तावित किये हैं जिससे प्रक्रिया का सरलीकरण होगा और ज्यादा और साथ-साथ में टैक्स-इवेजन पर रोक लगेगी। ये मैंने प्रयास किये हैं फाइनेंस बिल के अन्दर।

मेरे बजट प्रस्तावों के माध्यम से एवं इसके पश्चात् बजट पर सामान्य चर्चा का उत्तर देते समय भी की गई घोषणाओं के अतिरिक्त कतिपय अन्य बिन्दु मेरे ध्यान में लाये गये, सदन के माननीय सदस्यों द्वारा मिलकर भी और सदन के अन्दर भी अपनी बात कहकर के और मैंने कुछ जिलों में दौरे किये थे, वहां पर भी मैंने फीड बैक लिया; हमारे माननीय जो प्रभारी मंत्री हैं, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं, वे गये जिलों के अन्दर; जो फीड बैक मिला है, उसके आधार पर मैं कुछ और प्रस्तावित घोषणाएं करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा महाविद्यालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यापन कराने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा सभी चिकित्सा कालेजेज को कम्प्यूटर

(श्री अशोक गहलोत)

नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। राज्य में स्थापित राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि संकायों में अध्ययनरत 8 हजार विद्यार्थियों के अतिरिक्त 15 राजकीय एवं 43 निजी विधि कालेजेज में 20 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कल आप चिन्ता कर रहे थे उसकी। विधिक शिक्षा के स्तर में सुधार एवं एकरूपता लाने के उद्देश्य से जयपुर में डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु इस वर्ष 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे। राज्य में संचालित 58 राजकीय एवं निजी विधि महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय से संबद्ध, एफिलिएट किया जाएगा। अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप भी एग्री कर रहे हो, तब भी कोई ताली नहीं बजा रहे हो। (व्यवधान) कहां बजा रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह डा. अम्बेडकरजी के नाम से रखा, उसके लिए भी धन्यवाद और जयपुर में रखा, उसके लिए भी धन्यवाद।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): राज्य में विशेष योग्यजन व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में आय सीमा 25 हजार रुपये प्रति वर्ष है। मैं यह घोषणा करता हूं कि ऐसे विशेष योग्यजन व्यक्ति जिनके माता-पिता आयकर नहीं देते हैं, वे सब कृत्रिम अंग एवं उपकरण हेतु पात्र माने जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011-12 के बजट में मैंने प्रथम चरण में सभी 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंप्लीमेंट करने की घोषणा की थी। इस योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों जिनमें स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, बीड़ी श्रमिक, निर्माण श्रमिक तथा नरेगा श्रमिक शामिल हैं, को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अब मैं यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू करना प्रस्तावित करता हूं। इस योजना हेतु प्रीमियम के पेटे लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिससे प्रदेश के 40 लाख से अधिक श्रमिक लाभान्वित हो सकेंगे। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि वे असंगठित श्रमिकों को, जो उपरोक्त श्रेणियां बतायी गयी हैं, इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित करें।

मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के माध्यम से नवजीवन योजना

(श्री अशोक गहलोत)

के समस्त जिलों के लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित करता हूं। इसके अतिरिक्त राज्य की भोपा, बागरिया, बंजारा, गाड़िया लोहार, कंजर, सांसी, नट, मेव-मिरासी, जागा, जोगी, वाल्मीकी-हरिजन, रेबारी, मदारी, अल्लीशाह, सपेरा, रायसिख, भिश्ती आदि जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़े हुए परिवारों को भी मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संचालित कार्यक्रमों की प्रभावी मानिटरिंग हेतु सम्भागीय आयुक्त कार्यालयों में उप निदेशक स्तर के अधिकारी का पदस्थापन किया जायेगा।

राज्य की मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में लगभग 600 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। इसकी तुलना में वर्ष 2012-13 में 1 हजार 500 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को देय पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष से कक्षा छठी से आठवीं तक छात्रवृत्ति की दर छात्रों के लिए 15 रुपये मासिक से बढ़ाकर 50 रुपये तथा छात्राओं हेतु 75 रुपये मासिक से बढ़ाकर 100 रुपये की जाएगी। साथ ही कक्षा नौ एवं दस के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दर 30 रुपये मासिक से बढ़ाकर 60 रुपये एवं छात्राओं के लिए 100 रुपये मासिक से बढ़ाकर 120 रुपये की जाएगी। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 9 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे तथा 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

पंचायतों द्वारा जनता जल, स्वजल धारा, सेक्टर रिफोर्म एवं पनघट आदि योजनाओं के संचालन में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, पंचायतों को इन योजनाओं के रख-रखाव का खर्चा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में हमारी सरकार के निर्णय से माननीय सदस्यों को सिंचाई विभाग की मांग पर चर्चा के समय मंत्रीजी ने अवगत कराया था। इन योजनाओं के रख-रखाव हेतु 50 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाना प्रस्तावित करता हूं।

कृषकों को नवीनतम तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में 10 नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायेंगे, जिनमें ये शामिल हैं :-

(श्री अशोक गहलोत)

अलवर में गुन्टा, नागौर में मौजा, जयपुर में कोटपूतली, चूरू में तिरपाली छोटी, जोधपुर में फलौदी, हनुमानगढ़ में चक-27-एन.टी.आर., प्रतापगढ़ में बसाड़, बाड़मेर में गुढ़ामालानी, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोकरण।

मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2012-13 में राज्य के 1,265 मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर आर.यू.बी. (Railway Under Bridge) बनाने के कार्य रेलवे द्वारा हाथ में लिये जायेंगे। इन आर.यू.बीज. के निर्माण से आवागमन में सुविधा के साथ-साथ दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आयेगी। राज्य सरकार द्वारा इन आर.यू.बीज. के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण एवं प्रबन्धन हेतु एन्वायरनमेंट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड से 5 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

बजट में एवं उसके पश्चात् सामान्य चर्चा का उत्तर देते समय मैंने प्रदेश में तहसीलों एवं उप-तहसीलों के सृजन की घोषणा की थी। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये अतिरिक्त प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न तहसीलों एवं उप-तहसीलों का सृजन करना प्रस्तावित हैः-

उप-तहसील से तहसील में क्रमोन्नयन – कोटा में कनवास, डूंगरपुर में गलियाकोट, भीलवाड़ा में फूलियाकलां और हमीरगढ़, बाड़मेर में सिणधरी और सेड़वा।

बजट में डूंगरपुर में साबला में नवीन उप-तहसील सृजित करने की घोषणा की गई थी। अब साबला में तहसील सृजित करना मैं प्रस्तावित करता हूं।

नवीन उप-तहसीलों का सृजन – बाड़मेर में समदड़ी, दौसा में मण्डावर, अजमेर में अराई, भीलवाड़ा में काछौला।

वर्तमान परिस्थितियों में आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने तय किया है कि राज्य के इंटेलीजेंस नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु बेहतर एवं विशिष्ट प्रशिक्षण अति-आवश्यक है। अतः मैं जयपुर में 'इंटेलीजेंस ट्रेनिंग एकेडमी' की स्थापना किये जाने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही इंटेलीजेंस के कार्य हेतु निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों का पृथक कैडर गठित किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

राज्य में पुलिस प्रशासन को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दृष्टि से राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समितियां स्थापित की जायेंगी।

बजट में मैंने राज्य के पुलिस तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से अनेक घोषणाएं की थीं। इसके उपरान्त माननीय सदस्यों द्वारा पुलिस तंत्र के और विस्तार के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इनको दृष्टिगत रखते हुए 2 वर्षों में 2 नये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 7 वृत्त कार्यालय, 19 थाने एवं 36 चौकियां स्थापित करना प्रस्तावित हैं, जिनमें ये शामिल हैं :-

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय – डीग-भरतपुर, भादरा-हनुमानगढ़।

वृत्त कार्यालय- मण्डोर-जोधपुर, बोरानाड़ा-जोधपुर, गुढ़ामालानी-बाड़मेर, सरदारशहर-चूरू, डेगाना-नागौर, बागीदौरा-बांसवाड़ा, मनोहरथाना-झालावाड़।

पुलिस थाने – मतोड़ा-जोधपुर ग्रामीण, बनाड़-जोधपुर, बोरानाड़ा-जोधपुर, कुड़ी भगतासनी-जोधपुर, कांकरोली-राजसमन्द, निम्बाहेड़ा सदर-चित्तौड़गढ़, खो नागोरियान-जयपुर, अमरसर-जयपुर, भांकरोटा-जयपुर, सेज औद्योगिक क्षेत्र-जयपुर, करवर-बूंदी, मण्डलेरा-झुन्झुनूं, रामसागड़ा-डूंगरपुर, नाल-बीकानेर, कालू–बीकानेर, नीमकाथाना सदर-सीकर, उद्योग नगर-सीकर, सेमारी-उदयपुर, तलवाड़ा-हनुमानगढ़।

पुलिस चौकी – सीकर में खण्डेला, जालौर में सुन्धा पर्वत एवं जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़ में जिला चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, मालारामपुरा एवं जाखड़वाली, उदयपुर में कनबई, बांसवाड़ा में जिला चिकित्सालय एवं भुगड़ा,

(17.00 **बजे)**

प्रतापगढ़ में केलामेला, जिला चिकित्सालय एवं जाखम डैम। सवाई माधोपुर में जिला चिकित्सालय एवं तलवाड़ा, अजमेर में मसूदा, विजय नगर, ब्यावर सिटी चिकित्सालय एवं मसाणियां भैरूंधाम राजगढ़, नागौर में नावां एवं जिला चिकित्सालय, बूंदी में समीधी एवं झालीजी का बरानां, बारां में महादेव घाट ग्राम बदनवास एवं जिला चिकित्सालय, करौली में जिला चिकित्सालय, गुरदेह, चंदेलीपुरा एवं महू, पाली में बगड़ी एवं निम्बोल, जोधपुर में बिलाड़ा अस्पताल,

(श्री अशोक गहलोत)

बाड़मेर में जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में जिला चिकित्सालय, धौलपुर में जिला चिकित्सालय, कोटा में रामगंजमण्डी चिकित्सालय।

गृह विभाग की बजट मांग पर चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने बढ़ते साइबर अपराध के सम्बन्ध में चिंता जाहिर की थी। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि जयपुर में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन साइबर पुलिस स्टेशन खोला जा रहा है जिसके माध्यम से राज्य के साइबर अपराधों एवं शिकायतों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हो सकेगी।

नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित आधार पर निजी सुरक्षा एजेंसियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे ताकि उनको नियोजन में सहायता मिल सके।

हैण्डलूम कारपोरेशन, बुनकर संघ, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा स्पिनफैड के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

वर्तमान में प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दरों को बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक एक मई से अकुशल कामगार के लिए न्यूनतम मजदूरी 135 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 147 रुपये, अर्द्ध कुशल कामगार के लिए 145 रुपये से बढ़ाकर 157 रुपये, कुशल कामगार के लिए 155 रुपये से बढ़ाकर 167 रुपये तथा उच्च कुशल कामगार के लिए 205 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 217 रुपये प्रतिदिन करना प्रस्तावित है।

कला, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में बजट घोषणा के अनुरूप 'राजस्थान रत्न' पुरस्कार की घोषणा का प्रदेशवासियों ने हार्दिक स्वागत किया है। जन-भावनाओं के अनुरूप मैं प्रदेश के इस सर्वोच्च पुरस्कार का दायरा बढ़ाते हुए लोक सेवा, समाज सेवा तथा क्रीड़ा क्षेत्र (स्पोर्टस) की विभूतियों को भी इसमें सम्मिलित करने की घोषणा करता हूं।

राज्य के शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एवं सफाई कर्मियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने की दृष्टि से दो वर्ष में प्रदेश के विभिन्न स्थानीय निकायों में 20 हजार सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।

(श्री अशोक गहलोत)

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध करवाने तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इन बैंकों को 40 करोड़ रुपये की अंश पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी।

राजकीय खरीद में राज्य के लघु उद्योगों को दिए जा रहे परचेज प्रिफरेंस के अन्तर्गत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को 4 प्रतिशत भाग ईयरमार्क करने की मैं घोषणा करता हूं।

ए एन एम को 400 रुपये प्रति माह की दर से तथा जी एन एम को 600 रुपये प्रति माह की दर से नर्सिंग भत्ते का भुगतान करने की मैं घोषणा करता हूं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कार्यरत मेटों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए इनकी चयनित वेतनमान से सम्बन्धित विसंगति दूर करने का निर्णय लिया गया है।

मैं समस्त प्रकार के यार्न को प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

राज्य में कर प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करने एवं टैक्स इवेजन को रोकने हेतु राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का गठन किया गया था। इस निदेशालय के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने तथा राज्य एवं केन्द्रीय राजस्व संगठनों में बेहतर सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष तीन करोड़ रुपये की लागत से एक इंटीग्रेटेड आई.टी. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना प्रस्तावित करता हूं।

गत वर्ष एस.एस. शीट्स एवं सर्किल्स पर कर दर को 5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया था। व्यापार एवं उद्योग जगत द्वारा इनके विनिर्माण में प्रयुक्त एस.एस. प्लेट्स पर भी कर दर को कम करने की मांग की गई है। अतः मैं एस.एस. शीट्स एवं सर्किल्स के विनिर्माण के लिए विनिर्माताओं द्वारा खरीदे जाने वाले एस.एस. प्लेट्स पर कर दर को 5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों को अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए प्रत्येक माह 10 दिन के लिए राजकीय वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा राजकीय वाहन के एवज में दस हजार रुपये की

(श्री अशोक गहलोत)

राशि प्रति माह स्वीकृत की जाती है। पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए इस राशि को दस हजार से बढ़ाकर बीस हजार करने की घोषणा करता हूं।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से विधायकगण अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाते हैं। माननीय सदस्यों की मांग को और आपकी भावनाओं को समझते हुए, दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधायक हेतु निर्धारित 1 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की मैं घोषणा करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुख्य मंत्रीजी, ब्राह्मण की भविष्यवाणी सफल हुई या नहीं हुई? मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा ताली इस पर बजेगी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पक्ष एवं प्रतिपक्ष के तमाम सदस्यों की जो क्लैपिंग हुई है, उसी से अंदाज लगता है कि वास्तव में पूरा सदन इसमें एकमत है। हम चाहते हैं, इससे राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ा योगदान होगा, विकास में आपकी भूमिका होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल मुख्य मंत्रीजी। केवल मुख्य मंत्रीजी का अंकित होगा। माननीय शंकरजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अंत में मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा और सदन के माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल को पास करें। मैं सदन को विश्वास दिलाऊंगा कि जो भी बजट में प्रावधान किए गए हैं, मैं फिर वापस रिपीट करूंगा कि उनकी पूरी मानिटरिंग होगी, यह सदन में विश्वास दिलाता हूं, इम्प्लीमेंट होंगे। चाहे पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हों, जो भी आप लोगों ने भावना प्रकट की है, खनिज सम्पदा के बारे में हो, सब कामों को हम लोग मानिटरिंग करके पूरा करवाएंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 एवं 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए गए।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2012

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 17 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 17 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 17 स्वीकार किए गए।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 पारित किया गया।

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012 । श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पेमाराम विधेयक को जनमत जानने हेतु... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम 306 के अन्तर्गत इस बात की मुझे शिथिलता दी जाये कि मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित कर सकूं और इसी के साथ-साथ इसको पारित भी करवा सकूं।

श्री उपाध्यक्ष: नियम 306 में शिथिलता दी जाती है। राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 का पुरःस्थापन, विचार और पारण। श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वे दूसरा बोल रहे हैं और आप दूसरा बोल रहे हैं। दोनों अलग-अलग हैं। आप ठीक करिये। वे 'मंत्री' बोल रहे हैं और आप 'अधिकारियों' वाला बोल रहे हैं। ये दोनों अलग-अलग बिल हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अधिकारियों वाला रखिये आप, अधिकारियों वाला।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो अलग-अलग बिल हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, दोनों अलग-अलग बिल हैं।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: खण्डशः विचार। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड 2 से 12 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 12 स्वीकार किया जायें? (व्यवधान) आप विराजिये, विराजिये। आप विराजिये तो सही। आप विराजिये, पेमारामजी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 12 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 12 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजिये तो सही।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया गया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

(माकपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 । श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे। (व्यवधान)

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012 पर श्री पेमाराम विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री ओम बिरला। अब क्या बोलोगे, बिरलाजी?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्यों नहीं बोलेंगे? बिल बनाने के लिए विधान सभा में आये हैं तो बोलेंगे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपके नेताजी यों इशारा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप सिखाओगे क्या? जिसके लिए जनता ने भेजा है, बिल बनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप फोर्मेलिटी मत करना, मन से बोलना।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, नहीं, बिलकुल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक 2012 पारित करने के लिए...(व्यवधान) अनपढ़ नहीं हूं। ...पारित करने के लिए राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद चिकित्सा हमारे देश की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और यह चिकित्सा भी वर्तमान की नहीं है, पांच हजार वर्षों से भी ज्यादा....

श्री उपाध्यक्ष: इनकी सुनिये, बोलना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? अब आप...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जिसको जाना है, जाये ना। यह चिकित्सा...

श्री उपाध्यक्ष: वे आपके कहने से नहीं जा रहे, आपका भाषण नहीं सुनना चाहते।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजाओं के राज में जब न एलोपेथी थी, न होम्योपेथी थी, उस समय भी इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम देश के अन्दर नाड़ी देखकर इलाज किया करते थे लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के इस युग में आज जिस तरीके से आयुर्वेद चिकित्सा विलोपित होती जा रही है, यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चिकित्सा है आयुर्वेद चिकित्सा जिससे स्वस्थ व्यक्ति रखना और स्वस्थ रहना, ये दो बातें इस आयुर्वेद चिकित्सा में हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो परिषद बनाई जा रही है, जो विधेयक लाया जा रहा है, पूर्व में भी यहां पर चिकित्सा के लिए काउंसिल बनी, उसके पहले भी राजस्थान के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें। आपका ज्ञान तो वृहद् है, मानते हैं, पूरा सदन मानता है, मैं क्या मानूंगा? थोड़ा संक्षिप्त करें, संक्षिप्त।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पी एम टी की परीक्षा, प्री-पी जी पी एम टी की परीक्षा, वह भी आयोजित होती थी। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान के अन्दर मेडिकल काउंसिल बनने के बाद और विश्वविद्यालय बनने के बाद जिस तरीके से रोज अख़बार में पढ़ने को मिलता है, इसलिए चिंता लगती है कि आयुर्वेद नर्सिंग परिषद तो हम बना रहे हैं, उसके उद्देश्य भी कई तरीके के सफल भी हैं लेकिन इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए जो हमारा आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है, वह भी एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस परिषद को बनाने के पहले, क्योंकि केन्द्र में आयुर्वेद के लिए कोई नर्सिंग परिषद बनी हुई नहीं है और उसके पैरामीटर्स, मानक नहीं हैं, इसलिए राजस्थान के अन्दर जो हम मानक बनाने जा रहे हैं उन मानक पर विचार करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर आयुर्वेद की स्थिति हुई है, यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से आयुर्वेद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणाएं की थीं, उन घोषणाओं को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाये। जिस तरीके से केरल के अन्दर, कर्नाटक के अन्दर आयुर्वेद पद्धति नई टेक्नोलोजी के अनुसार बन चुकी है और हमारा राजस्थान भी, इस भू-भाग, इलाके के अन्दर हम भी यह आयुर्वेद औषधालय के रूप में एक बहुत बड़े विकसित राज्य बन सकते हैं। मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद बहुत-बहुत।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कि आयुर्वेद नर्सिंग परिषद बनाने के साथ इस आयुर्वेद के अन्दर जिस तरह से हमारी घोषणाओं को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाये, इस राजस्थान के अन्दर 250 एम डी, अनुसंधानकर्ता और भू-भाग बहुत बड़ा है, हमें आवश्यकता है, इस आयुर्वेद पद्धति को विकसित करना चाहिए और राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को एग्जीक्यूट करना चाहिए। हम परिषद बना देंगे, नई परिषद परीक्षा आयोजित करने के लिए बना देंगे लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से नर्सिंग परिषद के अन्दर प्राइवेट नर्सिंग कालेज खुलें, उन पर जिस तरीके से ए सी बी के छापे पड़े और जो कमियां मिलीं, हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम अच्छे नर्सिंग आयुर्वेद के विद्यार्थी तैयार कर सकें, उनको अच्छा शिक्षण-

(श्री ओम बिरला)

प्रशिक्षण दिला सकें, इसके लिए परिषद बनाने के लिए पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टेक्निकल रूप से कैसे प्रशिक्षण केन्द्र होंगे, कैसे उनका सुपरविजन होगा, कैसे उनका बजट होगा और उनकी परीक्षा आयोजित करने के लिए हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, इन सब लागू करने के बाद इस बिल को लाना चाहिए।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सदन...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...से कहना है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाय और राजस्थान की जनता के सुझावों के आधार पर उसके बाद इसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद।

माननीया श्रीमती अनिता भदेल। आप भी बोलेंगी क्या? आपकी बात तो इन्होंने कह दी होगी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता सदन में विराजमान हैं और हमें बोलने का अवसर मिले, मैं बिलकुल शार्ट में बोलूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षेप में बोलिए। हां, संक्षेप में, बिलकुल संक्षिप्त।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिलकुल संक्षेप में मैं अपनी बात को कहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकार आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक लेकर के आई है, निश्चित रूप से इसके पीछे मंशा अच्छी है कि हम किसी तरह से नर्सिंग जितने भी कर्मचारी हैं आयुर्वेद के, उन सबको कैसे हम मानकों के अनुसार, कैसे उनकी परीक्षा आयोजित करें, कैसे उनको एडमिशन मिले, कैसे उनकी सारी सर्विस के बारे में संधारण किया जाये; निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा बिल है, परन्तु मैं इतना कहना चाहती हूं कि अजमेर में जो आयुर्वेद का निदेशालय है, अजमेर के आयुर्वेद के निदेशालय के पदों पर यदि हम एक बार दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि इसमें पद हैं ही नहीं, सारे पद लगभग खाली पड़े हैं। यह नर्सिंग कर्मचारियों के बारे में ही मैं बात करूंगी, दूसरे पद के बारे में बात नहीं करूंगी। नर्सिंग अधीक्षक सेकण्ड ग्रेड के 14 पद हैं जिसमें से 4 भरे हुए हैं, 10 खाली हैं। वरिष्ठ नर्स कम्पाउंडर के

(श्रीमती अनिता भदेल)

703 पद हैं जिसमें से 495 पर कार्यरत हैं कार्मिक और 208 पद खाली हैं। ग्रामीण नर्स-कम्पाउंडरों के 187 पद हैं जिसमें 181 पद भरे हुए हैं, 6 पोस्ट अभी भी खाली हैं। कनिष्ठ नर्स-कम्पाउंडर के 3,495 पद हैं, 2,767 पद भरे हुए हैं, 728 पद खाली हैं। इस प्रकार, हम कुल नर्सिंग-नर्सिंग का देखें तो 955 पद खाली हैं। ये 955 पद जो खाली हैं, वहीं आप और एक नया संस्थान बनाने जा रहे हैं, उसमें भी पदों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे हम यह जो आयुर्वेद के हास्पिटल्स हैं, आयुर्वेद के....

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, अनिताजी, धन्यवाद। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...केन्द्र हैं, उनको हम कैसे स्ट्रेंथन कर पायेंगे?

यह मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात और कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद विभाग में अनुज्ञापन प्राधिकारी का एक पद होता है, नियुक्ति होती है और उस पद पर अजमेर में वह पद स्थापित होता है लेकिन उसका ट्रांसफर करके जयपुर किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञापन अधिकारी की जो योग्यताएं होनी चाहिए, वे योग्यताएं न होकर के जिस व्यक्ति को इसका कार्यभार दिया गया है, वह निश्चित मानदण्ड नहीं अपनाये हुए हैं, वे उस पद की योग्यता नहीं रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो मैंने बात कही है बिल के माध्यम से कि इस बिल को तीन माह के लिए जनमत जानने के प्रसारित किया जाय, उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। विराजिए, विराजिए। माननीय मंत्रीजी, आप बोलना चाहेंगे कुछ?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायक महोदयों ने जो पाइंट्स उठाये हैं, यह, काश, जब हमारी डिमांड्स पर डिस्कशन हो रहा था, उसमें भी आपने उठाये थे और अगर आप यहां मौजूद होते तो कइयों का उसमें आपको जवाब मिल जाता।

जहां तक आपने जनमत की बात कही है तो चूंकि यह आम जनता से सम्बन्धित नहीं है तो इस वजह से मैं यह समझता हूं कि इसकी

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

आवश्यकता नहीं है, यह जो है विधेयक, यह महज नर्सिंग प्रोफेशन को रेग्यूलेट करने के लिए और नर्सिंग स्कूल्स को मान्यता देने के उद्देश्य से यह बनाया जा रहा है। एलोपेथी नर्सेज का भी बिलकुल इसी तरह से जो बना था, उसी बेसिस पर हम इसका भी बनाना चाहते हैं। राजस्थान पैरा-मेडिकल काउंसिल बिल जो 2008 में बना था, उसका उसी के...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, इसमें आपका कोई वह नहीं है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उस पर बनाना चाहते हैं और....

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, मंत्रीजी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि इनके प्रस्ताव को खारिज किया जाए, निरस्त किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव, बिरलाजी, अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 45 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 45 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 45 स्वीकार किए गए।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी भावना बहुत अच्छी हो सकती है और जिस भावना से आप ला रहे हैं कि नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी बाकी की सारी सर्विस कैसी होगी, भावना बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन इस डिपार्टमेंट में केवल परिषदें गठित करते-करते ही रह जाओगे, होगा कुछ भी नहीं। कारण क्या है कि आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, उनका इंडियन मेडिसिन बोर्ड कभी का ही बना हुआ है। वह यही काम करता है रजिस्ट्रेशन का। आप मुझे यह बता दें कि पिछले तीस साल में इंडियन मेडिसिन बोर्ड का चेयरमैन कितने साल तक रहा है? केवल सरकारी अधिकारी के भरोसे आप यह सारा का सारा रजिस्ट्रेशन और बाकी सारा काम देकर के जिस तरह से इस डिपार्टमेंट को पंगु बना दिया है, एक संस्था पहले से ही पंगु है आपकी जो वैद्यों से लेकर के पूरे डिपार्टमेंट को देखते हैं यह आपकी इंडियन मेडिसिन बोर्ड के नाम से संस्था है। जब से इसका गठन हुआ तब से लेकर आज तक इसका चेयरमैन कितने साल तक रहा यह मुझे आप जवाब दे देना। एक गठन और कर रहे हैं आप।

हमारे यहां साधारणतया जो 10+2 करके बच्चा आता है, उसका नर्सिंग ट्रेनिंग जो अपना कोर्स है वह ढाई साल का, प्लस छह महीने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसकी ट्रेनिंग होकर के वह बच्चा ट्रेन होकर के आता है। भावना यह अच्छी हो सकती है कि उसको कैसे अपन सिस्टेमेटिक करें लेकिन हिन्दुस्तान में कितने राज्यों में है यह परिषद? क्या केन्द्र में इसकी परिषद है? क्या केन्द्र ने इसकी आवश्यकता नहीं महसूस की? हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य ने इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की। जो काम आपकी आलरैडी आयुर्वेद जो यूनिवर्सिटी है, उसको ये सारे अधिकार हैं और उस अधिकार के तहत यह सारा काम चल रहा है। उसके बाद भी एक नई संस्था बनाकर के नए कुछ लोगों को आपको एडजस्ट करना हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि केवल कोई संस्थाओं का गठन ही मत कीजिए। वे संस्थाएं कार्य रूप में अपने काम को ठीक प्रकार से अंजाम दे सकें, आपने इसमें सारे प्रोविजन दे रखे हैं इसमें अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, उसका इलेक्शन उन्हीं के मेम्बरों में से होगा, तीन साल के लिए होगा, वे यह-यह काम करेंगे, यह जो कुछ भी कानून में लिखा है यह बहुत अच्छा है, उसके बारे में मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन मेरा विरोध इस बात का है कि यह डिपार्टमेंट बिलकुल खतम हो रहा है। आयुर्वेद जो सबसे पुरानी हमारी पद्धति है, सबसे सस्ती पद्धति है, गरीब आदमी की क्षमता में यह आती है और आज तो सारी दुनिया आयुर्वेद की ओर मुड़कर के आ रही है और आयुर्वेद का चारों तरफ वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में हमने राजस्थान के आयुर्वेद डिपार्टमेंट को जिस दुर्गति में लाकर खड़ा कर दिया है, वह वास्तव में बहुत चिंतनीय है और बहुत ही विचारणीय है।

इसलिए मैं चाहता हूं, केवल आप पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें पास करना है और आपकी भावना भी अच्छी हो सकती है लेकिन इस डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में भी तो कोई देखेगा कि नहीं देखेगा? मैंने उस दिन भी कहा था कि इसका डायरेक्टर कितने साल से नहीं है और जो डायरेक्टर की आपने क्वालिफिकेशन रखी है और आपने आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य को इसकी श्रेणी से बाहर निकाला है, मेरी गारंटी है, दस साल तक आयुर्वेद का डायरेक्टर बनने लायक एक आदमी भी आपके पास नहीं बचा है। ऐसे नियम क्यों बनाते हो? जो अब तक आपका यहां कालेज का कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी प्रोफेसर वह डायरेक्टर बनने की जो योग्यताएं आपने निर्धारित कर रखी हैं, उन योग्यताओं को वे रखते हैं तो बन सकते थे लेकिन आपने पता नहीं, किसके कारण से यह चेंज किया है। और इस चेंज करने के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण से आपको भविष्य में, मेरी गारंटी है, दस साल तक आप किसी भी क्वालिफाइड डायरेक्टर, जो नोर्म्स बना रखे हैं, उसमें एक भी डायरेक्टर आपका नहीं बन सकेगा।

हमारे पास कुल पद ये हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, 3,879 पद हैं, उनमें से 1,140 तो वैद्यों के पद खाली हैं। आपने पिछली बार जो सलेक्शन किया था 319 लोगों की परीक्षा ली थी, उन 319 लोगों में से किसी को नियुक्ति दी क्या? कितने साल हो गए आपको? परीक्षा लिए हुए, आर पी एस सी से लिये हुए कितना समय हो गया? आज तक आप एक भी अभ्यर्थी को, पिछले कितने साल हो गए आपको, आयुर्वेद के किसी भी वैद्य को लगाये हुए? किसी भी संस्था में, किसी भी जगह राजस्थान में किसी आयुर्वेद के वैद्य का सलेक्शन करके लगाया हो तो उसका नाम बताइए। केवल आप यह बातें कह करके कि हम यह कर रहे हैं, इतनी दुर्गति इस आयुर्वेद का डिपार्टमेंट बनाकर के आपने रख दी है।

और यही नहीं, मैंने तो आपको उस दिन भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, एक मात्र सरकारी अगर कोई महाविद्यालय था तो वह उदयपुर का था। उस उदयपुर के महाविद्यालय की स्थिति यह है कि पांच साल से पी जी में एक भी एडमिशन इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी केन्द्र की संस्था ने इस बात के रोक लगा दी कि जो स्टाफ आपको चाहिए, जिस प्रकार के क्वालिफाइड लोग आपके पास चाहिए, वे आपके कालेज में नहीं हैं। इसलिए पी जी के एडमिशन पांच साल से नहीं हुए हैं। पिछला जो आपने किया था, वह पी जी से लोअर क्लास में वैद्य थे उसमें हुआ था। वह भी केवल इसलिए कि आपने एक साल के लिए निकाला। उसके लिए भी स्टाफ नहीं लगाया और जब आप स्टाफ नहीं लगाएंगे तो आपकी मान्यता फिर खतरे में पड़ जाएगी। हमारे पास सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास अस्पताल है, हमारे पास शय्याएं हैं, सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो दुर्भाग्य यह है कि आयुर्वेद के जितने भी बैड हैं जहां-जहां पर भी, वहां न आपका टेक्निशियन है, न वहां उसकी कोई लेबोरेटरी है, न वहां कोई उसमें देखने वाला है। उसके कारण से जितने भी आप हास्पिटल जाकर के देखेंगे न, सारे बिलकुल खाली पड़े हैं आज की तारीख में, जबकि लोगों की इसमें रुचि थी, इस प्रकार का इसका पूरा उपयोग लेते थे। आपने इतनी-इतनी बिल्डिंगें बना देने के बाद भी किसी भी प्रकार का एक तरह से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज की तारीख में मैं सोचता हूं कि किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है।

आपने देखा होगा कि आयुर्वेद के साथ-साथ जो प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, दो प्राकृतिक चिकित्सालय कुल चल रहे हैं और उनमें भी आपको जो सामान चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सालय में मतलब पानी गरम करने के लिए जो सामान चाहिए, वह सामान आपके पास नहीं है। आपके पास किसी भी प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक तरह से जिन लोगों का विश्वास था, आज भी मैं कह सकता हूं आप और मैं, प्राकृतिक चिकित्सालय में आज भी हैं, आप भी आज का जो कायाकल्प का जो प्रोजेक्ट है, उसमें अच्छे-अच्छे लोग 15-15, 21-21 दिन का अपना पूरा का पूरा कराकर के अपनी बाडी का शोधन करते हैं।

लेकिन राजस्थान में इस आयुर्वेद की जिस प्रकार की दुर्गति है, मंत्री महोदय, अगर आप कुछ कर सकें, यह तो पास होना है हो जाएगा लेकिन आयुर्वेद को बचा डालो। बाकी ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में पढ़ने वाले बच्चे दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। आपके पास हज़ारों पद खाली होने के बाद भी आप न तो उनको भर्ती कर पा रहे हो, न उनको नौकरी दे पा रहे हो। और प्रमोशन की तो यह दुर्दशा बनाई है, मुझे कहते हुए बहुत दुःख है, आज की तारीख में आप यह बता दें, आपका जिला आयुर्वेद अधिकारी से लेकर के डायरेक्टर तक एक भी व्यक्ति पोस्ट पर है क्या? जिस विभाग का कोई जिला आयुर्वेद अधिकारी अधिकृत रूप से नहीं है, कोई क्वालिफाइड नहीं है, आपकी डी पी सी हुए कितने साल हो गए, न प्रमोशन है और न कुछ है। एक तरह से आपने आयुर्वेद को गर्त में डाल दिया है। केवल आप और हम साढ़े तीन साल निकाल रहे हैं, हमारी उपलब्धि क्या है आयुर्वेद की दृष्टि से? हमने किया क्या है? गांवों में जो दवाई लिखते हैं ना, उस दवाई की दुकान कहां है? वहां जो वैद्य बैठता है, उसका लाभ क्या है? आपने जो राज्य के जो कर्मचारी हैं जिनको आयुर्वेद के बिलों का जो भरण होता है, उसको या तो जिला हैड क्वार्टर पर आकर के अपनी दवाई वहां से खरीद कर ले जाए तो उसका उपयोग है, न उसको दवाई मिलती है, न आपके पास कोई साधन हैं।

आपकी रसायनशाला की जो दुर्गति है। मेरे को जवाब अगर आप दें तो राजस्थान में जो चार रसायनशालाएं हैं एक रसायनशाला में भी आपका अधिकृत अधिकारी है क्या? कोई परचेज होती है क्या? समय पर दवाइयां बनती

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं क्या? आपके पास सब प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी आपकी रसायनशालाएं इसलिए बेगार की तरह से पड़ी हैं क्योंकि वहां कोई अधिकृत व्यक्ति और अधिकृत जो क्वालिफाइड वैद्य चाहिए, वे आप वहां लगाने में समर्थ नहीं हो। सारी की सारी रसायनशालाओं में इतना आपके पास स्ट्रैक्चर है और इतनी दवाइयां बनती थीं और चलता था राजस्थान में आयुर्वेद डिपार्टमेंट लेकिन आपके इस तीन साल की अवधि में सारी की सारी रसायन- शाला चौपट हो गई। किसी भी प्रकार की दवाइयों का निर्माण नहीं होता है । जब नीचे अस्पताल में दवाई नहीं होगी और न वहां गांव में किसी दुकान पर आयुर्वेद की दवाई मिलती है, फिर उस वैद्य का उपयोग क्या है? इसके बारे में अगर आपने मुफ्त दवाइयां कर दीं तो कम से कम रसायनशालाओं को तो मजबूत करें। वहां से आपकी दवाइयां बनकर के आपके वैद्य तक जाकर के वहां कम से कम उसे मुफ्त दवाई तो मिल सके और उसका कोई उपयोग हो। पहले तो आपके पास कोई स्टाफ नहीं और जो है, उसका उपयोग नहीं और उसके बाद कहीं दवाई की दुकान नहीं। न तो जो पेंशनर हैं उनको किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है, न आपकी कोई व्यवस्था दिखायी देती है। मैं सोचता हूं कि जब आपने मुफ्त दवाइयों की योजना बनाई है तो इस बारे में भी देखो कि आपकी रसायनशाला की आवश्यकता के अनुसार जितनी दवाइयां चाहिए, वे अपने यहां बना करके ठेठ नीचे वैद्य तक पहुंचाएं ताकि उनका उपयोग हो सके। मैं यही प्रार्थना करके अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय पेमारामजी, बोलिये, संक्षेप में। बोलने दो, माननीय ओम जी, अच्छा बोलते हैं वे।

श्री पेमाराम (धोद): बिलकुल शोर्ट में। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद ...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हाउस का मूड भी देखो।

श्री पेमाराम (धोद): लेकिन कानून बन रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, पेमारामजी।

श्री पेमाराम (धोद): निश्चित तौर पर मैं जो आया हूं, हाउस का मूड है कि नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे इजाजत दी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हाउस खुश हो रहा है, दो करोड़ कर दिये एम एल ए लैड के।

श्री उपाध्यक्ष: इजाजत दी है और उन्होंने कहा है कि संक्षेप में बोलेंगे।

श्री पेमाराम (धोद): सरकार जो कानून लाकर के आयुर्वेद से जो पिंड छुड़ाने के लिए, निश्चित तौर पर इसमें चुनाव का तरीका, पदाधिकारी, ये सारी चीजें तो हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो पहले से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति थी उसे बरबाद करने के लिए जिम्मेदार कोई है तो सरकार है। आज भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित मेरे इलाके में भी नेतड़वास पंचायत का बोहितपुरा गांव में आयुर्वेद चिकित्सालय है, जमीन वहां गांव के लोगों ने दे दी आयुर्वेद चिकित्सालय के नाम पर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये विधान सभा में मीटिंग नहीं होती, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, उस नेतड़वास में बोहितपुरा का चिकित्सालय आज भी किराये की बिल्डिंग में है। राजस्थान में सैकड़ों ऐसे आयुर्वेद के चिकित्सालय हैं। अभी वेतन-भत्ते बढ़ रहे थे, और चीजें बढ़ रही थीं राजस्थान की सरकार के लिए बेहतर तो यह होता कि जो आयुर्वेद के चिकित्सालय हैं, वहां पर दो-दो कमरे बना करके आयुर्वेद चिकित्सक को बैठाना चाहिए था। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार यह कानून बना करके पिंड छुड़ाना चाह रही है। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता जा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी रखेंगे, राजस्थान में एक ऐसा...

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें। पेमारामजी, मूड नहीं है, वास्तव में। (व्यवधान) आप बोलने दो उनको।

श्री पेमाराम (धोद): सरकार ने जिस तरह से आयुर्वेद में 25.09.2003 को बैकलाग में जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के जिसमें कम से कम दस अभ्यर्थी...

श्री उपाध्यक्ष: अब बंद करो।

श्री पेमाराम (धोद): निश्चित तौर पर लेकिन कहेंगे साहब, कहां कहें? बैकलाग में भर्ती की थी सरकार ने, आज तक उन्हें बैकलाग में करने के बावजूद चूंकि ये आयुर्वेद में थे नर्स थे, कम्पाउंडर थे, दस तो मेरे सीकर जिले से हैं राजस्थान में सौ की भर्ती की थी, 2003 से लेकर आज 9 साल हो गये उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है। 4-4 हजार रुपये में उनको रखा जा रहा है। ट्रेनिंगशुदा हैं, सारे हैं।

(श्री पेमाराम)

जिस तरह से आयुर्वेद में शोषण किया जा रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि ये बिल लाकर के, बहुमत की ताकत पर ये बिल पास करा करके, सरकार, आयुर्वेद से पिंड छुड़ाने की बजाय, मेरी मांग है कि राजस्थान में जो भवन विहीन आयुर्वेद चिकित्सालय चल रहे हैं, उनमें भवन बनाने की व्यवस्था करें और जो संविदा पर जिस तरह से हैं, उन्हें स्थायी करने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये। माननीय मंत्रीजी, आप बोलेंगे या नहीं?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं।

श्री पेमाराम (धोद): मैं ये कागजात ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012 पारित किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 47 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची-1 एवं 2 स्वीकार की गई।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) एक ही चीज पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सबकी भावना है कि आप विराजें। आसन को कोई एतराज नहीं है।

श्री पेमाराम (धोद): ये प्राइवेट कितने लाना चाह रहे हैं? एक साथ ही क्यों नहीं ले आये? कितने लाना चाह रहे हैं?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अब लाएंगे वे एक साथ लाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, इनका ध्यान रखना।

श्री पेमाराम (धोद): शिक्षा का बंटाधर क्यों करना चाह रहे हो?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अच्छा, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 पारित किया गया।

आभार

माननीय उपाध्यक्ष श्री रामनारायण मीणा द्वारा आभार

मैं इस सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि 12 तारीख से आज 20 तारीख तक आपने ...(व्यवधान) मैं क्या बोलता हूं, वह सुनिये। आपने जो सहयोग दिया सदन में जितना अच्छा वातावरण रखा और सदन की गरिमा बनाये रखी, जब ऐसे प्रश्न भी आये जब सदन की गरिमा को ठेस पहुंचने की बात होने की स्थिति आयी, तब भी आपने सबने संयम रखा, पूरा सहयोग दिखा। मुझे ऐसा लगा कि 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में कोई समय ही नहीं था। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और 26 तारीख को, मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्षजी आ जाएंगे तो फिर मुझे घनश्यामजी तिवाड़ी के बगल में बैठने का मौका मिलेगा। मैं आपका हृदय के गहन तल से ...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो फैसला कराया वह तो वापस ले लो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, एक मिनट विराजिये पहले। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, आसन की मर्यादा का ध्यान आपको रखना है आसन पर बैठने वाले को उतना नहीं रखना है जितना आपको रखना है, आपकी वजह से आसन है और आपकी वजह से आठ दिन ऐसे गुजरे। लोग कह रहे थे, माननीय सदस्य, अमरारामजी को आप इशारा करते हो, कितने सज्जन पुरुष बन गये।

मैं इसलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत-बहुत आभार हृदय के गहन तल से व्यक्त करते हुए, मेरी ओर से और आसन की ओर से आभार व्यक्त किया जाता है कि नहीं किया जाता, मुझे पता नहीं लेकिन आसन की ओर से भी आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 26 अप्रैल 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.47 बजे, दिनांक 26 अप्रैल, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

डिबोक ग्रुप कम्पनी, जयपुर के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

488. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डिबोक ग्रुप कम्पनी, जयपुर के विरुद्ध फर्जी तरीके से भूखण्ड आबंटन करने के मामले में मुकदमें दर्ज हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कम्पनी के दोषी पाये जाने पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) डिबोक ग्रुप कम्पनी, जयपुर के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

डिबोक ग्रुप कम्पनी, जयपुर के विरुद्ध जयपुर महानगर में पंजीबद्ध प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम थाना	मुकदमा नं., धारा व दिनांक	नतीजा पुलिस
1	2	3	4
1	चाकसू	259/09 धारा 420, 406, 407, 120बी भादस दिनांक 22.06.2009	न्यायालय के आदेशानुसार रि-ओपन तथा वर्तमान में अनुसंधान जारी है।
2	चाकसू	07/11 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादस दिनांक 10.01.2011	एफआर अदम वकू सिविल नेचर नं. 143/11 दिनांक 21.06.2011
3	चाकसू	258/11 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादस दिनांक 17.08.2011	एफआर अदम वकू सिविल नेचर नं. 287/11 दिनांक 29.10.2011

1	2	3	4
4	बनीपार्क	265/10 धारा 467, 468, 471, 120बी भादस दिनांक 14.08.2010	एफआर अदम वकू गलत फहमी वाका नं. 77/10 दिनांक 27.10.2010
5	वैशाली नगर	143/08 धारा 420, 406 भादस दिनांक 13.02.2008	एफआर अदम वकू सिविल नेचर नं. 54/08 दिनांक 29.02.2008
6	वैशाली नगर	286/10 धारा 420, 406 भादस दिनांक 11.05.2010	चालान नं. 314/10 दिनांक 13.02.2010
7	वैशाली नगर	395/10 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादस दिनांक 15.06.2010	एफआर अदम वकू सिविल नेचर नं. 402/10 दिनांक 22.11.2010
8	वैशाली नगर	756/11 धारा 420, 406, 120बी भादस दिनांक 15.06.2010	एक आरोपी गिरफ्तार शेष आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है।
9	वैशाली नगर	113/12 धारा 420, 406 भादस दिनांक 18.03.2012	अनुसंधान जारी है।
10	जेडीए थाना	116/12 धारा 420, 467, 468, 471 भादस दिनांक 25.02.2012	अनुसंधान जारी है।
11	जेडीए थाना	150/12 धारा 420, 467, 468, 471 भादस दिनांक 18.03.2012	अनुसंधान जारी है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर जिले में राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित विकास कार्य

493. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धौलपुर के विकास हेतु धौलपुर में कौन-कौन से प्रोजेक्ट प्रस्तावित एवं स्वीकृत हैं?

(2) धौलपुर में R U I D P अन्तर्गत किन-किन योजनाओं पर कार्य चल रहा है? उक्त योजनाएं कब तक पूर्ण कर ली जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत धौलपुर के विकास हेतु प्रस्तावित एवं स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) धौलपुर शहर में राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। वर्तमान में चल रहे कार्य जून 2014 तक पूर्ण किये जाने लक्षित हैं।

परिशिष्ट 'अ'

धौलपुर शहर में आर.यू.आई.डी.पी. के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है

धौलपुर शहर में प्रस्तावित कार्यों का मदवार विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संभावित आबंटित राशि
1	हैरिटेज कार्य	0.50
2	पेयजल कार्य	34.08
3	सीवरेज कार्य	64.00
4	सड़कों का कार्य	29.31
5	ठोस कचरा प्रबंधन उपकरण	1.00
6	लेण्डफिल साइट	1.46
7	अग्निशमन उपकरण	1.25
	कुल योग	**131.60**

धौलपुर शहर में स्वीकृत कार्यों का मदवार विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्यादेश राशि
1	हैरिटेज कार्य	0.44
2	पेयजल कार्य	23.54
3	सीवरेज कार्य	32.20
4	सड़कों का कार्य	5.31
5	ठोस कचरा प्रबंधन उपकरण	1.00
6	अग्निशमन उपकरण	1.25
	कुल योग	**63.74**

परिशिष्ट 'ब'

धौलपुर शहर में चल रहे कार्यों का मदवार विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्यादेश राशि	मार्च 2012 तक व्यय राशि	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि
1	पेयजल कार्य	23.54	14.14	वर्तमान में चल रहे कार्य जून 2014 तक पूर्ण किये जाने लक्षित हैं।
2	सीवरेज कार्य	24.96	7.32	
3	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य	7.24	0.97	
4	सड़कों का कार्य	5.31	1.96	
5	हैरिटेज का कार्य	0.44	0.26	
	कुल योग	**61.49**	**24.65**	

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त धौलपुर शहर में ठोस कचरा प्रबंधन एवं अग्निशमन उपकरण की खरीद के लिए आदेश दे दिये गये हैं एवं इसके

अन्तर्गत उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है जो कि अक्टूबर 2012 तक पूर्ण होने की सम्भावना है, एवं इन पर लगभग 225 लाख रुपये का व्यय होगा।

प्रतापगढ़ जिले में पुलिस कार्मिकों पर हमले के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही

494. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009-10 से 2011-12 में जिला प्रतापगढ़ के किस-किस थाने में या थाना क्षेत्र में पुलिस पर खुले आम अपराधियों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में कितने पुलिस कर्मी जख्मी हुए हैं?

(2) उक्त फायरिंग में नामजद कितने व्यक्ति पुलिस कार्यवाही या गिरफ्त से बाहर हैं और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार व थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी 2012 तक जिला प्रतापगढ़ के थाना अरनोद क्षेत्र में पुलिस पर अपराधियों द्वारा फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। उपरोक्त फायरिंग के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुआ है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त फायरिंग की घटनाओं में दर्ज 4 प्रकरणों में नामजद 34 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तलाश व प्रयास जारी है। वर्षवार व थानेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

दिनांक 01.01.2009 से 31.01.2012 तक पुलिस कर्मियों पर अपराधियों द्वारा फायरिंग की सूचना

क्र.सं.	जिला	थाना	एफ.आई.आर. नम्बर मय पंजीयन दिनांक	धारा	जख्मी पुलिस कर्मी के नाम	नामजद वांछित व्यक्तियों के नाम	गिरफ्तार करने के लिए अब तक की गई कार्यवाही
1.	प्रतापगढ़	अरनोद	301/2011 28.11.2011	307, 332, 353, 147, 148, 149 भादस, 3/25 आर्म्स एक्ट व 3 पीडीपीपी एक्ट	-	1. सलीम पिता हबीब खां निवासी तलाई मोहल्ला प्रतापगढ़ 2. लालसिंह पिता रूपसिंह निवासी रीछा थाना भावगढ़ (म.प्र.) 3. बबलू उर्फ शराफत खां पिता डेरान खां, निवासी नौगावा थाना अरनोद।	सलीम पिता हबीब खां निवासी तलाई मोहल्ला प्रतापगढ़ थाना प्रतापगढ़ को जेल से प्राप्त करना है। शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।
2.	प्रतापगढ़	अरनोद	18/2002 30.01.2012	147, 148, 149, 307, 332, 353 भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट	-	1. सलीम पिता शेर अली 2. फकीरगुल पिता तोरगुल 3. शमशेर पिता शेरअली निवासीयान देवल्दी थाना अरनोद	अभियुक्तों की तलाश की जा रही ही है।

क्र.सं.	जिला	थाना	एफ.आई.आर. नम्बर मय पंजीयन दिनांक	धारा	जख्मी पुलिस कर्मी के नाम	नामजद वांछित व्यक्तियों के नाम	गिरफ्तार करने के लिए अब तक की गई कार्यवाही
3.	प्रतापगढ़	अरनोद	19/2012 30.01.2012	147, 148, 149, 307, 332, 353 भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट	-	सलीम पिता शेर अली खां 2. फकीरगुला पिता तोरगुल 3. शमशेर पिता शेरअली निवासीयान 4. शेफू उर्फ चमन खां पिता जाफर खां 5. सलीम पिता कासम खां 6. गुल खां पिता नवरोज खां 7. मोहसीन पिता शहजाद खां 8. अजब खां पिता अमीर गुल खां 9. राजा बाबू पिता मीर अफजल खां 10. जह्रू पिता ईस्माईल खां 11. जाहिदा खां पिता दिलावर खां 12. ईम्तीयाज पिता शमशेर खां 13. अमान खां पिता गुल खां 14. मजहर खां पिता पप्पू खां 15. जमशेद खां पिता फकरू खां 16. महमूद खां पिता नन्ने खां 17. गुलबादशाह पिता पीर खां 18.	अभियुक्तों की तलाश की जा रही ही है।

क्र.सं.	जिला	थाना	एफ.आई.आर. नम्बर मय पंजीयन दिनांक	धारा	जख्मी पुलिस कर्मी के नाम	नामजद वांछित व्यक्तियों के नाम	गिरफ्तार करने के लिए अब तक की गई कार्यवाही
						रोहिन पिता गुल खां 19. ताशिफ पिता दिलावर खां 20. भय्यू पिता ईब्राहिम खां 21. समीर खां पिता गुलशेर खां 22. एजाज खां पिता सलीम खां 23. सनावर खां पिता सलीम खां 24. हमीर खां पिता आदम खां 25 फारूक उर्फ किशोर पिता नारू मीणा 26. कम्यू पिता कल्लू खां 27. आजाद पिता बबूल खां 28. वसीम खां पिता ईस्माईल खां निवासीयान देवन्दी थाना अरनोद जिला प्रतापगढ़।	
4.	प्रतापगढ़	अरनोद	23/2012 31.01.2012	307, 332, 353, भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट	-	शून्य	-

नव-पंजीकृत वाहनों पर पथ-कर में वृद्धि

495. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नये वाहन पर रोड टैक्स 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है?

(2) उक्त टैक्स बढ़ाने से राज्य को कितना लाभ हुआ? वर्ष 2011-12 में प्राप्त राजस्व का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मोटर यानों पर रोड टैक्स की दरें वाहनों की श्रेणी अनुसार अलग-अलग निर्धारित हैं। वर्तमान में वाहनों की श्रेणी अनुसार लागू दरों का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

उक्त श्रेणी अनुसार दरों में किसी भी श्रेणी हेतु दर 3% से 6% नहीं की गई है।

(2) खण्ड 1 के उत्तर अनुसार ऐसी कोई वाहन श्रेणी नहीं है जिन पर रोड टैक्स की दर 3% से बढ़ाकर 6% प्रतिशत की गई हो। अतः राज्य सरकार को इस कारण से वर्ष 2011-12 में लाभ सम्बन्धी बिन्दु निहित नहीं है। तथापि राजस्थान राज्य में वर्ष 2011-12 में परिवहन विभाग का विभिन्न मदों में प्राप्त कुल राजस्व 1927.19 करोड़ रुपये है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के पृथक-पृथक संचालन हेतु जारी आदेशों की पालना

496. श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने राजकीय/गैर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से प्राथमिक कक्षा तक को पृथक करने के कोई आदेश जारी कर रखे हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आज भी निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कई माध्यमिक विद्यालयों से प्राथमिक विद्यालय पृथक नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र सिंह)

(3) क्या सरकार बिन्दु संख्या-2 की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से प्राथमिक कक्षाओं को पृथक करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी आदेश की छाया प्रतियां परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। ऐसे विद्यालयों की जिलेवार एवं विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) माध्यमिक विद्यालयों से प्राथमिक कक्षाऐं निर्धारित समय सीमा में पृथक नहीं किये जा सकने के निम्न कारण रहे हैं :-

- नव क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालयों का स्टाफ स्वीकृत/कार्यरत नहीं होने से,
- प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत आने वाले पद रिक्त होने से,
- प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्थान/भवन उपलब्ध नहीं होने से।

उक्त कारणों से माध्यमिक विद्यालयों से प्राथमिक कक्षाओं को पृथक नहीं किये जाने के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं बन पाने के कारण कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

ठिकराना गुजरान (ब्यावर) ग्राम में नियम विरुद्ध आबंटित औद्योगिक क्षेत्र

497. **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आबादी के नजदीक कम से कम डेढ़ किलोमीटर दूर तक कोई उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र नहीं लग सकता है?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील ब्यावर के ग्राम ठिकराना गुजरान के खसरा नं. 138/3 में 60 बीघा सरकारी भूमि को प्रदूषित इकाइयों

(श्री बंशीधर खण्डेला)

के लिये पटवारी, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, जिला कलक्टर ने तथ्य छिपाकर औद्योगिक क्षेत्र का आबंटन कर दिया है?

(3) क्या यह सही हैं कि उक्त अधिकारियों ने भू-माफिया से मिलकर आबादी क्षेत्र में चल रहे राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठिकराना गुजरान की दूरी को मात्र 300 मीटर दूरी को 1.5 किलोमीटर बता दिया है?

(4) क्या यह भी सही है कि जहां क्वार्टज केटलपार की पहाड़ी हो उस पहाड़ी को भी उद्योगार्थ क्षेत्र आबंटित कर दिया है?

(5) क्या यह भी सही है कि पेराफेरी क्षेत्र में आबंटित क्षेत्र का इन्डेक्स रेट का बीस गुणा चार्ज लिया जाता है, के नियम को भी उक्त अधिकारियों ने नजरअंदाज कर इन्डेक्स रेट पर ही आबंटन कर दिया है, जिसका आबंटन मात्र एक ही व्यक्ति ने मार्च, 2008 में बीस नामों से कराया है?

(6) क्या यह भी सही है कि आबंटन के बाद आबंटित भूमि पर 2 वर्ष तक उद्योग नहीं लगने पर आबंटन निरस्त कर दिया जाता है? क्या सरकार नियम विरुद्ध 4 वर्ष पूर्व हुए अनियमित आबंटन को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आबंटन) नियम, 1959 के नियम 2(2ख)(ii) के प्रावधानानुसार किसी औद्योगिक इकाई या चूने भट्टे का किसी क्रेशर इकाई या किसी औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोजन के लिये किसी गांव की आबादी की बाहरी सीमाओं के 1.5 किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर आने वाली भूमि का आबंटन नहीं किया जाता है।

(2) जी नहीं। ग्राम ठिकराना गुजरान तहसील ब्यावर के खसरा नम्बर 138/3 में भूमि का आबंटन नहीं किया गया है, बल्कि खसरा नम्बर 138/2 में से 60 बीघा भूमि जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 24.07.2008 के आधार पर राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 13.08.08 द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने व कीमतन आबंटन किये जाने की स्वीकृति जिला कलक्टर अजमेर को दी गई है।

(3) जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24.07.2008 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठिकराना गुजरान व उसकी दूरी का कोई उल्लेख नहीं है।

(उद्योग मंत्री)

(4) जिला कलक्टर से प्राप्त पत्र दिनांक 24.07.2008 में आबंटित भूमि पर क्वार्टज केटलपार होने का कोई उल्लेख नहीं है। भूमि की किस्म गैर मुमकिन दांती दर्ज है।

(5) राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आबंटन) नियम, 1959 के नियम-3 में विकास शुल्क एवं नियम 3 (ए) में भूमि की कीमत लेने का प्रावधान है । इस प्रकार पेराफेरी क्षेत्र में आबंटित क्षेत्र का इण्डेक्स रेट से बीस गुणा लेने का कोई प्रावधान नहीं है। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर द्वारा उक्त प्रावधान के अन्तर्गत विकास शुल्क एवं भूमि की कीमत वसूल की गई है।

(6) राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आबंटन) नियम, 1959 के नियम 7 के प्रावधानानुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटित भूमि पर 2 वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापित करना आवश्यक है इसमें विफल रहने पर, जब तक किसी उचित कारणवश आबंटन प्राधिकारी द्वारा 2 वर्ष की अवधि में वृद्धि नहीं कर दी गई हो, भूमि वापस सरकार मे निहित हो जाती है।

नीलकण्ठ-टहला (अलवर) क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग की मरम्मत

498. श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में नीलकण्ठ से टहला तक की सड़क क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नीलकण्ठ से टहला सड़क मार्ग का नीलकण्ठ से मानसरोवर बांध तक का क्षेत्र सरिस्का वन्य जीव (टाइगर रिजर्व की कोर एरिया) अभयारण्य की सीमा में आता है। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 एवं उसके अधीन भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार बिना माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति के कार्य नहीं कराया जा सकता है।

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के तहत गठित अपीलीय अधिकरण

499. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 कब से लागू हुआ? अधिनियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में उक्त अधिनियम के तहत विवादों के निपटारे हेतु पृथक से किराया अधिकरणों एवं अपीलीय अधिकरणों का गठन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कब-कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम लागू होने के बाद किराया अधिकरण के रूप में अधिसूचित न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो उक्त अधिनियम लागू होने के बाद सरकार द्वारा विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 दिनांक 1.4.2003 से प्रभावी हुआ है । अधिनियम की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) जी हां। अब तक जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में पृथक से किराया अधिकरण/अपील अधिकरण का गठन विभागीय आदेश क्रमांक एफ3 (ड)(177)काप्र/स्था.नि./93/729 दिनांक 01.3.2011 के द्वारा किया जा चुका है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अन्तर्गत आने वाले प्रकरण केवल उक्त अधिनियम में अधिसूचित किराया अधिकरण एवं अपील किराया अधिकरण में ही दायर किये जावेंगे। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का त्वरित निस्तारण हेतु विद्यमान न्यायालयों को ही इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 में समयबद्ध रीति से प्रकरणों के निस्तारण का प्रावधान है। विद्यमान न्यायालयों को क्षेत्राधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। विवादों के त्वरित

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निस्तारण हेतु जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर में पृथक से किराया अधिकरण/अपील किराया अधिकरण का गठन उपरोक्त परिशिष्ट "ब" के विभागीय आदेश क्रमांक एफ3(ड)(177)काप्र/स्था.नि./93/729 दिनांक 01.3.2011 के द्वारा किया जा चुका है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीगंगानगर जिले में राजनेता/प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

500. **श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

श्रीगंगानगर जिले के किस-किस पुलिस थाने में गत तीन वर्षों में राजनेता व प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई? दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

श्रीगंगानगर जिले के पुलिस थानों में गत तीन वर्षों में राजनेता व प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कुल 32 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

भरतपुर जिले में ओवरलोडिंग वाहनों के संचालन पर रोक हेतु कार्यवाही

501. **श्री बहादुर सिंह** (वैर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार वाहनों के ओवरलोड संचालन को रोकने के प्रयास कर रही है? यदि हां, तो भरतपुर जिले में उक्त हेतु क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले में जून, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक कितने ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा कितने ओवरलोड वाहन ऊंचा नंगला चैक पोस्ट से यू.पी. के लिये गये व आये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बहादुर सिंह)

(3) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर परिवहन कार्यालय द्वारा प्राइवेट गार्डों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो इनको नियुक्ति देते समय क्या मानदण्ड अपनाये गये तथा इनको दैनिक आधार पर वेतन किस-किस को कितना व इनका भुगतान किस मद से किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ओवरलोड़ संचालन को रोकने हेतु निरन्तर रूप से विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है व समय-समय पर स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर भी कार्यवाही की जाती है। भरतपुर जिले में वर्ष 2011-12 के दौरान ओवरलोड संचालन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) भरतपुर जिले में माह जून, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक ओवरलोड संचालित पाये जाने वाले वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

कर संग्रह केन्द्र, ऊंचा नंगला पर संचालित पाये गये ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(3) जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर में 18 सुरक्षा गार्ड (भूतपूर्व सैनिक) आई डिटैक्टिव पूर्व सैनिक सिक्योरिटी सहकारी समिति लिमिटेड, भीलवाड़ा के माध्यम से अनुबन्ध पर लगाये गये हैं।

इनकी नियुक्ति के सम्ब्न्ध में अपनाये गये मानदण्ड सम्बन्धी निर्देशों एवं देय पारिश्रमिक दरों का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

इनका भुगतान संविदा व्यय मद से किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले के विद्यालयों के मृत आश्रितों को नियुक्ति

502. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के कितने प्रकरण लम्बित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

(2) जिला भीलवाड़ा के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के कितने प्रकरण लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के नौकरी के लम्बित प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही कर नौकरी पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के 173, पंचायतीराज सेटअप के 786 तथा माध्यमिक शिक्षा के 148 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लम्बित हैं।

(2) जिला भीलवाड़ा के प्रारम्भिक शिक्षा के 12, पंचायतीराज सेटअप के 26 तथा माध्यमिक शिक्षा के 9 मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लम्बित हैं, जिसका विवरण क्रमशः परिशिष्ट "क", "ख" तथा "ग" पर संलग्न है ।

(3) जी हां। मृतक राज्य कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने बाबत प्राप्त प्रकरणों में विभाग स्तर पर तत्काल कार्यवाही करते हुए रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के मृतक आश्रित के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण प्रक्रियाधीन है। पंचायतीराज सेटअप के मृतक कार्मिकों के आश्रितों के प्रकरण क.लि. तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के अभाव में लम्बित है। पद उपलब्ध होने पर अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गौण मण्डियों का क्रमोन्नयन

503. **श्री दौलतराज समेजा** (रायसिंहनगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गौण मण्डी किसे कहते हैं एवं राज्य में कुल कितनी गौण मण्डियां हैं तथा गौण मण्डी में कार्य संचालन किस प्रकार होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दौलतराज समेजा)

(2) क्या सरकार गौण मण्डी को मण्डी समिति का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी मण्डियों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र में मुख्यमण्डी प्रांगण के अतिरिक्त राजस्थान कृषि उपज विपणी (उपमण्डी यार्डों की स्थापना) नियम, 1987 में निर्धारित मापदण्डों के तहत कृषि उपजों के क्रय-विक्रय के लिए राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5(2) के तहत अधिसूचित परिसर/प्रांगण गौण मण्डी कहलाती है। वर्तमान में राज्य में 305 गौण मण्डियां स्थापित हैं। गौणमण्डियों का कार्य संचालन एवं नियंत्रण सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किया जाता है। गौणमण्डी में कृषकों की अधिसूचित कृषि उपजों का क्रय-विक्रय खुली नीलामी से होता है। गौण मण्डियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। बगरू, अलवर (फल सब्जी), चौमूं (फल सब्जी), देई, छोटी सादड़ी एवं रानीवाडा गौणमण्डियों को मण्डी समिति का दर्जा दिये जाने के आशय की अधिसूचना जारी कर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गये हैं। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार कर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। अलवर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति खेडली के अन्तर्गत गौणमण्डी यार्ड बड़ौदामेव को नयी कृषि उपज मण्डी समिति बड़ौदामेव के नाम से स्थापित किये जाने की अधिसूचना दिनांक 13.04.2012 को जारी कर दी गयी है। उक्त नवीन मण्डी समिति, समिति की प्रथम बैठक की तिथि से अस्तित्व में आयेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पचपदरा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

504. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन प्रजापत)

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में केन्द्र समय पर नहीं खुलते व उक्त में नियमानुसार पोषाहार वितरण नहीं होता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त केन्द्रों की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो निगरानी हेतु क्या व्यवस्था है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कुल 337 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिनका परियोजनावार विवरण तथा इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी की संख्या का विवरण निम्नानुसार है तथा सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

क्र. सं.	परियोजना	संचालित केन्द्रों की संख्या	कार्यरत कार्यकर्ता	कार्यरत सहायिका	कार्यरत आशा सहयोगिनी
1	बालोतरा पचपदरा	188	185	173	124
2	कल्याणपुर	104	83	75	34
3	बाडमेर शहर नगरपालिका क्षेत्र बालोतरा	45	44	44	36
	कुल	**337**	**312**	**292**	**194**

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र सामान्यतः निर्धारित समय पर खुलते हैं एवं विभागीय मापदण्डों के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण होता है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निर्धारित सेवाएं प्रदान किये जाने के विभागीय निर्देश हैं तथा इनकी पालना के लिए उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा पर्यवेक्षकों द्वारा उनके निर्धारित नार्म्स के अनुसार भ्रमण कर निगरानी रखी जाती है। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2010 के आदेशों से आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में किये जाने के आदेश जारी हैं। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भी इन केन्द्रों की निगरानी रखी जा सकती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर नगरपालिका मण्डल द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत जारी पट्‌टे

505. **श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2011 से फरवरी, 2012 तक नगरपालिका मण्डल नागौर में नौमिनल रेट पर स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत कितने पट्‌टे जारी किए गए?

(2) उक्त जारी पट्‌टों पर कितना कार्य हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अंतर्गत नौमिनल रेट पर जारी होने वाले पट्‌टों के कितने प्रकरण पेंडिंग हैं तथा उक्त बकाया पट्‌टे क्यों नहीं जारी हुए और अब स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पेंडिंग पट्‌टे कब तक जारी हो जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी 2011 से फरवरी 2012 तक नगरपालिका मण्डल नागौर में स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत नौमिनल रेट 5 रुपये प्रति पट्‌टा से कुल 55 पटटे जारी किये गये हैं।

(2) आबादी क्षेत्र के अन्दर पुराने मकान बने होने के सबूतों के आधार पर ही स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत जो पटटे जारी किये गये हैं उन पर मकान बने हुए हैं।

(3) वर्तमान में स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत नौमिनल रेट पर जारी होने वाले पटटों के नगरपालिका मण्डल नागौर में कुल 197 प्रकरण लम्बित हैं। मौका रिपोर्ट एवं आवेदकों द्वारा पूर्ण व पर्याप्त साक्ष्य दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं करने के कारण लम्बित है। उनकी मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेज प्राप्त करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

वर्ष 2010-11 में पुलिस बेड़े में भर्ती से वंचित अभ्यर्थी

506. **श्री सुन्दरलाल** (पिलानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2010-11 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल/ड्राईवरों की नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुन्दर लाल)

(2) क्या सरकार द्वारा जिन अभ्यर्थियों के न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर परीवीक्षा अधिनियम की धारा 3 व 4 एवं 12 के अन्तर्गत किसी भी दोष सिद्धि पर अयोग्यता को हटाये जाने का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें अब उक्त लाभ देने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार गृह विभाग के पत्र क्रमांक 2 (3) गृह-1/08 दिनांक नवम्बर, 2011 एवं पत्र क्रमांक 4.2(54) गृह-1/2006 दिनांक 23-10-2006 के अन्तर्गत प्रकरणों में लिये गये निर्णयों के अनुरूप नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया तथा उन बिन्दुओं का ध्यान रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त पत्रों का ध्यान रखकर पुन: विचार कर वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2010-11 की कान्स्टेबल भर्ती में चयनित 7804 अभ्यर्थियों में से 7253 को कानि.सामान्य/कानि. आपरेटर/कानि.ड्राईवर/कानि. घुड़सवार एवं कानि. बैण्ड के पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है। जिलेवार एवं पदवार नियुक्तियों की सूची परिशिष्ट- "क" पर है।

(2) जी नहीं। कान्स्टेबल भर्ती वर्ष 2010 में चयनित ऐसे किसी भी अभ्यर्थी की दोष सिद्धि पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 12 के अन्तर्गत किसी भी दोषसिद्धि पर अयोग्यता को हटाये जाने का लाभ नहीं दिया गया है।

(3) गृह विभाग के पत्र क्रमांक प-2(54)गृह-1/06 दिनांक 23.10.2006 को पत्र क्रमांक प-2 (54)गृह-1/06 दिनांक 23.03.2007 द्वारा प्रत्याहित (Withdraw) किया गया है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा मार्गदर्शन चाहे जाने पर पत्र दिनांक 5.10.2009 के द्वारा वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक की कान्स्टेबल भर्ती में चयनित एवं आपराधिक प्रकरणों में लिप्त निम्नांकित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई थी।

1 आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के बाद दर्ज हुए मुकदमे।

2 आपराधिक प्रकरण में अनुसंधान से दोषी नहीं पाये जाने के कारण एफ.आर. दी गई।

(गृह मंत्री)

3 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया।

4 न्यायालय में राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया गया।

5 प्रकरण न्यायालय में चालान के बाद सरकार द्वारा विड्रा किये गये।

विभाग के पत्र दिनांक 5.10.2009 के क्रम में विभिन्न नियुक्ति अधिकारियों द्वारा वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि के चयनित तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से वंचित उपरोक्त श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों के प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर योग्य पाये गये 118 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है।

इसी प्रकार विभाग के पत्र दिनांक 1.11.2011 की पालना में विभिन्न नियुक्ति अधिकारियों द्वारा वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि के चयनित, तथ्य छुपाने एवं न्यायालय से परिवीक्षा के लाभ के कारण नियुक्ति से वंचित 60 अभ्यर्थियों के प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर योग्य पाये गये 30 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति दी जा चुकी है शेष की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.12.2009 द्वारा पुलिस विभाग के परिपत्र दिनांक 29.04.1995 को उचित ठहराया गया है। अतः इस निर्णय के आधार पर वर्ष 2010 भर्ती के उपरोक्त तरह के प्रकरणों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी लर्निंग लाइसेन्स

507. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2011 में जयपुर आरटीओ कार्यालय में निरीक्षकों द्वारा कितने लर्निंग लाइसेन्स जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त से कितने लर्निंग लाइसेन्स के फार्म पर पर्चियां कटी हुई थीं व कितने लाइसेन्स पर एन्ट्री डाली हुई थी? क्या सरकार इसमें किसी कर्मचारी/अधिकारी को दोषी मानती है? यदि हां, तो उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनीता सिंह)

(3) वर्ष 2011 में राज्य में कुल कितने लाइसेन्स जारी किये गये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2011 में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर द्वारा 7590 लर्निंग लाइसेन्स जारी किये गये हैं।

(2) जनवरी, 2011 में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर द्वारा जारी किये गये लर्निंग लाइसेन्स फार्मों की न तो पर्चियां कटी हुई हैं, न ही किसी फार्म पर एन्ट्री डाली हुई है। अतः कार्यवाही का बिन्दु निहित नहीं है।

(3) वर्ष 2011 में राज्य में 704910 लर्निंग लाइसेन्स एवं 601437 स्थाई लाइसेन्स जारी किये हैं। जिलेवार सूचना परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2011 में राज्य में जारी किये गये लाइसेंसों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	लर्निंग लाइसेंसों की संख्या	स्थायी लाइसेंसों की संख्या
1	जयपुर	103691	71683
2	कोटपूतली	9440	7604
	योग	113131	79287
3	दौसा	24372	11103
4	सवाई माधोपुर	13156	10153
5	करौली	6417	10462
	योग	43945	31718
6	सीकर	26354	10734
7	झुन्झुनूं	25480	22824
8	चूरू	8795	17973
	योग	61629	51531
9	अलवर	33212	21870
10	भरतपुर	23424	19466
11	धौलपुर	7078	5374
	योग	63714	46710

क्र. सं.	जिले का नाम	लर्निंग लाइसेंसों की संख्या	स्थायी लाइसेंसों की संख्या
12	अजमेर	25758	20853
13	ब्यावर	7093	5838
14	नागौर	4678	6454
15	डीडवाना	24747	25298
16	टोंक	13769	11708
	योग	76045	70151
17	जोधपुर	44456	71266
18	बाडमेर	18220	19448
19	जैसलमेर	6252	6134
	योग	68928	96848
20	पाली	18313	18641
21	सिरोही	6332	3420
22	जालौर	16975	12329
	योग	41620	34390
23	उदयपुर	31481	18170
24	डूंगरपुर	10149	7623
25	बांसवाड़ा	6689	5795
26	राजसमंद	8122	6380
	योग	56441	37968
27	चित्तौड़गढ़	5775	8632
28	प्रतापगढ़	6335	6454
29	भीलवाड़ा	27268	14230
	योग	39378	29316
30	कोटा	22985	14592
31	बून्दी	18674	17780
32	झालावाड़	8493	8577
33	बारां	8311	5820
34	रामगंजमण्डी	7146	6661
	योग	65609	53430

क्र. सं.	जिले का नाम	लर्निंग लाइसेंसों की संख्या	स्थायी लाइसेंसों की संख्या
35	बीकानेर	29601	27492
36	श्रीगंगानगर	26035	21117
37	हनुमानगढ़	18834	21479
	योग	74470	70088
	महायोग	704910	601437

नोट :- उक्त सूचना प्रयोजनार्थ एक ही लाइसेंस में वर्णित एक से अधिक श्रेणी के वाहनों को पृथक-पृथक लाइसेंस माना है।

निजी विद्यालयों की छात्राओं को वर्ष 2012 में देय गार्गी पुरस्कार

508. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गार्गी पुरस्कार सरकारी व निजी तथा सरकारी सहायता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थाओं के उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त गार्गी पुरस्कार वर्ष 2012 में निजी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की छात्राओं को नहीं दिया गया ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों की छात्राओं को भी यह पुरस्कार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को गार्गी पुरस्कार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं । वर्ष 2012 में निजी व सरकारी सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों की पात्र छात्राओं को यह पुरस्कार दिया गया है।

(3) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ देय है।

पोकरण (जैसलमेर) उप खण्ड के नमक उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं

509. श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के उपखण्ड क्षेत्र पोकरण में नमक उत्पादन किया जा रहा है? यदि हां, तो इसमें कुल कितने उद्यमी नमक उत्पादन कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त को नमक उत्पादन हेतु लीज दी गई है? यदि हां, तो कितने वर्ष की तथा किन-किन उद्यमियों द्वारा नमक उत्पादन किया जा रहा है?

(3) क्या नमक उत्पादन क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की व नहीं, तो कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जैसलमेर के उपखण्ड क्षेत्र पोकरण में पोकरण रिण में 37 एवं गुडडी रिण में 12 उद्यमियों को लीज पर लवण भूखण्ड आबंटित है जिसमें से पोकरण रिण में 23 एवं गुडडी रिण में 02 उद्यमियों द्वारा नमक उत्पादन किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। 43 उद्यमियों को 10 वर्ष की एवं 6 उद्यमियों को 20 वर्ष की लीज दी गई है। पोकरण रिण में 23 एवं गुडडी रिण में 02 उद्यमियों द्वारा ही नमक उत्पादन किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। पोकरण रिण में आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराया गया था, इसी प्रकार स्वच्छ जल के लिए पोकरण रिण में 5 जी.एल.आर. का निर्माण कराया गया।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर

जैसलमेर जिले में उपखण्ड पोकरण क्षेत्र में स्थित लवण क्षेत्रों में आबंटित भूखण्डों एवं कार्यरत इकाइयों का विवरण भूराजस्व की स्थिति

क्र. सं.	आबंटित प्लाट नं.	क्षेत्रफल	इकाई/उद्यमी का नाम व पता	आबंटन तिथि	कार्यरत इकाइयां
पोकरण लवण क्षेत्र :-					
1.	182, 183, 184	30 एकड़	मै. रामावत साल्ट पोकरण	25.03.64	

क्र. सं.	आबंटित प्लाट नं.	क्षेत्रफल	इकाई/उद्यमी का नाम व पता	आबंटन तिथि	कार्यरत इकाइयां
2.	9,42,91	30 एकड़	श्रीमति अलका अग्रवाल/ अनिरुध अग्रवाल पोकरण	23.03.64	
3.	10,11,128	30 एकड़	श्री भंवर लाल वैद्य, पोकरण	22.04.64	कार्यरत
4.	40,41,77	30 एकड़	श्री राजकुमार/श्री श्रीचन्द सेठिया पोकरण	22.04.64	
5.	138,139,140	30 एकड़	श्री बूलीदान सिंह भाटी पोकरण	28.04.64	कार्यरत
6.	118,119,120	30 एकड़	श्री बलदेव जोशी पोकरण	09.03.64	कार्यरत
7.	17,18,19	30 एकड़	श्री गोपाल जोशी पोकरण	07.09.64	कार्यरत
8.	105,106,107	30 एकड़	श्री मोती लाल कोठारी पोकरण	09.03.64	कार्यरत
9.	20,29,30	30 एकड़	श्री सुधीर एण्ड अरूण पोकरण	30.03.64	कार्यरत
10.	78,79,80	30 एकड़	श्री मौजीराम/किशन गोपाल पोकरण	24.11.65	कार्यरत
11.	95,96,97	30 एकड़	श्री मानक चन्द कोठारी पोकरण	11.02.69	
12.	92,93,94	30 एकड़	श्रीमती लक्ष्मी देवी दुग्गड़ पोकरण	22.04.69	कार्यरत
13.	58,71,85	30 एकड़	श्री प्रेम चन्द जैन पोकरण	24.02.69	कार्यरत
14.	57,70,84	30 एकड़	श्री बद्री प्रसाद अग्रवाल (निरस्त)	09.03.64	
15.	54,55,56	30 एकड़	श्री अमीर मोहम्मद पोकरण	26.11.76	कार्यरत
16.	67,68,69	30 एकड़	श्री बंशीलाल चाण्डक पोकरण	11.04.69	कार्यरत
17.	81,82,83	30 एकड़	श्री संजय भोजक पुत्र सुमेर मल पोकरण	28.10.77	कार्यरत
18.	12,13,21	30 एकड़	श्री केसरी चन्द वैद्य पोकरण	14.09.77	
19.	4,5,6	30 एकड़	श्री नगराज सेठिया पोकरण	11.07.77	
20.	65,66/1,66/149	30 एकड़	श्रीमति मुन्नी देवी पोकरण	14.09.77	कार्यरत
21.	14,22,23	30 एकड़	श्री सुरेन्द्र सिंह वैद्य पोकरण	14.09.77	कार्यरत
22.	26,27,28	30 एकड़	श्री राजेन्द्र कुमार बोथरा पोकरण	14.09.77	कार्यरत
23.	51,52,53	30 एकड़	श्री कुशल चन्द नाहटा पोकरण	22.01.78	

क्र. सं.	आबंटित प्लाट नं.	क्षेत्रफल	इकाई/उद्यमी का नाम व पता	आबंटन तिथि	कार्यरत इकाइयां
24.	37,38,39	30 एकड़	श्री भगवती/कमलकिशोर रंगा पोकरण	22.01.78	कार्यरत
25.	150,151,152	30 एकड़	श्री केवल चन्द बरडिया पोकरण	16.02.78	कार्यरत
26.	165,166,167	30 एकड़	श्री मंगत मल शर्मा पोकरण	16.02.78	कार्यरत
27.	1,2,3	30 एकड़	श्री अनोप चन्द बोरड पोकरण	17.02.78	
28.	159,160,161	30 एकड़	श्री विमल कुमार बरडिया पोकरण	28.02.78	कार्यरत
29.	31,32,33	30 एकड़	श्री हीरा लाल बुचा पोकरण	28.02.78	कार्यरत
30.	162,163,164	30 एकड़	श्री करणी सिंह सेठिया पोकरण	28.02.78	
31.	59,72,86	30 एकड़	श्री रतन लाल जैन पोकरण	29.06.78	कार्यरत
32.	210,211,212	30 एकड़	श्री जीवन सिंह/सुन्दर सिंह पोकरण	09.03.64	कार्यरत
33.	156,157,158	30 एकड़	श्री रामेश्वर दरोगा पोकरण	29.04.78	कार्यरत
34.	43,44,45	30 एकड़	श्री पारसमल पूंगलिया पोकरण	29.07.78	
35.	153,154,155	30 एकड़	श्री बछराज नाहटा पोकरण	12.07.78	
36.	141,142,143	30 एकड़	श्री हंसराज नाहटा पोकरण	07.09.78	
37.	209,221,222	30 एकड़	श्री गजेन्द्र नाथ महर्षि पोकरण	11.01.79	
गुडडी रिण लवण क्षेत्र					
1.	218,219,220	30 एकड़	श्री चम्पालाल सोमानी गुडीरिण	13.02.71	
2.	210,211,212	30 एकड़	श्री अभय कुमार गोयल गुडीरिण	25.03.70	कार्यरत
3.	119,120,121	30 एकड़	मै. विजयलक्ष्मी साल्ट इण्ड. गुडीरिण	14.02.70	कार्यरत
4.	205,208,209	30 एकड़	श्री मदन लाल जैन गुडीरिण	26.04.72	
5.	77,78,79	30 एकड़	श्री गोविन्द नारायण गर्ग गुडीरिण	14.02.70	
6.	297,298,299	30 एकड़	श्री सांवर मल पंसारी गुडीरिण	09.11.71	

क्र. सं.	आबंटित प्लाट नं.	क्षेत्रफल	इकाई/उद्यमी का नाम व पता	आबंटन तिथि	कार्यरत इकाइयां
7.	72,75	20 एकड़	श्री राजेन्द्र कुमार/भंवरलाल मेहरा गुडीरिण	08.11.2001	
8.	168,177	19 एकड़	श्रीमति मदनी देवी/ भंवरलाल बलाई गुडीरिण	08.11.2001	
9.	170,175	20 एकड़	श्रीमति सुशीला देवी/ भूवरलाल वर्मा गुडीरिण	08.11.2001	
10.	214,215	20 एकड़	श्रीमति रुकमणी देवी/ बाबूराम चौपडा गुडीरिण	08.11.2001	
11.	253,264	20 एकड़	श्री बाबूराम/हरजीराम चौपड़ा गुडीरिण	08.11.2001	
12.	295,306	20 एकड़	श्री नरेन्द्र कुमार/भंवर लाल वर्मा गुडीरिण	08.11.2001	

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
जैसलमेर

नवीन पर्यावरण परिवर्तनों से प्रभावित लघु उद्यमी

510. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदेश में उद्योगों के लिए कुछ प्रावधानों में परिवर्तन किये हैं, जिससे छोटे निवेशकों की परेशानी बढ गई है? यदि हां, तो वर्ष 2011-12 में कौन-कौन से परिवर्तन किये गये हैं ? परिवर्तन के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में सरकार को नये परिवर्तन के बाद परिवर्तनांक के विरुद्ध कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए तथा उनका क्या समाधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नये परिवर्तनों से निजी भूमि पर लगने वाली लघु उद्योग इकाइयां प्रभावित हुई हैं? क्या सरकार नये परिवर्तनों के प्रावधानों को संशोधन कर सरल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं । उद्योगों के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन प्रचलित नियमों के अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में निम्न नियम और बनाये गए हैं:-

1. अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) संशोधन नियम 2011

2. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011

उक्त अधिसूचनाओं की प्रतिलिपि परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है । उक्त नियम छोटे उद्योगों की परेशानी बढ़ाने के लिये नहीं, अपितु पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु बनाये गये हैं।

नये नियम बनाये जाने के पीछे मुख्य कारण प्लास्टिक एवं ई-अपशिष्ट को सही ढंग से प्रबंधन, प्रहस्तन एवं हथालन कराया जाना है, ताकि पर्यावरण को इनके दीर्घकालीन दुष्प्रभाव से संरक्षित रखा जा सके।

(2) खण्ड-1 में वर्णित नियमों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुए हैं।

(3) खण्ड-1 के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(प्रतिलिपियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश के नगर विकास न्यासों में स्वीकृत पद

511. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किस-किस शहर में नगर विकास न्यास स्थापित है तथा उक्त में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद सृजित हैं? न्यासवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त नगर विकास न्यासों के लिए स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए किस-किस संवर्ग में कितने-कितने पद आरक्षित हैं तथा आरक्षित पदों में कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? न्यासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आरक्षित पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में निम्न शहरों में नगर विकास न्यास की स्थापना की गई है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1. नगर विकास न्यास, अलवर।
2. नगर विकास न्यास, अजमेर।
3. नगर विकास न्यास, आबू (सिरोही)।
4. नगर विकास न्यास, भरतपुर।
5. नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
6. नगर विकास न्यास, भिवाड़ी।
7. नगर विकास न्यास, बीकानेर।
8. नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
9. नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
10. नगर विकास न्यास, कोटा।
11. नगर विकास न्यास, उदयपुर।

नगर विकास न्यासों में सृजित पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) नगर विकास न्यासों में स्वीकृत पदों में अजा एवं अजजा के संवर्गवार आरक्षित पदों एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर की भ्रष्टाचार निरोधक चौकी में दर्ज प्रकरण पर कार्यवाही

512. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चौकी एसीबी धौलपुर में दिनांक 20-10-2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 326/10 दर्ज की गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण पर कार्यवाही नहीं करने के लिये सरकार द्वारा कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी माना गया है?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

यदि हां, तो किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी माना गया व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 20.10.2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 326/2010 पंजीबद्ध की गई है। उक्त प्रकरण अन्वेषणाधीन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 326/2010 की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरण अन्वेषणाधीन है। इस सम्बन्ध में ब्यूरो चौकी धौलपुर में पदस्थापित तत्कालीन उप अधीक्षक श्री राजेन्द्र गुप्ता के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। विभागीय जांच पूर्ण होने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) के बस स्टैण्ड पर अतिक्रमण

513. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीडूंगरगढ़ में रोडवेज बस स्टैण्ड बना हुआ है? यदि हां, तो उक्त बस स्टैण्ड कब बना तथा कब चालू हुआ व उद्घाटन किसके द्वारा व कब किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस स्टैण्ड चालू होने के कुछ समय बाद ही बन्द हो गया? क्या सरकार द्वारा इसे चालू करने का प्रयास किया गया? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस स्टैण्ड पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो किसके द्वारा व कब से? क्या सरकार उक्त कब्जा हटाकर उक्त बस स्टैण्ड को चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि परिवहन निगम की बसें बिना बस स्टैण्ड संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो किस जगह से व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त बस स्टैण्ड वर्ष 2003 में बना, व दिनांक 20.05.2003 को माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान द्वारा उद्‌घाटन किये जाने के साथ ही चालू हुआ।

(2) जी हां। उक्त बस स्टैण्ड को चालू होने के लगभग 2 वर्ष बाद दिनांक 22.04.2005 को बंद कर दिया गया। इस बस स्टैण्ड को पुनः चालू करने के प्रयास के क्रम में इससे साधारण बस सेवाओं के संचालन के आदेश दिनांक 16.04.2012 को जारी किये गये हैं जो परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त बस स्टैण्ड की परिधि में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के सीमेन्ट के पोल रखे हुए हैं जिन्हें हटवाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त बस स्टैण्ड को चालू करने के प्रयास के क्रम में ही साधारण बस सेवाएं संचालित करने के आदेश दिनांक 16.04.2012 को जारी किये गये हैं।

(4) जी हां। श्रीडूंगरगढ़ कस्बे से गुजर रहे उच्च मार्ग संख्या 11 पर स्थित घुमचक्कर चौराहे से दिनांक 22.4.2005 से निगम बसों का बिना बस स्टैण्ड के ही संचालन किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय, जोनल मैनेजर, राजस्थान पथ परिवहन निगम, बीकानेर

क्रमांकः-एफ/सामा./जौ.मै./बीका/12/769 दिनांक 16.4.2012

कार्यालय-आदेश

श्रीमान कार्यकारी निदेशक (यातायात) जयपुर के निर्देशानुसार बीकानेर से जयपुर एवं बीकानेर से सरदारशहर वाया डूंगरगढ़ संचालित साधारण सेवाएं डूंगरगढ़ स्थित निगम बस स्टैण्ड से होकर संचालित किये जाने के आदेश तुरन्त प्रभाव से दिये जाते हैं।

मुख्य प्रबन्धक, बीकानेर एवं सरदारशहर अपने अधीनस्थ चालक/ परिचालक को उपरोक्त निर्देशों की पालना हेतु पाबन्द कर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।

जोनल मैनेजर, बीकानेर

जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक के रिक्त पद

514. श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

(1) वर्तमान में राज्य में जिला शिक्षा अधिकारी, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में उक्त पर कितने व्यक्ति डी.पी.सी. से चयनित होकर कार्यरत हैं?

(2) क्या जिला शिक्षा अधिकारी का पद औपचारिक शिक्षा हेतु जिले में आवश्यक होता है? यदि हां, तो वर्ष 1998 से 2011 तक जिला शिक्षा अधिकारी के वर्षवार कितने पद रिक्त रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1998 में जिला शिक्षा अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरने के निर्णय को वापस लेने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब और इसकी पालना अब तक क्यों नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए प्रावधान वर्ष 1998 में किया गया था एवं सीधी भर्ती अब तक नहीं की गई? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को रिक्त पदों की गणना करने पर प्राप्त रिक्त रहे पदों की संख्या वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त रिक्त रहे पदों को पिछले वर्षों में कैसे भरा जा सकेगा? क्या सरकार इस हेतु रिव्यू डी.पी.सी. करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक के स्वीकृत तथा इन पदों पर डीपीसी से चयनित आशार्थियों का विवरण निम्नानुसार है :-

पदनाम	**स्वीकृत**	**डीपीसी से चयनोपरान्त कार्यरत कार्मिक**
अति. निदेशक	02	0
संयुक्त निदेशक	09	01
उप निदेशक	30	02
जिला शिक्षा अधिकारी	91	17

(2) जी हां । वर्ष 1998 से जिला शिक्षा अधिकारी के वर्षवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां । वर्ष 2009 में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के स्तर पर यह निर्णय लिया गया था कि जिला शिक्षा अधिकारी के पदों को भरने हेतु 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरने के प्रावधान को समाप्त कर शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया जाये। परन्तु इसके आगे नियमों में संशोधन की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(4) जी हां। वर्ष 1998 से जिला शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों की गणना का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी के पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों हेतु वर्षवार डी.पी.सी. की बैठक आयोजित की जाकर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। वर्तमान में डी.पी.सी. की बैठकों के आयोजन पर कार्मिक विभाग द्वारा रोक लगाई हुई है। सीधी भर्ती कोटे के पदों पर चयन करने हेतु शीघ्र ही राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भिजवाई जायेगी।

परिशिष्ट 'क'

वर्ष	रिक्त रहे पद	
	सीधी भर्ती	पदोन्नति
1998-1999	23	-
1999-2000	43	-
2000-2001	55	-
2001-2002	65	-
2002-2003	69	-
2003-2004	69	-
2004-2005	69	-
2005-2006	69	-
2006-2007	54	-
2007-2008	45	-
2008-2009	45	-
2009-2010	45	-
2010-2011	45	08
2011-2012	45	16
वर्तमान में	45	28

बाड़मेर जिला क्षेत्र में शिवशंकर लिग्नाइट परियोजना हेतु अवाप्त भूमि

515. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा शिवशंकर लिग्नाइट परियोजना हेतु बाड़मेर जिले के महावर गांव में 592 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी भूमि अवाप्ति करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था एवं सर्वे रिपोर्ट भी तैयार की गई थी? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सर्वे रिपोर्ट में से कुछ खातेदारों की भूमि को अवाप्ति से मुक्त रखने का प्रस्ताव जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा सरकार को भेजा गया? यदि हां, तो कलक्टर बाड़मेर के प्रस्ताव सहित समस्त पत्रादि की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला कलक्टर बाड़मेर ने जिस भूमि को अवाप्ति से मुक्त रखने का प्रस्ताव बनाया उस भूमि की सूची, भूमि का क्षेत्रफल, खातेदारों की सूची आदि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महाबार गांव की 592 बीघा 10 बिस्वा भूमि सहित कुल 4994.16 बीघा भूमि का प्रस्ताव, सर्वे के आधार पर बनाए गए मानचित्रों के अनुसार तैयार किया गया था। प्रस्ताव विवरण एवं सर्वे मानचित्र की प्रति परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। आरएसएमएम लि. द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित प्रस्ताव के अनुसार जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव मय पत्रादि की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 के उत्तर में वर्णित अनुसार जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा जो भूमि अवाप्ति का प्रस्ताव प्रेषित किया है, उससे जो भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित नहीं है, उसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वर्ष 2006 से पूर्व नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान

866. **श्री राजकुमार रिणवां** (रतनगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मंत्रालयिक कार्मिकों को नियमित नियुक्ति तिथि से 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन मंत्रालयिक कार्मिकों को वर्ष 2006 से पूर्व नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान दे दिया गया था, उनसे भुगतान की गई राशि की वसूली को निरस्त कर दिया गया था? यदि हां, तो कब तक की अवधि की वसूली निरस्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वसूली निरस्त करते हुये वेतन पुनर्निर्धारण के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो राजस्व विभाग में कितने कार्मिकों का वेतन पुनर्निर्धारण किया गया तथा उनका कितना वेतन कम हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ जिलों में कई मंत्रालयिक कार्मिकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से व कई कार्मिकों को नियमित तिथि से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया है? क्या उक्त कारण कई कनिष्ठ कार्मिकों को वरिष्ठ कार्मिकों से अधिक वेतन मिल रहा है? क्या सरकार इस प्रकार की वेतन विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? कार्मिकों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में एसीपी (Assured Career Progression) योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। इससे पूर्व चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा था प्रतिलिपि परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प. 16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 20.08.2010 के द्वारा दिनांक 29.06.2009 से पूर्व तक के

(वित्त मंत्री)

ऐसे प्रकरणों की समीक्षा नहीं किये जाने के कारण राशि वसूली योग्य नहीं है। प्रतिलिपि परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न।

(3) उपरोक्तानुसार। राजस्व विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के स्तर पर एक कार्मिक, भू-प्रबंध आयुक्त राजस्थान, जयपुर कार्यालय स्तर पर 45 कार्मिकों एवं आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर कार्यालय स्तर से 14 कार्मिकों का पुनः वेतन निर्धारण किया गया उक्त कार्मिकों में से किसी भी कार्मिक का कोई वेतन कम नहीं हुआ है।

(4) कुछ प्रकरणों में ऐसा सम्भव है। जी नहीं, जिन कनिष्ठ कार्मिकों का वेतन अनियमित रूप से चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के कारण वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक हो गया है, उनको दिनांक 30.06.2009 से आगामी लाभ नियमित नियुक्ति तिथि से दिये जाने के निर्देश वित्त विभाग के आदेश संख्या प.16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 20.08.2010 प्रदान किये गये हैं।

(प्रतिलिपियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

आशुलिपिक/निजी सहायकों/अनुभाग अधिकारियों के वेतन विसंगति प्रकरण

867. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय सचिवालय में कार्यरत आशुलिपिक, निजी सहायक, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक एवं अनुभाग अधिकारी के छठे वेतमान लागू किये जाने से पूर्व वेतनमान क्या थे तथा वर्तमान में क्या हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पदों की पे-स्केल छठे वेतनमान लागू किये जाने पूर्व ही रिवाइज की गयी थी? यदि हां, तो पहले क्या पे-स्केल थी और रिवाइज क्या की गयी? पे-स्केलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के विभिन्न सचिवालयों में 5वें वेतनमान में आशुलिपिकों का वेतनमान 5500-175-9000 निजी सहायकों के बराबर कर दिया गया था तथा आशुलिपिक की पदोन्नति पर दो वेतनवृद्धि दी जाती रही हैं? यदि हां, तो क्या छठे वेतनमान में आशुलिपिक तथा निजी

(श्री गोपाल मीणा)

सहायक का रनिंग पे-बैण्ड अलग-अलग कर दिया गया है? क्या सरकार पूर्व में हुई विसंगति को दूर करने के लिए 5वें वेतनमान के समय पदस्थापित आशुलिपिकों की जो वर्तमान में 5500 वाले का रनिंग पे-बैण्ड 3600 है, की निजी सहायक पर पदोन्नति तथा 9, 18, 27 की सेवा पूर्ण करने पर अगला पे-बैण्ड 4200 करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रदेश के विभिन्न सचिवालयों में कार्यरत आशुलिपिकों, निजी सहायकों, सहायक अनुभाग अधिकारी के पदों का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय के बराबर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सचिवालय में कार्यरत आशुलिपिक, निजी सहायक, सहायक एवं अनुभागाधिकारी के दिनांक 31.12.2005 (छठे वेतनमान के लागू होने से पूर्व की तिथि) के वेतनमान निम्नानुसार थे :-

पदनाम	वेतनमान
स्टेनो ग्रेड डी	4000-100-6000
निजी सहायक	5500-175-9000
सहायक	5500-175-9000
अनुभागाधिकारी	6500-200-10500

केन्द्रीय सचिवालय में वरिष्ठ निजी सहायक का पद विद्यमान नहीं है।

केन्द्रीय सचिवालय के निजी सहायक एवं सहायक पद के वेतनमान दिनांक 15.09.2006 से 6500-200-10500 में अपग्रेड किये गये थे।

केन्द्रीय सचिवालय के आशुलिपिक ग्रेड डी, निजी सहायक, सहायक एवं अनुभागाधिकारी पद के छठे वेतन आयोग के वेतनमान लागू होने पर दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी वेतनमान निम्नानुसार है:-

(वित्त मंत्री)

पदनाम	विद्यमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान 01.01.2006	वर्तमान वेतन पे बैण्ड 01.01.2006	ग्रेड पे
स्टेनो ग्रेड डी	4000-6000	-	5200-20200	2400
निजी सहायक	6500-10500	-	9300-34800	4600
सहायक	6500-10500	-	9300-34800	4600
अनुभागाधिकारी	6500-10500	7500-12000, 4 वर्ष पश्चात 8000-13500	9300-34800 4 वर्ष पश्चात 15600-39100	4800 5400

(2) उपरोक्तानुसार

(3) दिनांक 01.09.2006 के पूर्व आशुलिपिक के निजी सहायक के पद पर पदोन्नत होने पर राजस्थान सेवा नियम 26A के तहत विद्यमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि जोड़कर उच्चतर पद के वेतनमान में आगामी स्टेज पर वेतन निर्धारण कर पदोन्नति लाभ दिया जाता रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि समस्त पदोन्नति प्रकरणों में दो वेतनवृद्धि का लाभ आवश्यक रूप से देय हो। नये भर्ती होने वाले आशुलिपिकों को रनिंग पे-बैण्ड 9300-34800 व ग्रेड पे रु. 3200/- दी गई है तथा निजी सहायक का रनिंग पे-बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 3600/- है। दिनांक 01.09.2006 से विद्यमान आशुलिपिकों को निजी सहायक पद में समाहित किया गया है। विद्यमान आशुलिपिक जो विद्यमान वेतनमान 5500-9000 में वेतन आहरित कर रहे थे। उन्हें दिनांक 01.09.2006 से निजी सहायक के पद पर समाहित करने में कोई वेतन विसंगति उत्पन्न नहीं हुई है। निजी सहायक के पद पर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने एवं अन्य निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर ए.सी.पी. योजना में ग्रेड पे रु. 4200/- का लाभ स्वत: देय है।

(4) राज्य सरकार के विभिन्न सचिवालयों में कार्यरत आशुलिपिकों, निजी सहायक, सहायक, अनुभागाधिकारी के पद के विद्यमान वेतनमान के आधार पर समकक्ष रनिंग पे-बैण्ड एवं ग्रेड पे निर्धारित किये गये हैं। केन्द्रीय सचिवालय के समान वेतनमान का प्रकरण वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट में परीक्षणाधीन है।

स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को पेंशन

868. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि, कब-कब से? नियमों की प्रति मय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पेंशन में उनके उत्तराधिकारियों का भी अधिकार है? यदि हां, तो किस-किस को और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पेंशन में पेंशनधारियों के पुत्र/पुत्रियों को भी अधिकार हैं ? यदि हां, तो किस-किस को? उत्तराधिकार के सम्बन्ध में जारी नियमों एवं आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई नियम/प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जा रही है राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा देय पेंशन राशि का विवरण परिशिष्ट-क नियमों की प्रति परिशिष्ट-ख एवं स्वतंत्रता सेनानियों का नाम एवं विवरण परिशिष्ट-ग संलग्न है।

(2) राज्य स्वतंत्रता सेनानियों के देहान्त के बाद उनकी आश्रित पत्नि यदि जीवित है तो उसे पति के निधन के दिनांक से आश्रित पेंशन आजीविन देय है, यदि पत्नि जीवित नहीं है तो राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 अनुसार अन्य आश्रित को भी आश्रित पेंशन देय है।

(3) राज्य स्वतंत्रता सेनानियों के देहान्त के बाद उनकी आश्रित पत्नि यदि जीवित है तो उसे पति के निधन के दिनांक से आश्रित पेंशन आजीवन देय है यदि पत्नि जीवित नहीं है तो राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 (परिशिष्ट-ख) के नियम 2 में उलिखित अनुसार अन्य आश्रितों को पेंशन देय है । आश्रित पेंशन एक बार ही स्वीकृत होती है, आश्रित के आश्रित को पेंशन देय नहीं है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(4) स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में उक्त अनुसार नियम पहले से ही है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर जिले हेतु भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण योजना के निर्धारित लक्ष्य

869. **श्री मानसिंह** (परबतसर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में नागौर जिले में सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं के लिए भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत कितनी व कहां-कहां, किस-किस प्रकार महिलाओं को लाभान्वित किया गया? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजना में नागौर जिले के कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये थे? यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य क्या थे तथा कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार अब निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में नागौर जिले में किसी भी प्रकार की महिलाओं को भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं किया गया है।

(2) वर्ष 2008 में योजना के मानदण्ड के अनुसार नागौर जिले में 2 लाख 21 हजार 834 महिलाओं को लाभान्वित करने का अनुमानित लक्ष्य प्रस्तावित था। इसके अन्तर्गत 1 लाख 36 हजार 963 महिलाओं का नामांकन किया गया एवं 1 लाख 10 हजार 155 महिलाओं के खाते बैंकों में खोले गये।

(3) उक्त योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्रीमण्डल के माननीय सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। अधिकारियों की एक समिति का गठन भी किया गया है जो उक्त योजना के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वित्तीय, तकनीकी एवं विधिक

(आयोजना मंत्री)

अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उक्त समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

जैसलमेर में रीको औद्योगिक क्षेत्र के कचरे हेतु निर्धारित स्थान

870. **श्री छोटूसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर शहर के रीको कालोनी क्षेत्र का उद्योग कचरा, पत्थर कचरा मिट्टी किस स्थान पर डालने हेतु स्थान निर्धारित किया गया है व उसका कितना क्षेत्रफल है तथा क्या उसके चारों ओर चार दीवारी बनी हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि रीको कालोनी के कई उद्योग व्यवसायी कचरा डालने के निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं करते हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिये क्या कार्यवाही की गई? गत 3 वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर शहर के रीको औद्योगिक क्षेत्र का उद्योग कचरा, पत्थर कचरा, मिट्टी डालने हेतु उप-खण्ड अधिकारी जैसलमेर के पत्र दिनांक 01.04.2003 के माध्यम से पुरानी कनडी की खान बाइपास रोड से उत्तर की तरफ मुला की तलाई के पूर्व में रोड से 150 मीटर दूर स्थान निर्धारित किया गया है जिसका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्गमीटर है। यह स्थान गहराई में होने के कारण इसके चारों ओर चारदीवारी बनी हुई नहीं है।

(2) जी हां। रीको औद्योगिक क्षेत्र के कुछ उद्यमियों द्वारा कचरा डालने के निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं करने पर गत तीन वर्षों में लगभग 150 उद्यमियों को नोटिस जारी किये गये हैं। जैसलमेर औद्योगिक संघ को लिखित रूप में एवं समय-समय पर वार्ता कर उद्यमियों द्वारा पत्थर कचरा/स्लेरी को निर्धारित स्थान पर ही डालने हेतु प्रेरित किया जाता रहा है।

कैथून (कोटा) कस्बे में कामन फैसिलिटी सेन्टर हेतु आबंटित भूमि

871. **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के कैथून कस्बे के बुनकर के हाथों के हुनर कोटा डोरिया साड़ी को विश्वस्तर पर बढ़ावा देने के लिए विपणन हेतु सरकार द्वारा कामन फैसिलिटी सेंटर खोलने का निर्णय लेकर शिलान्यास किया गया था? यदि हां, तो उक्त निर्णय कब लिया गया तथा शिलान्यास कब किया गया?

(2) गत तीन वर्षों से कोटा डोरिया फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कार्य बंद होने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य शुरू करवाने की बजाय सरकार ने नगरपालिका कैथून द्वारा शिलान्यास स्थल की भूमि को ही सिवाय चक घोषित कर किसी व्यक्ति विशेष के नाम कर दी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) कोटा डोरिया का कैथून में शिलान्यास दिनांक 27.04.2007 को किया गया था।

(2) सीएफसी (कोटा डोरिया) कैथून के शिलान्यास दिनांक 27.04.2007 के पश्चात कामन फैसिलिटी सेन्टर का निर्माण कार्य सीएफसी भूमि पर अतिक्रमण एवं भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में विवाद विचाराधीन रहने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका। सीएफसी निर्माण के लिए जिला कलक्टर कोटा द्वारा भूमि खसरा नं. 1841, 1844, 1845 एवं 46 की कुल 8 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका कैथून को आबंटित की गई थी, जो नियमित विभिन्न न्यायालयों में विवादित रहने के कारण ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) के पत्र दिनांक 03.10.2008 द्वारा नगरपालिका कैथून को सीएफसी निर्माण के लिए 2-3 बीघा निर्विवाद वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में नगरपालिका कैथून की बोर्ड मीटिंग दिनांक 18.12.2008 में प्रस्ताव पारित कर पूर्व में सीएफसी निर्माण के लिये दी गई 8 हैक्ट. भूमि की एन.ओ.सी. वापिस लेने तथा इसके स्थान पर नगरपालिका कैथून के सामुदायिक भवन, मवासा रोड की 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि सीएफसी निर्माण के लिये नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। सीएफसी के लिये वैकल्पिक भूमि प्राप्त होने के पश्चात सीएफसी का

(उद्योग मंत्री)

निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई तथा आर.एस.डी.सी. लि. के माध्यम से सीएफसी का निर्माण कार्य माह दिसम्बर 2010 में प्रारम्भ कर दिया गया। सीएफसी निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा निर्माण पर अब तक रुपये 71.85 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

(3) सरकार ने नगरपालिका कैथून को आबंटित 8 हैक्ट. भूमि को सिवायचक घोषित नहीं किया है बल्कि इस जमीन के सम्बन्ध में न्यायालय ए.सी.एम. कोटा व एस.डी.एम. कोटा द्वारा उनके यहां प्रस्तुत दावों में निर्णय पारित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही की गई है :-

वाद संख्या 227/09 भूली बाई बगै. बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसील लाडपुरा में न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2009 से ग्राम कैथून की ख.न. 1841 रकबा 0.51 है. ख.न. 1844 रकबा 0.56 है., व ख.न. 1845 रकबा 0.13 है. कुल किता 3 रकबा 1.20 है0 भूमि वादी गणों के खाते दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया था।

इसी प्रकार प्रकरण ज्ञानसिंह बनाम सरकार में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 01.06.2009 से प्रकरण रिमांड होकर प्राप्त होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के द्वारा मिशल नम्बर 84/09 पर दिनांक 10.06.2010 से नगरपालिका कैथून को आदेश क्रमांक 818-20 दिनांक 25.06.2005 से हस्तान्तरित भूमि को निरस्त कर कुल हस्तान्तरित भूमि 8 हैक्ट. में से 6.80 है. भूमि का सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।

चाकसू में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

872. **श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा** (चाकसू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चाकसू के चाकसू कस्बे में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अविलम्ब उक्त योजना को मूर्त रूप देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नीमकाथाना में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र हेतु अधिगृहीत भूमि

873. **श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के कोटपूतली-कुचामन मेगा हाइवे पर स्थित महावा ग्राम के पास नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र हेतु 127 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है? यदि हां, तो उक्त औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से 20-25 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिलने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील नीमकाथाना में भू-बन्दोबस्त का नवीन रिकार्ड प्राप्त कर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(2) अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेगे परन्तु यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

पाली नगर परिषद् में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद

874. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद्, पाली क्षेत्र की वर्तमान आबादी कितनी है एवं वर्तमान में कितने स्थायी सफाई कर्मचारी नगर परिषद् में सफाई कार्य हेतु लगे हुए हैं?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) क्या कुछ वार्डों में सफाई व्यवस्था ठेके पर दी हुई है? यदि हां, तो कौन-कौन से वार्डों में, कितने-कितने कर्मचारियों का कितनी-कितनी राशि का ठेका दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 12 वर्षों में कितने सफाईकर्मी सेवानिवृत्त हुए?

(4) उक्त अवधि में सरकार द्वारा कब-कब कितने-कितने सफाईकर्मियों की नई भर्ती की स्वीकृति नगर परिषद् को दी गई?

(5) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, पाली ने स्वीकृति मिलने के बाद भी पद नहीं भरे? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार पाली शहर की सफाई व्यवस्था हेतु पूर्व में स्वीकृत पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार शेष रिक्त सफाईकर्मियों के पदों को भरने की भी स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने पदों की भर्ती की स्वीकृति कितनी अवधि में और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद पाली क्षेत्र की जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या 187571 थी । वर्तमान में नगर परिषद पाली में सफाई कार्य हेतु स्थाई सफाई कर्मचारी 388 कार्यरत हैं।

(2) जी हां। नगर परिषद पाली में सफाई कार्य व्यवस्था जोब वर्क पर दी गई है जिस पर निम्नानुसार राशि व्यय की जाती है:-

जोन नं. 1 वार्ड संख्या 1, 2, 34 मासिक दर 66500/-

जोन नं. 2 वार्ड संख्या 3, 4, 5 मासिक दर 66300/-

जोन नं. 3 वार्ड संख्या 6, 7, 8 मासिक दर 66500/-

जोन नं. 4 वार्ड संख्या 9, 10, 11 मासिक दर 115500/-

जोन नं. 5 वार्ड संख्या 12, 13, 14 मासिक दर 66300/-

जोन नं. 6 वार्ड संख्या 22, 23, 24 मासिक दर 66350/-

जोन नं. 7 वार्ड संख्या 25, 26, 32 मासिक दर 66650/-

जोन नं. 8 वार्ड संख्या 36, 37, 38 मासिक दर 66751/-

जोन नं. 9 वार्ड संख्या 39, 40, 41 मासिक दर 66451/-

जोन नं. 10 वार्ड संख्या 42, 43, 44, 45 मासिक दर 66380/-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3). गत 12 वर्षों में 79 सफाईकर्मी सेवानिवृत्त हुए हैं।

(4) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 86 दिनांक 13.1.2003 के द्वारा 32 सफाईकर्मियों की भर्ती की स्वीकृति दी गई है एवं आदेश क्रमांक दिनांक 22.10.2009 के द्वारा 78 सफाईकर्मियों के पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है।

(5) जी हां। वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होने से भर्ती नहीं की जा सकी है।

(6) जी हां। सफाई कर्मचरियों की भर्ती बाबत नवीन नियम तैयार किये जाकर स्वीकृति हेतु प्रकियाधीन है। इन नियमों के प्रचलन में आने के बाद ही भर्ती सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(7) राज्य की नगरीय निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

बाड़मेर नगरपालिका क्षेत्र में ग्राम पंचायत आगौर का विलय

875. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र बाड़मेर के चारों ओर ग्राम पंचायत बाड़मेर आगौर की जमीन है?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका क्षेत्र के चारों ओर बाड़मेर आगौर की भूमि पर घनी आबादी बसी हुई है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि बाड़मेर शहर के समानान्तर है?

(4) क्या सरकार ग्राम पंचायत बाड़मेर आगौर की उक्त भूमि जिस पर घनी आबादी बसी हुई है, को नगरपालिका बाड़मेर में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका बाड़मेर की वर्तमान सीमा के आधे भाग उत्त्तर-पूर्व के लगते हुए ग्राम पंचायत बाड़मेर आगौर की जमीन है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।

नागौर नगरपालिका मण्डल में 90-बी के विचाराधीन प्रकरण

876. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी 2011 से फरवरी 2012 तक नगरपालिका मण्डल नागौर में 90-बी के तहत कितनी फाइलें प्राप्त हुई और उक्त अवधि में कितनी फाइलें पूर्ण की गई तथा कितनी फाइलें विचाराधीन हैं?

(2) उक्त अवधि में उक्त नगरपालिका मण्डल को खांचा भूमि के कितने प्रकरण प्राप्त हुये तथा उनमें से कितने प्रकरणों को पूर्ण किया एवं वर्तमान में कितने प्रकरण विचाराधीन हैं और ये कब तक पूरे हो जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी 2011 से फरवरी 2012 तक नगरपालिका नागौर में 90-बी के तहत कुल 383 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 153 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 90-बी की कार्यवाही पर रोक होने के कारण शेष 230 प्रकरणों का निस्तारण नही किया जा सका।

(2) नगरपालिका नागौर में जनवरी 2011 से फरवरी 2012 तक खांचा भूमि के कुल 17 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिनमें से तीन प्रकरणों में खांचा भूमि आबंटित की जा चुकी है एवं तीन प्रकरण निरस्त किये जा चुके हैं। शेष 11 आवेदन का आवेदकों को दस्तावेज कमी पूर्ति हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। दस्तावेजों की कमी पूर्ति होने पर शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

मेड़ता सिटी नगरपालिका की कच्ची बस्तियों का नियमन

877. श्री सुखाराम नेतड़िया (मेड़ता) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नगरपालिका मेड़ता सिटी जिला नागौर के वार्ड नं. 11 में 20 -25 वर्षों से गरीब हरिजन व अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार कच्चे-पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन कितने समय से?

(2) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर उक्त कच्ची बस्तियों में कब्जाधारकों के मकानों का सर्वे करवाया गया है? क्या वर्ष 1991, 2004 व 2009 में सर्वे करवाये गये थे? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुखाराम नेतड़िया)

(3) क्या सरकार समय-समय पर जारी आदेशों की पालना में उक्त कब्जों का नियमन कर पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि नगरपालिका मेड़ता सिटी द्वारा वर्षों पूर्व से बसी हरिजन बस्ती के नक्शे अनुमोदन कर नीलामी कर प्लाट बेचे जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या हरिजन परिवारों को बेदखल कर उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार सर्वे के आधार पर पुराने कब्जों का नियमन कर पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार उक्त हरिजन परिवारों को किसी अन्य स्थान पर पुनर्वासित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां और कब तक?

(8) क्या उक्त परिवारों को भूखण्ड देकर ही उन्हें बेदखल किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वार्ड संख्या 11 में निवास कर रहे हरिजन व अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 1991 में कच्ची बस्तियों का सर्वे नही करवाया गया है। वर्ष 2004 एवं 2009 में करवाये गये कच्ची बस्तियों के सर्वे की रिपोर्ट क्रमशः परिशिष्ट "ब" व "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। परन्तु हरिजन बस्ती के पास स्थित आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत आदर्श नगर आवासीय योजना में लाटरी पद्धति द्वारा आवासीय भूखण्डों का आबंटन किया गया था।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। कच्ची बस्ती सर्वे के अनुसार पात्र परिवारों के आवासों को नियमानुसार नियमित कर पटटे दिये जाते रहे हैं तथा जो परिवार योजना की भूमि में गैर कानूनी तरीके से बसे हुए हैं उनके पुनर्वास हेतु मंत्री मण्डलीय

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उप समिति 2005 के बिन्दु संख्या 3.4 के प्रावधान अनुसार पुनर्वास की कार्यवाही की गई है ।

(7) आई.डी.एस.एम.टी. योजना की भूमि पर काबिज 16 परिवारों के पुर्नवास हेतु नियमन समिति के निर्णयानुसार 50-50 वर्गगज के भूखण्ड आबंटन किये जा चुके हैं, किन्तु उक्त परिवार आबंटित स्थलों पर पुर्नवास को तैयार नहीं हैं।

(8) जो परिवार योजना की भूमि पर अवैधानिक तरीके से बसे हुए हैं उन्हें नगरपालिका मेड़तासिटी द्वारा 50-50 वर्गगज के भूखण्ड आबंटित कर दिये गये हैं किन्तु ये परिवार पुनर्वास हेतु सहमत नहीं हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोटा शहर नगर विकास न्यास द्वारा खेल मैदान एवं श्मशान घाटों का विकास

878. **श्री ओम बिरला** (कोटा-दक्षिण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा शहर में नगर निगम अथवा नगर विकास न्यास के अधीन कौन-कौन से श्मशान घाट व खेल के मैदान कहां-कहां स्थित हैं तथा उनमें दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 तक कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कब-कब से करवाये गये? प्रत्येक का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त श्मशान घाटों को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस का व कब-कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर निगम कोटा के क्षेत्राधिकार के श्मशान घाटों की अवस्थिति एवं इन पर हुई व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर एवं खेल मैदानों की अवस्थिति एवं इन पर हुई व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। नगर सुधार न्यास कोटा के क्षेत्राधिकार के श्मशान घाटों की अवस्थिति एवं इन पर हुई व्यय राशि विवरण परिशिष्ट "स" पर एवं खेल मैदानों की अवस्थिति एवं इन पर हुई व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी हां। समय-समय पर आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जायेंगे।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

बयाना नगरपालिका को विकास कार्यों हेतु आबंटित बजट

879. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार नगरपालिका बयाना के क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नही । नगर निकायों को क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान आबंटित नहीं किया जाता है ।

कठूमर नगरपालिका क्षेत्र में पशु चिकित्सालय हेतु आबंटित भूमि

880. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में खसरा नम्बर 654 की भूमि का आबंटन पशु चिकित्सालय हेतु किया गया है? यदि हां, तो आबंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पशु चिकित्सालय बनाने हेतु नगरपालिका प्रशासन ने भूमि का कब्जा सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खेरली को सौंप दिया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त प्रकरण में तहसीलदार कठूमर व सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खेडली की क्या भूमिका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कठूमर जिला अलवर नगरपालिका क्षेत्र नही है। कठूमर तहसील के खेडली कस्बे में जो कि नगरपालिका क्षेत्र है, के खसरा नम्बर 654 का आबंटन पशु चिकित्सालय खेडली के निर्माण हेतु नगरपालिका खेडली के पत्र दिनांक 13.4.2005 के द्वारा उक्त भूमि 99 वर्षीय लीज व अरबन असैसमेन्ट पर आबंटन किये जाने की स्वीकृति दी गई। आबंटन आदेश की प्रति परिशिष्ट

(स्वायत्त शासन मंत्री)

"अ" पर संलग्न है किन्तु पशुपालन विभाग द्वारा आज दिनांक तक कोई लीज राशि जमा नहीं कराई गई है।

(2) जी नही। शेष भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

(3) उक्त प्रकरण में तहसीलदार कठूमर व सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खेडली की कोई भूमिका नही है ।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय नगरपालिका खेरली, (अलवर) राज.

प्रेषक :-

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका मण्डल

खेरली (अलवर : राजस्थान)

प्रेषिति :-

श्रीमान पशु चिकित्साधिकारी

पशु चिकित्सालय खेरली

जिला अलवर (राज.)

क्रमांक : ज.पा. खेरली 77 दिनांक 13/4/05

विषय : पशु चिकित्सालय हेतु सभी आबंटन करने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक 6 दिनांक 6-4-2005

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक महोदय स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर में आदेश क्रमांक यूपी/एफ 7(ई) स्थायी/02/561 दिनांक 25.02.2003 द्वारा राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 18 के अन्तर्गत नगरपालिका खेरली की साधारण सभा दिनांक 10-9-90 के प्रस्ताव सं. 3 में लिये गये प्रस्ताव अनुसार खसरा नं. 654 में 400 वर्गगज भूमि राजकीय पशु चिकित्सालय खेरली को पशुचिकित्सालय भवन निर्माण हेतु भूमि निःशुल्क 99 वर्षीय लीज व अरबन असेसमेंट पर आबंटन किये जाने की स्वीकृति दी है।

अतः उपरोक्त आदेश की पालना में आपको उक्त भूखण्ड आबंटित किया जाता है।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका खेरली

आशा अग्रवाल
अध्यक्ष
नगरपालिका खेरली

डीडवाना नगरपालिका क्षेत्र के सीवरेज कार्य

881. **श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में नगरपालिका क्षेत्र डीडवाना के विभिन्न वार्डों में किस-किस योजनान्तर्गत कितनी व कहां-कहां सीवर लाइन बिछाने, प्लान्ट लगाने की स्वीकृति जारी की गई? उक्त हेतु तैयार तकनीकी रिपोर्ट, अनुमानित लागत, कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की तिथियां, लाभान्वित वार्डों के नाम, प्रत्येक वार्ड में सीवर लाइन की लम्बाई व पूर्ण-अपूर्ण कार्य सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र डीडवाना के सीवरेज कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में नगरपालिका डीडवाना में किसी भी योजनान्तर्गत सीवर लाइन बिछाने/प्लान्ट लगाने की स्वीकृति जारी नहीं की गयी। कन्सलटेन्ट द्वारा शहर में सीवर लाइन डालने हेतु 66.01 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हुई है।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

(3) जी हां । वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में मा. मुख्य मंत्री महोदय ने 7 शहरों के सीवरेज के कार्य की घोषणा की है, इनमें डीडवाना शहर भी शामिल है।

भिवाड़ी मास्टर प्लान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

882. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भिवाड़ी मास्टर प्लान में शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट व की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा भिवाडी मास्टर प्लान के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर तथा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवदेन में उल्लेखित "भविष्य के लिए सुझाव" जो कि सामान्य प्रकृति के हैं, उन्हें अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) जो मास्टर प्लान से सम्बन्धित कार्यों के नोडल अधिकारी है, को विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान्स में समायोजित/सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित भिवाड़ी मास्टर प्लान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई हेतु कमेटी गठित की गई थी। कमेटी द्वारा की गई जन सुनवाई के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव को यथा सम्भव समाहित करते हुए मास्टर प्लान तैयार कर अनुमोदित कर दिया गया है एवं तद्अनुरूप क्रियान्विति की जा रही है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

विवेक विहार योजना जोधपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

883. **श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार को जोधपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी विवेक विहार योजना में लाटरी निकालने में अनियमिततायें होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जांच में क्या अनियमिततायें पाई गईं तथा उक्त अनियमितताओं के लिये कौन जिम्मेदार है और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जोधपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी विवेक विहार योजना में लाटरी निकालने में अनियमितता होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्राप्त शिकायतों की जांच श्री एम.के. खन्ना, सेवानिवृत आई.ए.एस. से करवाई गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार गलतियों/अनियमितताओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

उक्त जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा अनियमितता के लिये किसी अधिकारी/कर्मचारी विशेष को जिम्मेदार नहीं बताया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजनान्तर्गत भूखण्ड आबंटन में लाटरी की हुई कम्प्यूटर सम्बन्धी त्रुटियों के लिए राजकॉम्प के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए राजकॉम्प, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजस्थान जयपुर को लिखा गया है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण को लाटरी प्रक्रिया में उत्तरदायी प्राधिकरण में पदस्थापित जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा त्रुटि रखी गई है एवं लापरवाही बरती गई है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर उन अधिकारियों/कर्मचारियों से नियमानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त बिन्दुवार टिप्पणी एवं कार्यवाही/अनुपालना रिपोर्ट परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट एवं प्राधिकरण द्वारा प्रेषित कार्यवाही/अनुपालना रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 21.02.2012 व 06.03.2012 को प्राधिकरण को दिये गये निर्देश की प्रतियां परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सरना डूंगर (जयपुर) की भूमि पर अतिक्रमण

884. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सरना डूंगर, झोटवाड़ा (जयपुर) में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर व किन-किन द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रीको द्वारा भी जेडीए की जमीन पर गलत पट्टे जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा माह मार्च, 2012 में कराये गये सर्वे के अनुसार अतिक्रमण है। सर्वे के अनुसार अतिक्रमित भूमि का रकबा एवं अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। रीको द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर गलत पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की अतिक्रमित भूमि का पी.टी. सर्वे करवाकर अतिक्रमित भूमि के क्षेत्रफल सहित रिपोर्ट प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा को इन अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रेषित की गई है। उक्त अतिक्रमणों को विधिक प्रक्रिया अपनाकर हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विकास कार्य

885. श्री अशोक परनामी (आदर्शनगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011-12 में विकास कार्यों/परियोजनाओं हेतु कुल कितनी राशि की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वीकृतियों से कहां-कहां, कौन-कौन से विकास कार्य करवाये जा रहे हैं?

(3) स्वीकृत विकास कार्यों हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितने बजट का प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011-12 में विकास कार्यों/परियोजनाओं हेतु कुल 886.45 करोड की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त स्वीकृतियों से करवाये जा रहे विकास कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2011-12 में विकास कार्यों हेतु 956.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

भिवाड़ी नगर सुधार न्यास द्वारा क्रय की गई हाई मास्ट लाइटें

886. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में यू.आई.टी. भिवाड़ी द्वारा कुल कितनी हाई मास्क लाइटें किस कम्पनी से खरीदी गई तथा उक्त लाइटों की खरीद पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लाइटों में से कितनी लाइटों का इस्तेमाल किया गया तथा कितनी शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लाइटें कहां-कहां लगाई गई व वर्तमान में कितनी लाइटें चालू हैं तथा कितनी बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुल 31 हाईमास्ट लाइटें लगाई गईं। उक्त लाइटें मित्तल एन्टरप्राइजेज, ओम इलेक्ट्रिकल व लोकेश एन्टरप्राइजेज से खरीदी गई तथा उक्त लाइटों पर कुल व्यय 9130218/- रुपये व्यय हुआ है।

(2) समस्त 31 लाइटों का उपयोग किया जावेगा। वर्तमान में 10 लाइटें चालू तथा शेष 21 लाइटों के विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही की गई है।

(3) निम्नांकित स्थानों पर हाईमास्ट लाइटें लगाई गई हैं :-

1. बहरोड़:- 1. बाईपास बस स्टेण्ड चौराहा, 2. नारनौल तिराहा, 3. डाकघर के सामने, 4. इन्दिरा कालोनी, 5. राजकीय हास्पिटल, 6. नई सब्जी मण्डी।
2. नीमराणा:- 1. होली टीब्बा, पंचायत भवन के सामने, 2. नीमराणा मोड़, 3. प्रेरणा मोड़, 4. बी.एस.एन.एल. आफिस के सामने, 5. सी.एच.टी. के पास।
3. शाहजहांपुर:- 1. मीणा चौपाल, 2. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, 3. बस स्टैण्ड पी.डब्ल्यू.डी. गेस्ट भवन।
4. टपूकड़ा:- 1. नूह रोड़ हास्पिटल के पास, 2. पुराना बस स्टैण्ड, 3. बाईपास गांधी चौक, 4. नया बस स्टैण्ड हाईवे, 5. गोपाली चौक हाइवे।
5. बर्डोद:- 1. राजकीय चिकित्सालय, 2. सैनी स्कूल के पास।
6. भिवाड़ी:- 1. वसुन्धरा नगर मोड़ सेक्टर नं. 1, 2 के पास, 2. खिजूरीबास टोल नाका, 3. मिलकपुर मन्दिर, 4. सेक्टर 4, 5, 8, 9 जंक्शन, 5. काली खोली बाबा मोहन राम मन्दिर, 6. ग्रुप

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

हाउसिंग-05 सेक्टर नं0 3, 7. आलमपुर मन्दिर, 8. पुरानी सब्जी मण्डी भिवाड़ी, 9. बस स्टेण्ड भिवाड़ी, 10. भगतसिंह कालोनी भिवाड़ी।

वर्तमान में कुल 10 लाइटें चालू हैं, 10 लाइटों की फाइल विद्युत कनेक्शन हेतु लगा दी गई है, जो कि विद्युत कनेक्शन होने के उपरान्त चालू की जायेगी। शेष 11 लाइटों के लिए नगरपालिका भिवाड़ी व नगरपालिका बहरोड़ द्वारा विद्युत कनेक्शन लिया जाना है, जिनको पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है।

जयपुर की विश्वेश्वरिया आवासीय कालोनी में मूलभूत सुविधाएं

887. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की आवासीय कालोनी विश्वेश्वरिया नगर (कल्पतरू रेस्टोरेन्ट) के सामने, गोपालपुरा बाइपास को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में नियमन के उपरान्त भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? क्या सरकार उक्त कालोनी में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय कालोनी में छह-सात वर्षों पूर्व सीवर लाइन डालने के कारण कालोनी की सड़कें टूट-फूट गई थीं? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़कों को कब तक पुनः बनवाने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वेश्वरिया नगर दिनांक 22.04.2002 को तथा विश्वेश्वरिया नगर विस्तार योजना दिनांक 25.02.2002 को एवं न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वेश्वरिया नगर दिनांक 20.01.2000 को अनुमोदित की जा चुकी है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी नहीं। उक्त कालोनी में सड़क, सीवर इत्यादि विकास कार्य करवाये गये हैं। कालोनी में उपलब्ध वर्तमान आवश्यक सुविधाओं का आंकलन करने के पश्चात् नियमानुसार उचित कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(3) सीवर लाइन डालने के उपरान्त विश्वेश्वरिया नगर में सड़कों की मरम्मत का कार्य करवा दिया गया था। सड़कों पर पेच रिपेयर एवं निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कराया जाता है।

भोजपुरा ग्राम तहसील जयपुर की अवाप्त भूमि प्रकरण

888. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अपोलो नगर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी की बाबा नारायणदास नगर आवासीय योजना ग्राम-भोजपुरा, तहसील व जिला-जयपुर की भूमि को विधान सभा भवन हेतु अवाप्त की गई थी ? यदि हां, तो कितनी भूमि किस-किस शर्तों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगरीय विकास विभाग द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2001 व 19 जनवरी, 2002 को अवाप्त की गई भूमि के बदले में लालकोठी योजना या जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना में 15 प्रतिशत भूमि देने की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त स्वीकृति की पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अवाप्त की गई भूमि के बदले अवाप्त भूमि के आस-पास में भूमि आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बाबा नारायणदास नगर खसरा नं. 261, 263 से 267, 269, 270, 272, 273, 266/520, 267/521 कुल किता 14, कुल 9 बीघा, 19 बिस्वा भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना लालकोठी के अन्तर्गत दिनांक 09.01.1964 को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त करने हेतु अवार्ड मूल

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

खातेदार के पक्ष में पारित किया गया। उक्त भूमि नवीन विधान सभा हेतु आरक्षित की गई।

(2) जी हां। नगरीय विकास विभाग द्वारा दिनांक 12.01.2001 को पत्र जारी कर अवाप्त की गई भूमि के बदले लालकोठी योजना या जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में 15 प्रतिशत विकसित भूमि देने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.6 (34)नविवि/3/2000 दिनांक 30.05.2001 के द्वारा निरस्त की गई थी। पुन: राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.01.2002 को जारी पत्र द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.12.2001 के तहत अन्य योजना में 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, किन्तु लालकोठी योजना हेतु राज्य सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णयों में अवाप्त भूमि के बदले नकद मुआवजे के अलावा भूमि दिये जाने को विधि शून्य माना है। लालकोठी योजना के नियमन का आदेश दिनांक 06.12.2001 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7374/2003 जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम विजय डाटा के प्रकरण में दिनांक 12.07.2011 को पारित निर्णय द्वारा निरस्त किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में विचाराधीन प्रकरण में अवाप्त भूमि के बदले भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रकरण में मुआवजा राशि माननीय न्यायालय में जमा कराई जा चुकी है।

(3) जी नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के कारण लालकोठी योजना में अवाप्त की गई भूमि के बदले भूमि आबंटन किया जाना सम्भव नहीं है।

मांगरोल (बारां) में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति

889. **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (अन्ता-बारां) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां के मांगरोल में खेल स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति कब जारी की गई? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खेल स्टेडियम हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में किस-किस मद में स्वीकृत हुई? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन (भाया)

(3) उक्त स्टेडियम के क्या-क्या कार्य किस-किस ऐजेन्सी के माध्यम से कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्टेडियम में खेल सुविधा के लिए किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति और जारी होना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां के मांगरोल में स्टेडियम निर्माण हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग के पत्रांक प.10(10)खेल/08 दिनांक 02.02.2009 द्वारा रुपये 36.48 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त स्टेडियम हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृति निम्न कार्यों हेतु जारी की गई थी:-

1.	400 मीटर एथलेटिक ट्रेक	15.12 लाख रुपये
2.	दर्शक दीर्घा	21.36 लाख रुपये
	योग	**36.48 लाख रुपये**

स्टेडियम विकास कार्यक्रम में वर्णित प्रावधानानुसार विधायक स्थानीय विकास योजनान्तर्गत रुपये 3.65 लाख अंशदान राशि के रूप में स्वीकृत कर जिला परिषद बारां द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को भिजवाई गई है।

युवा मामले एवं खेल विभाग के पत्रांक प.10(11)खेल/2007 दिनांक 24.11.2011 द्वारा मांगरोल में स्टेडियम निर्माण हेतु रुपये 20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति आयोजना मद में जारी की गई है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्यकारी एजेन्सी आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। एजेन्सी द्वारा निविदायें प्राप्त कर ली गई हैं। संवेदक को कार्य आबंटन उपरान्त 400 मीटर एथलेटिक ट्रेक का निर्माण 6 माह में कराया जाना है।

(4) उक्त स्टेडियम हेतु जारी रुपये 36.48 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में रुपये 20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

है। इस राशि के उपयोग लेने के पश्चात् शेष राशि रुपये 16.48 लाख बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत की जा सकेगी।

परिशिष्ट-क

राजस्थान सरकार

युवा मामले एवं खेल विभाग

क्रमांक : 10(10)खेल/2008 जयपुर, दिनांक 2 फरवरी, 2009

सचिव

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद,

जयपुर।

विषय :- मांगरोल (बारां) में स्टेडियम निर्माण की प्रशासनिक स्वीकति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मांगरोल (बारां) में स्टेडियम निर्माण हेतु इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 3.7.2008 के अतिक्रमण में आवास विकास लिमिटेड से स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्राप्त वास्तविक तकमीनों के अनुसार रु. 36.48 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न कार्यो हेतु प्रदान की जाती है :-

1. 400 मी. एथेलेटिक ट्रेक	15.12 लाख
2. दर्शक दीर्घा	21.36 लाख
	36.48 लाख

स्टेडियम विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के अनुसार स्वीकृत राशि का कम से कम 10 प्रतिशत राशि विधायक/सांसद स्थानीय विकास राशि (MLA/MP-LAD) अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त करना वांछनीय है जिला कलक्टर इस बाबत विभाग को सूचित करेंगे।

उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य आवास विकास संस्थान के माध्यम से कराये जायेंगे।

भवदीय,

ह./-

शासन उप सचिव

परिशिष्ट–ख

राजस्थान सरकार

युवा मामले एवं खेल विभाग

क्रमांक : प.10(11)खेल/2007 जयपुर, दिनांक 24 नवम्बर, 2011

सचिव,

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद,

जयपुर।

विषय :- स्टेडियम विकास कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्टेडियम विकास कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित स्टेडियमों के निर्माण के लिए राशि 241.00 लाख रुपये (अक्षरे रुपये दो सौ इकतालिस लाख मात्र) की राशि आवास विकास लि., जयपुर को भुगतान करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के पी.डी. खाते में हस्तांतरण किये जाने हेतु निर्देशानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती हैं :-

1. यह राशि उसी कार्य में खर्च की जायेगी जिस हेतु यह प्रदान की गयी है।
2. सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च, 2012 तक या उसके पहले राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा बची हुई राशि राज्य सरकार को लौटायेगी।
3. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद राशि का लेखा भारतीय संपरीक्षा विभाग (इण्डियन आडिट एवं अकाउण्ट्स) के समक्ष संपरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगी।
4. इस राशि से भी स्थायी/अर्द्धस्थायी सम्पत्ति प्राप्त की जायेगी वह राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना किसी रूप में बेचान या रहन आदि नहीं की जा सकेगी।
5. स्टेडियम की सूची तथा उनके सामने स्वीकृत राशि का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	स्थान	जिला	राशि लाख रुपये में
1	करौली	करौली	50.00
2	बून्दी	बून्दी	30.00
3	बौंली	पाली	30.00
4	छबड़ा	बारां	10.00
5	छीपा बडोद	बारां	10.00
6	मांगरोल	बारां	20.00
7	बारां	बारां	21.00
8	भरतपुर	भरतपुर	15.00
9	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	10.00
10	डूंगरपुर	डूंगरपुर	10.00
11	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	10.00
12	फतेहगढ़	जैसलमेर	15.00
13	सोजत	पाली	10.00
		योग	**241.00 लाख**

मांग संख्या-24

यह राशि बजट मद 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03-खेलकूद तथा युवा सेवा 102-खेलकूद, स्टेडियम (01)-खेल विभाग के माध्यम से जिला खेल काम्पलेक्स 17-वृहद निर्माण कार्य (आयोजना) 2011-12 में वहन की जायेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-V) विभाग की आई.डी. क्रमांक 331100686/E-5 दिनांक 21.11.2011 के द्वारा प्राप्त सहमति से जारी की जाती है।

भवदीय

ह./-

शासन उप सचिव

रामगढ़ (अलवर) में खेल स्टेडियम की स्थापना

890. **श्री सूरजभान धानका** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजगढ़, अलवर में खेल स्टेडियम की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत सम्भाग, जिला एवं तहसील स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण Standardised Type Designs के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाता है जिसके अन्तर्गत राजगढ़, अलवर में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु कोई नीतिगत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

चम्बल नदी के घड़ियाल रहित क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति

891. **श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला धौलपुर की तहसील क्षेत्र राजाखेड़ा में बहने वाली चम्बल नदी में जहां घड़ियाल नहीं रहते हैं, को भवन निर्माण हेतु बजरी निकालने के लिए घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र से मुक्त कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला धौलपुर की तहसील क्षेत्र राजाखेड़ा में बहने वाली चम्बल नदी के बेड से 1000 मीटर दोनों तरफ का क्षेत्र राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र घोषित है। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन सं. 3376/2005 यदुवीर सिंह बनाम सरकार में जिला जज, धौलपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, कमेटी द्वारा निरीक्षण कर माननीय न्यायालय को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें अंकित किया है कि ऐसे स्थल जहां पानी का बहाव कम होने से घड़ियाल नहीं पाये जाते हैं, उनमें तथा जिसमें घड़ियाल द्वारा अण्डे नहीं दिये जाते / अण्डों में से बच्चे नहीं निकलते, के लिए प्रतिबंध माह अक्टूबर से दिसम्बर (तीन माह) की अवधि के लिए छूट दी जा सकती है । माननीय न्यायालय द्वारा कमेटी की रिपोर्ट की पालना करने के निर्देश निर्णय दिनांक 11.12.2007 से दिये हैं, जिसकी पालना में अभयारण्य क्षेत्र के प्रतिबंध में 3 माह की छूट देने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु इस विभाग द्वारा प्रस्ताव वन विभाग को दिनांक 01.09.2011 को भिजवाए गए थे । वन विभाग द्वारा "यूजर एजेन्सी" का निर्धारण कर निर्धारित प्रपत्रों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करने

(खनिज मंत्री)

हेतु कहा है जिसके लिए निदेशालय स्तर पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

मालपुरा (टोंक) थाने में व्याप्त अनियमितताएं

892. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले की तहसील मालपुरा में पुलिस द्वारा चान्दसेन कान्तानाई हत्याकाण्ड में इस्तगासे के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तथा जब मृतका का पति टंकी पर चढ़ा, तब प्राथमिकी दर्ज की गई? यदि हां, तो क्यों? और उक्त सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला टोंक की पुलिस को चुस्त-दुरूस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मृतका के पति के टंकी पर चढ़ने की सूचना पुलिस थाने पर दिनांक 15.08.2011 को 7.30 ए.एम. पर प्राप्त होने से पूर्व ही दिनांक 15.8.2011 को समय 7.00 ए.एम. पर मु. नं. 85/11 अन्तर्गत धारा 302द भा.द.स. में दर्ज किया गया था। इस सम्बन्ध में कोई पुलिस अधिकारी दोषी नहीं है।

(2) जिला पुलिस टोंक द्वारा सरकार से प्राप्त आदेशों की पालना अविलम्ब की जाती है व कानून व्यवस्था एवं आपराधिक प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण किया जाता है ।

पाली जिले की दी मेमोरियल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड की सम्पत्ति की नीलामी

893. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़-जंक्शन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पाली जिले में दी मेमोरियल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस लि. कम्पनी संचालित थी? यदि हां, तो उक्त कम्पनी में आमजन की में कितनी राशि जमा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय, पाली

(श्री केसाराम चौधरी)

की चल-अचल सम्पत्ति को दिनांक 03 अप्रैल, 2000 को प्राधिकृत समापक द्वारा सील कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सम्पत्ति को नीलाम कर जमाकर्ताओं की राशि पुनः लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले में दी मेमोरियल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेंस लिमिटेड कम्पनी प्रधान कार्यालय ए.पी.सी. रोड, कोलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय 25 व्यास कालोनी, पाली कार्यरत थी। यह पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड कम्पनी है। इसका कार्यालय बन्द हो जाने के कारण जमा राशि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) उपरोक्त कम्पनी का कार्यालय वर्तमान में बंद है। कम्पनी के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर लिक्विटेड हाई कोर्ट कोलकत्ता द्वारा सीज किया जाने का उल्लेख है। इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) उक्त कम्पनी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकत्ता में कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रदेश में लापता हुए लोगों की बरामदगी हेतु प्रयास

894. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में लापता हुये लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो सरकार ऐसे लापता हुये लोगों की बरामदगी के लिये क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में गत पांच वर्षों में माहवार एवं जिलेवार लापता हुये लोगों की वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लापता लोगों की बरामदगी हेतु संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं रेंज मुख्यालय पर गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु मल्टीटास्क फोर्स का गठन किया हुआ है, जिसके द्वारा पिछले पांच वर्षों में लापता लोगों में से 33748 व्यक्तियों की तलाश की जा चुकी है एवं 5007 की तलाश जारी है।

(गृह मंत्री)

6 जिलों (झुंझुनूं, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर एवं अलवर) में मानव तस्करी विरोधी यूनिट का गठन किया हुआ है एवं 6 अन्य जिलों जयपुर ग्रामीण, बून्दी, जोधपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर व श्रीगंगानगर में मानव तस्करी विरोधी यूनिटों का गठन प्रक्रियाधीन है।

इस सेल में महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी (सीबी), राजस्थान, जयपुर द्वारा मोनीटरिंग की जाती है।

उपरोक्त उपायों एवं त्वरित कार्यवाही के चलते यह कहना उचित नहीं होगा कि लापता लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

लोगों के लापता होने की घटनाओं की संख्या में अनिश्चितता रहती है।

(2) राज्य में गत पांच वर्षों में माहवार एवं जिलेवार लापता हुये लोगों की संख्या सूची वर्षवार परिशिष्ट 'क" पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु कार्यरत कैमरे

895. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में किस-किस चौराहे पर ट्रेफिक कंट्रोल हेतु कैमरे लगाये गये हैं एवं उन कैमरों से खींची गई फोटों के आधार पर कितनी राशि के कितने चालान वर्ष 2011 में नियमों के उल्लंघन हेतु सम्बन्धित वाहन चालकों के निवास स्थान के पतों पर भिजवाये गये एवं उनके पेटे कितनी जुर्माना राशि कितने वाहन चालकों से प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में ट्रेफिक पुलिसकर्मियों द्वारा लपका गिरोहों की भांति वाहन चालकों को रोककर वाहन की चाबी निकाली जाकर चालान काटे जाते हैं? यदि हां, तो क्यों एवं किन नियमों के तहत? सम्बन्धित नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ट्रेफिक पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वतखोरी पर पाबंदी लगाने हेतु मौके पर चालान काटने की व्यवस्था को बंद कर कैमरों के माध्यम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

से खींची फोटोज के आधार पर चालान घर भिजवाने की व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में एम.आई. रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से लेकर खासाकोठी तक कुल 14 स्थानों पर 40 कैमरे लगे हुए हैं, जो इस प्रकार हैं :-

(1) खासाकोठी चौराहा-4 (2) गणपति प्लाजा-2 (3) अमरपुरा-2 (4) गवर्नमेंट हॉस्टल- 4 (5) सुभाष मार्ग-2 (6) पांच बत्ती-4 (7) बाटावाली गली-1 (8) अजमेरी गेट-2 (9) यादगार-2 (10) रामनिवास बाग-4 (11) सांगानेरी गेट -3 (12) घाटगेट-4 (13) गुरूद्वारा मोड-2 (14) ट्रांसपोर्ट नगर-4

उपरोक्त में से खासाकोठी के दो कैमरे व ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर पुल निर्माण के कारण कैमरे हटा रखे हैं। चालू कैमरों की मदद से यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध जरिये वायरलैस मौजूद बीट अधिकारी द्वारा मौके पर ही कार्यवाही की जाती है, जिस कारण चालान, उल्लंघन करने वाले चालकों के निवास स्थान पर नहीं भेजे गये हैं। वर्ष 2011 में कुल 11927 वाहन चालकों के खिलाफ एम.वी. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। कैमरों के आधार पर कुल 1215200/- राशि के चालान किये गये हैं। वर्ष 2011 में किसी भी वाहन चालक के निवास पर कैमरों द्वारा कराई गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई नोटिस नहीं भिजवाया गया है।

(2) जो वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हे हाथ के इशारे से रूकवाया जाकर ही चालान किया जाता है।

(3) जी हां। कैमरे के माध्यम से खींची फोटो के आधार पर चालान घर पर भिजवाने की प्रक्रिया चालू की गई थी, कैमरे द्वारा यातायात नियमों को तोड़ने वालों की पहचान के आधार पर वर्ष 2009 के 1330 चालान तैयार कर वर्ष 2010 में न्यायालय में पेश किये गये लेकिन न्यायालय द्वारा इसे विधिक रूप से मान्य साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया गया है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, यातायात, जयपुर द्वारा तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से इन चालानों को स्वीकार करने का अनुरोध किया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात, जयपुर भी श्रीमान सी.जे.एम. से मिलकर उन्हें इन चालानों को स्वीकार करने का अनुरोध किया लेकिन अभी तक इन चालानों को स्वीकार नहीं किया गया है।

श्रीगंगानगर जिले के सिंचाई कार्मिको के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

896. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने फर्जी एस्टीमेट बनाकर बिना कार्य करवाये लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान उठा लिया? क्या उक्त सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उक्त अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किसको दोषी माना है तथा दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों ने ठेकेदार से मिली-भगत कर गंगनहर की बुर्जी संख्या 66000 से 96000 तक फीडर के पटड़ों को मजबूत करने के लिए मिट्टी भरकर थैले लगाने, मिट्टी 3 किलोमीटर दूरी से लाने, वाइब्रो काम्पेक्टर से मिट्टी जमाने आदि के अप्रैल, मई व जून, 2011 में एस्टीमेट तैयार करवाये गये हैं? क्या दोनों खण्डों में एस्टीमेट अलग-अलग बनवाये तथा बिलों में भारी अन्तर पाया गया है? यदि हां, तो उक्त में किसे दोषी माना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जी एस्टीमेट बनाकर बिना कार्य करवाये ही लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान उठाने के सम्बन्ध में ब्यूरो को सूत्रों से ज्ञात हुआ। जिस पर ब्यूरो द्वारा मामले की विस्तृत जांच हेतु प्राथमिक जांच संख्या 10/2012 दिनांक 17.01.2012 सर्व श्री एल.के. नैण अधिशासी अभियंता, रणवीर सहारण कनिष्ठ अभियंता गंग नहर दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर, श्री किशनलाल गोदारा कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन विभाग उप खण्ड रायसिंहनगर, श्री जगदीश कटारिया कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन विभाग उपखण्ड जैतसर जिला श्रीगंगानगर के खिलाफ दर्ज की गई है। प्राथमिक जांच रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है। इस मामले में अभी तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(2) प्राथमिक जांच संख्या 10/2012 वर्तमान में जांचाधीन है। जांच पूर्ण होने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

(राज्य अन्वेषण ब्यूरों मंत्री)

(3) जी हां। प्राथमिक जांच संख्या 10/2012 आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध ठेकेदार से मिलीभगत कर गंगनहर की बुर्जी संख्या 66000 से 96000 तक फीडर के पटड़ों को मजबूत करने के लिए मिट्‌टी भरकर थैले लगाने, मिट्‌टी 3 किमी दूरी से लाने, बाइब्रो काम्पेक्टर से मिट्‌टी जमाने आदि के अप्रैल, मई व जून 2011 में एस्टीमेट तैयार करवाने, दोनों खण्डों में एस्टीमेट अलग-अलग बनवाने एवं फर्जी बिलों द्वारा भुगतान उठाने के आरोपों पर दर्ज की गई है जो वर्तमान में जांचाधीन है। जांच पूर्ण होने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नाथद्वारा टैम्पल एक्ट 1959 का हिन्दी रूपान्तरण

897. **श्री कल्याण सिंह चौहान** (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा नाथद्वारा टैम्पल एक्ट 1959 एवं नाथद्वारा टैम्पल रूल्स, 1973 को राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित नहीं कराने का क्या कारण है?

(2) क्या सरकार नाथद्वारा टैम्पल एक्ट 1959 एवं नाथद्वारा टैम्पल रूल्स 1973 को राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा नाथद्वारा टैम्पल एक्ट 1959 को राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित किया जा चुका है। नाथद्वारा टैम्पल रूल्स 1973 को राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित नहीं किया गया क्योकि ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है।

(2) राज्य सरकार द्वारा नाथद्वारा टैम्पल एक्ट 1959 को राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित किया जा चुका है।

नाथद्वारा टैम्पल रूल्स 1973 को राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं हैं।

डेगाना के मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत राशि

898. **श्री अजय सिंह** (डेगाना) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अजय सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कौन-कौन से मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या गत तीन वर्षों में क्षेत्र के मंदिरों का विकास एवं जीर्णोद्धार किया गया? यदि हां, तो किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित कोई मंदिर नहीं है।

(2) जी नहीं। गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र डेगाना के मंदिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु कोई राशि देवस्थान विभाग द्वारा व्यय नहीं की गई है।

भरतपुर जिले में मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु व्यय राशि

899. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा भरतपुर जिले में दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2012 तक जीर्णोद्धार हेतु किस-किस मन्दिर को कब-कब और कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भरतपुर शहर स्थित बांके बिहारी मन्दिर में उक्त अवधि में कब-कब और कितनी-कितनी राशि के जीर्णोद्धार कार्य करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर हेतु स्वीकृत राशि में से राशि वर्तमान में शेष है? यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या उक्त मन्दिर के उक्त अवधि में कराये गये कार्यों का सम्बन्धित संवेदक को सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में स्थित मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिये दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2012 तक स्वीकृत की गई राशि का वर्ष वार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) भरतपुर शहर स्थित बांके बिहारी मंदिर में 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2012 तक स्वीक़त की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम मंदिर	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	रा.आ.नि.मं. श्री बिहारीजी किला भरतपुर	2009-10	01.40
2	रा.आ.नि.मं. श्री बिहारीजी किला भरतपुर	2010-11	31.00

(3) जी हां। उक्त मंदिर हेतु वर्ष 2010-11 में रुपये 31.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। जी-शिडयूल रुपये 2697053/- तथा कार्यादेश रुपये 2823814/- का था। संवेदक द्वारा जी-शिडयूल अनुसार किये गये कार्य की राशि रुपये 1904099/- का भुगतान किया जा चुका है। स्वीकृत कार्यादेश राशि में से 9,19,715/- राशि शेष है।

(4) जी नहीं। संवेदक द्वारा जी-शिडयूल अनुसार किये गये कार्य की राशि रुपये 19,04,099/- का ही भुगतान किया गया है।

'जी' शिडयूल में अंकित कार्य से अतिरिक्त कार्य करवाये जाने एवं जी शिडयूल की मात्रा से अधिक मात्रा में बिना सक्षम स्वीकृति के हुये कार्य के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्तर से जांच अपेक्षित होने से संवेदक को सम्पूर्ण भुगतान की कार्यवाही लम्बित है।

परिशिष्ट-1

भरतपुर जिले में स्थित मन्दिरों में जीर्णोद्धार के लिये दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2012 तक स्वीकृत की गई राशि का वर्ष वार विवरण

क्र. सं.	नाम मन्दिर	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वि.वि
1.	रा.आ.नि.मं. श्री बिहारीजी किला, भरतपुर	2009-10	1.40	

क्र. सं.	नाम मन्दिर	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वि.वि
2.	रा.आ.नि.मं. श्री लक्ष्मण जी डीग	2010-11	2.25	
3.	रा.आ.नि.मं. श्री मोहन जी, डीग	2010-11	4.46	
4.	रा.आ.नि.मं. श्री दत्तात्रेय जी बाबूना	2010-11	3.09	
5.	रा.आ.नि.मं. श्री लाला महाराज किला भरतपुर	2010-11	4.18	
6.	रा.आ.नि.मं. श्री चिमना जी केतन दरवाजा भरतपुर	2010-11	5.00	
7.	रा.आ.नि.मं. श्री रघुनाथ जी विरक्त भरतपुर	2010-11	3.68	
8.	रा.आ.नि.मं. श्री जानराय जी खपाटिया भरतपुर	2010-11	3.92	
9.	रा.आ.नि.मं. श्री मदन मोहन जी टाडा भरतपुर	2010-11	2.00	
10.	रा.आ.नि.मं. श्री बालानंद जी, भरतपुर, भरतपुर	2010-11	3.00	
11.	रा.आ.नि.मं. श्री हनुमान जी सिरकी वाले भरतपुर	2010-11	9.70	
12.	रा.आ.नि.मं. श्री हनुमान जी अटलबंद भरतपुर	2010-11	3.00	
13.	रा.आ.नि.मं. श्री बिहारी जी किला भरतपुर	2010-11	31.00	
14.	रा.आ.नि.मं. श्री गणेश जी चौबुर्जा भरतपुर	2010-11	3.24	
15.	रा.आ.नि.मं. श्री लक्ष्मण जी भरतपुर	2010-11	15.00	
16.	रा.आ.नि.मं. श्री गोपाल जी, नदिया मोहल्ला भरतपुर	2010-11	02.00	

क्र. सं.	नाम मन्दिर	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वि.वि
17.	रा.आ.नि.मं. श्री मोहन जी अटलबंद भरतपुर	2011-12	4.00	
18.	रा.आ.नि.मं. श्री लक्ष्मण जी कुम्हेर भरतपुर	2011-12	17.81	सा.नि.वि. कार्यकारी एजेन्सी
19.	रा.आ.नि.मं. श्री गोपाल जी पैंघोर भरतपुर	2011-12	6.82	सा.नि.वि. कार्यकारी एजेन्सी
20.	रा.आ.नि.मं. श्री लक्ष्मण जी डीग जिला भरतपुर	2011-12	11.69	सा.नि.वि. कार्यकारी एजेन्सी
21.	रा.आ.नि.मं. श्री राधामदन गोपाल जी कठपुतली भरतपुर	2011-12	08.00	सा.नि.वि. कार्यकारी एजेन्सी
22.	रा.आ.नि.मं. श्री गंगा जी भरतपुर	2011-12	05.00	सा.नि.वि. कार्यकारी एजेन्सी
23.	रा.प्र.प्र. धर्मशाला श्री किशनशाला,भरतपुर	2011-12	10.00	सा.नि.वि. कार्यकारी एजेन्सी
24.	रा.आ.नि.मं. श्री बिहारी जी हलैना भरतपुर	2011-12	06.00	सा.नि.वि. कार्यकारी एजेन्सी
25.	रा.आ.नि.मं. श्री कैला देवी झील का बाडा	2011-12	50.00	मुख्यमंत्री बजट घोषणा

सोजत के वन क्षेत्र हेतु सड़क सुविधा

900. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत के कितने क्षेत्र में वन भूमि है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्र में निवास करने

(श्रीमती संजना आगरी)

वालों को सड़क सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में 7704.72 हैक्टेयर क्षेत्र में वन भूमि है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) निम्न तीन ग्रेवल सडकों को महानरेगा के अन्तर्गत निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है :-

1. गजनाई से लाखाखेत
2. खोडिया से सांड मंगरा
3. जस्सा खेड़ा रोड से खेजड़ी की नाल

बीजागुडा देवडूंगरी सड़क के लिये 0.60 हैक्टेयर वन भूमि को प्रत्यावर्तन होना होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण वापस लौटा दिया गया है।

परिशिष्ट 'क'

विधान सभा क्षेत्र सोजत में वन भूमि का विवरण

क्र. सं.	रेंज का नाम	नाम वनखण्ड	क्षेत्रफल			
			आरक्षित	रक्षित	अवर्गीकृत	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सोजत	जोड मुरडावा ए	-	226.39	-	226.39
2	सोजत	जोड बुटेलाव	84.81	-	-	84.81
3	सोजत	ब्लोक देवडूंगरी	1062.83	-	-	1062.83
4	सोजत	अटपडा	-	590.08	-	590.08
5	सोजत	ब्लोक रून्दिया	-	755.51	-	755.51
6	सोजत	सियाट नर्सरी	-	1.00	-	1.00
7	सोजत	चण्डावल नर्सरी	-	0.50	-	0.50
8	बीजागुडा	बडागुडा	2646.75	-	-	2646.75
9	बीजागुडा	खोडिया	2336.85	-	-	2336.85

बारां व झालावाड़ जिलों की वन भूमि पर अतिक्रमण

901. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां एवं झालावाड़ में वर्तमान में वन भूमि पर कितने अतिक्रमण हैं तथा अतिक्रमियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किशनगंज-भंवरगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर एक ढाबा संचालक द्वारा वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद भी सरकार द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) बारां एवं झालावाड़ जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम जिला	अतिक्रमियों की संख्या	अतिक्रमित वनभूमि का क्षेत्रफल (है.)
1.	बारां	11821	15638.87
2.	झालावाड	2827	1620.28
	योग	**14648**	**17259.15**

उक्त प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के तहत दर्ज किये जाकर न्यायालय सहायक वन संरक्षक में विचाराधीन हैं। उक्त जिलों में वर्ष 2011-12 में न्यायालय द्वारा 7768 प्रकरणों में अतिक्रमियों के विरुद्ध राशि रुपये 49.19 लाख की शास्ति एवं रुपये 183.74 लाख फसल कीमत कुल राशि रुपये 232.93 लाख अधिरोपित की जाकर बेदखली के आदेश दिये गये हैं। जिसमें से राशि रुपये 80.38 लाख की वसूली की जा चुकी हैं। उक्त प्रकरणों में 2071 अतिक्रमियों को साधारण कारावास की सजा दी गयी है।

(2) जी हां। किशनगंज-भंवरगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर वनखण्ड एवं गौजा बांराथूनी के खसरा नम्बर 594 की 2 बीघा वन भूमि पर टीटू उर्फ उम्मेद सिंह ने अतिक्रमण कर पक्का मकान, ढाबा एवं पार्क बना रखा है। इस अतिक्रमी के विरुद्ध क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगंज ने न्यायालय सहायक

(वन मंत्री)

वन संरक्षक, बारां में भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 28.4.2011 को पारित निर्णय में अतिक्रमी को 200/- रुपये शास्ति, वन भूमि से बेदखली एवं एक माह के सिविल कारावास से दंडित किया गया। परन्तु टीटू उर्फ उम्मेद सिंह द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय ए.डी.एम. शाहाबाद व राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के यहां की गई अपील खारिज होने पर राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.8.2011 के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील 6262/11 दायर कर वहां से दिनांक 23.11.2011 को स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। स्थगन आदेश निरस्त कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बिलाड़ा की घोषित वन भूमि का नामान्तरणकरण

902. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वन भूमि घोषित की हुई है? यदि हां, तो कब से कितनी-कितनी भूमि एवं किस-किस आदेश से अधिसूचित की गई एवं नहीं, तो क्यों? ग्रामवार सूचना एवं आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घोषित वन भूमि राजस्व विभाग द्वारा विधिवत् रूप से वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है? यदि हां, तो सुपुर्दगीनामा की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों? कारण एवं सूचना मय ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा घोषित वन भूमि का राजस्व विभाग द्वारा आज दिनांक तक भी काफी भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण नहीं किया गया एवं न ही राजस्व ग्रामों के नक्शे में इन्द्राज किया गया? यदि हां, तो ऐसी कितनी-कितनी भूमि का एवं कब-कब से नामान्तरण नामा एवं नक्शे में इन्द्राज नहीं किया गया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामवार सूची तथा आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(वन मंत्री)

(2) बिलाड़ा क्षेत्र में वनभूमि का वन विभाग को विधिवत हस्तान्तरण बाबत् अमल दरामद की कार्यवाही प्रकियाधीन है। (परिशिष्ट-ख) उक्त क्षेत्र प्रारम्भिक/अंतिम विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् विधिक रूप से रक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र हैं।

(3) जी हां। सरकार द्वारा घोषित वन भूमि का वन विभाग के नाम अमल दरामद की गई एवं अमल दरामद से शेष रही भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है। नामान्तरण से शेष रहे वन क्षेत्र के नामान्तरण एवं नक्शों में तरमीम का कार्य प्रकियाधीन है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि. के कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान

903. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि., जयपुर के कारखाने को प्रबन्धन द्वारा नवम्बर, 1983 में बंद कर दिया गया था? यदि हां, तो कारखाना बंदी के समय उसमें कुल कितने कर्मचारी, श्रमिक, ठेका मजदूर कार्यरत थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कारखाने में अधिकृत लिक्वीडेटर नियुक्त किया हुआ है? यदि हां, तो लिक्वीडेटर के आने के बाद उसने कितने श्रमिकों को उनकी बकाया राशि का कितना भुगतान किया तथा कितने ऐसे श्रमिक बाकी हैं, जिनको अभी तक उनके बकाया का कोई भुगतान नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों/ठेका श्रमिकों की बकाया पी.एफ. (भविष्य निधि) राशि के भुगतान के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(4) वर्ष 1983 में प्रबन्धन द्वारा कारखाना बंद किये जाने पर फैक्ट्री एवं बायलर्स विभाग द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि.

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

जयपुर कारखाना को प्रबंधन द्वारा नवम्बर, 1983 में बंद कर दिया था। कारखाना बंदी के समय उसमें कुल 2000 कर्मचारी/श्रमिक कार्यरत थे।

(2) इस कारखाने में लिक्वीडेटर (शासकीय समापक) नियुक्त किया हुआ है। कम्पनी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.12.83 से बन्द करने के आदेश हुए थे, उसी दिन से शासकीय समापक नियुक्त किया गया। दिनांक 15.2.85 को कम्पनी के सभी लेनदारों तथा सभी श्रमिकों से दावा आमंत्रित किया गया था। इस सम्बन्ध में शासकीय समापक को 1908 दावे प्राप्त हुए जिनमें से श्रमिकों की संख्या 1820 है। समस्त श्रमिकों को भुगतान किया जा चुका है। प्रथम चरण में वर्ष 1989 में 50 प्रतिशत भुगतान समस्त श्रमिकों को किया गया तथा द्वितीय चरण में वर्ष 1996 में 100 प्रतिशत भुगतान किया गया। 435 श्रमिक मिल परिसर में अनाधिकृत भूमि पर कब्जा किये हुए हैं जिनका भुगतान करना शेष है।

(3) इस कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की बकाया पी.एफ. (भविष्य निधि) की राशि रुपये 1435839/- बकाया है। लिक्वीडेटर के अनुसार अपर्याप्त फण्ड होने के कारण पी.एफ. विभाग को उक्त राशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है। मिल की सम्पत्ति बेचने का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है।

(4) विभाग द्वारा दिनांक 20.6.1984 से कारखाने का लाइसेन्स स्थगित कर दिया गया था। कारखाना बन्द हो जाने के कारण फैक्ट्री एवं बायलर्स विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सिरोही जिले के क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के पद

904. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही में वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक कितने सरकारी विद्यालयों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया? वर्षवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में क्रमोन्नत हुए विद्यालयों में वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के कितने पद सृजित किये गये? विद्यालय, विधान सभा क्षेत्र एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओटाराम देवासी)

(3) जिला सिरोही में शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति क्या है? विद्यालयवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालयों में वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक पद सृजित नहीं करने से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के विद्यालय से कार्यालय की सूचना आदान-प्रदान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त जिले के नव क्रमोन्नत विद्यालयों में वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सिरोही में वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक क्रमोन्नत विद्यालयों का वर्षवार एवं क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उक्त विद्यालयों में वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिकों का पद प्रावधान नहीं होने के कारण कोई पद सृजित नहीं किये जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला सिरोही में 2008-09 से 2011-12 तक क्रमोन्नत विद्यालयों में वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के नवीन पदों का सृजन नहीं किया गया है। वर्ष 2007-08 में क्रमोन्नत विद्यालयों में पूर्व से ही लिपिकों के पद आबंटित थे। इस हेतु नवीन पद सृजन नहीं किया गया था।

(3) माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक की अवधि में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों हेतु 6252 वरिष्ठ लिपिकों, 5364 कनिष्ठ लिपिकों तथा 18,755 सहायक कर्मचारियों के पदों के सृजन का प्रकरण परीक्षणाधीन हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर के विद्यालयों में उपलब्ध प्रयोगशालाएं

905. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को मान्यता देते समय प्रयोगशाला उपलब्धता के क्या नियम हैं? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला के मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सरकारी विद्यालयों में प्रयोगशाला उपलब्धता की क्या स्थिति है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के प्रयोगशाला से वंचित सरकारी विद्यालयों में विज्ञान एवं अनुसंधान गतिविधियों का संचालन किस प्रकार किया जा रहा है? विद्यालय वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में प्रयोगशाला की उपलब्धता और विज्ञान गतिविधियों के विकास की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के छात्रों में विज्ञान एवं अनुसंधान गतिविधियों के प्रति रूचि उत्पन्न करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला नहीं होती है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देते समय प्रयोगशाला उपलब्धता हेतु निर्धारित मानदण्ड के विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सरकारी विद्यालयों में प्रयोगशाला उपलब्धता का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की सभी सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं ।

(4) जी हां। उक्त विद्यालयों में प्रयोगशालाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं।

विज्ञान गतिविधियों के विकास हेतु प्रयोगशाला सामग्री हेतु प्रत्येक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष 25,000/- रुपये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराये जाते हैं।

(5) भारत सरकार की इन्स्पायर योजना लागू है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी के भवन रहित राजकीय विद्यालय

906. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बून्दी के कितने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय भवन नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें खेल मैदान व सुरक्षा दीवार नहीं है, उक्त विद्यालयों के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बून्दी में 10 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं हैं। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित एक मात्र विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जवाहर सागर बांध, बून्दी विभागीय भवन में संचालित ना होकर सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के भवन में संचालित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बून्दी के खेल मैदान विहीन तथा चारदीवारी विहीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्षों की कार्य योजनाओं में अनुमोदित होने वाले लक्ष्यों की सीमा में दीवार विहीन राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण कराये जाने का प्रयास किया जावेगा। विद्यालयों के खेल मैदान हेतु भूमि आबंटन करवाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों यथा स्वायत्त शासन, नगरीय विकास विभाग राजस्व विभाग तथा ग्राम पंचायतों से भूमि आबंटन के प्रयास कर रहा है। ऐसे माध्यमिक विद्यालय जिनमें खेल मैदान व सुरक्षा दीवार नहीं है, का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। उक्त विद्यालयों में खेल मैदान हेतु भूमि के आबंटन के लिए सम्बन्धित जिला प्रशासन/नगर पालिका/ग्राम पंचायत से सम्पर्क स्थापित कर शिक्षा विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ के विद्यालयों में पेयजल सुविधा

907. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा हेतु एक-एक पानी का होज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त क्षेत्र के कितने विद्यालयों में पीने के पानी का होज नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के कुल 449 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 424 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा हेतु पानी का होज (टांका) पूर्व में निर्मित है। शेष 25 विद्यालयों में से 20 विद्यालय वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन विहीन हैं एवं अन्य वैकल्पिक स्थानों पर संचालित हैं। पेयजल सुविधा विहीन शेष 5 विद्यालयों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पीने के पानी के हाज की सुविधा उपलब्ध है।

(2) भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली 25 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी का होज उपलब्ध नहीं है। सूची परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है। ऐसा कोई माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है जिसमें पीने के पानी के होज की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

विधान सभा भोपालगढ़ अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची जिनमें पीने के पानी हेतु हौज उपलब्ध नहीं हैं।

क्र.सं.	ब्लाक	ग्राम पंचायत	विद्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	भोपालगढ़	आसोप	राप्रावि पिलोना नाडा अंगोर	
2	भोपालगढ़	बाडा कलां	राप्रावि बाड़ा कलां	भवन विहीन
3	भोपालगढ़	बारनी खुर्द	राप्रावि पारसरियों की ढाणी दाडमी रोड	भवन विहीन
4	भोपालगढ़	बासनी हरिसिंह	राप्रावि बासनी हरीसिंह	भवन विहीन
5	भोपालगढ़	बासनी हरिसिंह	राप्रावि श्रवणदास, दादुदास आश्रम	भवन विहीन
6	भोपालगढ़	भोपालगढ़	राप्रावि रामदेव मन्दिर पास जटिया कालोनी	भवन विहीन
7	भोपालगढ़	बुडकिया	राशिक्षाकर्मीप्रावि नई सारणों की ढाणी	भवन विहीन
8	भोपालगढ़	गजसिंहपुरा	राबाउप्रावि गजसिंहपुरा	
9	भोपालगढ़	मलार	राप्रावि मलार	भवन विहीन
10	भोपालगढ़	मंगेरिया	राप्रावि कुडियों की ढाणी मंगोरिया	भवन विहीन
11	भोपालगढ़	ऑस्तरा	राप्रावि उस्तरां	

क्र.सं.	ब्लाक	ग्राम पंचायत	विद्यालय का नाम	विशेष विवरण
12	भोपालगढ़	बाडा कलां	राप्रावि संस्कृत बाडा कलां	भवन विहीन
13	भोपालगढ़	हीरादेसर	राप्रावि संस्कृत हीरादेसर	भवन विहीन
14	बावड़ी	बुचेटी	राप्रावि साजिनों की ढाणी	भवन विहीन
15	बावड़ी	जोइन्तरा	राप्रावि जोइन्तरा	भवन विहीन
16	बावड़ी	जोइन्तरा	राप्रावि पातों की बासनी	भवन निर्माणाधीन
17	बावड़ी	खेडापा	राप्रावि लवेरा खुर्द	भवन विहीन
18	बावड़ी	लवेरा कलां	राप्रावि गोसाईजी की नाडी	भवन विहीन
19	बावड़ी	कास्टी	राप्रावि कास्टी	भवन निर्माणाधीन
20	बावड़ी	नेतड़ा	राप्रावि नेतड़ा	भवन विहीन
21	बावड़ी	लवेरा कलां	राप्रावि लवेरा कलां	भवन विहीन
22	बावड़ी	बोडवी खुर्द	राप्रावि बोड़वी खुर्द	भवन विहीन
23	बावड़ी	बुचेटी	राप्रावि बुचेटी	भवन विहीन
24	मण्डोर	जाजीवाल कलां	राउबाप्रावि. जाजीवाल कलां	भवन विहीन
25	मण्डोर	सालवा कलां	राप्रावि संस्कृत सालवा कलां	भवन विहीन

अति. जिला परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान जोधपुर

कुम्भलगढ़ के विद्यालयों में स्वीकृत/रिक्त पद

908. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों पर शिक्षक पदस्थापित हैं? यदि नहीं, तो शिक्षकों के पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	विद्यालय	स्वीकृत पद			
		अध्यापक ग्रेड-II	अध्यापक ग्रेड-III	प्रबोधक	च.श्रे.क.
1	प्राथमिक	0	525	44	0
2	उच्च प्राथमिक	125	651	31	23
	योग	**125**	**1176**	**75**	**23**

(2) जी हां। परन्तु कुछ पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(3) जी हां। पंचायतीराज विभाग द्वारा जिला परिषद के माध्यम से 41000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है । आगामी वर्ष में 20000 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है । जिला परिषदों द्वारा चयन करने के उपरांत अध्यापक ग्रेड-III के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।

सीधी भर्ती कोटे के 11865 द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है तथा वर्तमान में

(शिक्षा मंत्री)

विभागीय पदौन्नति समिति के आयोजन पर कार्मिक विभाग द्वारा लगाई गई रोक प्रभावी है ।

इस प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदौन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित मूक-बधिर विद्यालय छात्रावासों में वार्डन के रिक्त पद

909. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के कुल कितने मूक-बधिर विद्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन विद्यालयों में बालक-बालिका छात्रावासों की सुविधा है व उक्त छात्रावास कब से संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावासों में बालक-बालिकाओं की सुरक्षा हेतु कहां-कहां कितने वार्डन नियुक्त किये गये हैं? विद्यालयवार नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर में संचालित राजकीय सेठ आनन्दी लाल पोद्दार मूक-बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रावासों में वार्डन की अनुपस्थिति में विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं से व्यवस्था के नाम पर निरन्तर गैर शैक्षणिक कार्यों के रूप में इनकी सेवाओं को लिया जाता रहा है? यदि हां, तो किन-किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) राजकीय सेठ आनन्दी लाल पोद्दार मूक-बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं के कार्यग्रहण तिथि से वर्तमान तक नामवार एवं माहवार सभी पारियों सहित सूची और किसी शिक्षिकाओं को विशेष अनुकम्पात्मक छूट दी गई है? यदि हां, तो कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(6) राज्य के सभी मूक-बधिर छात्रावासों में वार्डन अपर्याप्त रहने की स्थिति में कितने दिवसों में वार्डनों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर का मूक-बधिर विद्यालय संचालित नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित मूक-बधिर विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं। संलग्न सूची में क्र.सं. 2 व 3 पर अंकित विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर के हैं, परन्तु इनका नियन्त्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन है।

(2) उक्त में से जिन-जिन विद्यालयों में बालक-बालिका छात्रावास की सुविधा है तथा ये छात्रावास कब से संचालित किये जा रहे है, की सूचना का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट "क" में कर दिया गया है।

(3) इन छात्रावासों में बालक-बालिकाओं की सुरक्षा हेतु वार्डन अथवा वैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धी सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(4) जी नहीं। इस विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के अलग-अलग छात्रावास संचालित हैं। बालक छात्रावास में वार्डन की अनुपस्थिति में विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को व्यवस्था के लिए उनमें नहीं लगाया जाता है। बालिका छात्रावास के वार्डन के अवकाश पर होने पर ही विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं में से बालिका छात्रावास के संचालन हेतु वार्डन कार्य दिया जाता रहा है तथा उस शिक्षिका द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय की शिक्षण व्यवस्था कर दी जाती है। इससे शिक्षण कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हैं। विद्यालयों में किसी शिक्षक के अवकाश पर होने की स्थिति में अन्य उपस्थित शिक्षकों को उसका कार्य व्यवस्थार्थ दिया जाता है।

(5) विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों की नामवार सूचियां पारियों सहित परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध हैं। सुश्री मीनू श्रीवास्तव व्याख्याता के विद्यालय में प्रथम सहायक होने के कारण वार्डन ड्यूटी से छूट दी गई हैं।

(6) राज्य सरकार के पास वार्डन नियुक्ति के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने की स्थिति में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-910

(माननीय सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल के निलम्बन के कारण अपंजीबद्ध)

अलवर ग्रामीण में संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थान

911. श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में कितने तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं व इनमें से कितने वर्तमान में कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय पालिटेक्निक कालेज में वर्तमान में व्याख्याताओं/अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं व इनमें से कितने पद रिक्त व कितने भरे हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में निजी क्षेत्र में आठ अभियांत्रिकी महाविद्यालय, दो पालिटेक्निक कालेज तथा चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं व सभी कार्यरत है। जिसकी सूची परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

(2) जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय, अलवर में वर्तमान में शिक्षकों के 41 पद स्वीकृत हैं इनमें से 32 पद भरे हुए हैं तथा 09 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) जी हां। तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 240 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने का विज्ञापन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जून, 2011 में जारी किया जा चुका है।

इन विज्ञापित पदों पर चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में प्रकियाधीन है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या-912

(स्थगित)

अलवर जिले में पर्यावरण संरक्षण हेतु मास्टर प्लान की क्रियान्विति

913. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जिला अलवर में पर्यावरण व प्रकृति को बचाये रखने हेतु मास्टर प्लान मंजूर किया गया है? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा व किस मीटिंग में उक्त मास्टर प्लान मंजूर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मास्टर प्लान को राज्य सरकार द्वारा किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मंजूर किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय केन्द्रीय वन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब व क्या-क्या? आदेश/निर्देश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पर्यावरण मास्टर प्लान में क्या-क्या नियम व कानून राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हैं? मास्टर प्लान के कानून व नियम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त मास्टर प्लान को जिला अलवर में लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले के पर्यावरणीय मास्टर प्लान राज्य मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 10 अगस्त, 2011 में अनुमोदित किया गया। तदन्तर अधिसूचना संख्या प.5 (अलवर मास्टर प्लान) पर्या./2005 दिनांक 26 अगस्त, 2011 द्वारा इसे प्रचलित किया गया है। मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 106/2011 की प्रति संलग्नक-1 तथा अधिसूचना दिनांक की प्रति संलग्नक-2 पर संलग्न है।

(2) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का आ. 319 (अ), दिनांक 07 मई, 1992 एवं एस.ओ. 1189(ई), दिनांक 29 नवम्बर, 1999 के अधीन अपेक्षित अलवर जिले के विकास कार्यक्रमों में

(पर्यावरण मंत्री)

पर्यावरणीय आवश्यकताओं को समाहित करने के उददेश्य से यह पर्यावरणीय मास्टर प्लान मंजूर किया गया है।

(3) उक्त मास्टर प्लान वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का आ. 319 (अ), दिनांक 07 मई, 1992 एवं एस.ओ. 1189(ई), दिनांक 29 नवम्बर, 1999 से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में तैयार कराया गया है। प्रति संलग्नक 3 एवं 4 पर संलग्न है।

(4) उक्त पर्यावरणीय मास्टर प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कोई नियम अथवा कानून बनाया जाना अपेक्षित नहीं है। इस मास्टर प्लान में अलवर जिले के विकास कार्यक्रमों एवं भविष्य के भू-उपयोग में पर्यावरणीय आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखने सम्बन्धी व्यवस्थाओं को दर्शाया गया है। पर्यावरण मास्टर प्लान की प्रति संलग्नक-5 पर संलग्न है।

(5) जी हां। पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या प. 5 (अलवर मास्टर प्लान) पर्या./2005 दिनांक 26 अगस्त, 2011 द्वारा अलवर जिले का पर्यावरणीय मास्टर प्लान प्रचलित किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्नक-2 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

फलौदी के महिला एवं बाल विकास कार्यालयों में रिक्त पद

914. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी की पंचायत समिति फलौदी एवं बाप में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कितने पद कब से रिक्त हैं? पदनामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों पर यथा समय पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी की परियोजना फलौदी एवं बाप में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) विभाग में कार्मिकों के अधिक रिक्त पदों के दृष्टिगत विधान सभा क्षेत्र फलौदी की परियोजना फलौदी एवं बाप में भी कार्मिकों का पदस्थापन नहीं किया जा सका है।

(3) जी हां। बाल विकास/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों को सीधी भर्ती/पदोन्नति से कार्मिक प्राप्त होने पर, महिला पर्यवेक्षक एवं कनिष्ठ लिपिक के पदों को सीधी भर्ती से कार्मिक प्राप्त होने पर भरा जा सकेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी के पदों पर चयन का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	**पद**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**	**कब से रिक्त**
बाल विकास परियोजना फलौदी					
1	सीडीपीओ	01	-	01	05.03.2010
2	पर्यवेक्षक	14	03	11	2009 से
3	वाहन चालक	01	-	01	01.06.2011
4	क. लिपिक	01	-	01	जून 2006
5	आ. कार्यकर्ता	212	209	03	जुलाई 10
6	सहायिका	212	209	03	जुलाई 10
7	सहयोगिनी	212	114	98	07/2009
8	प्रचेता	01	01	-	-
बाल विकास परियोजना बाप					
1	सीडीपीओ	01	-	01	15.12.09
2	पर्यवेक्षक	12	04	08	07/2010
3	वाहन चालक	01	-	01	01.06.2011
4	क. लिपिक	02	01	01	31.08.2010
5	आ. कार्यकर्ता	186	186	-	-
6	सहायिका	186	177	09	07/2010
7	सहयोगिनी	186	77	109	07/2009
8	प्रचेता	01	-	01	31.03.2007

आसींद, भीलवाड़ा एवं ब्यावर मार्ग पर निगम बस सेवा

915. श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आसींद से भीलवाड़ा व ब्यावर के लिए प्राइवेट बसें ही चलती हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर जन सुविधा के लिये रोडवेज बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग पर निम्न समयानुसार निगम बसें संचालित है:-

ब्यावर-रतलाम

वाया बदनौर-आसींद-माण्डल-भीलवाड़ा-चित्तौड़

प्रतापगढ़	रतलाम	रतलाम	ब्यावर
0520	1615	0815	1845

प्रतापगढ़-जोधपुर

वाया निम्बाहेड़ा-चित्तौड-माण्डल-आसींद-बदनौर-ब्यावर

प्रतापगढ़	जोधपुर	जोधपुर	प्रतापगढ़
1630	0400	2030	0730

जोधपुर-इन्दौर

वाया ब्यावर-बदनौर-आसींद-माण्डल-भीलवाड़ा-चित्तौड-नीमच-रतलाम

जोधपुर	इन्दौर	इन्दौर	जोधपुर
1600	0830	1600	0830

बगरू के ग्रामों हेतु नगरीय बस सेवा

916. श्रीमती गंगा देवी (बगरू) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू के नगरपालिका मुख्यालय बगरू एवं नगर निगम के वार्ड नम्बर 34 के गांव लूनियावास, दांतली गौनेर से जयपुर आने व जयपुर से उक्त गन्तव्यों तक सायं 7 बजे बाद पहुंचने के लिये सरकार द्वारा सरकारी बसों, सिटी बसों व लो-फ्लोर बसों एवं निजी बस, टैम्पो आदि सवारी गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्गों पर सायं 7 बजे बाद दैनिक मजदूर, सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारी, व्यापारी व्यवसायी बड़ी संख्या में आते जाते हैं?

(3) क्या सरकार उक्त सभी मार्गों का सर्वे करवाकर पर्याप्त संख्या में लो-फ्लोर बसें व निजी क्षेत्र की सिटी बसों के संचालन को सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू के नगरपालिका मुख्यालय बगरू एवं नगर निगम के वार्ड नम्बर 34 के गांव लूनियावास, दांतली गौनेर से जयपुर आने व जयपुर से उक्त गन्तव्यों तक सायं 7 बजे बाद पहुंचने के लिये संचालित परिवहन सेवाओं का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) परिशिष्ट '1' में वर्णित मार्गों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मार्गों का विवरण परिशिष्ट '2' में संलग्न है। उक्त स्वीकृत स्टेज कैरिज मार्गों पर अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करने पर सायं काल 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक की समय सारणी जारी की जा सकेगी।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र बगरू के नगरपालिका मुख्यालय बगरू एवं नगर निगम के वार्ड नम्बर 34 के गांव लूनियावास, दांतली गोनेर से जयपुर आने व जयपुर से उक्त गन्तव्यों तक सायं 7.00 बजे बाद पहुंचने के लिये संचालित परिवहन सेवाओं का विवरण

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये सोडाला थाना से बगरू उप नगरीय मार्ग पर वर्तमान में 29 निजी बसों का अनुज्ञापत्र जारी है, जिनमें जारी की गई समय सारणी अनुसार 21 सेवायें सायं 7.00 बजे बाद की हैं।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये बापू आशाराम आश्रम से मोहाना गांव वाया लूनियावास नगरीय मार्ग पर 135 मिनी बसों को अनुज्ञापत्र जारी है, सिटी मार्ग पर जारी अनुज्ञापत्रों हेतु समय सारणी जारी नहीं की जाती है।
3. गोनेर से जयपुर आने एवं जयपुर से गोनेर जाने के लिये सायं 7.00 बजे बाद जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) की लो-फ्लोर बसें संचालित हो रही हैं। गोनेर से अंतिम बस का प्रस्थान, जयपुर (मीनावाला गांव) के लिए 20.00 बजे है जबकि मीनावाला गांव से गोनेर के लिये अंतिम बस का प्रस्थान 18.45 बजे है। इस बस को गोनेर पहुंचने में लगभग 2 घण्टे 05 मिनट का समय लगता है।
4. नगरपालिका मुख्यालय, बगरू से जयपुर एवं जयपुर से बगरू के लिये निम्नांकित समयानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है :-

बगरू से जयपुर	जयपुर से बगरू
07.30-08.20	07.30-08.20
08.00-09.20	08.00-09.20 (रात्रि विश्राम)
08.30-09.50	08.30-09.50 (रात्रि विश्राम)
09.00-10.20	09.00-10.20 (रात्रि विश्राम)

5. जयपुर से गोनेर वाया लूनियावास, दांतली मार्ग पर सायंकाल 07.00 बजे बाद निम्नांकित समयानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है :-

जयपुर से गोनेर

08.00-09.10 (रात्रि विश्राम पदमपुरा)

08.20-09.30

09.00-10.30

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र बगरू के नगरपालिका मुख्यालय बगरू एवं नगर निगम के वार्ड नम्बर 34 के गांव लूनियावास, दांतली गोनेर से जयपुर आने व जयपुर से उक्त गन्तव्यों तक पहुंचने के लिये संचालित/निर्धारित मार्गों का विवरण

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये जयपुर से बगरू वाया झांग, मोजमाबाद अन्य श्रेणी स्टेज कैरिज मार्ग पर तीन वाहनों को दो सेवाओं के अनुज्ञापत्र जारी किये हैं, जिनमें समय सारणी अनुसार सायंकाल 7 बजे पश्चात का समय नहीं है।
2. राज्य सरकार द्वारा जयपुर से बोली वाया गोनेर, अकारियां, निपोदियां, अदमपुरा, चाकसू, मित्रपुरा अन्य श्रेणी स्टेज कैरिज मार्ग निर्धारित किया हुआ है। जिस पर दो वाहनों को दो सेवाओं हेतु अनुज्ञापत्र जारी हैं, जिनमें समय सारणी अनुसार सायंकाल 7 बजे पश्चात का समय नहीं है।
3. राज्य सरकार द्वारा जयपुर से कोलिया वाया गोनेर, खो नागोरियान, लूनियावास, बान्धा मोड़, खातीपुरा, दांतली, सिरोली, संतोषपुरा, बाडापदमपुरा, शिवदासपुरा, बुहानीपुरा, खाजुलपुरा, गुर्जरों की ढाणी, आकोदिया नदि हीरापुरा, उगरास, विलासपुरा, बापूगांव अन्य श्रेणी स्टेज कैरिज मार्ग निर्धारित किया हुआ है, जिस पर किसी भी वाहन स्वामी द्वारा अनुज्ञापत्र नहीं लिया है।
4. राज्य सरकार द्वारा जयपुर से पदमपुरा विस्तार तुंगा वाया घाट, गोनेर, खानियाधनुवाला, संभारियां देवागांव, खेडा अन्य श्रेणी स्टेज कैरिज मार्ग निर्धारित किया हुआ है, जिस पर किसी भी वाहन स्वामी द्वारा अनुज्ञापत्र नहीं लिया है।

सहाड़ा में राजीव गांधी कृषक योजना के तहत सहायता हेतु लम्बित प्रकरण

917. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में 1 जनवरी, 2003 से दिसम्बर, 2011 तक दुर्घटनाओं में किन-किन गांवों के किन-किन किसानों को कितनी-कितनी राशि राजीव गांधी कृषक योजना के तहत स्वीकृत की गई है एवं कितने मामले लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाडा में 1 जनवरी, 2003 से दिसम्बर, 2011 तक कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर द्वारा कृषि कार्य करते हुए दुर्धटना/मृत्यु होने पर कुल 75 कृषकों को लाभान्वित किया गया। इसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न संख्या-74

(दिनांक 1 व 30 मार्च, 2012)

(स्थगित)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-489 का विवरण)

परिशिष्ट-1

जयपुर-मुम्बई मार्ग की बस सेवा को प्राप्त हुए आय प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार का मार्गवार विवरण

माह	मार्ग	आय प्रति कि.मी. (रुपयों में)	यात्रीभार (प्रतिशत में)
जुलाई-11	जयपुर-सूरत	21.83	32
अगस्त-11		20.10	30
सितम्बर-11		17.75	26
अक्टूबर-11		22.87	35
नवम्बर-11		27.90	42
दिसम्बर-11		22.20	34 09 दिसम्बर, 11 तक संचालित)
दिसम्बर-11	जयपुर-मुम्बई	30.07	41 (08 दिसम्बर, 11 से संचालित)
जनवरी-12		27.93	39
फरवरी-12		27.32	38
मार्च-12		22.27	31

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

बीकानेर जिले में मण्डी शुल्क की देयता को समाप्त किया जाना

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बीकानेर जिले में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उन उद्योगों में प्रपत्र 58(4) को लागू कर मण्डी शुल्क की देयता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्य में कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम को लागू करते समय समस्त औद्योगिक इकाइयों को राज्य के बाहर से आयातित कृषि उत्पाद एवं ऊन उद्योगों पर मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की गई थी । इसके अंतर्गत राज्य के बाहर से आयातित कच्चे माल को प्रयोग में लेने पर विभाग द्वारा जारी फार्म 58(4) में आयातित माल की पूर्ण जानकारी विभाग को देनी होती थी, जिससे कृषि आधारित इकाइयों पर मण्डी शुल्क की देयता नहीं होती थी। किन्तु विगत 27 अप्रैल, 2005 से अधिनियम की धारा 58(4) को विलोपित करते हुए यह छूट समाप्त कर दी है। बिना 58(4) के 1.60% की दर से मण्डी शुल्क चुकाना पड़ता है, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा में सबसे अधिक है, जिससे यहां के उद्योग अन्य राज्यों की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं तथा आयातित कृषि/ऊन उत्पाद उसी स्वरूप में राज्य के अन्दर क्रय-विक्रय नहीं किया जाता है। यदि 58(4) घोषणा पत्र लागू नहीं किया जाता है तथा आयातित माल मण्डी शुल्क की छूट प्रदान नहीं की जाती है राज्य की कृषि आधारित एवं ऊन इकाइयां अपने अस्तित्व को खो देगी अथवा राज्य के बाहर इनका पलायन शुरू हो जायेगा । अन्य सभी राज्यों में तो औद्योगिक इकाइयों को मण्डी शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान की हुई है । आपसे अनुरोध है कि राजस्थान में भी औद्योगिक इकाइयों को इस शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान की जावे ताकि औद्योगिक इकाइयां पूरे देश में अपने उत्पाद का विपणन करने में सक्षम हो सकें ।

अतः इस सदन के मार्फत में मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उन उद्योगों में प्रपत्र 58(4) को लागू कर मण्डी शुल्क की देयता समाप्त कर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दें।

मंगलाराम गोदाम

(डूंगरगढ़)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के अतिरिक्त अधीक्षक द्वारा मरीजों से दुर्व्यवहार

मैं सदन का ध्यान विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत उस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। मैं एस.एम.एस. चिकित्सालय में हो रही अनियमितताओं और गरीब बेसहारा मरीजों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताना चाहता हूं कि डा. राणावत जो कि सवाईमानसिंह चिकित्सालय-जयपुर में अतिरिक्त अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहा है। जो आए दिन गरीब बेसहारा मरीजों के साथ बतमीजी के साथ दुर्व्यवहार करता है। अगर कोई मरीज बी.पी.एल. वाले अपनी जांच पर हस्ताक्षर करवाने जाते हैं, तो वह उनसे पैसे मांगता है। बेचारे दु:खी मरीजों के परिजन परेशान होकर इधर-उधर चक्कर लगाते रहते हैं। बीपीएल कार्ड होते हुए भी वह उन दु:खी मरीजों के साथ दुर्व्यवहार, गाली, गलौच तथा उनकी जांच की पर्चीयों को हवा में उड़ा कर फैंक देता है। मेरे पास कुछ परेशान मरीजों के परिजन आये जो राजस्थान के विभिन्न जिलों के निवासी थे, जो दु:खी होकर रोने लगे। मैने उनके दु:ख को जाना ओर उनको आश्वस्त किया तथा मैंने अपने निजी सहायक को उन परिजनों के साथ एस.एम.एस. चिकित्सालय में भेजा। जब मेरे निजी सहायक डा. राणावत से मिला तो उसने मेरे सहायक के साथ भी गाली- गलौच तथा दुर्व्यवहार किया और डा. राणावत ने उसकी डायरी और उसका विधान सभा परिचय पत्र भी फैक दिया। उसके बाद मेरा निजी सचिव अधीक्षक महोदय एल.सी. शर्मा से मिला और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को बताया। उसके बाद मेरा निजी सहायक संजीव माथुर के कक्ष में बैठा था। उसी समय पर दुबारा से डा. राणावत माथुर साहब के कक्ष में आया उसने मेरे सहायक को गाली, गलौच देकर गार्डों के द्वारा बाहर निकलवा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि उसने किस अधिकार के साथ दूसरे के कक्ष में आकर ऐसा अशोभनीय व्यवहार क्यों किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विधायकों को गरीब, बी.पी.एल., बेसहारा मरीजों को नि:शुल्क जांच कराने की अभिशंसा करने का अधिकार नहीं है। जब मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा स्वीकृत करने के लिए विधायकों की अभिशंसा को मान्य किया जाता है तो नि:शुल्क जांच कराने के लिए क्यों स्वीकार नहीं की जाती। श्रीमान जी इस सदन के अधिकांश विधायक ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों से जीतकर आये हैं, जहां की बीपीएल, गरीब, बेसहारा जनता विधायकों के पास

आती है जिन्हें इलाज की शख्त आवश्यकता रहती है। गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतनी मंहगी-मंहगी जांच करा सके। श्रीमान जी गरीबों को सहारा मिल सके उनकी नि:शुल्क जांच हो सके इसी कारण गरीब लोग विधायकों के पास आते हैं। विधायकों की अनुपस्थिति या क्षेत्र में होने पर निजी सहायक ही उन मरीजों की सेवा करते हैं परन्तु एस.एम.एस. चिकित्सालय के प्रभारी डाक्टरों का व्यवहार इतना नीच प्रवृत्ति का है कि कई विधायकों के निजी सहायकों से गाली, गलौच तक कर दी है। स्वयं डॉ. राणावत अधिकारी होने के बावजूद अपने चैम्बर में मरीजों को देखता है, तथा अपने चहते कर्मचारियों एवं प्राइवेट लोगों से महंगी जांच को नि:शुल्क कराके मरीजों से पैसा वसूलता है। अगर इनकी जांच कराई जाए तो कई अनियमितताएं सामने आ जायेंगी।

अत: आपसे निवेदन है कि आम गरीब मरीजों के साथ जो व्यवहार एक जिम्मेदार डाक्टर के द्वारा किया जा रहा है, वह बहुत ही शर्म की बात है, समस्या को ध्यान में रखतें हुए आम गरीब मरीजों व उनके परिजनों के साथ न्याय करें, और डा. राणावत को अधीक्षक के पद से हटाकर ओ.पी.डी. में भेंजे या उसका स्थानान्तरण अन्यत्र कर आम गरीब मरीजों के परिजनों का राहत दें।

सुखराम कोली
(बसेड़ी)

बूंदी में पर्यटन विकास हेतु विशेष पैकेज

मेरे विधान सभा क्षेत्र बून्दी में देशी व विदेशी पर्यटकों के अत्यधिक रूझान को देखते हुए यहां पर और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये शहर को साफ व सुन्दर बनाने हेतु कई कार्य कराना आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में बून्दी के बालचन्द पाडा क्षेत्र तथा नाहर का चोहटा एवं सदर बाजार क्षेत्र जहां पर आज विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहता है एवं कई सारे पेईंग गेस्ट हाउस, होटल, गढ़, किले का रास्ता, म्यूजियम आदि स्थित है परन्तु इस क्षेत्र की सड़कें, नालियां आदि क्षतिग्रस्त होने से गन्दगी रहती है एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र में सड़कें अतिक्रमणों के कारण काफी संकीर्ण होने से पर्यटकों के वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानी रहती है तथा आने वाले पर्यटक यहां के प्राकृतिक सौन्दर्य को तो निहारते हैं, परन्तु शहर की दुर्दशा पर विपरीत टिप्पणी करते हैं। बून्दी शहर में पर्यटन विकास की अपार सम्भावनायें हैं तथा एक बार यहां पर आने वाला देशी/विदेशी पर्यटक हमेशा मन में दुबारा बून्दी आने की सोच लेकर जाता है,

परन्तु साथ ही शहर की वर्तमान दशा में सुधार के सुझाव देकर जाता है। पिछले 10 वर्षों से बून्दी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। यदि बून्दी में स्थित बालचन्दपाडा, नाहर का चौहटा, सदर बाजार आदि को विशेष पर्यटन बाजार का दर्जा एवं विशेष पैकेज जारी करा इस क्षेत्र की सड़कों, नालियों की मरम्मत करा दी जावे एवं क्षेत्र में साफ एवं सुन्दर महिला तथा पुरुष शौचालय बना दिये जावे तो पर्यटकों की दृष्टि से मनभावना रूप ले लेगी तथा पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा।

इसी प्रकार यहां के रमणीय पर्यटन स्थलों को विशेष पैकेज जारी करा कर इनकी सुन्दरता को बढ़ाने के कार्य कराये जाते हैं तो यहां पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। बून्दी शहर में स्थित जैतसागर तालाब जो माउन्ट आबू की नक्की झील से किसी भी तरह से कम नहीं है, मैं जल कुम्भी व कमल जड़ों की सफाई करा इसमें मोटर बोट, पेडल बोट, शिकारा, आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसी तरह बालचन्दपाडा क्षेत्र में स्थित नवल सागर तालाब जो कभी हमेशा पानी से भरा रहता था, उसमें पर्याप्त खुदाई तथा सफाई करा पुनः पानी की आवक सुनिश्चित करा इसके सौन्दर्यकरण की आवश्यकता है।

पैलेस आन व्हील ट्रेन जो कि बून्दी से होकर निकलती है, यदि इसका ठहराव बून्दी में हो जाये तो यहां पर पर्यटको की संख्या में और अधिक इजाफा होगा तथा इस ट्रेन में सफर करने वाले धनाढ्य पर्यटको का भी बून्दी में ठहराव होगा ।

अतः कृपया बून्दी में पर्यटन विकास की विपुल सम्भावनाओं को देखते हुये पर्यटन के क्षेत्र में बून्दी को विशेष दर्जा दिया जाकर स्पेशल पैकेज जारी करा उपरोक्त वर्णित पर्यटन विकास के कार्य कराने हेतु विशेष निर्देश जारी कराने का कष्ट करें।

अशोक डोगरा

(बूंदी)

चौहटन में शीतलहर से नष्ट फसलों का कृषकों को मुआवजा

आपके मार्फत विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहुंता हूं कि

इस वर्ष जीरा अरण्डी व इसबगोल की फसल अच्छी हुई थीं, मगर माह फरवरी में चली शीतलहर ने इन फसलों को पूर्ण रूप से जला कर नष्ट कर दिया । किसानों के द्वारा फसलों की बुआई ऋण लेकर की गई थी।

जिस समय गिरदावरी की गई चूंकि पौधे तो हरे थे, मगर उन पौधों में जीव लग चुका था, उस जीव ने फसलो को के दानो को नष्ट कर दिया और पौधे जल गये। शीतलहर इतनी चली कि जीरा, ईसब व अरण्डी को तो क्या उसने बबूल व अन्य पेड़ पौधों को भी जला कर नष्ट कर दिया ।

मौसम विभाग के द्वारा जो यंत्र लगा रखे हैं या तो वह यंत्र खराब है अथवा यंत्रों में विभाग के द्वारा छेड़खानी की गई । जिससे वह यंत्र 0 जीरा डिग्री से कम सर्दी को बताता ही नहीं है। इसकी जांच करवाई जानी आवश्यक है मौसम विभाग के यंत्र की वास्तविकता सामने आ सके । इसके साथ ही यह भी निवेदन है कि गिरदावारी का किया गया सर्वे पुनः करवाया ताकि किसानो के जीरा, ईसब व अरण्डी के हुये नुकसान का वास्तविक आकलन हो सके ।

माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे मुख्यमंत्री महोदय आम गरीब तबके का पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिये निवेदन है कि इस बात पर गौर फरमाकर गिरदावारी सर्वे पुनः करवाये जाने के आदेश करायेंगे एवं किसान जो शीत लहर, बिजली व बैंकों की ऋण की मार से मर रहे हैं, में विशेष पैकेज जारी करायेंगे ताकि किसानो को राहत मिल सके।

पदमाराम मेघवाल

(चौहटन)

शेरगढ़ तहसील की पेयजल योजनाओं के कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि तहसील शेरगढ़ की वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 134.00 देवानिया-नाथडाऊ कनोडिया-54 मील-चोरडिया-शेरगढ़-चाबा के द्वितीय चरण की योजना दिनांक 11.10.2007 को राशि 234.46 करोड़ की स्वीकृत हुई थी । इसमें से राशि 21.43 करोड़ का कार्य भाजपा शासन काल में ही पूर्ण हो गया था, शेष कार्य के लिये दिनांक 10.08.2011 को राशि 137.73 करोड़ का कार्यादेश दिया जाकर 10.08.2013 को कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। उक्त योजना के द्वितीय चरण में पैकेज प्रथम को आगे 07 सब पैकेज में बाटकर उसमें से 04 सब पैकेज का कार्य पूर्ण कर लिया गया, परन्तु शेष 03 सब पैकेज में ग्राम पंचायत लोड़ता अचलावता, कनाडिया पुरोहितान, देचू, गुमानपुरा आसरलाई, गोदेलाई चामू, पण्डितो का बास व इनके राजस्व गावों के लिए अभी तक तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हो सकी है, जिससे कार्य में रूकावट आ गई है।

अतः उक्त पैकेज की तकनीकी स्वीकृति जारी करवाकर निर्धारित समय-सीमा में ही कार्य पूर्ण करवाने का निर्देश जारी करावें।

इसी प्रकार वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 159.50 खुडियाला-जीयाबेरी-आगोलाई-सिंयादा-बालेसर के द्वितीय चरण की दिनांक 01.02.2007 को राशि 74.38 करोड़ की स्वीकृत हुई थी। इसमें से राशि 53.70 करोड़ का कार्य पूर्ण हो गया है व इस योजना के कार्यादेश अनुसार दिनांक 17.02.2013 को कार्य पूर्ण करना है। अतः इस योजना का कार्य भी निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण करवाने का निर्देश जारी करावें।

पंचायत समिति शेरगढ़ में 25 नलकूप पिछले दो वर्षों के दौरान स्वीकृत किये हुए हैं, लेकिन इन स्वीकृत नलकूपों की खुदवाई नहीं होने से क्षेत्र के ग्रामीणजनों को पेयजल का लाभ नहीं मिल रहा है। अतः स्वीकृत नलकूपों को शीघ्र खुदवाने के निर्देश जारी करावें।

पंचायत समिति शेरगढ़ में 139 व प.स. बालेसर में 246 कूल 385 हैण्डपम्प नकारा घोषित हो चुके हैं, जिसकी सूची मेरे द्वारा विभाग को भिजवाई जा चुकी है, उक्त नकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प की स्वीकृति जारी कर आम जन को पेयजल से लाभान्वित करावें।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित अभावग्रस्त ढाणियों के अनुसार पंचायत समिति शेरगढ़ में 156 व पंचायत समिति बालेसर में 167 कुल 323 ढाणियों में नलकूप व ओपनवैल खुदवाकर पेयजल से लाभन्वित करने व इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति का पंचायत समिति शेरगढ़ की 311 व पंचायत समिति बालेसर की 327 ढाणियों कुल 638 चयनित ढाणियों को लाभन्वित करने एवं सामान्य वर्ग की अभावग्रस्त ढाणियों में पंचायत समिति शेरगढ़ में 470 व पंचायत समिति बालेसर में 590 कुल 1060 ढाणियों के लिये पेयजल से लाभान्वित करवाने हेतु जलदाय विभाग को मेरे द्वारा प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। अतः उक्त प्रस्तावों को एक्शन प्लान वर्ष 2012-13 में सम्मिलित करते हुए स्वीकृतियां जारी करवाकर पेयजल से लाभान्वित करावें ।

तहसील शेरगढ़ में क्षतिग्रस्त भू-तल जलाशय, क्षतिग्रस्त नकारा पाइप लाइन, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के लिये अगमेन्टेशन योजना, नलकूपों के पम्प, केबल व बोर्ड-स्टार्टर बदलने व टेंकर द्वारा स्वीकृति जारी करवाकर पेयजल से लाभान्वित करावें।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनाओं के

आगम्टेंशन, नवीन नलकूप-हैण्डपम्प व सभी नवीन योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं, उसके संचालन, संधारण व रख-रखाव के लिये निविदा में ही 05 वर्ष के लिये समय निर्धारित किया जाए, जिससे योजनाओं का सूचारु रूप से संचालन सम्भव हो सके।

तहसील शेरगढ़ के क्षेत्रवासियों द्वारा जलदाय विभाग के नि:शुल्क काल सेन्टर में दर्ज की जाने वाली शिकायतों का समाधान केवल कागजों में ही हो रहा है। अत: धरातल पर भी समाधान करवाने हेतु काल सेन्टर में दर्ज समस्या की जांच करवाकर पेयजल समस्या के समाधान की नितान्त आवश्यकता है। तहसील शेरगढ़ में अधिकारियों व कर्मचारियों के लम्बे समय से पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करावें ताकि भीषण गर्मी को मध्यनजर रखते पेयजल समस्या का समाधान किया जा सके।

बाबू सिंह राठौड़

(शेरगढ़)

गढ़ी (बांसवाड़ा) में भारी वाहनों के आबादी क्षेत्रों से गुजरने से कारित अव्यवस्था

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीमेंट फैक्टरी जिसका माल ढोने वाले भारी वाहन आबादी क्षेत्रों की ग्रामीण सड़कों से गुजरते हैं जिससे इस क्षेत्र में भारी अव्यवस्था हो रही है। इस आवागमन से आये दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है

ट्रासपोर्टर मु.स. का उपयोग नहीं करके समय व दूरी की बचत करने के लिये ग्रामीण सड़कों का उपयोग करते हैं जो कि आबादी क्षेत्र से गुजरती है। समय-समय पर ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया जाता है।

आबादी क्षेत्रों में सड़कों की चौडाई कम है क्योंकि आबादी पहले से बसी हुई तथा ग्रामीण सड़कें बाद में बनी हैं जिस निर्धारित दूरी (सेंटर से) पर निर्माण के माप दण्डों का पालन नहीं हुआ है।

ग्रामीण सड़कों की डिजाइन भारी वाहनों के अनुकूल नहीं होती है ।

आबादी क्षेत्र इन भारी वाहनों के आवागमन से सुरक्षित नहीं हैं। ग्रामीण सड़कों पर स्कूलें चल रही हैं जहां बच्चे पैदल स्कूल आते-जाते है। सड़क के आस-पास खेलते सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर है जिससे छोटे वाहनों को साइड नहीं दी जाती है जिससे वे चपेट में आ जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर को अवगत कराया गया, कलक्टर ने इसके समाधान हेतु DTO को निर्देशित किया था। RTO ने मोटर विहकल एक्ट के तहत इन भारी वाहनों को उक्त ग्रामीण रूट से आवागमन पर प्रतिबंध लगाने पर असमर्थता जताई।

आबादी क्षेत्र होने से इस क्षेत्र में हो रही अव्यवस्था से आम व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो रहा है। काम धंधें में व्यस्त लोगों के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। भारी वाहनों का जल्दी ब्रेक भी नहीं लगता।

आबादी क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों का प्रवेश निषेध कर व्यवस्था प्रदान करें ताकि आमजन का जीवन सहज-सुरक्षित हो सके।

श्रीमती कान्ता गरासिया

(गढ़ी)

कोटा शहर में झालावाड़ रोड पर निर्माणाधीन फ्लाई ओवर के कार्य को रोका जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोटा शहर के बीचों-बीच विज्ञान नगर के पास झालावाड़ रोड पर नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा 59 करोड की लागत से वर्तमान में एक अनावश्यक फ्लाई ओवर का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी कोटा शहर को कोई आवश्यकता नहीं है। कोटा की जनता द्वारा इसकी मांग करना तो दूर बल्कि जन आंदोलन कर भारी विरोध भी किया गया, लेकिन नगरीय विकास मंत्री की फ्लाई ओवर बनाने की हठधर्मिता के आगे किसी की एक न चली। जनता का विरोध इसलिये था कि 250 करोड़ की लागत से चम्बल नदी पर हैंगिक ब्रिज बनकर बड़े बाइपास का कार्य निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य आगामी दो साल में पूर्ण हो जाएगा, जिससे कोटा का 90 प्रतिशत भारी यातायात इस बाइपास से शहर में नहीं आकर बाहर से ही गुजर जायेगा और उससे कोटा शहर को दुर्घटनाओं से पूरी तरह से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में 59 करोड़ के लागत से झालावाड़ रोड पर बन रहे फ्लाई ओवर का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर विज्ञान नगर में बन रहे इस फ्लाई ओवर का वैसे भी नये कोटा में रह रहे लगभग तीन लाख लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। विज्ञान नगर, तलवंडी क्षेत्र के वाशिंदों को इस फ्लाई ओवर के नीचे रेंगते हुए ही अपने घर तक जाना पड़ेगा। तकनीकी दृष्टि से भी यह फ्लाई ओवर सही नहीं बनने के कारण अपनी गलती स्वीकार करके यू.आई.टी. को

इसके आगे 7 करोड़ की लागत से एक और छोटा फ्लाई ओवर बनाना पड़ रहा है, जो सरकारी खजाने पर एक और अतिरिक्त बोझ है और फ्लाई ओवर बनाने के नियमों में स्पष्ट है कि जहां 10 हजार से ज्यादा छोटे-बड़े वाहन एक घंटे में गुजरे वहीं पर फ्लाई ओवर बनाया जा सकता है। लेकिन जिस स्थान पर बनाया जा रहा है, वहां पर एक घंटे में 700 से ज्यादा वाहनों का गुजरना नहीं होता। ऐसे में यू.आई.टी. कोटा ने बिना सर्वे कराये निर्णय लेकर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जो गम्भीर अपराध है।

कोटा शहर का फ्लाई ओवर पहली बात तो जन भावनाओं को कुचलकर बनना ही नहीं चाहिये था और बनना ही था तो यह आई.एल. चौराहे तक बनना था ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिलता लेकिन इस कार्य में यू.आई.टी. को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर केवल अपनी जिद पूरी करने के लिये छावनी चौराहे के बाद स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारिवालजी ने सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया और जन भावनाओं को दफनाकर फ्लाई ओवर की जगह एक मकबरा खड़ा कर दिया जो नहीं होना चाहिये था।

मेरी सरकार से मांग है कि बिना आवश्यकता के कोटा शहर में चल रहे फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य को तत्काल रूकवाया जावे और इस पर अब तक खर्च हुए करोड़ों रुपये स्वायत्त शासन मंत्री व यू.आई.टी. अध्यक्ष व सचिव की जेब से वसूल किया जावे।

भवानी सिंह राजावत

(लाडपुरा)

शिक्षा क्षेत्र के प्रेरकों के सम्बन्ध में योजना बनाया जाना

राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के 36000 प्रेरकों को हटाया था जिस पर प्रेरकगण आन्दोलनरत रहे। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय भी पारित किया जिसकी पालना में राज्य सरकार को सभी प्रेरकों को कार्य पर लिया जाना था, पर अब भी इसकी सही पालना नहीं हुई है और कार्यरत प्रेरकों का मानदेय लंबे समय से बकाया है।

अतः लोक महत्व के इस मामले में राज्य सरकार को तुरन्त कार्यवाही कर प्रेरकों के कार्य, स्थिति, भुगतान के सम्बन्ध में भावी योजना का शीघ्र निर्णय लेकर उसे सदन के वर्तमान सत्र में घोषित करना चाहिये।

अशोक पींचा

(सरदारशहर)

जोधपुर में यातायात दबाव के दृष्टिगत ओवरब्रिज/अण्डरब्रिज का निर्माण

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा महानगर जिला है एवं पश्चिमी राजस्थान का एक मात्र बड़ा ऐतिहासिक शहर है। जोधपुर विकास प्राधिकरण आगामी 20 वर्षों के यातायात के दबाव को देखते हुए बनाए गए जोधपुर शहर के यातायात प्लान को लागू करने के लिए गम्भीर नहीं है। यहां तक कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई बीआरटीएस की बस सेवाएं अब बंद हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा पिछले साल नाममात्र के लिए जोधपुर ट्राफिक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी । इस बोर्ड को जेडीए अधिनियम के तहत व्यापक अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन अधिकारी ठोस यातायात योजना को लागू नहीं कर पा रहे हैं। जोधपुर में ऐसे कई व्यस्त चौराहे हैं जहां पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है उदाहरण के तौर पर पावटा, जालोरी गेट, शनिश्चर जी का थान, शास्त्रीनगर थाने के सामने, पांच बत्ती चौराहा, 12वीं रोड चौराहा इत्यादि पर रेड लाइट के अभाव के कारण वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इतने बडे जोधपुर शहर में केवल मात्र सोजतीगेट, शास्त्रीनगर थाने के सामने पर ही रेड लाइट की सुविधा है जो वाहक चालको को दिशा निर्देश देती है बाकी कहीं पर भी रेड लाइट नहीं होने से आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो रहे हैं।

जोधपुर शहर के व्यस्तम चौराहों एवं रेल्वे फाटकों पर अत्यधिक यातायात के दबाव के कारण लोगों को जीना मुहाल होने लगा है। मान. मुख्यमंत्री के जोधपुर आगमन पर जेडीए के अधिकारी बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद कोई योजनाओं को वापस देखता तक नहीं है। ऐसी ही कुछ योजनाएं नए फ्लाई ओवर को लेकर हैं । जेडीए ने कई जगह कहा है कि मैसर्स विल्बर स्मिथ द्वारा प्रस्तुत जोधपुर शहर का कम्प्रीहैन्सीव मोबिलिटी प्लान के अनुसार निम्न जगहों पर नए ओवरब्रिज की योजनाएं बनाई जा रही हैं लेकिन वह केवल मात्र कागजों में ही सिमट गयी हैं उन पर क्रियान्विति नहीं हो पा रही है।

1-आखलिया चौराहे से काल टेक्स तक एलिवेटड ओवरब्रिज

2-रोटरी चौराया से ताज हरिमहल तक ओवरब्रिज

3-गर्ल्स गाइड हैड क्वार्टर से जेडीए तक ओवरब्रिज या अण्डरब्रिज

इसी के साथ जोधपुर शहर में निजी बसों का स्टेण्ड एवं निजी परमिट (ट्रेवल्स) वाली बसों का स्थान निर्धारित नहीं होने के कारण बसें शहर के व्यस्तम इलाकों में धूमती देखी जा सकती हैं। जिस कारण पावटा चौराहा पर यातायात हमेशा रूका हुआ नजर आता है। वर्तमान में आंशिक रूप से प्राइवेट बसों का संचालन कल्याण सिंह कालवी की प्याऊ से प्रारम्भ किया गया है परन्तु ज्यादातर बसें अभी तक मानजी के हत्थे से प्रारम्भ होकर यहीं पर आकर रूकती हैं। जिस कारण यहां की यातायात व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि उक्त ओवरब्रिज को बनाये जाने की योजनाओं को लागू करने के लिए उचित बजट आंवटन कर उसकी क्रियान्वति हेतु सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाए एवं निजी बसों का स्थान निर्धारित करे। ताकि जोधपुर के नागरिकों को यातायात दबाव की समस्या से निजात मिल सके।

कैलाश चन्द भंसाली

(जोधपुर)

फुलेरा के नरायना में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जनता को कारित परेशानी

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरा निवेदन है कि फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की नरायना ग्राम पंचायत में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले दो माह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं जिसके कारण से पूरी सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है और जनता का भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में 1800 रुपये प्रतिमाह के मिलते हैं जिसमें 1400 रुपये सरकार द्वारा एवं 400 रुपये ग्राम पंचायत से दिए जा रहे हैं। उक्त राशि न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम है और इसके कारण से सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण नरायना में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जनता को भंयकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरा इस विषेश उल्लेख के माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि हड़ताल पर जाने वाले सफाई कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में निर्णय लेकर जनता को इस परेशानी से निजात दिलाने की कृपा करें।

धन्यवाद ।

निर्मल कुमावत

(फुलेरा)

धोद में मुख्य सड़कों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि धोद विधान सभा क्षेत्र में जनता का आवागमन सुव्यवस्थित करने तथा मुख्य सड़कों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने के लिये निम्नानुसार मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने या अन्य किसी योजना में इन सड़कों निर्माण की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करें, ताकि क्षेत्र की जनता को आवागमन में सुविधा मिल सके। निम्न सड़कों का निर्माण शीघ्र करवाया जावे -

	(अनुमानित दूरी किमी.)
01. तासर छोटी से सेवद छोटी	5.000
02. काशी का बास से पुराबडी	4.000
03. कुण्डलपुर से ताखरों की ढाणी	2.000
04. भुंवाला से लाडवा	4.500
05. भोरासी से लालासी (वि.स. सीमा तक)	2.500
06. दुगोली से जगतपुरा	2.000
07. पालवास से श्यामपुरा	4.000
08. नेतडवास से भाजीपुरा	4.000
09. लिहोर बड़ी से चन्देली का बास	2.500
10. टाटनवा से श्योत्या का बास	2.000
11. मुण्डवाड़ा बस स्टेण्ड से जाखड़ों की ढाणी	4.500
12. बिज्यासी से लाडवा	3.000
13. परडोली छोटी से खाखोली	2.500
14. सामोलाई बालाजी से ओला की ढाणी	2.000
15. गोठडा भूकरान से आकवा	2.000
16. राजपुरा से जाचास	5.000
17. भैरूपुरा जागीर से गुनाढ़ू	3.000
18. नेतडवास से रूपपुरा	3.500
19. गुनाढ़ू से फतेहपुरा	4.000
20. खुर्दी से रैवासी	4.000
21. नागवा से मुण्डवाड़ा	4.000

22. लोसल छोटी से गुमानपुरा	2.000
23. राजपुरा से पेवा	4.000
24. बिडोली गोठड़ा से अजबपुरा	2.000
25. बानूडा से करीरों की ढाणी	4.000
26. रूपपुरा से भुवांला	3.000
27. सावलोदा धायलान से बढोठ	2.500
28. भीखणवासी से जाचास	1.500
29. लोसल से सरवडी	5.000
30. खुड से खीचडों की ढाणी	6.000
31. खुद से बानूडा वाया जहीरों का पथ	5.000
32. परडोली छोटी से परडोली	1.500
33. झीगर बडी से झीगर छोटी	3.000
34. भैरूपुरा से झीगर छोटी	2.500
35. रशीदपुरा से आकदा	4.000
36. चैलासी से सीहोट छोटी	2.500
37. ढाणी फतेह सिंह का बास से चन्देली	3.500

पेमाराम

(धोद)

बीकानेर शहर में फैल रहे मलेरिया की रोकथाम

बीकानेर शहर (पश्चिम) विधान सभा क्षेत्र में इस दिनों में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। न तो बीकानेर शहर में डी.डी.टी. का छिड़काव किया जा रहा है, हालांकि डी.डी.टी. का प्रभाव मच्छरों पर कम होता जा रहा है, फिर भी कुछ हद तक यह कारगर साबित हो सकता है।

इसके अतिरिक्त बीकानेर में फोगिंग की भी व्यवस्था अनुकूल नहीं है, फोगिंग पूरे क्षेत्र की बात दूर, वार्डों में भी फोगिंग नहीं हो पा रहा है। या तो फोगिंग के लिये मशीन नहीं है। ऐसा कहा जाता है और अगर मशीन मिल जाये तो फोगिंग की दवाई उपलब्ध नहीं होती है। स्पष्ट है कि न तो डी.डी.टी., न फोगिंग, न ही घर-घर जाकर बुखार वाले व्यक्तियों की स्लाइड बनाई जाती है। ऐसी हालात में मलेरिया कैसे काबू आएगा ।

समाचार पत्रों में निरन्तर खबरें आ रही हैं व अस्पतालों से भी सूचना मिलती है कि मलेरिया से बीकानेर अस्पतालों व अस्पताल नहीं पहुंचने वाले मरीज मलेरिया का रोग निदान नहीं होने से व उपयुक्त समय पर दवाइयां नहीं लेने से बीकानेर में करीबन 30 मरीजों की जान जा चुकी है।

अतः मेरी निवेदन है कि उपरोक्त गम्भीर विषय पर यदि विभाग नहीं चेता तो अधिक चितायें जलने के समाचार समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलेंगे, कृपया मलेरिया की रोकथाम कर र्प्याप्त समाधान किया जावे ।

डा. गोपाल जोशी

(बीकानेर पश्चिम)

भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को गेहूं उचित मूल्य पर क्रय करने की प्रक्रिया

मैं किसानों के गेहूं का उचित मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय करने की प्रक्रिया के अविलम्ब लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। निवेदन है कि इस वर्ष ईश्वर की कृपा से गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ है। लेकिन निगरानी/मानिटरिंग नहीं होने से किसानों को 1100 रुपये आड़तिया/व्यापारी, खरीद एजेन्सी एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण जितना गेहूं मण्डी में आता है उतना है वारदाना भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं दिया जाता है । उस वारदाने की कमी का बहाना बताने पर किसान गेहूं खुली बोली पर बेचने पर मजबूर हो जाता है। वहीं गेहूं व्यापारी अगले दिन भारतीय खाद्य निगम को बेच देता है एवं प्रति क्विन्टल 300 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यह सब इस कारण हो रहा है क्योकिं मण्डीयों में मानिटरिंग का अभाव है।मेरा सुझाव है कि जिले का विधायक उस जिले की मण्डी की मोनिटरिंग कमेटी का सदस्य हो जिसमें मण्डी के क्षेत्र का प्रधान, व्यापारियों का प्रतिनिधि एवं किसानों के तीन प्रतिनिधि, जिलाधीश का एक प्रतिनिधि उक्त समिति के सदस्य हों, जिसे मोनिटरिंग के अलावा वारदाना तोल एवं गेहूं का उठाव तथा निकास, समय पर राशि एवं बोनस का भुगतान की शिकायत सुनने का अधिकार हो तो किसानों को सपोर्ट प्राइस पर गेहूं बेचने में सुविधा होगी एवं 300 रुपये प्रति क्विन्टल के हो रहे नुकसान से बचाया जा सकेगा।

नरपतसिंह राजवी

(विद्याधर नगर)

सागवाड़ा के ग्रामों में फ्लोराइडयुक्त पेयजल की समस्या का निराकरण

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा के कुछ ग्रामों में फ्लोराइडयुक्त भूगर्भीय पेयजल से उत्पन्न समस्या का निवारण करने हेतु उल्लेख करना चाहता हूँ।

मेरे विधान सभा के माण्डव क्षेत्र के 25 क्रमशः भवनपुरा, माण्डव, हरजी का सीरा, पिछौली, पंचावल, सुरैला, भासौर, ज्ञानपुर, खमेला, खैरिया, चारवाड़ा, कोकापुर, टिटवा, मालवी, रणौली, बैण, हडमातिया, खौखरा, पादरा, टामटिया, मोवाई एवं पदमपुरा है। इन ग्रामों की जनता को वर्तमान में हैण्डपम्प, बौरवेल एवं ओपनवैल से ही भूगर्भीय जल पीने हेतु उपलब्ध है तथा इन क्षेत्र में भूगर्भीय जल में फ्लोराइड तत्व की मात्रा बहुत अधिक है। इन 25 ग्रामों में से 10 ग्रामों में भूगभीय जल में फ्लोराइड तत्व की मात्रा 1.5 पी.पी.एम. से 3 पी.पी.एम. है जबकि शेष 15 ग्रामों में भूगर्भीय जल में फ्लोराइड तत्व की मात्रा 3 पी.पी.एम. से 5 पी.पी.एम. है जो जल पीने हेतु उपयुक्त नहीं है। इस पेयजल के सेवन से यहां की अधिकांश जनता हड्डी रोग से पीड़ित है और इसी कारण से यहां के लोगों का जीवनकाल भी औसत आयु से कम है। चूंकि इन ग्रामों के आसपास कोई बड़ा सतही जल भण्डारण नहीं है। लेकिन कुछ दूरी पर सतही जल भण्डारण लक्ष्मण सागर बांध स्थित है जिसके जल में फ्लोराइड तत्व की मात्रा न्यूनतम स्तर पर है एवं इसकी भराव क्षमता 80 एम.सी.एफ.टी. है इस पर्याप्त पानी से सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की भी आपूर्ति आसानी से हो सकती है इसलिय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महादेव, मैं आपके मार्फत राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरी विधान सभा क्षेत्र के इन 25 ग्रामों हेतु लक्ष्मण सागर बांध से पेयजल योजना शीघ्र तैयार करवा शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश अपने विभागीय अधिकारी को देने का कष्ट करें ताकि इन ग्रामों की जनता को फ्लोराइड मुक्त पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था हो सके।

सुरेन्द्र कुमार
(सागवाड़ा)

ग्राम पंचायत को T.F.C., S.F.C. व निर्बन्ध राशि से सी.सी. सड़क निर्माण की अनुमति

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं राजस्थान विधान सभा के नियम संचालन 295 के तहत सरकार व माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का ध्यान आकर्षण कर निवेदन करता हूं। कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य हेतु को T.F.C., S.F.C. व निर्बन्ध राशि उपलब्ध करवायी जाती है लेकिन इस राशि के उपयोग के लिए राज्य सरकार ने आवश्यकत दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं तथा T.F.C., S.F.C. व निर्बन्ध राशि से ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड़ के निर्माण की अनुमति नहीं है। इस कारण इस राशि का सही प्रकार इस्तेमाल नहीं हो रहा है तथा अधिकांश पंचायतों में राशि होने के बावजूद भी वे इसका उपयोग सी.सी. रोड़ निर्माण में नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक आवश्यकता सी.सी. रोड निर्माण की है।

यदि T.F.C., S.F.C. व निर्बन्ध राशि से गांवों में सी.सी. रोड के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी जाये तो गांवों में विकास कार्य तीव्र गति से हो सकेंगे तथा ग्रामीणों की मुख्य समस्या का भी निदान हो सकेगा । अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर T.F.C., S.F.C. व निर्बन्ध राशि से ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड निर्माण की अनुमति प्रदान करे।

सी.एल. प्रेमी

(केशवरायपाटन)

भरतपुर में खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की घोषणा पश्चात् की प्रगति का अभाव

राज्य सरकार ने बजट सत्र में भरतपुर जिले में फूड प्रोसेसिंग खोलने की घोषणा की गई थी। इसके लिये एक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी यह मामला फाइलों में अटका पड़ा है। इस बजट में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

वैर विधान सभा क्षेत्र में सब्जियों, फूल, बैर, नींबू, आम, आंवला, अमरूद, पान सहित अनेक प्रकार की पैदावार होती है, जो देश-विदेश में जाती है। भुसावर तो अचार के लिये प्रसिद्ध है, जो देश-विदेश में ख्याति प्राप्त है। इस खाद्य प्रोसेसिंग सेन्टर को लगाने के लिये जिला कलक्टर एवं राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिये वैर क्षेत्र का चयन किया और इसके लिये जगह

भी तय कर ली है, लेकिन ना जाने क्या कारण रहे कि इस फूड प्रोसेसिंग सेन्टर को नदबई क्षेत्र में लगाया जा रहा है, जिसकी भूमि चिह्नित की है, जो गलत है, जबकि नदबई में सब्जी एवं फलों की पैदावार नहीं होती।

इस फूड प्रोसेसिंग सेन्टर को वैर क्षेत्र में लगाया जाना चाहिये। इसके लिये आम जन एवं अभी जन-प्रतिनिधियों की भी मांग है। यदि इसे वैर क्षेत्र में नहीं लगाया गया तो ये बड़ा जनाक्रोष का कारण बन जाएगा व लोगों के साथ अन्याय होगा। उक्त फसलों को सैनी व धाकड़ समाज द्वारा उगाई जाती हैं। इस केन्द्र के खुलने से खाद्य उत्पादों के संस्करण की नवीन तकनीकी का प्रशिक्षण मिलने से क्षेत्र में अच्छी किस्म की पैदावार होगी।

अत: मेरा निवेदन है कि उपरोक्त गम्भीर विषय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस फूट प्रोसेसिंग केन्द्र की घोषणा के एक वर्ष तक कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही जमीन का तय हो पाया है। इस घोष्णा से क्षेत्र के किसानों को इस तकनीक का लाभ मिलेगा।

बहादुर सिंह
(वैर)

हिण्डौली की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में प्रति वर्ष गर्मियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित ग्रामीण क्षेत्र के सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों को सीपीईईओ के निर्धारित मापदण्डों के विरुद्ध दूषित पानी, जिसमें फ्लोराइड, टीडीएस, नाईट्रेट तथा खारे पानी को पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्रों के सारे टयूबवेल व हेण्डपम्प व कुओं का जल स्तर सूख जाता है जिससे प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति करनी पड़ती है यह प्रक्रिया कई वर्षों से चली आ रही है। दूषित पानी पीने के कारण लोगों में कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप ब़ता जा रहा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए गम्भीर मामला है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है।

सरकार द्वारा हर वर्ष टैंकरों से पानी वितरण का प्रबन्ध करने में करोड़ों रुपये की राशि खर्च की जाती है किन्तु फिर भी उक्त समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरी सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है कि चंबल का पानी बीसलपुर पहुंचाने

की विचाराधीन योजना में तालेड़ा, हिंडौली, पेंच की बावड़ी, बासनी सहित विधान सभा क्षेत्र के अन्य अति प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सम्मिलित किया जाना अति आवश्यक है, साथ ही राज्य सरकार के पास लंबे समय से विचाराधीन विभिन्न महत्वपूर्ण योजनायें यथा बांसी, देई, नैनवा, गोठड़ा, रूणीजा, अलोद, दबलाना, जजावर, दुगारी आदि क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में ग्रीष्म काल से पूर्व स्वीकृति जारी कर पेयजल का प्रबंधन किया जाये।

प्रभुलाल सैनी

(हिण्डौली)